खण्ड-265, अंक-3
सोमवार, 30 फाल्गुन, शक संवत् 1887
(21 मार्च, 1966 ई0)

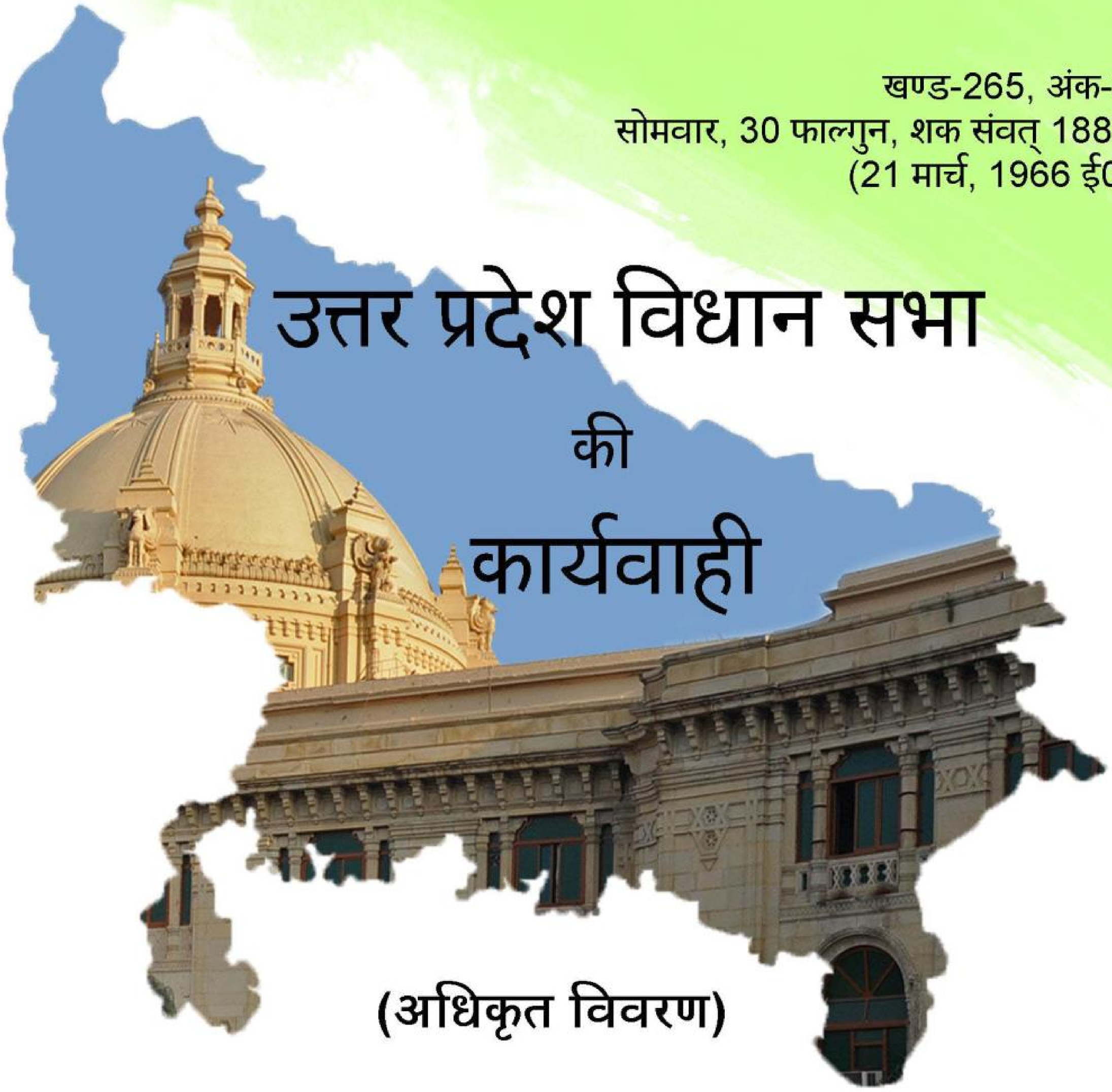

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 265 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६६

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, २१ मार्च, १९६६

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ, में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३१९

अक्षयवरसिंह, श्री
अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुलसमी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अयोध्याप्रसाद, श्री
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अहमद बख्श, श्री
आनन्दसिंह, कुंवर
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनार्थसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उपनाम छुन्नन गुरू)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा बेगम, श्रीमती
कुमार करुणाकृष्ण नायर, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती

गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
चैतन्यराजसिंह, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशप्रसाद पांडेय, श्री
जगदीशशरणअग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमादारसिंह, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम वक्कन)
जुगलकिशोर, आचार्य
जुगलकिशोर, श्री
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दशरथप्रसाद, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पांडेय, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
पंचमदास, श्री
परसाईलाल, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
प्रेमसिंह, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटसिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह, सरदार
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री

बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेदराम, श्री
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवान सहाय, श्री
भगवतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भोखलाल, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधवप्रसाद त्रिपाठी, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेवालाल अग्रवाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रसिंह, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामप्रधानसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे वर्मा, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल' श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन शुक्ल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (एटा)
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री

रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रूकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लखपतराम शर्मा, श्री
लखसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय, 'प्रणव' श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शिब्बन लाल सक्सेना श्री,
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

प्रश्नोत्तर

सोमवार, २१ मार्च, १९६६

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

विकास खण्डों का पुनर्गठन

**१—श्री रघुनाथ सिंह (जिला वाराणसी) तथा श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर) (अनुपस्थित)—

क्या सामुदायिक विकास मन्त्री कृपा कर बतायेंगे कि प्रदेश में जो लगभग दो सौ विकास खण्डों को तोड़ने की योजना है उन तोड़े जाने वाले विकास खण्डों का चुनाव करने के आधार क्या थे और क्या अब तक तोड़े जाने वाले विकास खण्डों का निर्णय किया जा चुका है ? यदि हां, तो क्या उसकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री राममूर्ति)—

विकास खण्डों के पुनर्गठन में भौगोलिक स्थिति, यातायात के साधन और जनसंख्या पर विशेष महत्व दिया जा रहा है। तहसील तथा न्याय पंचायतों की सीमा को कहीं नहीं तोड़ा गया है ताकि वह अलग अलग विकास खण्डों में न पड़ें। जहां भवनों का निर्माण हो चुका है उन्हें उपयोग में लाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है तथा जहां तक संभव है खण्ड सुसंगठित बनाये जा रहे हैं। अभी जिला अधिकारियों तथा जिला परिषद् की कार्यसमितियों से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार हो रहा है जिस पर अंतिम निर्णय कमेटी आफ डायरेक्शन लेगी।

विकास खण्डों का विघटन

**२—श्री रामकिशोर वर्मा (जिला फतेहपुर) (अनुपस्थित)—

क्या सामुदायिक विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सत्य है कि प्रशासन में मितव्ययिता तथा विकास सेवा खण्डों को प्रभावशाली बनाने की दृष्टि से ३१ मार्च, १९६६ तक प्रदेश के लगभग २१७ विकास सेवा खण्डों के विघटन किये जाने सम्बन्धी शासन द्वारा घोषित निश्चय के क्रियान्वयन को स्थगित किया जा रहा है, कब तक के लिये ? और क्यों ?

श्री राममूर्ति—

विकास खण्डों के पुनर्गठन को स्थगित नहीं किया गया है। जिला अधिकारियों तथा जिला परिषद् की कार्य समिति से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार हो रहा है। कमेटी आफ डायरेक्शन की भी बैठक हुई है पर अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

*१-२—श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर) तथा श्री विक्रमशाह (जिला शाहजहांपुर)—

[८वें सोमवार के लिये स्थगित किये गये।]

राज्य से आलू का निर्यात

*३—श्री शिवराज सिंह (जिला बदायूं)—

क्या यह सही है कि आगरा तथा फैजाबाद मंडियों में आलू के जो भाव १ जनवरी, १९६६, ७ जनवरी, १९६६ को समाप्त होने वाले सप्ताहों में क्रमशः ४५ रुपये, २६.२५ रुपये और ४८.२४ रुपये, २२.५० रुपये थे वे ११ फरवरी, १९६६ को समाप्त होने वाले सप्ताह में तेजी से घट कर १५.६२ रुपये, १५.०० रुपये हो गये ? यदि हां, तो सरकार ने आलू उत्पादकों को इस भारी घाटे से बचाने के क्या उपाय अब तक किये हैं और आगे अब क्या करने का जा रही है ?

कृषि उपमंत्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)—

आगरा व फैजाबाद मंत्रियों में १-१-६६, ७-१-६६ तथा ११-२-६६ को समाप्त होने सप्ताहों में आलू के भाव (प्रति क्विन्टल) निम्नलिखित थे—

	आगरा	फैजाबाद
	रु०	रु०
१-१-६६	४५.००	४८.२५
७-१-६६	२६.२५	३७.७८
११-२-६६	१५.६२	२४.४४

आलू उत्पादकों को घाटे से बचाने के लिये निम्नलिखित उपाय किये जा रहे हैं—

१—पश्चिमी बंगाल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, जम्मू काश्मीर, आन्ध्र प्रदेश और मद्रास की राज्य सरकारों से इस प्रदेश से १० रु० प्रति मन आलू खरीदने की प्रार्थना की गई है। मद्रास सरकार ने १५,००० टन आलू इस राज्य से खरीदने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसका भाव लदान के रेलवे स्टेशन पर ३४ रु० प्रति क्विन्टल तय हुआ है। १,००० टन की पहली खेप इस भाव पर तुरन्त मद्रास, उत्तर प्रदेश सहकारी संघ द्वारा भेजी जा रही है।

२—नेशनल एग्रीकल्चरल कोआपरेटिव मारकेटिंग फेडरेशन, नई दिल्ली से भी इस भाव पर आलू खरीदने के लिये कहा गया है।

३—सहकारी विभाग ने उत्तर प्रदेश सहकारी संघ को उचित मात्रा में आलू खरीदने के आदेश प्रसारित कर दिये हैं।

४—आलू उत्पादन के केन्द्रों पर अधिक से अधिक रेलवे वैगन मिलने की व्यवस्था की गई है।

५—आलू व्यापारियों द्वारा झूठे रजिस्ट्रेशन रोकने के लिये रेलवे अधिकारियों को लिखा-पढ़ी की गयी है।

६—परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश को ट्रक संघ द्वारा आलू की बढ़ाई गई दरों की छानबीन करने के लिये लिखा गया है कि वे आलू उत्पादकों को ट्रकों का विशेष परमिट देवें।

श्री शिवराजसिंह—

क्या यह सही है कि माननीय कृषि मंत्री ने अपने कार्यालय में विधायकों की एक कमेटी की थी जिसमें आलू के गिरते हुए भाव के संबंध में विचार किया था ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

जी हां।

श्री शिवराजसिंह--

क्या कृषि विभाग ने पी० सी० एफ० से यह कहा है कि वह जिन क्षेत्रों में ५ हजार एकड़ या इससे ज्यादा एकड़ में आलू पैदा हुआ है वहां से १० रुपये प्रति मन के हिसाब से आलू की खरीद करे और इसमें जो घाटा होगा उसकी पूर्ति कृषि विभाग करेगा ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--

जी हां, ऐसा विचार विनिमय हुआ था।

श्री शिवराज सिंह--

क्या यह सही है कि पी० सी० एफ० ने प्रदेश के कई जिलों से आलू की खरीद १० मार्च से आरम्भ की और १५ मार्च तक खरीद खत्म कर दी ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--

इसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)--

श्रीमन्, अन्न का उत्पादन अधिक हो इसके लिये माननीय कृषि मंत्री जी ने एक कम्पेन चलाया था उत्तर प्रदेश में और उसमें यह कहा गया था कि आलू की खेती अधिक हो। इसलिये इस सरकार की नैतिक जिम्मेदारी हो जाती है कि वह गिरते हुये भाव को रोकने के लिये कोई कदम उठाये। क्या यह सही है और सरकार ने इस पर विचार किया है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--

जी हां, ऐसा एक कम्पेन चलाया गया और उससे आलू की खेती में वृद्धि भी हुई। सरकार किसानों को नुकसान न हो, इसके लिये बराबर कोशिश कर रही है और प्रश्न के उत्तर में भी यह बताया गया है कि सरकार की ओर से कोशिश की जा रही है।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)--

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह जो आलू की फसल में घाटा हो रहा है इसको देखते हुए सरकार स्वयं आलू खरीद कर स्टोर करे और सीजन में निकाले, क्या ऐसी कोई योजना सरकार की है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--

ऐसी कोई योजना नहीं है।

श्री रामायण राय (जिला आजमगढ़)--

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि किसानों को उचित मूल्य मिल सके इसके लिये सरकार ने अन्य राज्यों से भी आलू की खरीद के लिये प्रयत्न किया है ? इसके अतिरिक्त क्या सरकार उन लोगों से भी बातचीत कर रही है जो लोग इस ट्रेड में काम कर रहे हैं और इसके अतिरिक्त यह एक पैरिशेबुल कमोडिटी है, तो इन प्रयासों के सम्बन्ध में मैं जानना चाहता हूं कि इन प्रयासों के होते हुए क्या उनको यह विश्वास है कि काश्तकार का उत्साह पूर्ववत् बना रहेगा ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--

सरकार ने उत्तर प्रदेश सहकारी संघ को आलू खरीदने का कार्य सुपुर्द किया है और वह इस कार्य को कर रही है।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि आलू के गिरते हुये भाव को रोकने के लिये सरकार ने बाहरी एजेन्सियों द्वारा आलू खरीदने की सुविधा दी है और सरकार ने क्या यह निश्चय किया था कि पांच हजार एकड़ से अधिक काश्तकारी हुई हो तो उन क्षेत्रों को सुविधा दी जावेगी ? मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि बलिया के क्षेत्रों में भी इस आधार पर आलू खरीदने की सुविधा क्यों नहीं दी गई है ? वहां सरकार क्या बुकिंग या वैगन्स दिलवाने की कृपा करेगी ताकि आलू बाहर चला जाय ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

जो डायरेक्टर मूवमेन्ट्स हैं उनको सरकार ने लिखा है कि जिस स्टेशन को भी आलू भेजने की किसान या सहकारी संघ की तरफ से व्यवस्था की जा रही है वहां वैगन्स बराबर अवेलेबुल रहने चाहिये और खरीदने का कार्य उत्तर प्रदेश सहकारी संघ के जिम्मे किया गया है ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

माननीय मंत्री इस बात को देखते हुए कि चूंकि इस समय आलू बाजार में फसल होने के नाते अधिक आ रहा है और इस समय आलू का भाव गिर रहा है लेकिन आलू का भाव एक ओर जिससे उपभोक्ताओं को साल भर आलू मिल सके इसके लिये सरकार क्या कदम उठा रही है जिससे प्राइसेज में सामंजस्य स्थापित हो सके ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

११ फरवरी, १९६६ को और १५ फरवरी के बाद क्रमशः भाव बढ़ने प्रारम्भ हुए और इस समय २६-२-६६ तक आगरा और फैजाबाद दोनों मंडियों, जिनके बारे में प्रश्न किया गया था, आगरा में २१.२५ रुपये प्रति क्विन्टल और फैजाबाद में १७.७८ रुपये प्रति क्विन्टल भाव बढ़ गये ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या सरकार आइन्दा के लिये प्राइस फिक्सेशन करेगी ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

भविष्य में क्या होगा, इसके बारे में कुछ कहना कठिन है ।

श्री बैजनाथ पांडेय (जिला सुल्तानपुर)—

किसानों का घाटा पूरा करने के लिये सरकार क्या कर रही है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

१५-२-६६ से मूल्य बढ़ना शुरू हो गये हैं और आशा है कि अब किसानों को उचित मूल्य मिलेगा ।

श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

किसानों की हानि देखते हुये क्या सरकार कोई ऐसी आज्ञा निकालने पर विचार करने गी कृपा करेगी कि उनसे लगान वसूल न किया जाय ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

यह प्रश्न पैदा नहीं होता है ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या मंत्री जी पैम्फलेट द्वारा किसानों को क्राप प्लानिंग की सलाह देने की कृपा करेंगे ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

जी नहीं ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

प्रदेश में कुल कितना आलू पैदा हुआ, कितना आलू खरीदने की इजाजत उत्तर प्रदेश सहकारी संघ को दी है और यदि उस पर कोई सबसीडी देने की व्यवस्था है तो वह कितनी देंगे ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

संघ से मदरास सरकार के लिये १५,००० टन खरीदने के लिये कहा है । दूसरे, वह आलू जो शीत गृहों में रखा जायगा उसके लिये किसानों को तकावी के रूप में यह कहा गया है कि वह उसके लिये खरीदे और किसानों को प्रोत्साहित करे । ३,७५,००० एकड़ में इस साल आलू लगाया गया और १३,९०,००० टन पैदा हुआ है ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

कितना आलू सरकार सरप्लस समझती है जिसे खरीदने की योजना है और घाटे के लिये सरकार किसानों को सिंचाई और लगान के रूप में सबसीडी देने की कृपा करेगी ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

सूचना की आवश्यकता है ।

श्री शिवराजसिंह—

मदरास सरकार ने जो ३४ रुपये प्रति क्विंटल आलू खरीदना स्वीकार किया है उसमें पूरा दाम किसानों को देंगे या पी० सी० एफ० कुछ मुनाफा कमायेगी ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

१० रुपये से कम मूल्य किसानों को नहीं मिलेगा ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९(२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

गेहूं के पौधे सूख जाने की शिकायत

*१—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष प्रदेश में गेहूं के पौधों के निकलते ही ५० प्रतिशत के सूख जाने की जानकारी उन्हें है ? यदि हां, तो सूखने को रोकने के लिये सरकार की ओर से कौन कौन कार्यवाही की गई ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

जी नहीं, ऐसी कोई सूचना नहीं है । प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता ।

*२—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में दो फसली खेती कितने एकड़ों में की गई है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

क्या माननीय मंत्रीजी फिर से जानकारी हासिल करेंगे कि आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर और जौनपुर के उन क्षेत्रों में गेंहूं की पौध होते ही सूख गई जिनमें नमी नहीं रही है और सिंचाई का साधन, जमने के बाद, नहीं रहा है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--

मालूम करा लिया जायगा। सरकार ने कच्चे कुवों द्वारा सिंचाई की व्यवस्था करने की कोशिश की है। हो सकता है कि कुछ पौधे सूख गये हों।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

क्या माननीय कृषिमंत्री फिर से जानकारी हासिल करेंगे कि कुछ क्षेत्रों में पौधे आधे से अधिक सूख गये हैं और फलस्वरूप उन खेतों की पैदावार आधी से कम हो गई है ? और क्या वहां के किसानों को समुचित सिंचाई के साधन देंगे और मालगुजारी वगैरह में छूट देने पर विचार करने की कृपा करेंगे ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--

मेरे पास ऐसी सूचना नहीं है कि किसानों का कितना प्रतिशत गेंहूं सूखा है।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद--

अध्यक्षमहोदय, माननीय मंत्री जी ने इस प्रश्न के उत्तर में बताया कि दोफसली खेती के बारे में उन्हें सूचना नहीं है लेकिन इसी के आगे १०वें प्रश्न के उत्तर में उन्होंने बताया कि १० लाख ७६ हजार एकड़ में अधिक बुआई हुई है, तो इन दोनोंमें कौन सी सूचना सही है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--

यह सूचना तो अतिरिक्त क्षेत्र में जो गेंहूं बोया गया है उसकी है।

कुंवर श्रीपालसिंह--

क्या माननीय मंत्रीजी को इस बात की जानकारी है जिन किसानों ने सरकार को पम्पिंग सेट्स अथवा अन्य सिंचाई के साधनों के लिये सरकार के पास आवेदन पत्र दिये उनको वे साधन सिंचाई के समय उपलब्ध न करा कर कटाई के समय उपलब्ध कराये जा रहे हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--

बहुत सी जगहों पर समय पर साधन उपलब्ध करा दिये गये और किसानों ने उससे लाभ भी उठाया लेकिन कहीं कहीं पर साधन विलम्ब से पहुंचे होंगे।

श्री चन्दन सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)--

क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि इस साल जाड़ों में वर्षा नहीं हुई और नहरें समय पर पानी नहीं दे रही हैं तो क्या माननीय मंत्रीजी सिंचाई में और लगान में उसी अनुपात में किसानों को छूट देंगे ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--

इसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)--

क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि गेंहूं के लिये तीन बार पानी देने की आवश्यकता होती है, तो क्या जिन खेतों में तीन पानी नहीं लगे हैं उनको सूखा समझा जायगा ?

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं पुकारा गया।)

श्री सईद अहमद (जिला सहारनपुर)—

कायदे से नहरें एक महीने में से ३ हफ्ते चलनी चाहिये जब कि वे केवल एक हफ्ते ही चलती हैं, तो क्या सरकार किसानों को उतना पानी न मिलने की हालत में उसी हिसाब से मुआवजा देगी ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

माननीय सदस्य सिंचाईके संबंध में प्रश्न कर रहे हैं, उसके बारे में मेरे पास कोई सूचना नहीं है ।

सिंचाई मंत्री (श्री गिरधारी लाल)—

यह जो प्रश्न अभी किया गया इसका संबंध सिंचाई विभाग से है, जहां ऐसी हालत होगी और सरकार के नोटिस में जिस वक्त ऐसी चीजें आयेंगी तो उसके हिसाब से ही उसका फैसला किया जायगा ।

श्री मैनेजरसिंह—

मंत्री जी ने प्रश्न २ के उत्तर में कहा है कि आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं सरकार के कृषि उत्पादन के लक्ष्य निर्धारित हैं वह क्या किन्ही आंकड़ों के आधार पर नहीं हैं और फर्जी हैं जब कि कई बार मंत्री जी द्वारा कहा गया है कि हमारा इतना दो फसला रकबा बढ़ गया ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

प्रश्न तो गेहूं के पौधे सूखने के संबंध में था, अब पूरे प्रदेश में कहां सिंचाई हुई और सिंचित क्षेत्र के बारे में पूरी जांच पड़ताल के बाद ही बताना संभव हो सकता है, इस समय संभव नहीं है ।

श्री शिवराजसिंह—

क्या यह सही है कि प्रदेश के दो फसली क्षेत्र में से केवल साढ़े १२ प्रतिशत क्षेत्र सिंचित है औ साढ़े ८६ प्रतिशत क्षेत्र असिंचित है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

इसके लिय नोटिस की आवश्यता है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

एक तरफ तो प्रश्न २ के उत्तर में वह कहते हैं कि आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं और यह कहते हैं कि इतना रकबा दोफसला दोबारा बोया गया । तो जब कोई आंकड़े ही नहीं हैं तो वह कैसे कहते हैं कि इतना रकबा अब की दो फसले में अधिक बोया गया ? कौन बात झूठ है और कौन सच है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

दो फसली क्षेत्र पूरे सूबे में १५ साल में ९, ३३, ७०४ एकड़ बढ़ा है ।

श्री आदबेन्द्र दत्त—

एक व्यवस्था का प्रश्न है कि वह लिखित उत्तर में कहते हैं कि आंकड़े उपलब्द नहीं हैं और अब यह आंकड़ा उन्होंने दे दिया । इस तरह से यह कितनी असन्तोषजनक बात है कि सदन में ठीक से उत्तर नहीं दिये जाते और बाद में यहां सप्लीमेंटरी में बताते ।

श्री अध्यक्ष—

अब इस तरह से उन्होंने परिमार्जन कर तो दिया ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

श्रीमन्, यह तो विशेषाधिकार का सवाल स्पष्ट है। मंत्रीजी सवालों का उत्तर जानबूझकर छिपाते हैं, मूल उत्तर में उन्होंने इन आंकड़ों को छिपाया औरअब यहां बताते हैं, इस तरह से जान बूझ कर पहले इन्होंने झूठ बोला है, यह विशेषधिकार का प्रश्न बनता है और यह नोटिश सदन के सामने है, यह मामला आप विशेषाधिकार समिति को भेजें।

कुंवर श्रीपालसिंह--

श्रीमन्, इस संबंध में आप उनसे माफी मंगवायें, लिखित मूल उत्तर में उन्होंने दिया कि आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं और बाद में वही आंकड़े अब निकल आये। आप हमारे अधिकारों की रक्षा करें, आप उनसे माफी मगवायें या इस मामले को विशेषाधिकार समिति के सामने भेजें।

श्री अध्यक्ष--

उन्होंने तो यह उत्तर दिया कि इतने लाख एकड़ क्षेत्र दो फसली में है।

श्री बलदेवसिंह आर्य--

यह २९,३३,७०४ एकड़ जो है वह टोटल दो फसली क्षेत्र नहीं है, इतना क्षेत्र तो १५ सालों में दो फसली बढ़ा है।

श्री मैनेजरसिंह--

श्रीमन्, आप जरा विचार करें। मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं.....

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया बैठें। मैं पूछ लेता हूं। प्रश्न यह है कि प्रदेश में दो फसली खेती कितने एकड़ों में की गयी है? इस संबंध में आपने कहा कि आंक उपलब्ध नहीं हैं। अब जो आप आंकड़े बतला रहे हैं ये क्या हैं?

श्री बलदेवसिंह आर्य--

श्रीमन्, ये सूखे के बारेमें प्रश्न किया गया है। जो सूखा पड़ा वह प्रदेश के असिंचित क्षेत्रों में हुआ होगा। इसका पता लगाना बहुत मुश्किल होगा।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न २ में यह कहा गया है कि "क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में दो फसली खेती कितने एकड़ों में की गयी है"? इसका उत्तर देने की कृपा करें।

श्री बलदेवसिंह आर्य--

श्रीमन्, मैंने कहा है कि पूरे प्रदेश के आंकड़े मेरे पास नहीं हैं। गत १५ वर्षों में जो एरिया बढ़ा है वह २९,३३,७०४ एकड़ है। टोटल कितना है, इसकी जानकारी मुझे नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

तो आप ऐसी बात कहते ही क्यों हैं?

श्री मैनेजरसिंह--

श्रीमन्, जब माननीय मंत्री जी को यह ही ज्ञात नहीं है कि प्रत्येक वर्ष में कितना क्षेत्र बढ़ा और १५ वर्ष पूर्व आरम्भ में कितना था तो ये कैसे बता सकते हैं कि दो फसली खती कितने एकड़ों में बढ़ी?

उस्का थाने में अवैध मिट्टी का तेल पकड़ा जाना

*३—श्री जगदीशप्रसाद पांडेय (जिला बस्ती)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बस्ती जिले में उस्का थाने में दिनांक ७ नवम्बर, १९६५ को किसी दूकानदार द्वारा मिट्टी के तेल को अवैध रूप से ले जाने का अपराध दर्ज किया गया और गाड़ीवानों का चालान किया गया ? उपरोक्त माल के मालिक को क्यों नहीं पकड़ा गया ?

खाद्य मंत्री के सभा सचिव (श्री हरीदत्त काण्डपाल)—

जी हां। मालिक को इस कारण नहीं पकड़ा गया क्योंकि वह घटनास्थल पर नहीं था।

*४—श्री जगदीशप्रसाद पांडेय—

क्या यह सच है कि उपरोक्त रिपोर्ट को समाप्त करने के लिये जिलापूर्ति अधिकारी काफी प्रयास में थे जिस पर जिलाधीश को केस अपने हाथ में लेना पड़ा ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

जी नहीं।

*५—श्री जगदीशप्रसाद पांडेय—

क्या उपरोक्त व्यापारी को पहिले भी अनैतिक काम के लिये जिम्मेदार पाया गया ? फिर भी सरकार इसको लाइसेंस देने से मना क्यों नहीं कर देती ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

जी हां। मामला अदालत में चल रहा है। न्यायालय के निर्णय के उपरान्त जो कार्यवाही आवश्यक होगी, की जायेगी।

श्री जगदीशप्रसाद पांडेय—

माननीय मंत्री जी का कहना है कि माल के मालिक को पकड़ा नहीं गया क्योंकि वह घटनास्थल पर मौजूद नहीं था। तो क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या जांच के वक्त ही उसको पकड़ा और जमानत ली गयी ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

यह जुर्म किस नेचर का था और किस दफा में था। मेरे पास यह भी सूचना नहीं है कि उनकी जमानत ली गयी अथवा नहीं।

श्री जगदीशप्रसाद पांडेय—

क्या माननीय मंत्री जी फिर से इस बात की जांच करायेंगे कि यह जुर्म डी० आई० आर० का था और माल के मालिक को जानबूझ कर छोड़ दिया गया ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

श्रीमन्, छोड़ने का तो प्रश्न है ही नहीं।

श्री नाथूराम शिक्षक—

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि गाड़ीवानों का चालान किया गया और मालिक को पकड़ कर छोड़ भी दिया गया। तो क्या इस बात से यह साबित नहीं होता कि व्यापारी से घूस ली गयी और इसलिये उसको छोड़ दिया गया ? यदि हां, तो क्या माननीय मंत्री जी उसकी जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल--

मेरे पास जो सूचना है उसमें मालिक को छोड़ने का कोई जिक्र नहीं है कि उन्हें छोड़ दिया गया। मेरे पास तो यह सूचना है कि यह मामला दर्ज कर दिया गया है और इसमें तफतीश हो रही है और मामला अदालत में है।

श्री यादवेन्द्रदत्त--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या उस कन्जाइनी को भी पकड़ा गया जिसको यह माल जा रहा था ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल--

श्रीमन्, स्थिति यह नहीं थी। जो माल चला था उसका मालिक अपने दूसरे डिपोज पर, उसी जिले में ले जा रहा था, ऐसा उसका कहना है।

श्री जगदीशप्रसाद पाण्डेय--

मंत्री जी को सूचना है कि जिस तारीख को उस की रिपोर्ट नौगढ़ पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई उस दिन सप्लाई अफसर का कोई टेलीफोन स्टेशन इन्चार्ज को मिला कि इस में फाइनल रिपोर्ट लगा दो, और यह उसकी डायरी में लिखा है ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल--

जिला पूर्ति अधिकारी को इस घटना के संबंध में पुलिस द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई। बल्कि श्री महादेव प्रसाद शुक्ल जो संयोजक हैं नौगढ़ के उन के द्वारा प्राप्त हुई ११-११-६५ को और जब सूचना प्राप्त हुई तो जिलाधीश ने होल सेल का लाइसेंस कैंसिल कर दिया।

श्री अध्यक्ष--

मंत्री जी, इन का सवाल यह है कि जिला पूर्ति अधिकारी ने फोन द्वारा यह कहा कि इस में फाइनल रिपोर्ट लगा दो, यह सही है या गलत है ?

खाद्य मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)--

इतना मालूम हुआ है कि उन्होंने पुलिस थाना, जिला बस्ती को इस मामले में पुलिस अधीक्षक को यह सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु यह पत्र भेजा, फोन नहीं किया, और उस में यह लिखा कि सभी एजेन्ट अपने स्टाक का कुछ भाग दूसरे डिपो को स्थानान्तरित कर सकते हैं। चूंकि जिले में तेल की कमी है अतः तेल छोड़ दिया जाय परन्तु साथ ही साथ उस पत्र में पैरा २ में जिला पूर्ति अधिकारी ने यह भी कहा कि यदि वह संतुष्ट हों कि कोई अपराध साबित नहीं होता है तो तेल छोड़ दें।

श्री जगदीशप्रसाद पाण्डेय--

मंत्री जी को सूचना है कि कई बार उस व्यापारी का लाइसेंस जिलाधीश द्वारा कैंसिल किया गया और सप्लाई अफसर द्वारा उसको फिर से जारी कर दिया गया इस साल के दरमियान ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

उन्होंने उसको कैंसिल कर दिया मगर जिलाधीश ने इस वजह से कि चूंकि ८ वैगन तेल उनको कम्पनी दे चुकी थी इसलिये अगर कार्यवाही करते तो सारे जिले में तेल की त्राहि त्राहि हो जाती। अतः जिलाधीश ने स्वयं उन को फिर से लाइसेंस दे दिया और रिटेल का खत्म कर दिया।

श्री यादवेन्द्रदत्त--

जिस उस्का बाजार डिपो को यह तेल जा रहा था, आप ने बताया कि दूसरे डिपो में जा रहा था तो यह दूसरा डिपो बस्ती जिले में क्या नेपाल के बार्डर पर है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

इस के लिये सूचना चाहिये ।

अतर्रा में चमड़े का कारखाना हटाने की मांग

*६—श्री मतोलासिंह (जिला बांदा)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री को ज्ञात है कि जिला बांदा के टाउन एरिया अतर्रा में चमड़े की रंगाई का कारखाना अर्से से चल रहा है और यह कारखाना पहिले आबादी से दूर था किन्तु आबादी के बढ़ने के कारण अब वह कारखाना आबादी के अन्दर आ गया है जिससे आबादी के अन्दर गन्दगी व बदबू रहती है ? क्या सरकार इस कारखाने को आबादी से दूर हटाने पर विचार करेगी ?

स्वायत्त शासन मंत्री की सभा सचिव (श्रीमती तारा अग्रवाल)—

प्रथम भाग ।

जी हां ।

द्वितीय भाग ।

जी हां ।

श्री मतोलासिंह—

क्या सरकार बतायेगी कि चमारों के कारखाने को आबादी के बाहर बनाना है, उस की रूप-रेखा क्या है और चमारों को उस कारखाने को बनाने में सरकार क्या सहायता देगी ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

इस टाउन एरिया की आबादी इस समय बहुत बढ़ गई है, यह कारखाना लगभग ३५ वर्ष पूर्व बना था । तब से उस एरिया में आबादी नहीं थी । यह जरूर है कि जिलाधीश की रिपोर्ट आयी है जिस से मालूम हुआ है कि आबादी इतनी ज्यादा हो गई है जिसकी वजह से कारखाना को हटाना चाहिये । चूंकि वह निर्धन व्यक्तियों द्वारा संचालित कारखाना है और उन को अगर जमीन मूल्य दे कर प्राप्त करायें तो वह नहीं ले सकेंगे । इसलिये जिलाधीश से कहा जा रहा है कि गांव सभा के नजदीक टाउन एरिया से निःशुल्क भूमि उन्हें दिलाने का प्रयास करें ।

श्री मतोलासिंह—

अगर निःशुल्क जमीन मिल गई तो सरकार इसको बनवाने में क्या सहायता करेगी ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

जिन व्यक्तियों के द्वारा कारखाना चल रहा है उनका निज का है । यदि उन को भूमि मिल गई और प्रार्थना-पत्र भेजा तो विचार किया जायगा ।

कानपुर महापालिका के सदस्यों व अधिकारियों के नाम प्लाट

*७—श्री सन्तसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री सदन की मेज पर कानपुर नगरमहापालिका के उन सदस्यों और अधिकारियों की एक सूची रखने की कृपा करेंगे जिन्होंने कारपोरेशन निर्माण के बाद कानपुर महापालिका क्षेत्र में स्वयं अपने परिवार के सदस्यों या संबंधियों के नाम प्लाट खरीदे हैं या मकान के लिये कर्ज लिये हैं ? उनके द्वारा लिये गये प्लाटों का क्षेत्रफल उनकी खरीद दर भी देने की कृपा करेगी ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३१२ पर)

श्री सन्तसिंह यूसुफ—

माननीय मंत्री ने जो सूची मुझे दी है उस में केवल १८ आदमियों के नाम हैं और ३ अधिकारियों के नाम हैं जबकि ऐसे ७५–८० आदमी हैं जिनको तीन तीन, चार-चार प्लाट दिये गये हैं.....

श्री अध्यक्ष—

आप उनके नाम बता दें।

श्री सन्तसिंह यूसुफ—

सर्वश्री जय नारायण मुंशी, नाथूराम गुप्ता, मकबूल हसन, रुद्रदत्त, जटाधर बाजपेयी आदि को भी प्लाट दिये गये या नहीं ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

माननीय सदस्य द्वारा जो सूची प्रस्तुत की गयी है ऐसा मालूम होता है कि वह सूची महापालिका के गठन के पूर्व की है क्योंकि महापालिका के समय की जो सूचना मांगी गयी है उसमें उन नामों का जिक्र नहीं है।

श्री सन्तसिंह यूसुफ—

कुछ मकान तो हायर पर्चेज़ सिस्टम पर रिश्वत लेकर रिश्तेदारों को दिये गये हैं, क्या माननीय मंत्री इसकी जांच करायेंगे ?

वन मंत्री (श्री चरणसिंह)—

माननीय मित्र का सवाल प्लाटों के संबंध में था, मकानों के संबंध में नहीं था। माननीय मित्र ने जो प्लाट का सवाल किया है यह बात ठीक है कि मकान भी कुछ सभासदों ने हायर पर्चेज सिस्टम पर लिये हैं लेकिन चूंकि सवाल प्लाटों से संबंधित था इसलिये वह सूचना इस में नहीं है। आपकी इजाजत से मैं माननीय मित्र से कहूंगा कि वह पर्दाफाश कराने में मेरी मदद करें और यह मैं उनको यकीन दिला दूं कि गंदगी को दबाने की कोशिश सरकार की तरफ से नहीं होगी और जब सभासदों के ऊपर कार्यवाही होगी तो कोई दोस्त सिफारिश करने नहीं आयेंगे।

श्री सन्तसिंह यूसुफ—

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि सरदार इन्द्रसिंह तथा रामरतन गुप्ता को उनके मेयर काल में कितनी जमीन और किस भाव से एलाट की गयी ?

श्री चरणसिंह—

अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि बजाय इसके कि यहां नाम लिये जायं मुनासिब यह होगा कि माननीय मित्र मुझ से मिल कर लिख कर दे दें तो अच्छा है या जहां वह कहेंगे मैं कमरे में आ जाऊंगा वह वहां लिख कर दे दें।

महापालिका कर्मचारियों की छंटनी

*८—श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली) (अनुपस्थित)—

क्या यह सही है कि सरकार ने नगरपालिकाओं के आधे से भी अधिक स्टाफ को कम करने के आदेश दिसम्बर, १९६५ में जारी कर दिये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री चरणसिंह—

जी नहीं। ऐसे कोई आदेश जारी नहीं किये गये।

विकास खण्ड 'वार' के कृषि कामदार की छुट्टी

*१—श्री विजयसिंह (जिला जालौन)—

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि झांसी जिले की विकास खंड "वार" के कृषि कामदारों ने १९६२ में १ मास या उससे अधिक की छुट्टी बिना स्वीकृति ली है? यदि हां, तो उनके प्रति क्या कार्यवाही की गई?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

जी हां, एक कामदार बिना स्वीकृति २६-५-६२ से २७-६-६२ तक छुट्टी पर रहा। बाद में इस अवधि की बिना वेतन छुट्टी स्वीकृत कर दी गई।

श्री विजयसिंह—

क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि जो आदमी छुट्टी पर रहा उसने कोई प्रार्थना-पत्र छुट्टी के लिये दिया या नहीं?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

जी हां। पहले उसने २५-४-६२ से २५-५-६२ उपार्जित छुट्टी के लिये आवेदन-पत्र दिया। दूसरे आवेदन-पत्र में उसने कहा कि उसका लड़का बीमार है इसलिये २६-५-६२ से १९-६-६२ तक छुट्टी दे दी जाय। फिर २७-६-६२ तक छुट्टी पर रहा।

श्री विजयसिंह—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जब उसकी छुट्टी स्वीकार नहीं हुई तो विभाग द्वारा क्या उसके पास सूचना भेजी गयी कि तुम्हारी छुट्टी कैंसिल होती है तुम ज्वाइन कर लो?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

उपार्जित छुट्टी दिया था, उस पर वह रहा। बाकी बगैर स्वीकृति के रहा। यह ठीक है कि उसने लड़के की बीमारी को बतलाया। बाद को वह ठीक से स्पष्टीकरण नहीं कर सका इसलिये यह निश्चय हुआ कि उसकी उन दिनों की छुट्टी बगैर वेतन पर स्वीकृत कर दी जाय। वह कर दी गयी।

श्री विजयसिंह—

मैंने पूछा था कि कोई सूचना आपके यहां से भेजी गयी कि तुम्हारी छुट्टी नहीं स्वीकार हुई तुम, ज्वाइन कर लो? मैं जानना चाहता हूं कि छुट्टी कैंसिल करने की सूचना भेजी गयी तो किस के द्वारा भेजी गयी, तार द्वारा या चिट्ठी द्वारा?

श्री अध्यक्ष—

यह व्यक्तिगत बातें हैं उसकी शिकायत है तो बहुत से तरीके हो सकते हैं।

श्री विजयसिंह—

जवाब गया या जवाब ही नहीं भेजा गया?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

मेरे पास इसकी सूचना नहीं है।

*१०-११-श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर ७वें सोमवार के लिये स्थगित किये गये।]

महानगर उपनिवेश में प्लाटों का वटन

*१२—श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)—

क्या यह बात सही है कि दिसम्बर, १९६५ में नगरमहापालिका, लखनऊ के किसी सभासद ने मुख्य मंत्री को सूचित किया है कि महानगर योजना में जो प्लाटिंग हुई थी उसमें वास्तविक संख्या से कम प्लाट दर्ज किये गये हैं? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

ऐसा कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि दिसम्बर, १९६५ में नगर महापालिका, लखनऊ के किसी सभासद ने मुख्य मंत्री को तथाकथित सूचना दी अथवा नहीं किन्तु यह स्पष्ट करना है कि महानगर गृह योजना के स्वीकृत ले आउट में जो प्लाट जब्त (forfeit) किये गये थे तथा कुछ इधर-उधर पड़ी कोने वाली भूमि को मिला कर नगर एवं ग्राम नियोजक की राय से और प्लाट बनाये गये थे। इन प्लाटों को ही महानगर हाई पावर कमेटी द्वारा ३३ प्लाट एक बार, १६ प्लाट दूसरी बार लाटरी द्वारा एलाट कर दिया गया है। जो अनियमितता प्रश्न में इंगित की गई है उसमें कोई तथ्य प्रतीत नहीं होता क्योंकि मार्च, १९६२ तक महानगर गृह योजना का विशेष आडिट हो चुका है और आडिट ने ऐसी अनियमितता नहीं बताई है।

*१३—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि महानगर उपनिवेश में कौन-कौन सरकार से मान्यता-प्राप्त प्राइमरी जूनियर हाई स्कूल कितने दिन से चल रहे हैं और उन्हें अभी तक भवन निर्माण के लिये कोई प्लाट नहीं दिया जा सका है और न देने का क्या कारण है?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

महानगर उपनिवेश में सरकार से मान्यता प्राप्त निम्नलिखित प्राइमरी, जूनियर हाई स्कूल चल रहे हैं :—

१—महानगर ब्वायेज हाई स्कूल—लगभग ८ वर्ष से।

२—माउन्ट कार्मल स्कूल—लगभग ८ वर्ष से।

३—सिटी मान्टेसरी स्कूल—लगभग ३ वर्ष से।

उपरोक्त स्कूलों में से केवल सिटी मांटेसरी स्कूल को निम्नलिखित कारणों से कोई प्लाट नहीं दिया गया है—

(१) महानगर गृह योजना के ले आउट प्लान में अन्य कोई भूमि पाठशालाओं के निर्माण के लिये नहीं सुरक्षित की गई है, तथा

(२) उपरोक्त क्षेत्र में जो भूमि गांव में प्राप्त हैं उन पर नगर महापालिका ने अपनी ही पाठशालाओं के लिये भवन निर्माण किये हैं।

*१४—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या सरकार महानगर उपनिवेश का पुनः सर्वेक्षण करा के ऐसी कोई व्यवस्था करेगी कि जो प्लाट फर्जी नामों पर हैं या सूचीबद्ध नहीं हैं उन्हें निकाल कर सभी मान्यता-प्राप्त संस्थाओं को भूमि दे दी जाय और शेष का पुनः वितरण कराया जाय? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती तारा अग्रवाल--

महानगर उपनिवेश का पुनः सर्वेक्षण करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि योजना का प्रत्येक क्षेत्र सूचीबद्ध है और कोई भी प्लाट फर्जी नाम से होने की सूचना नहीं है। महानगर गृह योजना में महापालिका के अपने स्कूलों के अतिरिक्त अन्य शिक्षा संस्थाओं के देने योग्य अब कोई भूमि उपलब्ध नहीं है।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी--

महानगर योजना के संबंध में जो भी शिकायतें सरकार को दी गयीं, उनको यहां के डिप्टी सेक्रेटरी और महानगर योजना के अधिकारियों ने सदैव दबा दिया है और तथ्यों को गवर्नमेन्ट के सामने नहीं आने दिया है। इस सन्दर्भ में मैं बताना चाहता हूं कि प्रश्न १२ में जो उन्होंने कहा है कि मुख्य मंत्री महोदय को कोई मेमोरेन्डम नहीं मिला वह सर्वथा असत्य है। यहां के सभासद श्री शंकरलाल ने इस संबंध में एक मेमोरेन्डम मुख्य मंत्री के सचिव श्री सिद्धू को १४-१२-६५ को दिया है और उसके हस्ताक्षर भी मेरे पास मौजूद हैं रिकार्ड करने के।

श्री अध्यक्ष--

आप प्रश्न पूछें, आप तो सबूत दे रहे हैं।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी--

जो उन्होंने अपने प्रश्न के उत्तर में कहा कि मेमोरेण्डम नहीं मिला उस पर मैं कह रहा हूं कि महानगर योजना की अनियमितताओं के बारे में उन्होंने एक पत्र प्राप्त किया है। जो हरनारायण सहायक अभियन्ता हैं उन्होंने गलत रजिस्ट्री कराई है, तो जो गलत जवाब दिया गया है, उस पर मंत्री जी क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्रीमती तारा अग्रवाल--

अध्यक्ष महोदय, मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही कि मुख्य मंत्री महोदय को प्राप्त नहीं हुआ, बल्कि बहुत चेष्टा करने के उपरान्त भी यह नहीं मालूम हो पाया है कि वह पत्र कहां है। हो सकता है कि पत्र माननीय सदस्य ने दिया हो। यदि वह दुबारा दे दें और फैक्ट्स के साथ दे दें तो मैं विश्वास दिलाती हूं कि मैं फौरन उसे देख लूंगी।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय--

माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि उनको कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ और माननीय रामकिशोर त्रिपाठी ने सबूत दिया कि उनके सचिव मिस्टर सिद्धू को प्राप्त हुआ है।

श्री अध्यक्ष--

ऐसा रिकार्ड में नहीं है, ऐसा उन्होंने कहां कहा है ?

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)--

यह तो हम लोगों का विश्वास है कि मंत्री जी इस विभाग का अच्छा हाल करेंगे। लेकिन इस प्रकार की बहुत-सी शिकायतें हैं कि बहुत से अधिकारियों ने फर्जी नाम पर प्लाट दर्ज करा लिये और रजिस्ट्रेशन के समय उसे अपने नाम से करा लिया। तो क्या मंत्री महोदय रजिस्ट्रेशन आफिसर से ऐसी जांच कराएंगे कि किसके-किसके नाम से रजिस्ट्रेशन किया गया ?

श्रीमती तारा अग्रवाल--

जिस संबंध में सूचना है उसकी संख्या बता दी गयी और यह भी बता दिया गया कि लाटरी द्वारा दिये गये हैं।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि महानगर योजना में जिन लोगों की जमीन प्लाट बनाने के लिये ली गयी, उनको मुआवजा दे दिया गया है, किन्तु वे अब भी अपनी जमीनों पर काबिज हैं, जिसके कारण प्लाट नहीं बनाये गये हैं या पूरी जमीन का एलाटमेंट अभी तक नहीं हुआ है ? जबकि मंत्री जी ने अभी कहा है कि वहां पर कोई प्लाट बाकी नहीं बचे हैं जिनका एलाटमेंट न हो चुका हो ?

श्री चरणसिंह--

अध्यक्ष महोदय, जो हमारे पास इत्तला आयी है नगर महापालिका के दफ्तर से उसके अनुसार कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर माननीय मित्र को मालूम है और वह तफसील दे दें तो हम उसकी तहकीकात करा लेंगे।

एक बात मैं आपकी इजाजत से साफ कर देना चाहता हूं। कुछ दोस्तों ने माननीय मुख्य मंत्री जी के दफ्तर में दरख्वास्त दी थी तो यह नहीं कहा गया था कि मार्जिन-मनी नहीं दिया गया बल्कि यह कहा गया कि वह इस वक्त नहीं मिल रहा है और उसमें गलती हमारे दफ्तर की है। यह कौन से दफ्तर की है लेकिन गलती जरूर हो गयी है। उनके यहां दरख्वास्त आई और उन्होंने यह बतलाया है कि हमने एल० एस० जी० विभाग को भेज दिया लेकिन हमारे यहां उसकी प्राप्ति कोई सूचना नहीं है। बहुत तहकीकात करने पर भी पता नहीं लगा। लेकिन हमारे काम करने के ढंग में कहीं न कहीं गलती है जिसकी वजह से पता नहीं लग रहा है।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी--

श्रीमन्, मेरे प्रश्न नं० १३ के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने बताया है कि ३ मान्यता प्राप्त स्कूल्स हैं जिनमें से २ को जमीन दी गई और १ को नहीं दी गयी है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि यहां धर्मसंघ विद्यालय प्राइमरी और जूनियर ८ वर्ष से, दयानन्द गर्ल्स-६ वर्ष से, नवज्योति गर्ल्स ४ वर्ष से, सुभाष प्राइमरी २ वर्ष से सरकार से मान्यता प्राप्त हैं लेकिन उनको जमीन नहीं दी गयी है। धर्मसंघ विद्यालय को महानगर विस्तार योजना में जमीन देने का आश्वासन भी दिया गया था। तो क्या माननीय मंत्री जी इस बात की जांच करायेंगे कि विभाग ने जो गलत सूचना दी है उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय और जिनको जमीन नहीं मिली है उनको महानगर एक्सटेंशन स्कीम में जमीन दी जाय ?

श्री चरणसिंह--

अध्यक्ष महोदय, माननीय मित्र का सवाल यह है "महानगर उपनिवेश में कौन-कौन सरकार से मान्यता-प्राप्त प्राइमरी, जूनियर हाई स्कूल कितने दिन से चल रहे हैं और उन्हें अभी तक प्लाट नहीं दिया जा सका है क्या कारण है ?" तो हमने तीन प्राइमरी, जूनियर हाई स्कूल के नाम बताये जिनमें से दो को दिया जा चुका है। अब आप गिना रहे हैं ३ से ज्यादा और कहते हैं जवाब गलत है। जवाब गलत नहीं है। यों तो ६ स्कूल हैं जिनमें से ३ जूनियर हैं और ३ जूनियर नहीं हैं। इनमें महानगर ब्वायज स्कूल, माउन्ट कार्मेल और दयानन्द विद्यालय को जमीन दे दी गयी है। ३ को जमीन नहीं दी गयी है। उसका कारण यह है कि महानगर का जो ले आउट था उसमें इन पाठशालाओं को जमीन देने का कोई प्राविधान नहीं था तो उस स्कीम के मातहत नहीं दिया जा सकता लेकिन जिन विद्यालयों की जरूरत पूरी की जा सके तो गवर्नमेन्ट को खुशी होगी और अगर माननीय सदस्य कोई सुझाव दें तो हम अधिशासी अभियन्ता महोदय से कहेंगे।

रबी की बुआई

*१५--श्री रामसुन्दर पांडेय--

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में रबी की बोआई इस वर्ष गत वर्ष के मुकाबिले में कितने एकड़ की अधिक हुई है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--

इस संबंध में अब तक ४८ जिलों से ही सूचना प्राप्त हो सकी है, जिसके अनुसार इस वर्ष रबी की बोआई १०, ७६,४४१ एकड़ क्षेत्र में अधिक हुई ।

*१६--श्री रामसुन्दर पांडेय--

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई का उनके लिये नया कौन-सा प्रबन्ध किया गया था ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--

सिंचाई का प्रबन्ध कच्चकुइयां खोदकर, निजी नलकूपों को बिजली के कनेक्शन देकर तथा सरकारी नलकूपों को अधिक समय चलाकर और बारिंग, रहट तथा पम्पिंग सेट लगाकर किया गया था ।

*१७--श्री रामसुन्दर पांडेय--

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि इस वर्ष वर्षा के अभाव में खेतों में रबी के पौधे अधिक तादाद में सूख गये हैं ? यदि हां, तो उसका उपचार उनकी ओर से क्या हुआ ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--

जी नहीं । असिंचित क्षेत्र में रबी के पौधों का सूखना संभव है । इस संबंध में अधिक से अधिक सिंचाई की व्यवस्था की गई ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

क्या कृषि मंत्री जी बतायेंगे कि रबी जो बोई हुई थी उसका अधिकतम लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया था ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--

इसकी सूचना मेरे पास नहीं है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि उनके द्वारा जो सिंचाई के साधन बताये गये हैं उसके अनुसार उनको जानकारी है कि जो अतिरिक्त रबी की फसल जोती गई या बोई गई उसमें कितनी एकड़ भूमि प्रदेश में रही जो सिंचित नहीं कर सके ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--

यह मैंने निवेदन किया कि १० लाख ७६ हजार एकड़ अतिरिक्त बोआई हुई । उनको सिंचाई के साधन क्या-क्या दिये गये इसका भी मैंने उल्लेख किया । कच्चकुइयां बनाने के लिये और नलकूप बनाने के लिये मैंने बताया ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

मैं यह जानना चाहता हूं कि जो अतिरिक्त बोआई के लिये सहायता या साधन आपने दिये उसकी आपके पास कोई तालिका ऐसी है कि कितने एकड़ में सिंचाई हुई और कितने में नहीं हुई ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

मेरे पास अलग-अलग गेहूं, जौ, चना, मटर के आंकड़े हैं लेकिन पूरे प्रदेश में कुल कितने क्षेत्र मे रबी की बोआई हुई उसके आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। यदि आप नोटिस देंगे तो बतला दिया जायगा।

श्री मैनेजरसिंह—

केवल कच्चकुइयां में कितनी सिंचाई हुई ?

(उत्तर के लिये मन्त्री को नहीं पुकारा गया।)

महापालिकाओं में नियुक्तियों के सम्बन्ध में राजाज्ञा

*१८—श्री सन्तसिंह यूसुफ—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर महापालिकाओं में १९६० के बाद की नियुक्तियों को खत्म करने की आवश्यकता क्यों पड़ी ? सम्बन्धित राजाज्ञा के फलस्वरूप पांचों नगर महापालिकाओं में कितने कितने कर्मचारी छंटनी के शिकार हुये ? इन कर्मचारियों पर सजा की शक्ल में बेकारी लादने के अतिरिक्त क्या सरकार ने उन अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही की है, जो आपत्तिजनक नियुक्तियां करने के जिम्मेदार थे ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ? नगर महापालिका के कर्मचारियों में व्याप्त गहरे असन्तोष और छंटनी के शिकार कर्मचारियों की परेशानी को देखते हुये क्या सरकार कोई ऐसा कदम उठायेगी कि उन पर जबरिया बेकारी न लादी जाय ?

श्री चरणसिंह—

शासन द्वारा नगर महापालिकाओं में १९६० के बाद की गयी नियुक्तियों को समाप्त करने का कोई आदेश नहीं दिया गया है। कर्मचारियों के पदों को सीमित व नियमित करने के अभिप्राय से नगर महापालिकाओं द्वारा पदों के सृजन पर विज्ञप्ति संख्या ५७-म/११-ग—२७-कार्य-६५, दिनांक १८ दिसम्बर, १९६५ द्वारा यह प्रतिबन्ध अवश्य लगा दिया गया है कि ३१ जनवरी, १९६० के बाद जिन पदों का सृजन किया गया है तय किया जाय, या उनके लिये शासन की स्वीकृति आवश्यक होगी। उक्त राजाज्ञा के फलस्वरूप किसी महापालिका में अभी कोई छंटनी नहीं की गई है। वर्तमान स्थिति में सरकार द्वारा किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

देवरिया जिले में सीमेंट वितरण

*१९—श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष १९६२-६३, १९६३-६४ तथा १९६४-६५ में देवरिया जिले के किन-किन व्यक्तियों को १ वैगन अथवा उससे अधिक सीमेंट राज्य सरकार द्वारा दी गई ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

वांछित सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ३१३ पर।)

नगरपालिका बिसवां में भट्ठों की स्थिति

*२०—श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा (जिला सीतापुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नगरपालिका बिसवां, जिला सीतापुर में कितने ईंटों के भट्ठे नगरपालिका सीमा के भीतर स्थित हैं और बिसवां नगरपालिका सीमा के अन्दर स्थित ईंटों का भट्ठा पेट्रोल की टंकी से १,००० गज के अन्दर है, जो नगरपालिका बाइलाज के विरुद्ध है ?

नोट—तारांकित प्रश्न १७ के उपरान्त प्रश्नोत्तरों का समय समाप्त हो गया।

श्री चरणसिंह—

नगरपालिका बिसवां के सीमा के भीतर ईंटों के दो भट्ठे हैं जिनमें से एक भट्ठा पैट्रोल की टंकी से १,००० गज की दूरी के अन्दर है। परन्तु यह भट्ठा नगरपालिका बाइलाज के बनने के पहिले से कायम है और उक्त बाइलाज में भट्ठे के नवीकरण करने के समय ऐसा प्रतिबन्ध लगाने का प्राविधान नहीं है।

*२१—श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा—

क्या सरकार इस बात को ध्यान में रखते हुये कि नगरपालिका सीमा के अन्दर भट्ठे कस्बे की उन्नति में बाधक हो जाते हैं तथा पेट्रोल टंकी के सन्निकट होने से जन सुरक्षा भी खतरे में पड़ सकती है, अविलम्ब उन भट्ठों को बन्द करने का आदेश प्रसारित करेगी ?

श्री चरणसिंह—

जिलाधिकारी के मतानुसार नगरपालिका बिसवां में ईंटों के भट्ठों की स्थिति ऐसी नहीं है जिससे कस्बे की उन्नति में कोई बाधा उत्पन्न हो, और न उससे जन सुरक्षा को ही कोई खतरा है। ऐसी दशा में भट्ठों को बन्द करना न्यायोचित नहीं होगा।

जिला पूर्ति कार्यालय, गोंडा में नियुक्तियां

*२२—श्री सुखदेव प्रसाद (जिला गोंडा)—

क्या यह सच है कि शीघ्र ही जिलापूर्ति कार्यालय, गोंडा में कुछ कर्मचारियों की नियुक्ति होने जा रही है और उक्त कार्यालय में कोई हरिजन नहीं है अतः सरकार सुरक्षित सीट को पूरा करने की कृपा करेगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जी हां। सुरक्षित सीट को पूरा करने के लिये प्रयास किया जा रहा है।

*२३—श्री सुखदेवप्रसाद—

१ जनवरी, १९६४ से आज तक उक्त कार्यालय में कितनों की नियुक्ति की गई और कब-कब ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ३१४ पर।)

पूर्ण राशनिंग

*२४—श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)—

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९६६ में किन-किन शहरों में पूर्ण राशनिंग लागू कर रहे हैं तथा उस राशनिंग के अन्तर्गत कौन वस्तुयें होंगी व उनके दुकानों के एलाटमेंट का क्या तरीका होगा ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

कानपुर शहर में १६-२-६६ से कानूनी राशनिंग लागू कर दी गई है। इस समय सरकार का ऐसा विचार है कि अगस्त, १९६६ के मध्य से लखनऊ, आगरा, इलाहाबाद, वाराणसी, मेरठ तथा बरेली नगरों में भी पूर्ण राशनिंग व्यवस्था लागू कर दी जाय। इस राशनिंग के अन्तर्गत गेहूं, गेहूं से बनी वस्तुयें, चावल तथा शक्कर होगी। अपूर्ण राशनिंग के अन्तर्गत चल रही

दुकानें पूर्ववत् चलती रहेंगी । अतिरिक्त नयी दुकानों के अलाटमेंट में गल्ले के विस्थापित व्यापारियों को तथा सहकारी समितियों को प्राथमिकता दी जायगी । उसके बाद इस विषय में शासकीय आदेशानुसार अन्य लोगों को दुकानें दी जायंगी ।

कानपुर में सस्ते गल्ले की दूकान का निलम्बन

*२५—श्री मुरलीधर कुरील—

क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि २ अगस्त, १९६५ के प्रश्नकर्त्ता के प्रश्न संख्या ३१ व ४२ के उत्तरों में विरोधाभास क्यों है ? इसकी जिम्मेदारी किस अधिकारी पर है तथा सही उत्तर क्या है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

प्रश्न ३१ में माननीय सदस्य ने "चोरी की रिपोर्ट लिखाकर" शब्दों का प्रयोग किया था । चोरी की रिपोर्ट पुलिस ही में लिखाई जाती है अतएव पुलिस में रिपोर्ट होने का विवरण दिया गया था । प्रश्न ४२ में माननीय सदस्य ने "चोरी हो जाने की सूचना दी है" शब्दों का प्रयोग किया था । इससे यही समझा गया कि चोरी की सूचना पूर्ति कार्यालय को देने के विषय में पूछा गया है । चूंकि पूर्ति कार्यालय को दुकानदार ने जिला पूर्ति कार्यालय से प्राप्त सूचना के आधार पर, कोई सूचना नहीं दी थी अतः दोनों उत्तरों में विरोधाभास होने का प्रश्न नहीं है ।

वाराणसी में हलवाइयों की कथित हड़ताल

*२६—श्री ऊदल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिनांक १४ दिसम्बर, १९६४ को वाराणसी शहर के सभी मिठाई के दुकानदारों ने हड़ताल की थी और वह नगर महापालिका के स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जाने वाली कार्यवाहियों के विरोध में थी ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री चरणसिंह—

१४-१२-६४ को कोई भी हड़ताल हलवाइयों की नहीं हुई थी । वाराणसी के समस्त मिष्ठान विक्रेता प्रति मास के शुक्ल पक्ष १३ को अपनी दुकानें बन्द रखते हैं और बड़ा गणेश, वाराणसी के हलवाई धर्मशाला में एकत्रित होकर अपने व्यवसाय की कठिनाइयों पर विचार विमर्श करते हैं ।

महापालिकाओं को ऋण

*२७—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश की महापालिकाओं को कितना-कितना ऋण के रूप में सरकार ने दिया और उस ऋण को नियमानुसार कौन-कौन सी महापालिका अदा नहीं कर पा रही हैं ?

श्री चरणसिंह—

महापालिकाओं को निम्नलिखित धनराशि ऋण के रूप में दी गई है :—

नगर महापालिका का नाम	ऋण की धनराशि रु०
आगरा	२,६६,००,८९७
इलाहाबाद	२,३७,८०,९२८
कानपुर	८,२२,५८,९००
लखनऊ	५,५२,३६,०४३
वाराणसी	२,७२,९४,०५०

ऋण की अदायगी सभी महापालिकायें नियमानुसार कर रही हैं ।

देवरिया जिले में चीनी व मैदा न मिलने की शिकायत

*२८—श्री चन्द्रबली सिंह (जिला देवरिया)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि देवरिया जिला में चीनी और मैदा पर्याप्त मात्रा में हलवाइयों को नहीं मिल रहा है जब कि लेमनजूस एवं बिस्कुट बनाने वालों को चीनी और मैदा का नया कोटा बराबर मिल रहा है ? ऐसा क्यों ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—

गत दिसम्बर से हलवाइयों को चीनी का पूरा कोटा मिल रहा है । मैदा का कोटा प्राप्ति के अनुसार दिया जाता है । इसी आधार पर बिस्कुट बनाने वालों को भी चीनी व मैदा का कोटा दिया जाता है । मैदा उपभोग करने वाले पुराने निर्माताओं की अपेक्षा नये निर्माताओं को प्राथमिकता नहीं दी जाती है । लेमनजूस बनाने वालों को केवल चीनी का कोटा मिलता है ?

कृषि फार्मों पर व्यय

*२९—श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राजकीय कृषि फार्मों पर गत दो पंचवर्षीय योजनाओं में प्रति फार्म कुल कितना व्यय हुआ और उससे कितना लाभ रहा ?

*३०—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस वर्ष राजकीय फार्मों में गन्ने की खेती में गत वर्षों की अपेक्षा अधिक खर्चा पड़ा है ? यदि पड़ा है, तो यह बढ़ोत्तरी किस प्रतिशत से है ?

श्री गेंदासिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

२ १ मार्च, १९६६ के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

अधिक अन्न उपजाओ अभियान

*१—श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य में अधिक अन्न उपजाओ अभियान में गत दो महीने में राज्य सरकार ने क्या महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं ? किसानों को कौन-कौन सी विशेष सुविधायें दी गई हैं ?

श्री गेंदासिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

*२—श्री चन्द्रजीत यादव—

क्या सरकार ने बंजर, परती भूमि को कृषि उपयोग में लाने की कोई योजना तैयार की है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री गेंदासिंह—

जी हां । निम्नलिखित दो योजनायें हैं :—

प्रथम योजना के अन्तर्गत अलीगढ़, मैनपुरी और आजमगढ़ जिलों में गांव समाज की इस ऊसर भूमि का सुधार किया जा रहा है जो राजकीय नलकूपों के सिंचित क्षेत्र हैं ।

दूसरी योजना के अन्तर्गत बंजर भूमि का वित्तीय वर्ष १९६६–६७ से सर्वेक्षण एवं वर्गीकरण किया जायेगा ।

स्थानीय निकाय कर्मचारियों के लिये वेतन समिति

*३—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार १० अगस्त, १९६४ के प्रश्नकर्ता के तारांकित प्रश्न १७ के उत्तर के सम्बन्ध में बताने की कृपा करेगी कि क्या सरकार को शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ता के लिये द्वितीय वेतन समिति की स्थापना का विषय जो वित्त विभाग की स्वीकृति के लिये भेजा गया था क्या वित्त विभाग से वह सरकार को प्राप्त हो गया ?

श्री चरणसिंह—

पत्रावली वापस आ गई ।

*४—श्री विजयसिंह—

[पुनरावृत्ति होने के कारण हटा दिया गया ।]

पूर्ण राशनिंग

*५—श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उत्तर प्रदेश के किन-किन नगरों में सरकार पूर्ण व्यवस्था राशनिंग की करने जा रही है और किन-किन तिथियों से ? क्या इसके लिये अन्न का प्रबन्ध कर लिया गया है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

कानपुर नगर में १६-२-६६ से कानूनी राशनिंग व्यवस्था लागू कर दी गई है । इस समय सरकार का ऐसा विचार है कि अगस्त के मध्य से लखनऊ, आगरा, इलाहाबाद, वाराणसी, मेरठ तथा बरेली नगरों में भी पूर्ण राशनिंग व्यवस्था लागू कर दी जाय । ऐसी आशा है कि इन नगरों के लिये विदेशी गेहूं भारत सरकार से मिलता रहेगा और शेष गल्ला आवश्यकता अनुसार उगाही द्वारा एकत्रित किया जायगा ।

हैदरगढ़ तहसील में वृक्षारोपण

*६—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या यह बात सही है कि बाराबंकी जिले की हैदरगढ़ तहसील में वन विभाग द्वारा हो रहे वृक्षारोपण कार्य को सुगम बनाने तथा यातायात की सुविधा की दृष्टि से हैदरगढ़ सुबेहा व बोजापुर से शिवराजपुर व रेहुरा से मुस्तफाबाद तक फारेस्ट रोड बनाने के लिये धन की व्यवस्था करने का सुझाव अभी हाल ही में सरकार को मिला है ? यदि हां, तो सरकार ने क्या व्यवस्था की है ?

श्री चरणसिंह—

जी नहीं, ऐसा कोई सुझाव सरकार को नहीं मिला है ।

*७—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वन विभाग द्वारा इस तहसील में किन-किन स्थानों पर भवनों का निर्माण पिछले तीन वर्षों में हुआ है ?

श्री चरणसिंह—

वन विभाग द्वारा हैदरगढ़ तहसील के हैदरगढ़ में केवल दो भवनों का निर्माण पिछले तीन वर्षों में हुआ है ।

*८—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त तहसील में किन किन गांवों में कितने-कितने एकड़ भूमि पर वृक्षारोपण की योजना बनाई गई और कुल कितनी भूमि पर वृक्षारोपण हो गया है ?

श्री चरण सिंह—

सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ. ३१५ पर)

ग्राम नेरे बुजुर्ग में पेय-जल कष्ट

*९—श्री कल्पनाथसिंह—

क्या सरकार ग्राम नेरे बुजुर्ग विकास खंड गगहा, जिला गोरखपुर के अन्तर्गत कुछ ग्रामीण पेय जल योजना शीघ्र लागू कर ग्रामीणों को स्वच्छ जल की व्यवस्था करने का कष्ट करेगी ?

श्री चरणसिंह—

इस क्षेत्र का सर्वेक्षण कराने तथा भारत सरकार से धन प्राप्त होने के पश्चात् ही योजना कार्यान्वित कराने के प्रश्न पर विचार किया जा सकता है। मुख्य अभियन्ता स्वायत्त शासन अभियन्त्रण विभाग से यह कहा गया है कि वह इस ग्राम का निरीक्षण कराकर वहां पेयजल योजना कार्यान्वित करने की सम्भावना पर एक प्रतिवेदन शासन को भेजें ।

अरहर की खरीदारी

*१०—श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उसने गत मई, जून में भारवारी, कानपुर, पुखराया औरैया, कर्वी में १७,५६४ क्विंटल अरहर खरीद कर रक्खी है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जी हां ।

*११—श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल—

यदि हां, तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि किस भाव ली थी और किस उद्देश्य से ली थी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

औसत किस्म के अरहर की खरीदारी ६५ रु० प्रति क्विन्टल की दर से की गयी थी। १९६४-६५ में अरहर दाल के भाव बहुत ऊंचे थे । इसलिये अरहर से अरहर दाल बनवा करके सस्ते गल्ले की दुकानों से उचित दाम पर बेचने के लिये अरहर की खरीदारी की गयी थी ।

*१२—श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल—

क्या यह सत्य है कि अब इस अरहर को बेचने के लिये टेंडर आमन्त्रित किये गये हैं ? यदि हां, तो जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिये अरहर खरीदी गई थी उस उद्देश्य की पूर्ति हो गई है ? यदि नहीं, तो उस उद्देश्य की पूर्ति कैसे होगी और बेचने की क्या आवश्यकता हुई है और उसमें क्या घाटा या मुनाफा होगा ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जी हां । अरहर को बेचने के लिये टेंडर आमन्त्रित कियेगये थे । अरहर बेचने की आवश्यकता इसलिये हुई कि अरहर दाल की बाजार भाव बाद में गिर गया और उससे उचित दाम पर अरहर दाल बेचवाने के उद्देश्य की पूर्ति हो गयी । अरहर की बिक्री में कोई हानि नहीं हुई है । अगर कुछ लाभ हुआ तो उसका हिसाब सब अरहर बिक जाने के बाद ही लगाया जा सकता है।

*१३—श्री छत्रपति अम्बेश (जिला आगरा)—

[८वें बुधवार के लिये प्रश्न संख्या ७० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

रेगुलेशन आफ बिल्डिंग्स आपरेशन ऐक्ट के तहत जुर्मानें

*१४—श्री छत्रपति अम्बेश—

क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि रेगुलेशन आफ बिल्डिंग्स आपरेशन ऐक्ट के मातहत प्रेसक्राइब्ड अथार्टी द्वारा चलाये हुये मुकदमों में जो जुर्माने वसूल होते हैं उसमें कितना प्रतिशत स्थानीय निकायों को दिया जाता है ?

श्री चरणसिंह—

उन स्थानीय निकायों को जिनके अधिकारी रेगुलेशन आफ बिल्डिंग आपरेशन ऐक्ट को कार्यान्वित करने के हेतु प्रेसक्राइब्ड अथार्टी नियुक्त किये गये हैं और जिनको कोई स्टाफ नहीं दिया गया है, जुर्माने से वसूल होने वाली रकम का शत प्रतिशत अनुदान देने का निश्चय किया जा चुका है किन्तु ऐसी स्थानीय निकायों से अनुदान मांगने का कोई प्रस्ताव अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है ।

*१५–१७—श्री विक्रमशाह—

[७वें बुधवार के लिये स्थगित किये गये ।]

जमुआर नदी में बजहासागर–उस्का तक मछलियों का नीलाम

*१८—श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)—

क्या वन मंत्री को ज्ञात है कि बस्ती जिला में बजहासागर से उमका तक बहने वाली जमुआर नदी जिसका कुछ अंश वन विभाग के अंचल में पड़ता है ग्राम सभा मरदहा उर्फ रामनगर, महली, जमुहवां, महला इन चार ग्राम सभाओं के अंचल में भी बहती है ?

श्री चरणसिंह—

जिला बस्ती में बजहासागर से उस्का तक बहने वाली जमुआर नदी जिसका अधिकांश भाग वन विभाग के अंचल में पड़ता है, ग्राम दरपना उर्फ रामनगर, महली, जमुहवां तथा महली के पास से होकर बहती है ।

*१९—श्री झारखण्डेराय—

क्या यह सही है जब वन विभाग द्वारा अपने भाग की नदी की मछलियों का नीलाम होता है तो ठेकेदार ग्राम सभाओं के भाग की नदी की मछलियों पर अधिकार कर लेते हैं और ग्राम सभाओं द्वारा रोकथाम किये जाने पर मारपीट करते हैं और ग्राम सभाओं को आर्थिक हानि होती है ?

श्री चरणसिंह—

यह सत्य नहीं है ।

गल्ले पर लेवी प्रणाली

*२०—श्री झारखण्डे राय—

क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि केन्द्र से राज्य सरकार को हाल ही में ऐसे आदेश प्राप्त हुए हैं कि अन्न सकट दूर करने के लिये अन्न की महंगाई पर नियन्त्रण पाने हेतु गल्ला के राजकीय व्यापार को सरकार करे ? यदि हां, तो राज्य सरकार ने गल्ला के राज्य व्यापार की दिशा में क्या कार्यवाही की है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

जी नहीं। गल्ले की महंगाई पर नियंत्रण पाने हेतु प्रान्तीय सरकार स्वयं लेवी प्रणाली के अन्तर्गत चावल, ज्वार, बाजरा और मक्के की खरीदारी लाइसेन्स प्राप्त व्यापारियों तथा चावल मिलों से बहुतायत वाले जिलों में कर रही है।

जड़ी बूटियां

*२१--श्री दुर्गाप्रसाद (जिला पीलीभीत), श्री मुमताज मुहम्मद खां तथा आचार्य मोहनलाल (जिला पीलीभीत)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ऐसी उपयोगी जड़ी-बूटियों के संबंध में जो कि हमारे वनों में पैदा होती हैं उनके उत्पादन को बढ़ाने, उनकी खोज, उनकी उन्नति और विकास तथा उनकी रिसर्च के संबंध में कोई विशेष ध्यान दे रही है? यदि हां, तो किस प्रकार? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री चरणसिंह--

मुख्यतया पहाड़ी क्षेत्रों में ऐसी उपयोगी जड़ी बूटियों के संबंध में जो कि हमारे वनों में पैदा होती हैं, उनके उत्पादन को बढ़ाने, उनकी उन्नति और विकास के संबंध में काम किया जाता है। कार्य योजनाओं के निर्देशों के अनुसार भी कुछ उपयोगी परदेशी जड़ी बूटियों को उचित स्थानों में उत्पन्न करने के प्रयत्न किये जाते हैं। जहां तक खोज और अनुसंधान का संबंध है, यह विभाग वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून को जड़ी बूटियों के प्रयोगात्मक रोपाणों के लिये भूमि देकर सहयोग देता है और इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश वन-विभाग के अनुसंधान एवं विकास वृत्त के द्वारा अनुसंधान भी किया जा रहा है।

बदायूं जिले में टीन का बितरण

*२२--श्री उल्फतसिंह यादव (जिला बदायूं)--

२० सितम्बर, १९६५ के तारांकित प्रश्न २५ के उत्तर में क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जब यह सत्य है कि जिलापूर्ति कार्यालय की असावधानी से अपील नहीं की जा सकी तो क्या सरकार अब पुनः मुकदमा चलाने की कृपा करेगी?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

जी नहीं।

*२३--श्री उल्फतसिंह यादव--

क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि जब जिलापूर्ति अधिकारी की असावधानी के कारण अपील नहीं की जा सकती तो जिलापूर्ति अधिकारी के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

उचित कार्यवाही की जा रही है।

फ्रूट इण्डस्ट्रीज डेवलपमेंट आफिसर, लखनऊ के कार्यालय में गबन

*२४--श्री बृजेश्वर सहाय (जिल मैनपुरी)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फ्रूट इन्डस्ट्रीज डेवलपमेंट आफिसर, लखनऊ के कार्यालय में ६ माह के अन्दर करीब २३ हजार रुपये का गबन हो गया है उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई?

श्री गेंदासिंह—

जी हां। अक्तूबर सन् १९६५ के अंतिम सप्ताह में फ्रूट इन्डस्ट्रीज डेवलपमेंट आफिसर लखनऊ, के कार्यालय में २२,९०७ रुपये ३६ पैसे के गबन का पता लगा है। आवश्यक जांच पड़ताल हो रही है तथा मामले की सूचना पुलिस व महालेखापाल को दे दी गई है।

*२५—श्री बृजेश्वर सहाय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिस सेफ (अलमारी) में रुपया रहता था उस सेफ की चाबी किस-किस के पास रहती थी और उसके इन्चार्ज अधिकारी ने गबन होने से पूर्व सेफ की चेकिंग किस तारीख को की ?

श्री गेंदासिंह—

तिजोरी की एक चाबी खजान्ची तथा दूसरी चाबी फलोद्योग विकास अधिकारी के पास रहती थी। फलोद्योग विकास अधिकारी ने खजान्ची के पास की धनराशि की चेकिंग ३०-६-६५ को की थी।

आलू उत्पादकों को घाटे से बचाने के उपाय

*२६—श्री मुमताज मुहम्मद खां, आचार्य मोहनलाल तथा श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या सरकार आलू के अत्यन्त गिरे हुये भाव को आलू के उत्पादकों को क्षति से बचाने के लिये सरकार तुरन्त भाव को ऊंचा करने के लिये उपाय करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि सरकार इस संबंध में कोई उपाय कर चुकी है तो वे क्या है ?

श्री गेंदासिंह—

आलू उत्पादकों को घाटे से बचाने के लिये सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किये जा रहे हैं :—

(१) पश्चिमी बंगाल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, जम्मू, काश्मीर, आन्ध्र प्रदेश और मद्रास राज्यों को इस प्रदेश से १० रु० मन पर आलू देने के लिये लिखा गया है। मद्रास सरकार ने १५,००० टन आलू इस राज्य में खरीदने के लिये स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसका भाव मय खर्चा के लदान के रेलवे स्टेशन पर ३४ रु० प्रति क्विन्टल तय हुआ है। १,००० टन की पहली खेप इस भाव पर तुरन्त मद्रास, उत्तर प्रदेश सहकारी संघ द्वारा भेजी जा रही है।

(२) नेशनल एग्रीकल्चरल कोआपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, नई दिल्ली से भी इस भाव पर आलू खरीदने के लिये कहा गया है।

(३) सहकारी विभाग को आलू खरीदने के लिये आवश्यक निर्देश दे दिये गये हैं और सहकारी समितियां इस कार्य को करने में प्रयत्नशील हैं।

(४) आलू उत्पादन केन्द्रों पर अधिक से अधिक रेलवे वैगन मिलने की व्यवस्था की गयी है।

(५) आलू व्यापारियों द्वारा झूठे रजिस्ट्रेशन रोकने के लिये रेलवे अधिकारियों से लिखा पढ़ी की गयी है।

(६) परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश को आलू उत्पादकों को ट्रकों का विशेष परमिट देने के लिये कहा गया है।

*२७—श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

[७वें बुधवार के लिये प्रश्न संख्या ५६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

बीसलपुर नगरपालिका में चुंगी में अनियमितता

*२८—श्री सत्यवीर कुंवर (जिला बिजनौर) तथा श्री कन्हैयालाल (जिला मथुरा)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री को ज्ञात है कि जिला पीलीभीत के अन्तर्गत नगरपालिका, बीसलपुर के श्री गांधी शरण सदस्य, नगरपालिका द्वारा प्रति माह हजारों रुपये का माल बगैर चुंगी अदा किये नगरपालिका में लाया जाता है और इस प्रकार उक्त सदस्य अपने पद का दुरुपयोग करता है ? ऐसा क्यों ?

श्री चरणसिंह—

जी हां ।

*२९—श्री सत्यवीर कुंवर तथा श्री कन्हैयालाल—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त संबंध में कोई शिकायती पत्र भी दिनांक २८ दिसम्बर, १९६५ को मुख्य मंत्री के नाम व मिश्नर, रुहेलखंड, डिवीजन, बरेली तथा जिलाधीश, पीलीभीत को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उनके संबंध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चरणसिंह—

कुछ शिकायतें प्राप्त हुईं । उन पर जांच की गई ।

*३०—श्री सत्यवीर कुंवर तथा श्री कन्हैयालाल—

क्या सरकार कोई ऐसी व्यवस्था शीघ्र करेगी जिससे उपरोक्त शिकायतें दूर की जावें ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चरणसिंह—

ऐसी व्यवस्था की जा रही है ।

उन्नतिशील बीज

*३१—आचार्य मोहनलाल तथा श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९६५ में कृषि विभाग में कौन-कौन से नये उन्नतिशील बीज गेहूं, धान, चना जौ, मटर, दाल, तिलहन और गन्ने के प्रचलित किये गये और उन बीजों की क्या-क्या विशेषतायें हैं ?

श्री गेंदासिंह—

कृषि विभाग द्वारा सन् १९६५ में गेहूं, धान तिलहन तथा गन्ना की निम्नलिखित नई उन्नतिशील किस्में प्रचलित की गयीं :—

१—गेंहूं—सुनेरा ६४ तथा लरमा रोहो ।

२—धान—काशी

३—तिलहन—मूंगफली टाइप ६४ तथा अलसी—हीरा, मुक्ता तथा नीलम ।

४—गन्ना—को० १२२३, को शा० ५६२ तथा को० ११८६ । इन नई किस्मों की विशेषतायें संलग्न सूची में दी हुई हैं ।

२—चना, जौ, मटर तथा दालों की कोई नई किस्म सन् १९६५ में प्रचलित नहीं की गई ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ३१६ पर ।)

लखनऊ में कंधारी बाजार स्कीम

*३२—श्री अवधनारायणप्रतापसिंह (जिला गोंडा)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पच्चीस वर्षों से अधिक पुरानी कन्धारी बाजार जनरल इम्प्रूवमेंट स्कीम लखनऊ जिसके बारे में भूमि अर्जित करने के लिये मुख्य नगरअधिकारी ने शासन को १३ अप्रैल, १९६४ को लिखा था अभी तक कार्यान्वित क्यों नहीं की जा रही है ?

श्री चरणसिंह—

भूमि अर्जन करने के संबंध में प्रशासक नगर महापालिका, लखनऊ से कुछ सूचना मांगी गई है जिसके आ जानेपर न्याय विभाग की राय लेकर आवश्यक आदेश जारी किये जायेंगे और तभी इस स्कीम को कार्यान्वित करने की कार्यवाही की जायेगी ।

*३३—श्री अवधनारायणप्रतापसिंह—

क्या सरकार उक्त स्कीम, जैसी कि वह १६ अक्तूबर, १९६३ को संशोधित हुई थी, का ले-आउट प्लान तथा एक्वीजीशन प्लान सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री चरणसिंह—

उक्त संशोधित योजना के ले-आउट तथा एक्वीजीशन प्लान की प्रतिलिपि सदन की मेज पर प्रस्तुत है ।

*३४—श्री अवधनारायणप्रतापसिंह—

क्या सरकार को पता है कि उक्त स्कीम के क्षेत्र में जगह-जगह कूड़े के ढेर जमा रहते हैं जिनमें से एक पड़ाव विधायक निवास नं० १ के पीछे है जिससे वहां बड़ी गन्दगी रहती है और बीमारी फैलती है ?

श्री चरणसिंह—

स्कीम के क्षेत्र में जमा हो गये कूड़े को हटाये जाने का प्रबन्ध किया जा रहा है ।

शकर खाण्डसारी निर्यात पर प्रतिबन्ध

*३५—श्री चिरंजीलाल जाटव (जिला एटा)—

क्या खाद्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि मिठाई-बूरा आदि पर एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश ले जाने और लाने में जो रोक लगा रखी गई है उसे सरकार कब तक हटाने का आदेश जारी करने जा रही है, क्योंकि इस प्रतिबन्ध से जनता को व्यापार में भारी हानि हो रही है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

मिठाई पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है । शकर, खांडसारी, बूरा आदि के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश को निर्यात किये जाने पर जो प्रतिबन्ध लगे हैं उनको लगाये रखना या हटा लेना केन्द्रीय सरकार के क्षेत्राधिकार में है । अतः यह बताना संभव नहीं है कि केन्द्रीय सरकार इन प्रतिबन्धों के हटाने के आदेश कब तक जारी करेगी ।

पीलीभीत उपनिवेश योजना

*३६—श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पीलीभीत उपनिवेश योजना के अन्तर्गत ७५०० एकड़ जमीन पर खेती करने तथा ७५ शिक्षित बेरोजगारों एवं ६०० मजदूरों को बसाने की योजना थी ? यदि हां, तो अब तक इस दिशा में कितना काम पूरा हुआ ?

श्री गेंदासिंह--

जी हां। अभी तक ५,३०० एकड़ भूमि तोड़ कर ५०७ परिवार बसाये जा चुके हैं। इनमें ४६ शिक्षित उद्योगहीन तथा ४६१ भूमहीन मजदूर हैं।

कानपुर महापालिका की बैठक न हो सकना

*३७--श्री टम्बेश्वरप्रसाद--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जनवरी के अन्तिम सप्ताह में कानपुर के महापौर ने मुख्य नगर अधिकारी से महापालिका की बैठक बुलाने को कहा तथा उन्होंने उसे नहीं बुलाया? यदि हां, तो मुख्य नगर अधिकारी के खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है?

श्री चरणसिंह--

नगर प्रमुख का आदेश विलम्ब से प्राप्त होने के कारण तथा वैधानिक कठिनाइयों वश मुख्य नगर अधिकारी द्वारा महापालिका की बैठक नहीं बुलाई गई। सरकार द्वारा मुख्य नगर अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है क्योंकि उन्होंने कोई अनियमितता नहीं की है।

*३८--श्री सुरेन्द्रविक्रम--

[पुनरावृत्ति होने के कारण हटा दिया गया।]

*३९-४०--श्री कमलासिंह यादव--

[७वें बुधवार के लिये प्रश्न संख्या ५४-५५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

स्थानीय निकायों के उपचुनाव

*४१--श्री मुमताज मुहम्मद खां--

क्या मुख्य मंत्री ७ फरवरी, १९६६ के १६ व १७ के उत्तर के संबंध में बताने की कृपा करेंगे कि जबकि ताशकन्द वार्ता के पश्चात् राष्ट्रीय संकट कालीन स्थिति में अब सुधार हो गया है, तो क्या वह शहरी स्थानीय निकायों के उपचुनाव जो कि संकटकालीन स्थिति के कारण स्थगित कर दिये गये थे, करवाने पर जनहित की दृष्टि से ध्यान देंगे?

श्री चरणसिंह--

जी हां। शहरी स्थानीय निकायों के उन उपचुनावों के कराने के आदेश जारी किये जा चुके हैं जो अपरोक्ष हैं जैसे-अध्यक्ष व उपाध्यक्ष नगरपालिका व नोटीफाइड एरिया कमेटियां तथा वाइस चेयरमैन टाउन एरिया कमेटियां। नगरपालिकाओं, नोटीफाइड एरिया कमेटियों व टाउन एरिया कमेटियों के चेयरमैनों के उप-चुनाव, अभी जनहित में स्थगित रखे गये हैं।

कृषि विश्वविद्यालय, रुद्रपुर में नियुक्तियां

*४२--श्री कल्पनाथसिंह--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कृषि विश्वविद्यालय, रुद्रपुर, नैनीताल के प्रत्येक विभाग में कुल कितने व्यक्ति हैं और वे किन-किन पदों पर काम कर रहे हैं और उनमें से कितने उत्तर प्रदेश के निवासी हैं?

श्री गेंदा सिंह--

इस समय विश्वविद्यालय में कुल ४८८ व्यक्ति कार्य कर रहे हैं जिनमें से ४५२ उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। इनका ब्योरा संलग्न तालिका में दिया हुआ है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ३१७-३१९ पर।)

*४३—श्री कल्पनाथसिंह—

क्या यह सच है कि विश्वविद्यालय, रुद्रपुर, नैनीताल में अध्यापकों की नियुक्तियों में सरकार ऐसी व्यवस्था करेगी कि जिससे समकक्ष योग्यता वाले व्यक्तियों में प्रदेश के निवासियों को प्राथमिकता प्राप्त हो ?

श्री गेंदासिंह—

विश्वविद्यालय के परिनियमों में समस्त नियुक्तियां सर्वथा योग्यता के आधार पर किये जाने का प्राविधान है। अतएव किसी व्यक्ति विशेष को प्राथमिकता देने का प्रश्न नहीं उठता ।

विनियमित मंडियां

*४४—श्री जगवीरसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिसम्बर, १९६५ के अन्त तक सरकार का कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम, १९६४ के अन्तर्गत कितनी मंडियों में विनियमित करने का लक्ष्य था और उसमें से कितनी कर पाई हैं और कौन-कौन सी ?

श्री गेंदासिंह—

दिसम्बर, १९६५ के अन्त तक मंडियां विनियमित करने के संबंध में कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था। इस प्रकार के लक्ष्य मासिक आधार पर निर्धारित नहीं किये जाते हैं। सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष १९६५–६६ में १०० मंडियां विनियमित करने का विचार था। अभी तक केवल एक मंडी रुद्रपुर, जिला नैनीताल में विनियमित हुई है।

*४५—श्री जगवीरसिंह—

क्या यह सही है कि लगभग ६० मंडियां ऐसी हैं जिनका गजट विज्ञप्ति होने के पश्चात् भी निश्चित तिथि निकल चुकी है ? यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्री गेंदासिंह—

जी नहीं। ऐसी कोई मंडी नहीं है।

लखनऊ में हवादार मंजिल के किरायेदार

*४६—श्री रियासत हुसैन—

क्या खाद्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि हवादार मंजिल, गंगाप्रसाद रोड, लखनऊ में गुलशन बाग कम्पनी का दूकान पर कितने दिनों से कब्जा है और अब तक कितना रुपया सरकार को उसने किराया अदा किया है और जो किराया बाकी रहा है उसका क्या कारण है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—

हवादार मंजिल के एक भाग का एक कोना जो करीब ४ फीट × ४ फीट होगा, ईश्वर लाल नामक व्यक्ति, जो अपनी दुकान को गुलशन बाग कम्पनी के नाम से कहते हैं, के कब्जे में है। इनका कब्जा १९५४ से बताया जाता है। कब्जेदार का कथन है कि इसका किराया ४ रुपया माहवार वह मालिक मकान को देते रहे हैं और जिला अधिकारियों का इससे कोई वास्ता नहीं है। इस विवाद का निर्णय न होने से कब्जेदार ने कोई किराया जिला अधिकारियों को नहीं दिया है।

*४७—श्री रियासत हुसैन—

क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि हवादार मंजिल में इस वक्त कौन-कौन लोग रहते हैं और उनकी तरफ सरकार का अब तक कितना रुपया बकाया है और वह रुपया क्यों नहीं वसूल किया जाता ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

हवादार मंजिल के वर्तमान किरायेदारों तथा उनके विरुद्ध बकाया किराये की सूचना सदन की मेज पर रखी है ।

बकाया किराया दीवानी अदालत द्वारा वसूल करने का प्रबन्ध किया जा रहा है ।

*४८—श्री रियासत हुसैन—

क्या मंत्री जी को यह भी मालूम है कि गुलशन वाच कम्पनी को सन् ६० में दुकान खाली कर देने का नोटिस दिया गया था, परन्तु उसने दुकान खाली नहीं की, तो उनके खिलाफ़ क्या कार्यवाही की गई ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

१० दिसम्बर, १९५९ में हवादार मंजिल के एक किरायेदार श्री अजीमुउल्ला खां ने रेन्ट कंट्रोलर को प्रार्थना पत्र दिया कि ईश्वर लाल को हटा कर इस स्थान का उनको कब्जा दिलाया जाय । ९ मार्च, १९६० को रेन्ट कंट्रोलर ने एक नोटिस धारा ७-ए रेन्ट कंट्रोल ऐक्ट के अन्तर्गत ईश्वर लाल को जारी किया कि वह विवादग्रस्त स्थान खाली करें किन्तु ईश्वर लाल के उत्तर पर विचार करने के बाद उक्त अधिकारी ने नोटिस पर कार्यवाही समाप्त कर दी ।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ३२० पर ।)

ग्रामीण क्षेत्रों को मिट्टी का तेल

*४९—श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि मिट्टी के तेल की अभाव स्थिति को ध्यान में रखते हुये तथा ग्रामीण क्षेत्रों में तेल की उपलब्धता निरन्तर होती रहे प्रति माह शहरी क्षेत्रों में और प्रति माह ग्रामीण क्षेत्रों में कितना तेल देने का अनुमान है ? अगल-अलग बताया जावे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

इस प्रदेश में लगभग २४,००० कि० लीटर तेल, प्रतिमाह आने की आशा है जिसका अधिकांश भाग ग्रामीण क्षेत्रों में वितरित किया जायेगा । अनुमान देना संभव नहीं है ।

कानपुर की बाबूपुरवा लेबर कालोनी के ड्रेनेज में खराबी

*५०—श्री सन्तसिंह यूसुफ—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री को इस प्रकार की जानकारी है कि कानपुर नगर स्थित बाबूपुरवा लेबर कालोनी में श्रमिकों के लिये बने क्वार्टरों के पीछे का ड्रेनेज खराब हो जाने से उस कालोनी में बड़े पैमाने पर कीचड़ हो गया है और वहां के निवासियों को असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो उसे सुधारने के लिये अब तक क्या किया गया है ? यदि नहीं, तो क्या उसकी जांच कराकर उचित व्यवस्था कराने की कृपा करेंगी ?

श्री चरणसिंह—

कानपुर नगर स्थित बाबूपुरवा लेबर कालोनी में श्रमिकों केलिये क्वार्टरों के पीछे के ड्रेनेज में कोई खराबी नहीं है । कुछ माह पूर्व वहां का सीवर रुक गया था जिसके कारण कुछ गंदा पानी फैल गया था । सीवर की सफाई उसी समय करा दी गई थी और वहां पर अब कोई शिकायत नहीं है ।

खाण्डसारी के निर्यात पर नियंत्रण

*५१—श्री जगदीश शरण अग्रवाल ऐडवोकेट (जिला बरेली)—

क्या सरकार को यह पता है कि उत्तर प्रदेश गुड़, खांडसारी में लगे व्यक्तियों को इस वर्ष भारी घाटा हुआ है और हो रहा है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

*५२—श्री जगदीश शरण अग्रवाल ऐडवोकेट—

क्या सरकार को पता है कि खांडसारी की पिछली साल की करोड़ों रुपये ही खांड उत्तर प्रदेश में निर्यात पर पाबन्दी होने के कारण रुकी है ? क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पिछले वर्ष जनवरी मास में गुड़, खांडसारी के क्या भाव रहे और इस वर्ष क्या रहे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जी हां, खांडसारी व्यवसायियों के कथनानुसार निर्यात पर पाबन्दी होने के कारण कुछ खांडसारी प्रदेश में रुकी है ।

शेष सूचना इस प्रकार है ।

जनवरी, १९६५ में खांडसारी के नियंत्रित भाव १०६ रु० से १२७ रु० प्रति क्विन्टल । गुड़ पर नियंत्रण नहीं था । अतः उसके भाव बताना सम्भव नहीं है ।

जनवरी, १९६६ में गुड़ व खांडसारी दोनों के भावों पर नियंत्रण नहीं था अतः भावों का बताना सम्भव नहीं है ।

*५३—श्री कल्याणचन्द मोहिले—

[इसे सोमवार के लिये स्थगित किया गया ।]

शूकर क्षेत्र सुधार योजना

*५४—श्री बेदराम (जिला एटा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उन्हें बेदराम, सदस्य, विधान सभा द्वारा कितने पत्र जनवरी, १९६२ से जनवरी, १९६६ तक सोरों, (शूकर क्षेत्र) जिला एटा तीर्थस्थान के उद्धार हेतु मुख्य मंत्री तथा पूर्वगामी मुख्य मंत्री जी को प्राप्त हुई ?

श्री चरणसिंह—

उक्त अवधि में ५ पत्र प्राप्त हुए ।

*५५—श्री बेदराम—

क्या सरकार को यह भी ज्ञात है कि मुख्य मंत्री द्वारा तथा पूर्वगामी मुख्य मंत्री द्वारा प्रश्न (१) में उल्लिखित पत्रों के उत्तर में बार बार पत्रों द्वारा आश्वासन देने के बाद भी आज तक उस संबंध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चरणसिंह—

घाटों के सुधार तथा मरम्मत इत्यादि का तखमीना प्राप्त किया जा चुका है । अब धन की व्यवस्था का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ।

*५६--श्री बेदराम--

क्या सरकार का ध्यान इस ओर भी गया है कि जिलाधीश, एटा तथा अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा एटा जिले के शूकर क्षेत्र सोरों के नक्शे तथा पूरा प्लान बनाकर सरकार को भेजा है ? यदि हां तो वह पूरा प्लान क्या है तथा इस कार्य में अब तक क्या प्रगति हुई ?

श्री चरणसिंह--

इसका ब्योरा संलग्न सूची में दिया हुआ है ।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ३२१ पर) ।

बोटैनिकल गार्डेन, सहारनपुर

*५७--श्री रामसिंह (जिला सहारनपुर)--

क्या जिला सहारनपुर में राजकीय बोटानिकल गार्डन की कोई परामर्शदात्री समिति है? यदि हां, तो उसमें कौन-कौन सदस्य इस समय हैं ?

श्री गेंदासिंह--

जी नहीं ।

नर्सरीज का रजिस्ट्रेशन

*५८--श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि साल १९६५ ई० में लखनऊ जिले से कितने प्रार्थना-पत्र नर्सरीज का रजिस्ट्रेशन करने के लिये उत्तर प्रदेश फ्रूट डेवलपमेन्ट बोर्ड, लखनऊ को प्राप्त हुये थे और उनमें से कितनी नर्सरीज रजिस्टर हो गई है और कितने प्रार्थना-पत्र अभी बिचाराधीन हैं ?

श्री गेंदासिंह--

तीन प्रार्थना पत्र प्राप्त हुये थे । यह अभी विचाराधीन है ।

*५९--श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी--

[८वें सोमवार के लिये स्थगित किया गया] ।

*६०--श्री शिवेन्द्रप्रताप (जिला सीतापुर)--

[८ वें गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या ८० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

दमुवादूंगा ब्लाक में हरिजनों को बसाने की व्यवस्था

*६१--श्री खुशीराम (जिला अल्मोड़ा)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश गजट ११ दिसम्बर, १९६५ ई० को वन विभाग में जिला नैनीताल के ब्लाक दमुवादूंगा की ६५५ एकड़ भूमि को जो रक्षित वन घोषित कर दिया है इसमें मौजूदा बसे हुये परिवारों के बसाने का क्या प्रबन्ध किया गया ?

श्री चरणसिंह--

दमुआदूंगा ब्लाक में कुछ लोग अनधिकृत रूप से बसे हुए थे जिनमें कुछ भूमिहीन हरिजन परिवार भी थे । अतएव सरकार ने यह निश्चय किया कि जो भूमिहीन हरिजन परिवार

३१ मार्च, १९६३ तक वहां बस गये थे उनको वहीं बसने दिया जायगा किन्तु किसी परिवार के पास पांच एकड़ से अधिक भूमि न रहने दी जायगी। इनके अलावा जो और लोग अनधिकृत रूप से बसे हुए हैं उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही होगी।

*६२—श्री बालोजी अग्रवाल, श्री शराफत हुसेन रिजवी (जिला मुरादाबाद) तथा श्री खेम चन्द (जिला आगरा)—

[८वें सोमवार के लिये स्थगित किया गया।]

*६३-६५—श्री द्विजेन्द्र नारायण (जिला बाराबंकी)—

[८वें सोमवार के लिये स्थगित किये गये।]

*६६-६८—श्री हलीमुद्दीन (जिला मुरादाबाद)—

[प्रश्नकर्त्ता द्वारा वापस ले लिये गये।]

उर्वरकों के मूल्य

*६९—श्री शिवराज सिंह—

क्या यह सही है कि उत्तर प्रदेश कृषि विभाग द्वारा वितरण किये जाने वाले उर्वरकों के मूल्य १ फरवरी, १९६६ से बढ़ा दिये गये हैं? यदि हां, तो किस-किस मात्रा में?

श्री गेंदा सिंह—

जी हां। प्रति टन बृद्धि की दरें निम्नलिखित हैं:

खाद का नाम			बृद्धि
			रु०
(१) सल्फेट आफ अमोनिया	..	..	३९.००
(२) यूरिया ..	..	..	६५.००
(३) अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट	..	..	७७.००
(४) कैलसियम अमोनियम नाइट्रेट	..	..	१९.००

झांसी में मिट्टी के तेल का अभाव

*७०—श्री लखतराम शर्मा—

क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि यह सत्य है कि झांसी में मिट्टी के तेल का सरकारी दुकानों पर पूर्णतः अभाव हो गया है जिसके कारण मिट्टी का तेल १ रुपया प्रति बोतल तक शहरी व ग्रामीण जनता को ब्लैक में मिल रहा है? यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या कदम जनहित में उठाये गये?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जी नहीं तेल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

*७१-७२—श्री बृजबिहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)—

[प्रश्नकर्त्ता की प्रार्थना पर स्थगित किये गये।]

*७३—श्री विजयसिंह—

[७वें सोमवार के लिये स्थगित किया गया।]

अतारांकित प्रश्न

काजू

श्री कमलासिंह यादव तथा श्री मुमताज मुहम्मद खां—

१—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश के किन-किन क्षेत्रों में काजू पैदा किया जा सकता है ?

श्री गेंदासिंह—

निदेशक कृषि विभाग व फलोपयोग विभाग द्वारा राज्य के कुछ क्षेत्रों में काजू की खेती करने का जो प्रयास किया गया वह असफल रहा।

गोबर का ईंधन

२—श्री आचार्य मोहनलाल तथा श्री मुमताज मुहम्मद खां—

२—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सरकार गोबर को ईंधन के रूप में जलाने को कानूनन जुर्म करार देने पर ध्यान देगी ?

श्री गेंदासिंह—

कृषि विभाग के अन्तर्गत इस प्रकार का अभी कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं है।

अलीगढ़ जिले में बत्रादेवी थाने के नजदीक बम विस्फोट के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—

मेरे पास नियम ५२ के अन्तर्गत जो सूचनायें आई हैं उनमें मैंने माननीय यादवेन्द्र दत्त, माननीय हिम्मत सिंह, माननीय राजेन्द्र सिंह और माननीय रक्षपाल सिंह की सूचना स्वीकार की है। वह इस प्रकार से है : "उत्तर प्रदेश सरकार अभी भी राज्य में गुप्त रूप में चलने वाली राष्ट्र विरोधी गतिविधियों एवं विध्वंसकों, गुप्त षड़यन्त्रों पर नियन्त्रण पाने में पूर्णतया असफल रही है। कल अलीगढ़ जिले में बत्रादेवी थाने के पास नवाब दतौली की कोठी में से एक भयंकर बम विस्फोट हुआ। परिणाम स्वरूप नवाब साहब के दो पुत्रों को गंभीर चोटें आईं। प्रदेश में विध्वंसक कार्यवाहियां करने के लिये अवैधानिक रूप से बम्ब बनाने का अभ्यास करते हुये यह दुर्घटना घटी। बम फटते ही कोठी में छिपे बहुत से व्यक्ति वहां इकट्ठा बहुत सा अवैधानिक सामान एवं अस्त्र शस्त्र लेकर भाग गये। तुरन्त सूचना पाने के बाद भी पुलिस काफी देर से वहां पहुंची। घटना बड़ी गंभीर है इससे एक सुनियोजित गंभीर षड़यन्त्र का संकेत मिलता है।"

इस पर मंत्री जी कब वक्तव्य दीजियेगा ?

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—

इस पर २५ तारीख को वक्तव्य दे दिया जायगा।

जिला परिषद् सीतापुर में संघर्ष के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष--

एक और सूचना मैंने केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार की है जो माननीय शिवेन्द्र प्रताप की है। वह इस प्रकार से है :-"जिला परिषद् सीतापुर में सत्तारूढ़ दल का गुट संघर्ष इतना उग्र एवं भयंकर हो गया है कि प्रशासनिक कार्य बिलकुल ठप्प हो गया है। १९-३-६६ को जिस समय कि जिला परिषद् की बैठक प्रारम्भ ही हुई थी कि कुछ कांग्रेस सदस्यों ने अध्यक्ष की कुर्सी तथा मेज उलट दी। मारपीट करने लगे। परिषद् के कुछ कर्मचारी भी पीटे गये। कार्यालय में घुसकर दंगा किया गया। कुछ रिकार्ड नष्ट कर दिये गये। कार्यालयमें आग लगाने का प्रयास किया गया।"

इस पर मंत्री जी कब वक्तव्य दीजियेगा

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)--

इस पर २६ तारीख को वक्तव्य दे दिया जायगा।

नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ अन्य सूचनाएं

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)--

श्रीमन्, मैंने ७० हजार कालीन बुनकरों के बारे में एक सूचना दी है। अब उन्होंने हड़ताल आरम्भ कर दी है। ये ७० हजार मजदूर वाराणसी, जौनपुर, इलाहाबाद और मिर्जापुर में काम करते थे और अब इन्होंने काम बन्द कर दिया है और हड़ताल कर रहे हैं। मैं आपके द्वारा प्रार्थना करूंगा कि नियम ५२ की आप को सूचना दे दी है, लेकिन आप इसे मंत्री महोदय को वक्तव्य के लिये भेज दें।

श्री अध्यक्ष--

मैंने इसे श्रम मंत्री जी के पास भेज दिया है उचित कार्यवाही के लिये।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)--

यह जो कालीन मजदूरों की हड़ताल हुई है यह ४,५, जिलों जैसे जौनपुर, बनारस, मिर्जापुर आदि को बहुत प्रभावित कर रही है और जौनपुर की तो एक तहसील की तहसील इस से प्रभावित है। इसलिये यदि आप इस पर वक्तव्य दिलवा दें तो बड़ी कृपा होगी।

श्री अध्यक्ष--

एक दूसरी सूचना श्रम मंत्री जी के पास ध्यान के लिये भेजी है वह श्री रफी खां की है कि शाहजहांपुर में बिजलीघर में मंतंजिमान और मजदूरों के दरमियान दूसरी अन्य सुविधायें न देने पर झगड़ा खड़ा हो गया है और स्थिति गंभीर है।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)--

श्रम मंत्री जी को यह दे दीजिये। वह बात कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष--

एक गिरवर प्रसाद जी की है जो मैं सूचना मंत्री जी के पास भेज रहा हूं। इसमें डिग्री कालेज के अध्यापकों को तीन मास से वेतन नहीं मिला है और गृह मंत्री जी के पास श्री रामसुन्दर पांडेय, गिरजा प्रसाद, माननीय भगवानदीन और गया प्रसाद जी को सूचना को भेज रहा हूं कि भगतसिंह शहीद दिवस पर वे कुछ कठिनाई अनुभव कर रहे हैं और इसलिये चाहते हैं कि सरकार उन पर ध्यान दे।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद---

इस पर तो मंत्री परिषद् के सदस्य यहीं राय दे सकते हैं।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)---

मेरे यहां १८ साल से कम बच्चों की और बुड्ढों की नसबन्दी की जा रही है। यह ठीक नहीं है।

श्री अध्यक्ष---

स्वास्थ्य के अनुदान पर जब बहस हुई थी उस के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने अपनी बात स्पष्ट कर दी थी।

श्री राम सुन्दरपांडेय (जिला आजमगढ़)---

मेरे घर के पास एक बिल्थरा रोड का बाजार है जिसमें १६ तारीख को हड़ताल हुई और एक व्यक्ति के घर पर ४०,००० रुपये की चोरी हुई और पुलिस चौकी केवल उस घर से २५ गज के फासले पर है और नामजद रिपोर्ट लिखायी गयी लेकिन पुलिस उदासीन है। चोरों से उसका गठबन्धन है। इसलिये वहां अशान्ति हो जाने की संभावना है। ऐसा लगता है कि वहां पर पुलिस में और जनता में संघर्ष हो जायगा।

श्री अध्यक्ष---

इस संबंध में प्रश्न हो सकते हैं। यह नियम ५२ का प्रश्न नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---

आप यहां तो आदेश देते हैं कि सवाल करो, लेकिन मैं आप को याद दिलाऊं कि १४ तारीख को मैंने ध्यान आकर्षणार्थ प्रस्ताव दिया था। मेरे क्षेत्र में एक रामपुर गांव है वहां पर हमारी पार्टी का एक कार्यकर्ता श्री राघव पांडेय जिसकी उम्र ३० साल की थी, दिनांक १२-३-६६ को ९ बजे उन्हें गोली मार कर हत्या कर दी गयी। जब मैंने उस के लिये दिन में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिया तो आपने कहा कि शार्ट नोटिस क्वेश्चन कर लीजिये। मैंने वह किया और आप ने उसे मंजूर किया और मुझे यह जानकारी है कि आज के दिन, २१ तारीख का दिन आपने नियत कर दिया था कि सरकार उसका जवाब दे। लेकिन जब यह एजेन्डा मेरे पास आया और उसमें यह प्रश्न मुझे नहीं मिला तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि सरकार ने आप को पत्र लिख दिया कि हम इस प्रश्न का अल्प सूचना में उत्तर देने को तैयार नहीं हैं। मैं आप से यह व्यवस्था चाहता हूं कि ऐसे महत्व के सवालों पर जिन में राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं को गोली मार देने की बात हो, उन को आप तो मंजूर कर लें अल्प सूचित में लेकिन सरकार उसका उत्तर देने को तैयार न हो तो हम क्या करें? कार्यकर्ता मारे जायं और सरकार उन का उत्तर देने को भी तैयार न हो, तो हम जो विरोधी दल में यहां बैठे हैं उनको आप रास्ता बतलायें कि इस नियमावली के अन्दर हमारे पास क्या चारा है कि जिस से हम जल्द और सही सूचनायें इस प्रकार की घटनाओं की प्राप्त कर सकें। इसके लिये आप क्या व्यवस्था दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष---

अब इस समय तो मैं इसका प्रत्युत्तर नहीं दे सकता, सोच समझ कर दूंगा इस पर विचार करके।

श्री रामसुन्दर पांडेय---

कब उत्तर दीजियेगा?

श्री अध्यक्ष---

बगैर सोचे समझे नहीं कह सकता।

श्री रियासत हुसैन--

हमारा आपसे अनुरोध है कि गोंडे वाले को केवल कार्यवाही के लिये भेज दीजिये।

श्री अध्यक्ष--

सुन लिया मैंने।

श्री भगवानदास यादवेन्दु (जिला आगरा)--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष--

बाद मे लेंगे।

आगरा के जूता मजदूरों द्वारा हड़ताल के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)--

यह सही है कि आगरा में जूते के कारखानेदारों ने पेमेन्ट आफ बोनस ऐक्ट के अनुसार अपने कर्मचारियों को बोनस का भुगतान नहीं किया है। जिसके फलस्वरूप १४ मार्च, १९६६ और उसके बाद से वहां की १४ जूते के कारखानों के कर्मचारियों ने हड़ताल एवं भूख हड़ताल आरम्भ कर दी है। इन १४ कारखानों में से ११ कारखानों में ५३२ श्रमिक कार्य करते हैं। जिनमें से ४८६ श्रमिक हड़ताल पर हैं और ५३ श्रमिक भूख हड़ताल पर हैं।

२--सेवायोजकों का कहना है कि ये श्रमिक पेमेन्ट आफ बोनस ऐक्ट के अन्तर्गत नहीं आते हैं। इसके अतिरिक्त सेवायोजकों के संघ ने उक्त ऐक्ट की धारा ३६ के अन्तर्गत ऐक्ट के उपबन्धों से मुक्त किये जाने के लिये भारत सरकार को ४ फरवरी, १९६६ को प्रार्थना पत्र भेजा है। उनका कहना है कि यह प्रश्न भारत सरकार के विचाराधीन है, और जब तक कि उनके प्रार्थना-पत्र पर कोई फैसला नहीं होता उस समय तक श्रमिकों को बोनस देने का प्रश्न नहीं उठता।

३--पिछले तीन माह से आगरा के जूता कारखानों के श्रमिक बोनस के भुगतान की मांग को लेकर काफी उत्तेजित हैं। सहायक श्रमायुक्त ने उनके नेताओं को बराबर इस बात की सलाह दी कि वे अपनी मांग के संबंध में वैधानिक तरीकों को अपनायें। इस सलाह के बावजूद भी श्रमिकों ने बिना किसी नोटिस दिये हुये गत १४ मार्च से हड़ताल एवं भूख हड़ताल आरम्भ कर दी है। गत १८ मार्च, १९६६ को एडीशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट (एक्जीक्यूटिव) की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई जिसमें श्रमिकों के प्रतिनिधियों की शीघ्र हड़ताल समाप्त करने की तथा बोनस भुगतान की मांग को वैधानिक तरीके से तय करने की सलाह दी गई है। आशा की जाती है कि शीघ्र ही हड़ताल समाप्त हो जायगी।

कतिपय विषय

श्री भगवानदास यादवेन्दु (जिला आगरा)--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि मैंने १९ तारीख को माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री को उस उत्तर के सबंध में जो मैंने विशेषाधिकार का प्रश्न दिया था .....

श्री अध्यक्ष--

हम मंत्री जी से पूछ-ताछ कर रहे हैं और जल्दी ही सदन के समक्ष आयेगा।

श्री सन्तसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)--

एक प्रश्न को साफ करा दीजिये। एक तरफ मिल मालिक कहता है कि हमको बोनस देना माफ कर दिया जाय, दूसरी तरफ कहते हैं कि अधिकार नहीं पहुंचता, तीसरी तरफ यहां सरकार फैसला कर रही है कि वह क्लैरिफिकेशन चाहते हैं कि बोनस कानून के मुताबिक सरकार का यह काम है कि वह बोनस फौरन कराये क्योंकि वह इंडायरेक्टली तो मानते हैं कि लाक-अप होता है तभी तो छूट का सवाल पैदा होता है तो उनका फर्ज है कि वैधानिक तौर पर काम करें।

श्री अध्यक्ष--

स्पष्टीकरण नहीं हो सकता, वक्तव्य के लिये दिया था।

श्री सन्तसिंह यूसुफ--

स्पष्टीकरण तो हो सकता है।

श्री अध्यक्ष-

क्षमा कीजिये, वक्तव्य के लिये ही है, मैं मजबूर हूं।

श्री भगवानदास यादवेन्दु--

वह आमरण अनशन कर रहे हैं, आगरे की शान्ति के लिये यह आवश्यक है।

१९६६-६७ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान--
अनुदान संख्या २५--नियोजन और समन्वय

श्री अध्यक्ष--

अगर आप सब सहमत हों तो जो आज का अनुदान है, इसको हम साढ़े ४ बजे तक समाप्त कर लें, उसके बाद ढाई घंटे तक नं० ९ पर बहस कर लें तो ज्यादा सुविधाजनक होगा।

श्री टम्प्रेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)--

बजट के समय में कमी करना ठीक नहीं है।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)--

नियोजन का यह बजट है, इसमें समय कम नहीं करना चाहिये।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)--

नियोजन के विषय पर तो और अधिक समय चाहिये, इसमें समय कम करना ठीक नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

अगर सदन की सर्व सम्मत राय नहीं है तो ठीक है, उसके लिये वही ५ बजे से साढ़े ७ बजे तक का समय रहेगा।

*सामुदायिक विकास मंत्री (श्री राम मूर्ति)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २५--नियोजन और समन्वय के अन्तर्गत १५,४८,४०,३०० रुपये की मांग वर्ष १९६६-६७ के लिये स्वीकार की जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राममूर्ति--]

मान्यवर, तीसरी योजना का यह आखिरी वर्ष है और यह वर्ष भी अब ३१ मार्च को समाप्त होने जा रहा है। चूंकि तीसरी योजना का समय समाप्त हो रहा है इसलिये मैं अपना कर्त्तव्य समझता हूं कि संक्षिप्त में अपने प्रदेश में जो इस योजना में काम हुआ है तथा पहली और दूसरी योजना में जो कुछ भी हमारी प्रगति हुई उसका एक विवरण या समीक्षा आपके सामने प्रस्तुत कर दूं। पहली और दूसरी योजना में हमारे प्रदेश में बड़े माडेस्ट कोटि का इनवेस्टमेंट हुआ और यह प्रदेश भारतवर्ष के और प्रदेशों के मुकाबले में उपेक्षित रहा। यहां पहली योजना में १५३ करोड़ रुपया खर्च हुआ और दूसरी योजना में २३३ करोड़ रुपया खर्च हुआ। यहां प्रति व्यक्ति यानी पर कैपिटा जो इनवेस्टमेंट हुआ विद असिस्टेन्स आफ सेंट्रल गवर्नमेंट वह १४ रु० और १८ रु० हुआ, जब कि केन्द्रीय स्तर पर २५ रु० और २७ रुपया था। केन्द्रीय सरकार की तरफ से कोई बड़ा इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट भी हमारे प्रदेश को नहीं दिया गया और जिसको डाइरेक्ट इनवेस्टमेंट कहते हैं केन्द्रीय सरकार का, वह भी यहां पर नगण्य रूप में रहा और जब ऐसा हुआ तो फलतः हम अपने प्रदेश के अन्दर कोई बहुत संतोषजनक व्यवस्था भी नहीं बना पाये।

सन् १९५१ से १९६१ तक हमारे प्रदेश की आय २०.६ प्रतिशत बढ़ी और प्रति व्यक्ति आय केवल ३.५ प्रतिशत बढ़ी। पहली और दूसरी योजना में स्वास्थ्य की जो स्कीम चलायी गयी, उस पर काफी ध्यान दिया गया और उसके फलस्वरूप जो तमाम एपिडेमिक फैलती हैं जैसे हैजा, मलेरिया या ताऊन आदि, उन पर काफी काबू पाया गया और जो मरने की तादाद थी वह काफी कम हुयी और सामान्यतः लोगों की तन्दुरुस्ती अच्छी हुई और जो आयु की स्पैन है वह भी बढ़ी। तीसरी योजना जब शुरू हुई तो काफी हमने कोशिश भी की और केन्द्रीय सरकार ने भी अहसास किया और उन्हें इस बात का आभास भी हुआ कि उत्तर प्रदेश उपेक्षित रहा है और हमारे ऊपर कुछ दयादृष्टि ज्यादा हुई।

श्री राम सुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--

इसका कारण भी मंत्री जी अपने भाषण में बतायें कि और प्रदेशों के मुकाबले में इस प्रदेश को कम पैसा और कम उद्योग क्यों मिले ?

श्री राममूर्ति--

मैं वही बता रहा हूं, आपको भी मौका मिलेगा, आप कहियेगा तीसरी योजना जब शुरू हुई तो हमारे प्रदेश के लिये ५०० करोड़ रुपये की असिस्टेंस मंजूर की गयी और कई बड़े बड़े इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट भी दिये गये जिसमें से प्रमुख गोरखपुर का फर्टीलाइजर कारखाना है, वाराणसी में डीजल लोको मोटिव का कारखाना है, हरिद्वार में हैवी इलेक्ट्रीकल्स का है, ऋषिकेश में दवायें बनाने का है। हमारे प्रदेश ने भी हिम्मत करके कुछ साधन बढ़ाये। जो अनावश्यक खर्चे थे उनको कम किया और जो जरूरी थे उनकी ओर ध्यान दिया। अब यह आशा की जाती है कि इस प्लान के लिये आखिर तक करीब ५६५ करोड़ रुपया खर्च हो जायगा। ५०२ करोड़ एलाट हुआ था, इसके अगेन्स्ट कुछ बढ़ गया है।

पहली और दूसरी योजना में बिजली के मामले में हमारा प्रदेश बहुत पिछड़ गया था। दूसरी योजना के अन्त तक करीब २ लाख ३७ हजार किलोवाट बिजली बनायी गयी। तीसरी योजना के अन्दर ५ लाख ९० हजार किलोवाट बिजली बनायी गयी। जो तीसरी योजना में हमने खर्च किया है उसके बदले में अगले साल में ३ लाख ९ हजार किलोवाट बिजली तैयार होने की आशा है। इस में डेढ़ लाख तो ओबरा स्कीम में आयेगी, एक लाख के करीब रिहन्ड में जो नयी मशीन लगी है उसके फलस्वरूप आयेगी, और कुछ कानपुर के पनकी स्टेशन से आयेगी। हाइडिल में जो नयी मशीन बढ़ाई गई है उसके कारण भी ज्यादा बिजली पैदा होगी।

लघु सिंचाई की तरफ भी हमने काफी तरक्की की है। पिछले दो सालों में बहुत सारी योजनाओं पर काम हुआ है। इस से हम आशा करते हैं कि २१ लाख एकड़ जमीन के लिये

पोटेन्शियल बन जायेगा। इसके बर खिलाफ उम्मीद है कि २३–२४ लाख के लिये शायद हो जाय। इस सम्बन्ध में, छोटी सिंचाई योजना में, मध्यम सिंचाई योजना में, तथा अन्य सिंचाई के जरियों से जो हमारा लक्ष्य था उससे हम बहुत काफी आगे बढ़े हैं। यही नहीं, और क्षेत्रों में, जैसे टैक्निकल शिक्षा है, स्वास्थ्य है, तथा और जो हमने काम किये हैं, उसमें हम अपने लक्ष्य से आगे बढ़े हैं। यह खुशी की बात है।

परिवार नियोजन में भी, शुरू में तो ज्यादा काम नहीं हुआ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इस ओर भी ज्यादा काम हो रहा है। लोग ज्यादा तादाद में इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं। इस साल के खत्म होने तक करीब एक लाख इसके आपरेशन्स भी हुये हैं, लूप सिस्टम को भी अपनाया जा रहा है। (व्यवधान) यह बड़ी खुशी की बात है कि माननीय मैनेजर सिंह लूप सिस्टम को पसन्द करते हैं। ....

इन पांच सालों में हमने जो कार्य किया और जो हमने लक्ष्य हासिल किये उसकी प्लानिंग कमीशन ने बहुत सराहना की। इतना ही नहीं जब यहां पर फाइनेन्स और प्लानिंग मिनिस्टर आये वे इस बात को मान गये कि हम चौथे प्लान के लिये जो १४०० करोड़ रुपये का लक्ष्य बना रहे थे अगर इतना रुपया हो तो यहां के लोगों में यह क्षमता पैदा हो गई है कि वे १४०० करोड़ रुपये को खर्च कर सकते हैं। यह हमारे लिये बहुत खुशी की बात है। इस तीसरी योजना के समाप्त होने के साथ में यह अर्ज कर दूं कि उत्तर प्रदेश आबादी के लिहाज से बहुत बड़ा है। हमारी जन संख्या आठ करोड़ या सवा आठ करोड़ हो रही है। सारे देश में पंचायत राज स्थापित है और पंचायत राज में प्रत्येक स्त्री पुरुष का बराबर का दर्जा है और जब तक कि हम सारे लोगों की सहायता न ले सकें, ऐसी व्यवस्था न बना लें, ऐसा वातावरण न बनायें, उस वक्त तक हम ज्यादा आगे बढ़ भी नहीं पाते। इसलिये जरूरी है कि हम विशेष तरीके से इस ओर ध्यान दें और चौथी योजना बनाने में इस ओर ज्यादा ध्यान भी रक्खा गया है। सन् ६४ के नवम्बर में हमने इस बात की तैयारी की कि चौथी पंचवर्षीय योजना तैयार की जाय और प्लानिंग कमीशन के लोगों से समय-समय पर विचार विमर्श होता रहा और १४०५ करोड़ रुपये का प्लान इस प्रदेश के लिये हमने तैयार किये। प्लानिंग कमीशन की यह राय हुई कि जब तक फाइनेन्स कमीशन की रिपोर्ट न आ जाय उस वक्त तक किसी खास नतीजे पर पहुंचना उनके लिये मुश्किल है और तब उन्होंने ऐसा विचार व्यक्त किया कि १४०५ करोड़ रुपये की योजना इस प्रदेश के लिये फीजिबिल नहीं है इस दरमियान में पाकिस्तान से हमारी लड़ाई हो गई और जो चौथी पंचवर्षीय योजना का दृष्टिकोण था वह बिलकुल बदल गया और यह राय कायम हुई कि योजनायें ऐसी बनाई जायं जिससे जल्दी से जल्दी हम फायदा उठा सकें जिनका जल्दी से जल्दी रिटर्न हमें मिल जाय। यह भी बात थी कि केन्द्रीय सरकार ने बहुत बड़ी रकम का हिस्सा लड़ाई की तरफ लगा दिया तथा जिस तरीके से हम समझ रहे थे कि प्रदेश की मदद की जावेगी, उनकी मजबूरी भी पैदा हुई। फिर भी हमने सब बातों का विचार करते हुये १६१ करोड़ रुपये की योजना इस साल के लिये यानी जो साल हमारा ६६–६७ का साल आ रहा है इसके लिये बनाई। केन्द्रीय सरकार का हुकुम था कि एड हाक बेसिस पर ये सब चीजें बनाई जायं लिहाजा ६१ करोड़ रुपया जो हमने पूर्वी चार जिलों जो पटेल कमेटी के जरिये से बनाया गया है या कायम किया गया है और दो जिले बस्ती और बलिया, वे भी इसमें शामिल किये गये। उनको हम रखना चाहते थे लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद भी हमें कामयाबी नहीं मिली और केन्द्रीय सरकार रुपया नहीं देना चाहती है। लेकिन ४.४० करोड़ रुपया उत्तराखंड के लिये रख लिया गया है।

श्री रामसुन्दर पांडेय––

चार जिलों के लिये जो रुपया मिला है क्या उसको आप खर्च कर पाये हैं?

श्री राममूर्ति--

बड़ी मुश्किल तो यह है कि यह इस कदर उद्विग्न हो जाते हैं । इनको असेम्बली में बैठते बैठते अच्छा खासा बुढ़ापा आ गया है लेकिन अब भी बचपने की बातें करते हैं । अध्यक्ष महोदय इस सारी योजना के लिये केन्द्रीय सरकार की तरफ से १३१ करोड़ रुपया माना गया जिसमें से साढ़े ७९ करोड़ रुपया केन्द्र की तरफ से सहायता के रूप में मिलेगा । और शेष करीब ५१ करोड़ ८० लाख रुपया खर्च करने के लिये हमसे उम्मीद की गयी है । लेकिन हमने इसको और बढ़ा दिया है और अब वह योजना १३४ करोड़ रुपये की हो गयी है ।

पिछले सालों में हमारे देश और प्रदेश में गल्ले की बहुत कमी रही है और खाने की दिक्कत रही है इसलिये कृषि पैदावार को प्राथमिकता दी गयी है। इसलिये करीब ८० करोड़ ४० लाख रुपया इस मद में खर्च करने का इरादा है जिसमें लघु सिंचाई योजना भी शामिल की गयी हैं तथा ४० हजार पम्पिंग सैट्स और ट्यूबवैल्स लगाने का लक्ष्य है । आशा यह की जाती है कि इस प्रकार से ११ लाख टन गल्ले की पैदावार में बढ़ोत्तरी हो जायगी । रासायनिक खाद के मिलने में लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है इसलिये हरी खाद का लक्ष्य बढ़ा दिया गया है और आशा की जाती है कि ४२ लाख एकड़ जमीन पर हरी खाद बोई जायगी । कम्पोस्ट बनाने के बारे में भी बहुत जोर दिया गया है ।

मैंने आपको यह भी बताया कि जो रुपया हमारा लगा है उससे ३ लाख किलो वाट से ऊपर बिजली हमको मिलेगी । इसके अलावा जो रुपया हम और लगा रहे हैं उससे और भी अधिक बिजली हमें मिलेगी, उसका जिक्र बाद में किया जायगा ।

इन्डस्ट्रीज में उन इन्डस्ट्रीज को प्राथममिकता दी गयी है जिनसे जल्दी रिटर्न हमें मिलने लगे तथा जिनमें डिफेन्स का सामान बनता हो । डल्ला सीमेंन्ट फैक्ट्री को भी हम जल्दी से लगा देना चाहते हैं ।

जहां तक टेक्नीकल ऐजूकेशन का सवाल है इसमें भी काफी सीटें बढ़ाई गयी हैं । आई० टी० आई० की शिक्षा के लिये ५००० सीटें और बढ़ाई जा रही हैं । जहां तक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स का ताल्लुक है, जहां तक मुझे याद पड़ता है करीब ८०० सीट्स सारे देश के लिये एलाट की गयी थीं जिसमें से ५०० सीट्स उत्तर प्रदेश के लिये एलाट कर दी गयी हैं। उसके लिये हमारे उत्तर प्रदेश में एक इंजीनियरिंग कालेज खोला जा रहा है ।

चूंकि प्लानिंग में रुपये की बहुत कमी कर दी गयी है । जहां तक बड़ी और बीच की सिंचाई योजनाओं का संबंध है उनमें बहुत कमी हो गयी है लेकिन हमारी यह पूरी कोशिश है कि राम गंगा प्रोजेक्ट कमी में न आने पाये, वह प्रगति के साथ चलता रहे ।

फेमिली प्लानिंग पर भी काफी महत्व दिया जा रहा है ताकि लोग उधर ज्यादा ध्यान दें । जहां तक सामान्य शिक्षा और स्वास्थ्य का संबंध है, यह इतने बड़े महत्व का विषय है कि उसको भी पीछे नहीं डाला जा रहा है बल्कि यह कोशिश की जा रही है कि उसमें ज्यादा से ज्यादा रुपया लगाया जाय ।

अध्यक्ष महोदय, मैंने जिक्र किया कि प्रदेश की आबादी बढ़ी है और हमें सबका सहयोग मिलना चाहिये तभी हम आगे बढ़ सकते हैं । यह भी माननीय सदस्यों को विदित है कि हमारी शिक्षा का जो प्रतिशत है वह पिछला बहुत कम है । जहां तक बच्चों का सम्बन्ध है उसमें तो प्रगति हो रही है हालांकि वह भी बहुत सन्तोषजनक नहीं है लेकिन जो खास कमी हो रही है वह अभी प्रौढ़ शिक्षा के विषय में है । शिक्षा न होने की वजह से अगर कोई भी काम किया जाय तो उसमें वह तेजी और लगन नहीं होती है जो पढ़े लिखे लोगों में होती है । हमारी कोशिश है कि सामुदायिक विकास विभाग के द्वारा इस चीज में लोगों की दिलचस्पी पैदा करें । हमारा सामुदायिक विकास का लक्ष्य है सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के द्वारा समाज की

चौमुखी उन्नति हो । यह खेद की बात है कि इधर हमारे यहां गल्ले की कमी हो गई है लेकिन हम इसके लिये कृषि को विशेष महत्व दे रहे हैं । मगर इसके माने यह नहीं हैं कि जिन्दगी के जो और जरूरी पहलू हैं उनकी अवहेलना करें । केवल एक चीज से ही कोई संगठन मजबूत नहीं होता इसलिये हम प्राथमिकता कृषि को देते हैं लेकिन सामान्यतः हमारा ध्यान सब चीजों की तरफ है और तभी चौमुखी विकास सम्भव हो सकता है । इस दृष्टि से सामुदायिक कामों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है । हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की सहानुभूति हम अपनी तरफ लें और ज्यादा से ज्यादा उनका सहयोग प्राप्त करें । इसमें भी जो सहकारिता की संस्थायें हैं उनको खास महत्व देना चाहिये ।

हमारे यहां ५१ जिला परिषद् हैं, ८१५ क्षेत्र समितियां हैं, ७२३ हजार गांव पंचायतें हैं और ९ हजार न्याय पंचायतें हैं, एक बड़ा भारी संगठन है और इस के द्वारा ही प्रदेश की ८ करोड़ जनता के सेवा का प्रयत्न किया जा रहा है लेकिन इस जन संख्या को देखते हुये जो धन इस पर लगाया गया है वह बहुत अपर्याप्त है । पहली योजना में हमने साढ़े ८ करोड़ रुपया खर्च किया दूसरी में २७ करोड़ ६३ लाख और तीसरी में ४७ करोड़ ५३ लाख । इसका टोटल करीब ८३ करोड़ ६७ लाख के होता है जो करीब १५ सालों में व्यय हुआ है । हमारी ग्रामीण जनता साढ़े ६ करोड़ के करीब है । इतनी आबादी पर यह रुपया बहुत कम है । फिर भी हमने कृषि की तरफ विशेष ध्यान दिया है । प्रसार या एक्सटेंशन सर्विसेज की योजना भी इस में है और कुछ ए० डी० ओ० काम करते हैं । करीब करीब इस साल में १८ लाख एकड़ पर दो फसली करने की कोशिश की गई है । इस साल आलू की खेती ७५ हजार एकड़ में बढ़ाई गई है । और लगभग ८० हजार एकड़ भूमि में सब्जियां बढ़ायी गयीं और बीज को बचाने के लिये डिब्लिग की जो पद्धति है उसको काफी बढ़ाने की कोशिश में लगे हुये हैं और हमारे प्रदेश में बहुत से गांवों में पूरी तरह स डिब्लिग पद्धति के अनुसार गेहूं बोया गया । ३०-३५ हजार एकड़ भूमि में बागात लगाये गये हैं और लगभग उतनी ही जमीन में इनका पुनरुत्थान किया गया है । हमारे प्रदेश में जलमग्न भूमि को बचाने और ऊसर जमीन को उपजाऊ बनाने और स्वायल इरोजन का भी काम काफी तेजी से किया जा रहा है । अभी यह काम मैदानी इलाकों में ही होता था पर अब जो हमारे पहाड़ी इलाकें हैं, उनमें भी यह काम हो रहा है । करीब करीब २ लाख एकड़ जमीन इनके लिये ली गयी है । श्रीमन्, इतना ही नहीं कृषि उन्नति के लिये सघन खेती भी की जा रही है और प्रदेश में बहुत से ऐसे ब्लाक छांटे हैं, जिनमें गेहूं, जवार, बाजरा, तिलहन और कपास सघन खेती द्वारा उगाये जा रहे हैं । इसके अतिरिक्त उन मदों पर भी ध्यान दिया जा रहा है जिनमें माननीय सदस्यों की खास दिलचस्पी है, जैसे कुक्कुट पालना, मुर्गियों का पालना, अंडों की संख्या बढ़ाना, सूअर पालन, मछलियों का पालन जिससे अलावा सब्जियों और दाल आदि के लोगों की कुछ और दिलचस्पी पैदा हो ।

पिछले २ वर्षों में पूर्वी जिलों में विशेष ध्यान दिया गया है । करीब करीब ४ करोड़ ३७ लाख रुपया इनके लिये खर्च किया गया है

१७ सालों से अभी तक ऋण और तकावी देने की जो पद्धति थी वह ब्लाकों के जरिये थी, उन्हीं के जरिये ये बांटे जाते थे लेकिन अब हमने इसके लिये लैंड मार्गेज बैंक का तरीका निकाला है । शुरू शुरू में वहां पर कुछ उलझनें पैदा हो रही हैं लेकिन सही रास्ता यही एक है क्योंकि अगर पंचायत राज को हमें मजबूत करना है तो हमें बैंकिग के लिये पूरे तरीके से इस काम को बढ़ाना है । इसी से रुपये का सदुपयोग हो सकता है । इससे बड़ा भारी फायदा तो यह है कि जो सहकारी संस्थायें हैं, उनको शक्ति बढ़ती है और उनकी प्रगति होती है और साथ ही साथ जो ऋण का भार है वह भी हलका होता है । एक गांव सभा को २० हजार रुपये की रकम दी जा सकती है उसको अपनी हैसियत बढ़ाने के लिये, माइनर इर्रीगेशन को बढ़ाने के लिये, बंधियां बनाने के लिये आदि और उस पर २५ प्रतिशत सब्सीडी भी दी जाती है । जहां तक मेरा खयाल है इसमें ५ लाख रुपया रख लिया गया है । पिछले साल में देखा गया कि जितना रुपया रखा गया था वह पूरा इस्तेमाल नहीं हो सका । यह रकम ऐसी है जिसे और भी बढ़ाया जा सकता है ।

[श्री राममूर्ति]

चूंकि हमें पंचायत राज को मजबूत बनाना है और बेपढ़े लिखे लोगों के बीच में काम करना है तो प्रसार योजना में एक्टेन्शन वर्कर्स की क्षमता को भी बढ़ाना है, उनकी अहमियत को बढ़ाना है ताकि वे अधिक लोकप्रिय बन सकें । इस ट्रेनिंग के काम में भी काफी दिलचस्पी ली गयी है । हमारे २० सेन्टर्स ऐसे हैं जिनमें ग्राम सेवक और ग्राम सेविकाओं की ट्रेनिंग दी जा रही है । इस काम की सराहना केन्द्रीय सरकार के जरिये से खास तौर पर की गई और यह भी खुशी की बात है कि पिछले ३, ४ सालों के अन्दर जो फर्स्ट नम्बर के ग्राम सेवक हैं सारे देश भर के वे उत्तर प्रदेश के देखे गये । ग्राम सेविकायें हमारे यहां की दो फर्स्ट आयीं । हमारे काम की बड़ी प्रशंसा की जा रही है । काफी लोग हमारे यहां आते हैं काम देखने के लिये और ट्रेनिंग लेने के लिये ।

इसी तरह से ग्राम सहायकों को भी ट्रेनिंग देते हैं । १०, १५ दिन का कोर्स करते हैं ताकि खेती में जो नयी जानकारी सामने आ रही हैं, नये किस्म के औजार, खाद और पेस्टीसाइड्स की शिक्षा दी जाती है । १,२०० ग्राम सहायक अभी तक ट्रेन्ड हो चुके हैं इन पिछले दो सालों के अन्दर । इसके अलावा विकास कार्यक्रम के लिये भी तवज्जह है, करीब ३५ ऐसे सेन्टर्स हैं जिनमें प्रमुख, सभापति, न्याय पंचायत के पंच लोगों की ट्रेनिंग होती है, ग्राम सभाओं के जो एग्जीक्यूटिव के मेम्बर्स हैं इन सबकोट्रेनिंग किया करते हैं । यद्यपि अभी तक ज्यादा लोग शिविरों में नहीं आते हैं इसलिये हमने एक प्रोग्राम निकाला है, तीन दिन की चलती फिर तो ट्रेनिंग दिलाते हैं । दिक्कत यह है कि अनभिज्ञ लोग न्याय पंचायत की टेक्निकलिटीज को नहीं जानते हैं, जो उनको जानना चाहिये । तो हम चाहते हैं थोड़ा उनको वाकफियत करायी जाय तब हमारा पंचायती राज मजबूत हो सकेगा । मुश्किल काम है लेकिन इस तरफ हमें विशेष ध्यान देना है और माननीय सदस्य इस तरफ ध्यान दें । और अपने क्षेत्र में कार्यकर्त्ताओं की दिलचस्पी बढ़ायें और उनको परसुएड करें कि हमारे शिवरों में आकर ट्रेनिंग लें । बड़ी लम्बी फीगर है जिसको देने की मैं आवश्यकता नहीं समझता ।

इसके साथ-साथ एक और दिलचस्प आइटम है पौष्टिक भोजन का । यूनीसेफ की तरफ से एक स्कीम चलायी गई और हमारे प्रदेश में प्रसार हो रहा है और पूर्वी जिले खासतौर से छांटे हैं। हम चाहते हैं कि हर घर के अन्दर ५,७ फलों के पेड़ लगाये जायं, जैसे नीबू, दो केले के पेड़, अमरूद, पपीता, गाजर, मूली पैदा करना ताकि बच्चों को फल खाने की भी आदत हो और उनका स्वास्थ्य भी बढ़े । ये ऐसे फलों के पेड़ हैं जो छोटे से छोटे मकान के अन्दर लग सकते हैं । इस तरफ भी विशेष ध्यान लोगों को देना चाहिये । इसके अलावा करीब ६९ ऐसे ब्लाक हैं जिनमें ९१८ गांव हमने छांट रखे हैं, ६१२ महिला मंडल हैं जिनके जरिये से किचन गार्डन के प्रसार करने की कोशिश की जा रही है हमारे यहां खाना है, लेकिन संतुलित आहार की कमी है । यह बताने की जरूरत है और इसकी बड़ी कोशिश की जा रही है । मिसाल के तौर पर हम दाल खाते हैं, जो हाईजीन इंस्टीट्यूट है उसका कहना है कि अगर दो दाल मिला कर खायी जाय तो उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू ज्यादा होती है । इस तरह की बातें बताने के लिये योजना हमारी चल रही है ।

जो हमारी प्रौढ़ जनता है, एडल्ट एजूकेशन के लिये हमने दो प्रोजेक्ट्स चलाये हैं, एक तो गोरखपुर के अन्दर और एक मुरादाबाद के अन्दर । गोरखपुर और मुरादाबाद जिला परिषद् के अध्यापकों ने रुचि जाहिर की जिससे दोनों प्रोजेक्ट्स इन जिलों को दे दिये हैं । कुछ दिन इसे चले हुये हो गये हैं । महाराष्ट्र में चलाया गया था प्रौढ शिक्षा को और उसी पैमाने पर हमने इसे यहां प्रारम्भ किया है । ४, ६ महीने में आदरणीय सदन को हम अधिक जानकारी दे सकेंगे ।

जहां तक चिकित्सा और स्वास्थ्य का ताल्लुक है हमने इन तीनों योजनाओं के अन्दर करीब ७१९ प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स कायम किये हैं । पेय जल योजना के अन्तर्गत १४, १५ हजार पम्पिंग

सेट्स हरिजनों के लिये चलाये गये। पहाड़ी क्षेत्रों में इसके लिये रुपया दिया जाता है। ९० फीसदी सरकार की तरफ से और १० फीसदी जनता को देना पड़ता है। चेचक, हैजा, बी० सी० जी० के दो लाख टीके लगाये गये। १८ आई शिविर प्रदेश में चल रहे हैं। इसके अलावा रूरल मेन पावर २३ जिलों में १६९ ब्लाकों में चल रही है। १२ करोड़ रुपये का काम सेंक्शन हुआ था और ढाई करोड़ रुपये का काम हुआ। इस साल १ करोड़ ४ लाख रुपये का काम होने की संभावना है क्योंकि केन्द्रीय सरकार से इतनी ही रुपया मिला है और उनका लक्ष्य यह है कि अगले साल भी इतना ही रुपया वह दे सकेगी। हमें अफसोस है कि माननीय सदन में बहुत से साथी हैं जो यह चाहते हैं कि उनके ब्लाकों में यह काम पहुंच जाय लेकिन हम उनकी ख्वाहिश को पूरी नहीं कर पा रहे हैं। इस रूरल मैनपावर स्कीम के जरिये से बेरोजगारों को रोजगार मिल जाता है और इसके जरिये सड़क बनायी जाती हैं, ड्रेनेज, नहरें तथा पूलें बनाई जाती हैं जिस से कृषि में सहायता मिलती है।

अलावा इसके माननीय सदस्यों को यह भी मालूम है कि हमारे प्रदेश में पी० आर० ए० आई० बनी हुयी है और उसने बड़ा सराहनीय कार्य किया है और कितने ऐसे सीगे होते हैं जहां वह बड़ी लगन से काम कर रही है और उससे हमारे प्रदेश को फायदा भी हुआ है। बड़ी खुशी की बात है कि अपना प्रदेश इस बात में अगुवा है क्योंकि सामुदायिक विकास का कार्य इटावा से शुरू हुआ और देश के ही नहीं बाहर के आदमियों ने भी इसे पसन्द किया।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)––

अब पिछड़े होते जा रहे हैं।

श्री राममूर्ति––

आगे अगुवा हो जायेंगे। हारने से काम नहीं चलता।

श्री अध्यक्ष––

क्या इस वक्त पिछड़े हुये हैं ?

श्री राममूर्ति––

यह तो जिन्दगी में लगा ही रहता है कभी आगे, कभी पीछे। बहरहाल हमने कोशिश की है, हिम्मत की है और चौथी योजना में उम्मीद है कि बहुत आगे निकल जायेंगे और कोई दिन आयेगा कि फिर से अपना गौरव प्राप्त करेंगे।

पी० आर० ए० आई० के जरिये से कई सीगों में काम हो रहा है। रूरल इंडस्ट्री के लिये रिसोर्सेज की उन्होंने स्थापना की है खास तौर से मैं देखता हूं कि इस साल हर जिले में एक रूरल इंडस्ट्री खोली गयी है। बहुत से साथी वहां पर चिनहट गये होंगे, न गये हों तो मैं उनको जाने की तकलीफ दूंगा। वह चल कर देखें कि किस तरह से काकरी में कोशिश की गयी है और सफलता मिली है। और कैसे उस व्यवसाय की लोकप्रियता सारे देश में बढ़ रही है। इसके अलावा पी० आर० ए०आई० टाइप लैटरिन्स या रहट का ढंग, खेतों के औजारों का बनाना है, इसके विषय में पी० आर० ए० आई० के जरिये से काम हुआ है। इसके अलावा कंकड़ से सीमेंट बनाने के लिये रिसर्च हो रही है ताकि सीमेंट के छोटे-छोटे कारखाने जहां कंकड़ मिले, जैसे आज़मगढ़ है, लगाये जा सकें।

एक बात का और जिक्र करना जरूरी समझता हूं। यूथ क्लब खुल तो गये कागज पर लेकिन कोई ज्यादा काम नहीं हो रहा था। अब कोशिश में हैं कि उनको कायदे से बनाया जाय, और जैसा पांडेय जी कहते हैं उनको जमीन पर लाया जाय। हम चाहते हैं कि पी० आर० डी० के आर्गनाइजर्स को खास इसकी ट्रेनिंग दिलायें। इटावा जिले में मैं गया प्रोजक्ट वगैरह को मैंने देखा। मौका लगेगा तो माननीय सदस्यों को ले चलूंगा। हर गांव के अन्दर दस–पांच लड़के

[श्री राममूर्ति]

हैं जो बड़ी दिलचस्पी खेती में सब्जी उगाने में ले रहे हैं। आम तौर पर जागरूकता लाने की कोशिश कर रहे हैं।

(इस समय १२ बज कर ५८ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री जगदीश प्रसाद (मुरादाबाद) पीठासीन हुए।)

हमने प्रदेश के अन्दर मूल्यांकन करने के लिये इवैलुएशन बोर्ड भी बिठाला है जिसमें माननीय नारायणदत्त तिवारी जो पहले इस सदन के सदस्य थे—(व्यवधान)—रिपोर्ट तैयार नहीं है। काम शुरू हुआ है। बोर्ड के अध्यक्ष माननीय मुख्य मंत्री हैं और बाकी अफसरान हैं। खासतौर पर प्रदेश में चालू योजनाओं की प्रगति देखनी है। नियोजन की प्रगति में जो तत्व रुकावट डाल रहे हैं वह कैसे दूर किये जायं इसका मूल्यांकन किया जा रहा है। उन योजनाओं के जरिये कैसे अधिक से अधिक लाभ हासिल किया जाय यह खास बातें उस बोर्ड के सामने हैं। यह संक्षेप में पिछली दो तीन योजनाओं के अन्दर जो कार्य हुआ और चौथी पंचवर्षीय योजना में जो काम करने जा रहे हैं और खास कर अगले साल में क्योंकि एडहाक बेसिस पर हमारी योजना बनी है उसका विवरण दिया।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

अधिष्ठाता, जी, मैंने चाहा था मंत्री जी से कि उत्तर प्रदेश में और प्रदेशों के मुकाबले में भारत सरकार से योजना के लिये पैसा कम क्यों मिला इसका जवाब दे दें और पटेल आयोग से जो रुपया मिला था वह क्यों नहीं खर्च हुआ?

श्री राममूर्ति—

माननीय सदस्य फरमा रहे हैं कि रुपया कम क्यों मिला? हमारे बस की बात थोड़े ही है। हमारी कोशिश हो सकती है और हम कोशिश करते हैं। पहली दो योजनाओं में हम बंचित रहे तो तीसरी योजना में केन्द्रीय सरकार भी मजबूर हुई हमारी तरफ ध्यान देने के लिये और हमारे हालात को संभालने की कोशिश की। हम उम्मीद करते हैं कि चौथी योजना में और ध्यान आकर्षित होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे विभाग के लोग कोशिश करेंगे कि हमारी जो कमियां हैं उनको दुरुस्त करें और नये-नये सुझावों की रोशनी में अपने विभाग को ज्यादा तरक्की देने की कोशिश करें।

श्री विजयसिंह (जिला जालौन)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या २५—नियोजन और समन्वय के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये। कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी की सूक्ष्म समीक्षा समझकर और सुनकर जो मैंने बड़े ध्यान से सुनने के बाद मेरी, आज यह समझ में आ गया कि आज देश की जनता बड़ी खुशहाल है, बड़ी मालदार है और बड़े आराम से जीवन व्यतीत कर रही है। किन्तु मान्यवर, यह नियोजन सिद्धान्ततः अपने मूल स्थान से हट गया है, यह उधार मांगा हुआ एक विचार था। मान्यवर, आज से हमारे देश के प्लानर्स चतुर्थ पंचवर्षीय योजना तैयार कर रहे हैं और जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं में लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सके, जो सफलताएं प्राप्त नहीं हो सकीं, उनका भविष्य में एक स्वप्न देख रहे हैं। मान्यवर, हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री, श्री नेहरू ने स्पष्ट शब्दों में प्लानिंग कमीशन के ऊपर खर्चे और प्रशासन को देखते हुये यह शब्द कहे थे कि प्लानिंग कमीशन एक दूसरा बहुत बड़ा ब्यूरोक्रेटिक आर्गनाइजेशन है, जो इस देश में खड़ा हो गया है। इसी के संबंध में मैं एक बात और कहना चहता हूं कि जब सन् ६३ में तृतीय पंचवर्षीय योजना की वार्षिक रिपोर्ट संसद में पेश होने को थी, उस समय सरकार को बड़ी परेशानी थी, एक बड़ी भारी बेचैनी थी कि अन्य राज्यों में जो प्लानिंग को असफलताएं प्राप्त हुई हैं, उनका हम संसद में क्या जवाब देंगे।

मान्यवर, विगत १५ वर्षों में आर्थिक व्यवस्था में कोई उन्नति नहीं हुई है, जिसकी कि हम सराहना कर सकें कि इस प्लानिंग विभाग ने कोई काम किया है। बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों का यह मत है और उन्होंने स्वीकार किया है कि आज प्रदेश और देश की आर्थिक और सामाजिक स्थिति चिन्ताजनक है। सन् ५१ में प्रथम प्लान जो बनी है, उसमें राष्ट्रीय आय में कुछ बढ़ोत्तरी अवश्य हुई, पर मान्यवर दूसरी में जो ४० प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई थी, उसका लाभ किसको प्राप्त हुआ? उस नियोजन से इस देश की करोड़ों साधारण जनता और किसान मजदूरों का कोई लाभ नहीं हुआ है। तो ऐसे नियोजन से क्या लाभ? प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्रति व्यक्ति आय बढ़ी, महालनोविस कमेटी ने जो सुझाव दिये उससे आशा बंधी थी कि आज देश में बड़ा भारी काम होने जा रहा है। लेकिन वह आशा भी दूर रही। मान्यवर, इस पूरे नियोजन से किसको लाभ हुआ एग्रीकल्चरल लेबर इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट है उसमें स्पष्ट लिखा है कि धनी व्यक्तियों को ही लाभ हुआ है, तथा देश के बहुत थोड़े से लोगों को ही लाभ हुआ है, बड़े बड़े और प्रिविलेज क्लासेज लोगों को लाभ हुआ है, बड़े बड़े उद्योगपतियों—व्यवसाइयों को लाभ हुआ है और बड़े बड़े अधिकारियों को लाभ हुआ है, जो इन्कम टैक्स देते हैं। आज आवश्यकता थी कि हमारे मध्यवर्ती आय के लोग, जिनकी आय मध्यम है और थोड़ी है और देश के गरीब किसान जो आपकी ओर आंख लगाकर देख रहे थे कि प्लानिंग क्या चीज है, उनको लाभ पहुंचाया जाता। पर सभी पर निराशाजनक कुठाराघात हुआ। गवर्नमेन्ट की ओर से प्लानिंग का काम प्रारम्भ हुआ और एक नये डिपार्टमेन्ट का आर्गनाइजेशन हो गया। यह एक बड़े चिंता की बात है देश में प्लानिंग कहां से आरम्भ हुई है? यह कुछ बड़े बड़े शीर्षस्थ लोगों के विचार का स्वरूप है। जहां से प्लानिंग होना आवश्यक थी वहां से वह प्रारम्भ नहीं हुई। आज की प्लानिंग गरीब की झोपड़ियों से उसके खेतों से प्राप्त होनी चाहिये थी लेकिन वह नहीं हुई। मान्यवर, मुझे यह निवेदन करना है कि ऐसी स्थिति में प्लानिंग देश के लिये वरदान सिद्ध नहीं हुआ बल्कि अभिशाप है। देश और प्रदेश की आर्थिक अवस्था आज आपके सामने एक चुनौती बन गयी है कि उसको किस प्रकार से सुलझाया जाए। आर्थिक उन्नति का एक भ्रमात्मक स्वरूप दे करके और कुछ आंकड़े प्रस्तुत करके यह बताया गया है कि प्लानिंग देश के लिये हितकर है।

अब मान्यवर, प्रथम पंचवर्षीय योजना में, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, और तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तिम चरण को लेकर बड़े-बड़े अर्थशास्त्रियों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इस प्रदेश और देश का आर्थिक ढांचा हिल गया है। गरीब गरीब हो गया है, अमीर और अमीर हो गया है। जो स्वरूप प्लानिंग का भारतवर्ष में है, यह उधार मांगी हुई विचारधारा है। और अन्य किसी डिमोक्रेटिक देशों में प्लानिंग का स्वरूप है वह भिन्न है। इंगलैंड, अमेरिका और रूस में छोटे प्लान्स बनाकर काम होता था। इन छोटी प्लानिंग की वजह से उनका लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। लेकिन हमारे यहां का प्लान इतना बड़ा होता है कि लक्ष्य ही पूरा नहीं होता। अभी जो पुस्तिका हमें दी गयी है उसमें जहां लक्ष्य की बात आयी है वहां एक चिप्पी चिपका दी गयी है जिससे सिद्ध होता है कि लक्ष्य की पूर्ति नहीं हो पायी है। तो इसकी मूल विचार धारा में परिवर्तन की आवश्यकता है। मेरी पार्टी और मैं भी प्लानिंग के विरोध में नहीं हूं लेकिन यहां की प्लानिंग का सिस्टम ही बिलकुल गलत है। प्लानिंग से यह कल्पना की गयी थी कि देश की ग्रामीण जनता को पेट भर भोजन मिल सके, अच्छा कपड़ा मिल सके, रहने के लिये मकान मिल सके। पर वह कुछ प्राप्त नहीं हो पाया। परन्तु आज आप देखेंगे कि ८० फीसदी जनता देहात में रहती है और २० फीसदी शहरों में रहते हैं। परन्तु जैसी सूक्ष्म समीक्षा में मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है कि सामाजिक, आर्थिक तरीके से हमने उन्नति की है क्या वास्तव में ये आंकड़े सही हैं?

मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूं कि ८० प्रतिशत जनता कृषि पर निर्भर करती है मैं केवल सभी बाहरी देशों के नियोजन के प्रारम्भ यानी १९५०–५१ के आंकड़े ही दे रहा हूं। यू० के० में ५०–५१ में केवल ५ फीसदी लोग खेती पर निर्भर करते थे, अमेरिका में १२.५ प्रतिशत,

[श्री विजय सिंह]

जापान में ४८.७ प्रतिशत और रूस में ५८ प्रतिशत है जब कि हिन्दुस्तान में ७१.९ प्रतिशत है। इसके माने यह हैं कि जिस देश में खेती पर लोग ज्यादा निर्भर करते हैं वहां प्लानिंग तब तक लाभदायक नहीं हो सकती जब तक कि खेती वाले स्तर के लिये विशेष योजना न बनायी जाय और विशेष सहायता प्रदान न की जाय। रूरल पापुलेशन शहरों की अपेक्षा ४ गुनी है। अब आप देखिये कि पर कैपिटा रूरल डेवलपमेंट पर व्यय प्रथम योजना में ४९, दूसरी में ९१, और तीसरी में १२१ था जब कि पर कैपिटा अरबन डेवलपमेंट पर व्यय प्रथम योजना में ८०, दूसरी में २४१ तथा तीसरी ३९१ रुपये रहा है, यानी भेद दोनों में दुगुना, ढाई गुना और तिगुना रहा है। और इस भेद का मुख्य कारण यही है कि ग्रामीण जनता पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। मंत्री जी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में किसानों के लिये ऋण व्यवस्था लाभप्रद है तथा किसानों को कर्ज देने की व्यवस्था की जा रही है। खेती की उपज बढ़ाने के लिये तथा और और कामों के लिये ऋण व्यवस्था है, लेकिन वह उस कर्ज का करेंगे क्या? आल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे रिपोर्ट के अनुसार १९५० में प्रति किसान परिवार का उत्पादन १९.८६ मन था और उसका कंजम्प्शन २६.०४ मन था। तो इस प्रकार ६.५४ मन यानी २५ फीसदी उसको खाने की ही कमी पड़ती है। तो वह कर्ज लेकर क्या करेगा, इन्हीं चीजों पर यानी खाने आदि में ही ऋण दिया हुआ रुपया खर्च कर देगा। अभी माननीय मंत्री जी ने यह भी कहा कि किसानों की ऐजूकेशन और ट्रेनिंग पर सरकार खर्च करने जा रही है मगर आप अपने आफिसर्स को कितना ही ट्रेन करें जब तक उसको खेती के बारे में किसान की पूरी ऐजूकेशन नहीं है तो उन आफिसर्स की ट्रेनिंग का क्या फायदा होगा। किसान का और अधिकारी का कोई नजदीकी सम्पर्क नहीं है लिहाजा वह किसान उसके ज्ञान से अनभिज्ञ रहता है। अब कर्ज के सूद की बात सुनिये जो कर्जा सरकार की ओर से पहले दिया जाता था वह केवल डेढ़ फीसदी ब्याज पर दिया जाता था। अब तक वर्ल्ड बैंक ५ फीसदी पर कर्जा देती रही है और पिछले महीने से उसीने ६ फीसदी कर दिया है और वह यहां किसान को १२ फीसदी तक मिलता है और कभी-कभी उसको इस सूद दर पर भी नहीं मिलता। इसलिये मेरा यह कहना है कि यह प्लानिंग देश के लिये वरदान सिद्ध नहीं हुई है।

अशोक मेहता जी जो प्लानिंग कमीशन के वाइस चेयरमैन रह चुके हैं उन्होंने एक बार कहा था कि "बड़ी प्लान से बड़ा लाभ होता है, पर लम्बे समय में, तथा संतोष से फल का इन्तजार करना पड़ता है आगे भविष्य में इन प्लानों में व्यय धन का लाभ दिखाई देगा।" इसके विपरीत मेरा कहना है कि जितना बड़ा भारी प्लान आप बनायेंगे उतना ही रेट आफ ग्रोथ कम होगा। जितनी छोटी योजना बनेगी उतना ही उसका रेट आफ ग्रोथ अधिक होगा। प्रदेश में आप प्लान में ५०० करोड़ रुपया व्यय करने जा रहे हैं मगर आपने देखा कि १५ वर्षों के नियोजन के बाद भी देश में प्रति व्यक्ति कितनी आय बढ़ी है। २५ फीसदी लोगों की ६८ पैसा प्रति दिन आमदनी है। १० करोड़ लोगों की ४२ पैसा प्रति दिन आमदनी है। ५ करोड़ की ३२ पैसे प्रति दिन की आमदनी है और १ करोड़ की २७ पैसे प्रति दिन की आमदनी है। यह जो प्लान आप बनाते हैं वह आर्थिक ढांचे को देख कर बनाना चाहिये। आपने जो प्लान्स के अन्दर खर्च किया है वह यह कि पहली प्लान में ३,३६० करोड़ खर्च किया है। दूसरे में ६,६३१ करोड़ खर्च किया। तीसरे में १०,४०० करोड़ खर्च हुआ और अब चौथे प्लान में जो खर्च करने जा रहे हैं वह २१,५०० करोड़ रुपया व्यय होगा। इतना पैसा अधिक खर्च किया जाय तो उसमें इस बात की आशा होनी चाहिये कि इतना पैसा खर्च होने पर क्या उसका फल होगा। प्लान पर जो कुल खर्च किया जाय उस पर इस बात का ध्यान देना जरूरी है कि उसकी रिटर्न क्या होगी और कितने समय में। इन बातों पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया है और इसी तरह से वह चौथी प्लान बनाने जा रही है।

अब मैं आपको उदाहरण के लिये बताऊं कि धन का दुरुपयोग कैसे होता है। ६१ करोड़ रुपया माननीय मंत्री जी ने मीडियम और मेजर इर्रीगेशन के लिये व्यय किया १९५१ से १९६१ तक और बताया कि ४० लाख एकड़ भूमि सिंचाई के पोटेन्शियल में बढ़ोत्तरी हुयी। इतनी

बढ़ोतरी हुई लेकिन मंत्री जी ने यह नहीं देखा कि वास्तव में कितनी भूमि में सिंचाई हुई। इसी प्रकार १९६१ के बाद भी ५० लाख एकड़ सिंचाई का पोटेन्शियल बढ़ा और सिंचाई के रकबे में बढ़ावा नहीं हुआ। सिंचाई में अगर उसके अनुसार बढोतरी नहीं हुयी तो फिर सिंचाई के आंकड़े देने से क्या लाभ है? माननीय मंत्री जी के पास इस बात के स्पष्ट आंकड़े होने चाहिये कि कितनी इस से पैदावार बढ़ी। यह आंकड़े उनके पास नहीं हैं। मैं प्लान का विरोध नहीं करता लेकिन इस दृष्टि से विवेचना करता हूं कि प्लान छोटा होना चाहिये। इतना अधिक पैसा किसी काम पर व्यय किया जाय तो उसका फल तुरन्त या थोड़े समय में प्राप्त हो सके। उस खर्च का कोई समन्वय होना चाहिये। मैं आपको ट्यूबवैल के सम्बन्ध में बतलाऊं कि ट्यूबवैल की दरख्वास्त १० हजार के लगभग पड़ी है जिसको कोई सुनने वाला नहीं है। मुझे मालूम है तथा सरकार को भी ज्ञात होना चाहिये कि ट्यूबवैल बना रहे हैं तो उनके लिये दरख्वास्तें भी आयेंगी। मगर जिस कार्य के लिये प्राथमिकता होनी चाहिये वह पूरा कार्य नहीं होता। मैंने यह इसलिये कहा कि आप इस बात को देखें। जब तक पूरा ब्यौरा तैयार नहीं होगा उस वक्त तक आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। पैसा प्लान पर खर्च हो रहा है। अर्थ शास्त्र के अनुसार पैसा में गति होती है। उस से देश को आर्थिक शक्ति प्राप्त होती है। पर यहां उल्टा है। आपने जो प्लान में पैसा लगाया है वह पैसा गतिशील नहीं रहा है उसमें शिथिलता आई है। स्टेट इंटरप्राइज में जो पैसा लगाया गया है उनसे केवल ५ परसेन्ट रिटर्न मिलता है और प्राइवेट सेक्टर में जो पैसा लगाया जाता है उनसे १० परसेन्ट रिटर्न मिलता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि प्राइवेट सेक्टर में जो रुपया खर्च किया जाता आपके यहां से प्राइवेट सेक्टर में दूना उनको पैसा प्राप्य हो रहा है इस से राष्ट्रीय धन की हानि होती है। इसलिये जितना बड़ा प्लान होगा उसका आउट पुट उतना ही कम होगा और जितना वह प्लान छोटा होगा उतना ही रिटर्न अधिक होगा। रूस, फ्रांस, अमेरिका और जापान के अन्दर छोटे-छोटे प्लान बनाये जाते हैं तो उनमें उनको अधिक सफलता मिलती है। जब वह प्लान खत्म हो जाता है, लक्ष्य पूर्ण हो जाता है तो उसको वह समाप्त कर देते हैं। यदि उत्पादन में बढ़ोत्तरी नहीं होती है तो आपकी कार्यक्षमता पर यह दोष आता है।

आप हमारे देश का पश्चिम के देशों से मुकाबला नहीं कर सकते हैं। उन्होंने अद्वितीय तरक्की की है पर एशिया के पूर्वी देशों को ही आप देखें। पाकिस्तान, चीन, इजराइल में आप देखें कि कितना वहां खर्च हुआ है और कितनी प्रतिशत रेट आफ ग्रोथ हुई है? पर वहां पर रेट आफ ग्रोथ किस प्रकार बढ़ा हुआ है इसको भी तुलनात्मक दृष्टि से आप देखें। पाकिस्तान में ६.८ परसेंट है, चीन में १४.९ परसेंट है, इजराइल में १६.६ परसेंट है, जापान में १६.८ परसेंट है और भारतवर्ष में ५.८ परसेंट है। मैं कहना चाहता हूं कि जितना आपका प्लान बड़ा होगा उतनी ही लक्ष्य की पूर्ति नहीं हो पायेगी। आपकी प्रथम प्लान में इन्कम में लक्ष्य था १२ परसेंट का। लेकिन आपने एचीव किया १८.४ परसेंट का। इस प्रकार ६.४ परसेंट आपकी लक्ष्य से ज्यादा बढ़ोत्तरी हुई। यह बात सही है, लेकिन इसका कारण था कि हमारा प्लान छोटा था। हमने एक नये जोश और शक्ति से उसमें कार्य किया था। लेकिन द्वितीय प्लान में २५ परसेंट वह लक्ष्य प्राप्त होना था, प्राप्त हुआ केवल २० परसेंट। तीसरी प्लान में ३४ प्रतिशत लक्ष्य रखा गया था, प्राप्त हुआ केवल २३ परसेंट। इसी प्रकार आपने चौथी योजना में लक्ष्य रखा है ५० प्रतिशत। अब देखा जाय कि वह कैसे पूरा होगा? जब आप का प्लान बढ़ता जाता है तो उसी प्रकार लक्ष्य की पूर्ति भी उतनी ही कम होती जाती है। आप अपने लक्ष्य को कुछ बड़े-बड़े प्लानों से प्राप्त नहीं कर सकते। आपने नियोजन को एक खिलवाड़ बना लिया है। आपको पहले सोचना चाहिये कि देश और प्रदेश की आबादी कितनी बढ़ रही है, किस हिसाब से बढ़ रही है और फिर उसके अनुसार एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिये आपको प्लान बनाना चाहिये। आबादी के हिसाब से योजना का इंतजाम सभी दृष्टिकोणों को सामने लक्ष्य करके बड़ी सतर्कता से कार्य करना ही प्लानिंग है और उसके अनुपात में ही आपको दूसरी वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाना चाहिये। मैं एक मिसाल इस सिलसिले में देना

[श्री विजय सिंह]

चाहता हूं कि आप केवल प्लान का एक ही अंग देखते हैं। आपने आलू की एक स्कीम चलायी। लेकिन आपको सिर्फ यह ही नहीं कह देना चाहिये कि हमको इतना आलू का उत्पादन करना है, उसके साथ साथ आपको उसकी खपत किस प्रकार हो सकती है, उसका मार्केट कहां-कहां है भेजने के तथा उसके आरक्षण के क्या साधन होंगे यह सब भी पहले से विचार करके तय कर लेना चाहिये।

इसके अलावा एक बात मैं और बतलाना चाहता हूं। इधर आपके शहरों और देहातों में डिस्पैरिटी भी काफी ज्यादा बढ़ गयी है। देहात की आवाज हमारे सामने नहीं आती और अगर आती भी है तो यह सरकार उसको सुनती नहीं। प्लानिंग विभाग उसको सुने बिना अपनी किये जाता है। मैं आपको इस सिलसिले में रूरल हाउस होल्ड की आय के सम्बन्ध में डिस्पैरिटी की एक मिसाल देना चाहता हूं। इसके आंकड़े मेरे पास इस प्रकार हैं कि ५०–५३ में कुल शहरी आय हुयी ७.३ परसेंट और इस प्रकार कुल आय का ग्रामीण आय २.२ प्रतिशत बढ़ा। जब कि ५९–६३ में शहरी आय बढ़ी १७ परसेंट और इसी प्रकार वह कुल आय का २.३ परसेंट ग्रामीण आय बढ़ गयी। यह आंकड़े आल इंडिया सर्वे आफ हाउस होल्ड के हैं। इसके साथ ही आप देखें कि देहात में आय का १५ वर्ष में क्या परिवर्तन हुआ। शहरों में कुल ४२ परसेंट ऐसे लोग हैं कि जिनकी आय १,००० रुपये से कम है और देहात में ६१ परसेंट ऐसे लोग हैं कि जिनकी आय १,००० रुपये से कम है। इसी प्रकार शहरों में ८६ परसेंट लोग ऐसे हैं कि जिनकी आय ३,००० रुपये से कम है और देहातों में ८६ परसेंट लोग ऐसे हैं जिनकी आय २,००० रुपये से भी कम है। यह है आपकी प्लानिंग का नतीजा। मेरे कहने का मतलब यह है कि शहर और देहात में समन्वय के लिये कोई ध्यान नहीं दिया गया। शहरों में उन्नति हुई, ग्रामीण लोग आय में घटते रहे।

आल इंडिया सर्वे आफ अरबन हाउस होल्ड के अनुसार आपकी क्या प्लानिंग है उस देहात के लिये जिस से आपको पेट के लिये भोजन प्राप्त होता है तथा देश रक्षा को जवान मिलता है इसे आप देखिये। आंकड़ों के हिसाब से ४४५ रुपये आय है अरबन हाउस होल्ड की और ऐग्रीकल्चर इनकम आफ विलेज हाउस होल्ड अरबन इनकम का है ४.६ परसेंट। १९५१ से १९६१ के आंकड़े अब मैं बतला देना चाहता हूं। यह आंकड़े पर कैपिटा इनकम के हैं नेशनल इंकम आल इन्डिया की है ४३ परसेंट तो यू० पी० की है २४ परसेंट और इस प्रकार पर-कैपिटा इन्कम यू० पी० में हुई ६.२ परसेंट जब भारतवर्ष की १७ परसेंट बढ़ गयी। भारतवर्ष की हो गयी २८१ से २९८। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि हम देखें कि हम किस स्थिति में आ गये हैं। वास्तव में जिस चीज की जरूरत थी उसमें हम पीछे रहे। जिस तरह से पर कैपिटा इन्कम देहात की बढ़नी चाहिये थी शहरों के मुकाबले में वह नहीं बढ़ी है और इस ओर हमारा विशेष ध्यान जाना चाहिये। हम इस प्रकार सोशलिस्टिक पैटर्न की तरफ नहीं बढ़ सकते। हम को उसके लिये विशेष प्रयास करना चाहिये। पूज्य महात्मा गांधी का कहना था कि एक आदमी के पीछे जितने आदमी कम हों वह अपना काम स्वयं अपने हाथ से करेगा वह सोशलिस्टिक पैटर्न के परीक्षण की कसौटी का तरीका है। पर यह फौज बनाकर प्रत्येक अफसर या मंत्री के पीछे पीछे चलाना सोशलिस्टिक पैटर्न का क्या तरीका है? मेरा कहना यह है कि जिस सिद्धान्त से यह प्लान शुरू किया गया था उसको छोड़ कर आगे चले गये उन्नति पीछे छोड़ गये। इसने एक विराट स्वरूप भगवान कृष्ण की तरह प्राप्त कर लिया और धनपतियों का राज्य हो गया है। शहर के अन्दर जितनी भी जमीन है उसकी ५२ परसेंट, ५ परसेंट आदमी के पास मौजूद है। देश की पूंजी आधी कम्पनियों के पास है और जितना उत्पादन है उसका १६ प्रतिशत प्राइवेट सेक्टर में है। वह कम्पनियां जिनका पेड-अप कैपिटल ५० लाख से ऊपर है वह १.६ परसेंट हैं और ये ५३ परसेंट देश की पूंजी कमांड करती हैं। देश में केवल १४ परिवार ऐसे हैं जो ५३ परसेंट पूंजी को अपने कंट्रोल में रखते हैं। यह है समाजवादी देश के लोगों का आर्थिक ढांचा जिस पर आप गर्व करते हैं।

मंत्री जी ने सामुदायिक विकास की चर्चा की है। यह चतुर्मुखी उन्नति का विभाग है जिसमें आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक और मानसिक उन्नति प्राप्त होती है। यह कम्युनिटी डेवलपमेंट का प्लान एक अल्बर्ट मायर नामक अमरीकन से उधार लिया हुआ विचार है। उसकी विचारधारा की नकल करके हमने समझा कि इससे कुछ प्राप्त हो पर वह भी सब जगह पर फेल हुआ है। नकल में भी अक्ल की जरूरत होती है।

सन् १९४९ में ग्रो-मोर-फूड स्कीम कमेटी की एक रिपोर्ट हुई और सन् ५० में यह प्लानिंग कमीशन बना। फिर १९५२ में २५ कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लाक्स अमरीकन पैसे पर खोले गये, उनको पायलट प्रोजेक्ट कह दिया गया। हर एक में ३०० गांव रखे गये और २ लाख की आबादी का क्षेत्र रखा गया। फिर राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड नाम देकर १९५३ में इसमें १०० ग्राम कर दिये गये और इसका क्षेत्र बढ़ता चला जा रहा है, संख्या बढ़ती जा रही है। ६६,००० आबादी इस में फिर एन० ई० एस० ब्लाक, शेडो ब्लाक, आई० डी० ब्लाक और पोस्ट आई० डी० ब्लाक रखे थे उसके ४ विभाग कर दिये गये और उनका बजट भी भिन्न-भिन्न किया गया। एन० ई० एस० को ४ लाख रुपया ३ वर्ष के लिए दिया गया, ८ लाख आई० डी० ब्लाक को और ३३,००० रु० बाकी दो प्रकार के ब्लाक्स को अलग-अलग दिया गया। जिस उद्देश्य से यह स्कीम प्रारम्भ हुई थी--चतुर्मुखी उन्नति के लिए वह वहां पर आ कर अटक गयी। उसका स्वरूप दूसरा हो गया। १९५९ में बलवन्त राय मेहता कमेटी की रिपोर्ट लागू हुई और केवल ३ स्तर रखे गये। एक्सटेंशन ब्लाक का बजट फर्स्ट और सेकेंड स्टेज के लिए अलग-अलग कर दिया गया। १८ हजार रुपया प्रि-एक्सटेंशन के लिए, १२ लाख फर्स्ट स्टेज के लिए और ५ लाख ५ वर्ष के लिए सेकेंड स्टेज के लिये है। यह जो रूप-रेखा रखी गयी अब फिर उसको मिटाना शुरू कर दिया है और दो ब्लाकों को मिला कर एक कर रहे हैं और समझते हैं कि डेढ़ सौ ग्राम जिन ब्लाकों में ठीक चल रहे थे अब वह २०० गांव कर रहे हैं। प्रत्येक गांव को Block सेंटर तक आने में बीच में ६०--६० मील का फासला हो गया, ब्लाकों के मिलाने से दूर-दूर तक कहां आदमी भागता रहे? यह इसलिए किया गया कि साढ़े तीन करोड़ रुपया बचाना था। हमारा एक छोटा-सा सुझाव है। आपने सब जगह---८९९ ब्लाक हैं--हर ब्लाक में आपने जीप प्रोवाइड कर रखी हैं। उनको विड्रा कर लीजिये। १,५०० (पन्द्रह सौ) के करीब एक जीप पर पेट्रोल खर्चा होता है। एक ड्राइवर कम होगा तथा हेवी रिपेयर्स बच जायेंगे। वहां बी० डी० ओ० को टी० ए० फिक्स कर दें और मोटर साइकिल कम्पलसरी रखने के आर्डर्स हो जायं, मेन्टेनेन्स अलाउन्स दे दें। दौरे का साधन भी पूरा और खर्चा भी कम। सारा झगड़ा मोटर पर है और आज जो फ्रिक्शन प्रमुख और बी० डी० ओ० के बीच में है उसका आधार जीप ही है। यह सब झगड़ा जीप का खर्चा करने की वजह से है और उसके इस्तेमाल के कारण से। तो इसमें १,५०० रु० की पेट्रोल बच जायगी और बताये हुये अन्य खर्चे कम होंगे। इस प्रकार साढ़े ३ करोड़ से ऊपर व्यय कम हो सकता है।

अब मैं आपके बी० बी० ओ० को ले रहा हूं। आखिर बी० डी० ओ० है क्या। आजकल यह बहुत ही बैड एडमिनिस्ट्रेटर हो रहा है। उसका कारण क्या है, ये अधिकारी सरकार की डुगडुगी हैं। जब कोई मन्त्री या अधिकारी उनके यहां जाता है तो वे उनका रिसेप्शन करने पहुंच जाते हैं और ये उनके रिसेप्शन अधिकारी हैं, अगर माला पहनाने और मीटिंग कराने में गड़बड़ी हुई तो तबादला हुआ। जिला स्तर के सभी अधिकारी बी० डी० ओज़० के मालिक है। वह माननीय मन्त्रियों की मीटिंग में भीड़ इकट्ठा कर देता है और माननीय मन्त्री जी की मीटिंग हो जाती है, प्लानिंग का काम वह क्या करता है? यह समझ में कम आता है। केवल प्रोग्रेस रिपार्ट देने का काम उसको दे दिया गया है। जब कि होना यह चाहिए था कि बी० डी० ओ० ग्रामीण लोगों के लिए खेती की तरक्की के लिए और उससे सम्बन्धित कामों के लिए साधन मात्र होता। अभी वह सूखा, अकाल, बीमारी आदि जितने भी मर्ज हैं सब को बी० डी० ओ० द्वारा ही ए० पी० सी० की पुड़िया की तरह से सरदर्द को दूर करना चाहते हैं। वह मजबूरी

[श्री विजयसिंह]

से करता है क्योंकि उसके चरित्र की एन्ट्री का तरीका बड़ा टेढ़ा है। कैरेक्टर रोल अंकन की स्कीम क्या है? बी० डी० ओ० के कैरेक्टर रोल में इंट्री जिला स्तर के सारे अधिकारियों के रिकमेंडेशन पर होती है। इन्फार्मेशन आफिसर की क्या बात है और बी० डी० ओ० के कार्यों से उसका क्या सम्बन्ध है पर उसकी सिफारिश पर भी बी० डी० ओ० के कैरेक्टर रोल में इंट्री होती है। पी० आर० डी० का जिला अधिकारी भी अपनी राय चरित्र-पुस्तिका में देता है। क्या है? आखिर बी० डी० ओ० भी क्या करे? उसका काम है कि वह देखे कि सब कामों में कोआर्डिनेशन हो जिससे कृषि की उन्नति हो। परन्तु आज कृषि की जो उन्नति हो रही है उसके आंकड़े आज माननीय मन्त्री जी ने प्रस्तुत किए हैं कहां तक ठीक हैं यह तो समय बताता है। प्रदेश में आज हमारे यहां एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कमिश्नर का एक नया पद का आविर्भाव हुआ है। वह काम कृषि विभाग के हाथ में होना चाहिए लेकिन आपने उसे प्लानिंग विभाग के हाथ में दे दिया है। लेकिन इस नए ए० पी० सी० को पावर देने से सरकार का सर दर्द दूर होने वाला नहीं है। प्रोडक्शन कमिश्नर की नियुक्ति से ही काम नहीं चलने वाला है। माननीय मन्त्री जी को स्पष्ट रूप से आंकड़े देना चाहिए था कि अब तक कृषि सम्बन्धी क्या उन्नति हुई है। सबसे पहली बात तो यह है कि एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट का टेक्निकल काम है और उसके लिए उनकी कोई ट्रेनिंग नहीं है वह केवल प्रशासक ही हैं। जिला स्तर पर आपने जो नियोजन अधिकारी बनाया है वह रेवेन्यू आफिसर रख दिया है वह एग्रीकल्चर के काम को क्या समझ सकता है। जिला स्तर पर कोआर्डिनेशन किस तरह से होना चाहिए तथा टेक्निकल काम टेक्निकल अधिकारियों के हाथ में ही देना चाहिए। प्रदेश में जो १० लाख की आबादी वाले जिले हैं वहां आपने डी० पी० ओ० को क्लास वन का पोस्ट दे दिया है। जब पहले इस पोस्ट की बात क्लास वन करने की आयी थी तो भूतपूर्व मुख्य मन्त्री माननीय गुप्ता जी ने उसका विरोध किया था और २५ प्रतिशत भी स्वीकार नहीं की लेकिन सुचेता सरकार ने फिर उस पोस्ट को सैंक्शन कर दिया और वह भी ५० प्रतिशत। पहले ए० डी० सी० क्लास टू का आफिसर था, अब डी० डी० सी० क्लास वन का आफिसर कर दिया गया है और इस तरह से बेकार में पब्लिक एक्सचेकर का पैसा इन पर खर्च किया जा रहा है जो अपव्यय है।

माननीय मंत्री जी ने समन्वय की बात कही। लेकिन माननीय मंत्री जी के पास ही एग्रीकल्चर विभाग नहीं है। सेंटर में तो माननीय खाद्य मंत्री श्री सुब्रह्मण्यम् के पास खाद्य विभाग है, कम्युनिटी डेवलपमेंट है और एग्रीकल्चर भी है जब कि आपके पास केवल कम्युनिटी डेवलपमेंट है। एग्रीकल्चर भी आपके पास होना चाहिये, तभी काम पूरा हो सकता है। अगर आप कोई बात लिखते भी हैं तो दूसरे विभाग वाले उस पर उतना महत्व नहीं देने पाते जितना आवश्यक है। अगर आपने किसान को खाद और बीज का प्रबन्ध कर दिया तो पानी ही गायब हो गया। मान्यवर, प्रदेश में कोआर्डिनेशन के लिये सरकार ने एक कमिश्नर को नियुक्त किया, लेकिन मान्यवर, उससे कुछ हो नहीं रहा है। इस जगह पर तो चीफ सेक्रेटरी की रैंक का कोई ज्वाइन्ट चीफ सेक्रेटरी ही होना चाहिये था। दूसरी बात यह कि खाली एक पोस्ट क्रियेट कर देने से ही कोआर्डिनेशन नहीं हो जाया करता। स्टेट लेबिल पर तो सरकार ने यह समन्वय किया जो प्रत्यक्ष बेमेल है। इसी प्रकार जिला लेविल पर कोई कोआर्डिनेशन नहीं है। जिले में डी० पी० ओ० तथा जिला परिषद् के अध्यक्ष के बीच तनाव बना रहता है। जितने भी जिले के अधिकारी हैं उनमें आपस में कोई समन्वय नहीं रहता। अगर किसी को तकावी मिलनी है तो वह बी० डी० ओ० तब देता है जब रेवेन्यू विभाग से उसकी हैसियत व मालियत तस्दीक हो जाती है। इसमें कभी-कभी बहुत डिले होती है और समय से किसान को पैसा मिल नहीं पाता। आधा पैसा तो उसका दौड़धूप में ही खर्च हो जाता है। आपका बी० डी० ओ० किस काम के लिये है इसकी सरकार के पास कोई रूपरेखा नहीं। वह कोई काम नहीं ले सकता और दूसरे अधिकारियों के साथ उसका कोआर्डिनेशन नहीं होने पाता। मैं चाहता हूं जिला लेविल पर भी आप पावर का डी सेन्ट्रालाइजेशन न करें। मैं यह नहीं कहता हूं कि बी० डी० ओ० को बहुत

पावरफुल कर दीजिये, मगर कोई ऐसा रास्ता निकालिये जिससे जो और विभागों के ए० डी० ओ० वगैरह हैं तथा और अधिकारी हैं उनमें आपस में समन्वय रहे। हर विभाग के आफिसर अपना अलग-अलग काम करते हैं। इससे खर्चा तो बहुत होता है, काम कुछ हो नहीं पाता। ग्राम स्तर पर प्रधान और बी० एल० डब्लू० में समन्वय नहीं रहता। अगर जिले में आपस में समन्वय रहे तो अधिक काम हो सकता है। प्रधान तो एक तरह से बी० डी० ओ० या ए० डी० ओ० की कठपुतली-सा बना रहता है।

मान्यवर, जो पैसा खर्च के लिये सरकार देती है उसका बड़ा दुरुपयोग होता है। आडिट रिपोर्ट में दिया हुआ है कि करीब १ करोड़ ४४ लाख रुपया अधिकारियों ने प्लानिंग का निकाल कर पर्सनल लेजर एकाउन्ट में रख लिया। यह रुपया खर्च नहीं हो पाया। उस रुपये का इन्टरेस्ट कहां गया? मैं चाहता हूं माननीय मंत्री जी इसको देखें। यह अगर गबन नहीं है तो और क्या है? इसके अलावा रुपया आप मार्च के महीने में रिलीज करते हैं। आडिट आब्जेक्शन भी इसके लिये मौजूद हैं। प्लानिंग के लिये जो ३४ करोड़ २८ लाख की ग्रान्ट स्वीकार हुई उसमें से १३.५७ करोड़ रुपया मार्च में ही व्यय हुआ। जब इतना रुपया एकदम से एक महीने में, आखिर में खर्च होता है तो मान्यवर उसका रिटर्न उतना नहीं मिलता और न सद्उपयोग ही हो पाता है। बड़ी-बड़ी प्लान तैयार करने का ही यह नतीजा है कि उनमें एकदम से रुपया चला जाता है और उसका मिसयूज होता है। इस तरफ मंत्री जी को ध्यान देना चाहिये।

होमगार्ड्स के सम्बन्ध में और पी० आर० डी० के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। जब होमगार्ड्स मौजूद हैं तो पी० आर० डी० को क्यों रक्खा गया है। होमगार्ड्स में ही उसको मर्ज कर दीजिये और वह सारा काम होमगार्ड्स से लीजिये जो पी० आर० डी० से आप लेना चाहते हैं। पी० आर० डी० के जिला स्तर पर और ब्लाक स्तर पर आर्गेनाइजर्स हैं, यह पैसे का दुरुपयोग है। इसको आप मर्ज कर दें और दोनों को एक साथ रखिये।

माननीय मंत्री जी ने बहुत तारीफ की कि प्रदेश में जन-स्वास्थ्य का बड़ा अच्छा काम हुआ। यह कहा गया कि स्वास्थ्य के सम्बन्ध में चेचक उन्मूलन का काम हुआ, हैजे के लिये अच्छा काम हो रहा है और उनकी प्रारम्भिक इकाई अच्छा काम करती हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि जितने भी प्रिवेन्टिव मैजर्स हैं उनमें ए० डी० ओ० (हैल्थ) काम करते हैं और अपनी जान खतरे में भी रखते हैं। मान्यवर, पे कमेटी की रिपोर्ट में उसकी तनख्वाह का ग्रेड बढ़ा दिया गया था पर अनामलीज कमेटी में, जिसमें माननीय मंत्री जी भी उपस्थित थे, उसकी तनख्वाह का ग्रेड तथा महंगाई कम कर दी गई। जबकि माननीय मंत्री जी ने देखा और स्वीकार किया कि ए० डी० ओ० (हेल्थ) ने अच्छा काम किया है। उसकी सेवा का यही पारितोषिक है कि उसका वेतन कम कम हो और जो अपनी जान देकर इन बीमारियों के बीच समाज की सेवा करता है उसे वेतन में कमी का इनाम मिले। फैमिली प्लानिंग की बात की बड़ी चर्चा माननीय मंत्री जी ने की। माननीय मंत्री जी ने इसके कोई आंकड़े नहीं दिये कि फैमिली प्लानिंग के कान्ट्रासेप्टिव्स वगैरह के इस्तेमाल से या लूप से अन्य बातों से उसके क्या रिजल्ट्स हुए। इन सभी साधनों से दिमाग की खराबी तथा और कितनी ही खराबियां पैदा हो जाती हैं। मैं यहां पर एक वरिष्ठ अधिकारी की पत्नी का हाल देख चुका हूं। उनके दिमाग की हालत क्या हो गई। मैं समझता हूं कि सरकार इसके बारे में केवल एलोपैथी पर ही मुनस्सिर है। आपको इस सम्बन्ध में होम्योपैथी और आयुर्वेद के विशेषज्ञों से भी पूछना चाहिये। उनमें इसके और भी तरीके हैं। जिससे सन्तति निरोध हो। होम्योपैथी के अन्दर इसके लिये पचासों दवायें मौजूद हैं जिनसे आप सन्तति निरोध कर सकते हैं। तो फिर क्या कारण है कि आप उस पर विचार ही नहीं करते। क्या आप बता सकते हैं कि आपके पास कितने ऐसे आंकड़े हैं जिन केसेज में मानसिक कष्ट वगैरह हो गया है। मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि जो मैंने बातें रक्खी हैं उनके सम्बन्ध में मुझे उत्तर मिले और अन्त में मैं सदन से यह प्रार्थना करूंगा कि वह मेरे प्रस्ताव को स्वीकार कर लें क्योंकि वे समझ लें कि प्लानिंग और नियोजन इस देश के हित में नहीं है।

*श्री बृजमोहनलाल गुप्त (जिला बांदा)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, नियोजन के सम्बन्ध में जो अनुदान रक्खा गया है, मैंने बड़े गौर से माननीय मंत्री जी का भाषण सुना और जो कटौती का प्रस्ताव माननीय विजय सिंह ने रक्खा, उसको भी मैंने गौर से सुना। हर चीज के दो पहलू होते हैं। माननीय विजय सिंह जी ने उसके एक पहलू पर ही गौर किया है यानी डार्क साइड को रक्खा है। मुनासिब तो यह था कि जब वे दोनों का सम्मिश्रण कर रहे थे तो बुराइयों के साथ-साथ अच्छाइयां भी रखते। मैं समझता हूं कि उन्होंने जो बातें रक्खी हैं वे सुझावात्मक हो सकती हैं। उनकी बातें कुछ ली जा सकती हैं। अच्छे सुझाव हमारी सरकार को मानने चाहिये। लेकिन जो उन्होंने प्रस्ताव रखा है कि १ रुपया अनुदान होना चाहिये, यह प्रस्ताव तो महज फारमैलिटी है। वास्तविकता तो यह है कि इसमें और ज्यादा रुपया होना चाहिये। किसी देश की उन्नति का अन्दाजा सामूहिक विकास योजनाओं से और बिजली के खर्चे से देखा जाता है, चाहे वह रूस हो या अमरीका हो या कोई भी देश हो। तीन योजनाओं में हमारे प्रदेश में जितनी उन्नति हुई है वह सराहनीय है। १५ साल पेश्तर हमारे सूबे की क्या हालत थी? इसमें शक नहीं कि हमारी ८० फीसदी आबादी खेती पर निर्भर करती है और उस आबादी को राहत पहुंचाने के लिये काफी काम किये गये हैं। बड़े-बड़े कारखाने लगे हैं, देहरादून, हरिद्वार, रिशीकेश में लगे हैं। वहां रूस के लोग भी उन उद्योगों को आगे बढ़ाने की चेष्टा कर रहे हैं। कोई बाग लगाया जाता है तो उसके पौधे लगाये जाते हैं, पानी दिया जाता है, लेकिन उसका फल ८, १० साल पहले नहीं मिलता। इसलिये इन कारखानों का फल भी उपयुक्त समय पर ही मिलेगा। आर्थिक, सांस्कृतिक, शारीरिक और सब उन्नति सामुदायिक विकास से ही हो सकती है।

खेती का उत्पादन बढ़ाने के लिये बहुत से उपाय किये गये हैं। लड़ाई के बाद हमारी तवज्जह इस बात पर ज्यादा गई है कि अन्न के उत्पादन को प्राथमिकता दी जाय। लघु सिंचाई की तरफ भी ध्यान गया है और दूसरी योजनायें भी हैं जिनसे उत्पादन बढ़ेगा, चाहे वह खाद हो, बीज की शकल में हो या पानी के रूप में हो। उन कैश क्राप्स की हमारी खेती बढ़ी है, जैसे आलू, मूंगफली, गन्ना और शकर हैं।

हमारे देश में ज्ञान की भी बड़ी आवश्यकता है। किसान भाई ज्यादातर अनभिज्ञ हैं। संसार में कितनी उन्नति हो रही है, इसका ज्ञान उन्हें नहीं है। आज का युग विज्ञान और टैक्नीकल है। ऐसे टैक्नीकल कालेज खोले गये हैं जहां हमारे विद्यार्थी काफी प्रगति कर रहे हैं और आज उन्नति के शिखर पर पहुंच रहे हैं। आपने देखा कि हमारे प्रदेश में ही कई इंजीनियरिंग कालेज नये खुले और विद्यार्थियों की उनमें संख्या भी बढ़ाई गई है।

अभी हमारे भाई ने कहा कि योजनायें हमारे देश के लिये आवश्यक नहीं हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि किसी देश की उन्नति के लिये योजनायें बहुत जरूरी हैं। हमारे प्रदेश में पहले के मुकाबले इस साल सामुदायिक योजनाओं में अधिक उन्नति हुई है। जैसा गांधी जी कहा करते थे, ग्राम राज्य तब तक नहीं होगा जब तक रामराज्य के दर्शन नहीं होते हैं। ग्रामों में ग्राम पंचायत, क्षेत्र समितियां और जिला परिषदें बनाई गई हैं। फिर प्रान्तीय सरकार और केन्द्रीय सरकारें आती हैं। इन ५ अंगों के द्वारा प्रजातन्त्र का स्वस्थ रूप हमारे सामने आया। जब तक हम किसान को इस बात की जानकारी नहीं करायेंगे जब तक वह देश की या शासन की बागडोर सम्भालने के काबिल नहीं हो सकता है। इसीलिये पंचायत राज्य की रूपरेखा रखी गई है कि हम उनको अधिक से अधिक अधिकार दें और उनके अन्दर क्षमता और जानकारी पैदा हो सके। किसी भी योजना की सफलता के लिये यह बहुत आवश्यक है कि देश का मनोबल ऊंचा होना चाहिये। यह देश गरीब और भूखों का देश है। इसमें शक नहीं है कि सबसे पहली प्राथमिकता अन्न को दी गई है और कोई हमारे देश में ऐसा नहीं है जिसे दोनों वक्त खाना नहीं मिलता हो।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पढ़ाई के लिये हर बच्चे को पूरे साधन होने चाहिये। उनके खाने, चिकित्सा और रहने के लिये भी प्रबन्ध होना चाहिये।

माननीय विजय सिंह जी की बात का मैं समर्थन करता हूं कि शहरों में जितनी उन्नति हुई है और शहर के लोगों को जितनी सुविधायें प्राप्त कराई गई हैं, शायद देहात के लोगों को नहीं कराई गईं। वास्तविक स्वराज्य तभी होगा जबकि हम अपने प्रदेश के ८० फीसदी आदमियों को भी जो देहात में रहते हैं, पूरी सुविधायें प्राप्त करा सकें।

मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि हमारी इन योजनाओं में कुछ खराबियां भी हैं। बहुत-सी तो कागज पर ही हैं और बहुत-सी काल्पनिक रूप में हैं और वास्तविक ढांचा उनका कोई नहीं है। उसकी पहली वजह तो यह है कि हमारे अधिकारियों को देहात के लोगों के हालात का ज्ञान नहीं है। वे पश्चिमी सभ्यता में पले हुए बाब लोग होते हैं। मैं अधिकारियों से निवेदन करूंगा और उन्हें विभाग के द्वारा आदेश मिलना चाहिये कि जो हमारे किसान भाइयों का रहन-सहन और वेषभूषा है उसके अनुकूल अगर उनमें प्रवेश करें और अपनी बात को रखें तो उनके ऊपर अच्छा असर होगा। इस समय अधिकारी वर्ग अपने को अलग समझता है और किसान वर्ग अपने को अलग समझता है। इससे विश्वास पैदा नहीं होता है और न यह महसूस होता है कि यह हमारे हित की बात कर रहा है। सघन खेती और फर्टीलाइजर देने की बात जहां होती है, किसान कहता है कि ये उसके फायदे के लिये नहीं हैं। हमारे अधिकारी लोग कागज पर पढ़े हुए होते हैं। उनको वास्तविकता का ज्ञान नहीं होता है। हर क्षेत्र में प्रैक्टिकल होना चाहिये जिससे यह दिखाया जा सके कि खाद और सघन खेती के द्वारा इतनी खेती बढ़ती है। हमारी योजनायें तभी सफल होंगी जब कि हमारे अधिकारी किसान भाइयों के साथ भाईचारे का सम्बन्ध कायम करेंगे। जब तक अधिकारी लोग अंग्रेजी को छोड़कर हमारे किसान भाइयों के साथ हिन्दी और भारतीय सभ्यता और संस्कृति के अनुसार विचार-विनिमय नहीं करेंगे तब तक योजनायें सफल नहीं हो सकतीं।

देहातों में ग्राम सेविकाओं की शिक्षा का पश्चिमी ढांचा है। उसमें आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है।

अब मैं कुछ बात बुन्देलखण्ड की आपकी सेवा में रखना चाहता हूं। यह एरिया बहुत पिछड़ा हुआ है। वहां कोई सड़क या सिंचाई के साधन नहीं हैं। इसमें शक नहीं कि बुन्देलखंड सरप्लस एरिया है। अगर वहां सिंचाई का प्रबन्ध कर दें तो हम यकीन दिलाते हैं कि सूबे के बड़े से बड़े हिस्से को हम फीड कर सकेंगे चाहे गेहूं हो या चावल या कोई अनाज हो। वहां जमीन और आदमी बहुत हैं। गंगेऊ डाम जिससे हमें सिंचाई मिलती है उसका पानी कम होता जा रहा है। ८, १० साल वहां नहरों से और उससे कोई पानी नहीं मिल सकेगा। हमारे बांदा में ट्यूबवेल की योजना लागू की जाय। यहां ट्यूबवेल कायम हो सकते हैं। उनकी हमारे यहां बहुत आवश्यकता है। पानी की बहुत कमी है। सिंचाई के साधनों की बहुत ज्यादा कमी है। हमारे यहां बुन्देलखंड में बांध बनाये जा सकते हैं। गरमी के दिनों में तो हमारे यहां पानी की इतनी कमी हो जाती है कि २-२ रुपया में एक-एक घड़ा पानी मिलता है। ट्रकों में लाद लादा कर पानी पहुंचाया जाता है वहां खेती के साधन तभी बढ़ सकते हैं जबकि कोई ऐसा बांध बनाय जायगा जिससे वहां की सिंचाई की आवश्यकता पूरी हो सके। आपको वहां के पीने तथा खेती की सिंचाई के लिये पानी को उपलब्ध कराना चाहिये। जिस प्रकार से आपने पूर्वी जिलों के लिये पटेल आयोग की स्थापना की थी, उसी प्रकार से इन चार जिलों के लिये भी आप किसी आयोग की स्थापना कीजिये जो भली प्रकार से निरीक्षण कर के यह रिपोर्ट दे कि कहां-कहां किन-किन चीजों की आवश्यकता है और कौन-कौन से साधन उपलब्ध कराने पर वहां की गरीबी को दूर किया जा सकता है।

[श्री बृजमोहनलाल गुप्त]

आप जब अपनी योजना बनाते हैं तो प्रदेश के पिछड़े हुए इलाके की बिलकुल उपेक्षा ही कर देते हैं और जो इलाके आगे बढ़े हुए हैं उन्हीं को और आगे बढ़ाते हैं। यह सौतिया डाह आप क्यों करते हैं? हमारा बुन्देलखंड सदा से बहादुर लोगों का इलाका रहा है। मुगलों के जमाने में और अंग्रेजों के जमाने में हमने उन लोगों से टक्कर ली लेकिन आज अपने राज्य में हमारे ऐसा होते हुए हमारी इस प्रकार की उपेक्षा की जा रही है। अगर यही नीति रही तो मैं चुनौती देना चाहता हूं कि हमारे जिले इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि बुन्देलखंड, बघेलखंड तथा कुछ जिले मध्य प्रदेश के मिला कर उसका अलग एरिया बना दिया जाय। अगर आपकी यही नीति रही तो वे लोग इस बात को बरदाश्त नहीं कर सकते और इस प्रकार अलग प्रदेश की मांग करने को उनको मजबूर होना पड़ेगा। इन चन्द शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करता हूं कि हमारी स्थिति की ओर पूरा-पूरा ध्यान दिया जाय तथा इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)---

अधिष्ठाता महोदय, आजादी के बाद जब यह सोचा गया कि हमको अपने देश को आगे बढ़ाना है तो यह तय पाया कि देश की तालीमी हालत को बढ़ाने, बेरोजगारी को दूर करने और इन्डस्ट्रीज को बढ़ाने के लिये हम प्लान के जरिये से काम करेंगे। इसके लिये हमने न सिर्फ देश के अन्दर जो रकम थी, उसको ही लगाया बल्कि दूसरे मुल्कों से भी इसके लिये कर्जा लिया। इस तरह से पूरे मुल्क के लिये जो रुपया प्लान्स पर खर्च किया गया है वह है १८,१११ करोड़ रुपया, उसमें से ३,६६६ करोड़ रुपया दूसरे मुल्कों से कर्ज के रूप में लिया गया है। यानी हिन्दुस्तान में फी क्स लगभग ८० रुपया हम दूसरे देशों के मकरूज हैं। और यह सब इसलिये किया गया कि देश की हालत सुधरे। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार दो तरह से इसमें नाकामयाब रही है। एक तरफ तो हमारे उत्तर प्रदेश की आबादी सारे हिन्दुस्तान की छठा भाग है, दूसरी तरफ हम जो प्लान्स पर खर्चा कर पाये हैं वह सिर्फ ९५६ करोड़ है जो पूरे देश का बीसवां हिस्सा होता है। हमारी सरकार सेंटर से, न तो आबादी के लिहाज से ही रुपया पा सकी है और न एरिया के हिसाब से। दोनों तरफ से यह सरकार सेंटर से रुपया लेने में असमर्थ रही है।

उत्तर प्रदेश ने फूड ग्रेन्स में किस तरीके से तरक्की की है, मैं इसके कुछ आंकड़े आपके सामने पेश करना चाहता हूं जो ज्यादा दूर के नहीं हैं। आपने जो एकनामिक वेल्यू यह दिया है उसमें से ही मैं आंकड़े दे रहा हूं। हमारे यहां सन् ५०-५१ में ११५.८९ लाख टन फूड ग्रेन्स पैदा हुए जबकि तीसरी योजना से वह सन् ६४-६५ में १४९.८५ लाख टन हो गया यानी ४० प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसका मतलब यह हुआ कि ९५६ करोड़ पैसा व्यय होने के बाद ४० प्रतिशत की वृद्धि हुई। दूसरी तरफ जरा कैश क्राप्स को आप देखें कि गन्ने से गुड़ सन् ५०-५१ में २९.०३ लाख टन पैदा हुआ जो ६४-६५ में ५७.४७ लाख टन हो गया यानी १०० प्रतिशत वृद्धि हुई। हमने जो सब से जरूरी चीज खाद्यान्न थी उसकी तरफ तवज्जह कम दी और कैश क्राप्स की तरफ अधिक ध्यान दिया और आज हम उस पालिसी पर रो रहे हैं कि खाना नहीं है, हमने जो ९५६ करोड़ रुपया खर्च किया वह ज्यादातर कैश क्राप्स बढ़ाने में चला गया। अगर हमने फूड ग्रेन्स की उपज बढ़ाने में ध्यान दिया होता जो कि एक जरूरी अहमियत की चीज थी तो आज हम इस परेशानी में न पड़ते।

इसके अलावा एवरेज पर एकड़ ईल्ड भी आप देखें। मैं दो चीज खास जो रबी की हैं, गेहूं और जौ और दो अनाज खरीफ के जो खास हैं, ज्वार और बाजरा, उनके ही फिगर्स आपके सामने रक्खूंगा। हमारे यहां सन् ५०-५१ में गेहूं ७३१ पौंड प्रति एकड़ पैदा हुआ जबकि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

६२–६३ में यह उपज ७०४ पौंड प्रति एकड़ ही रह गई। इसी तरह से जो सन् ५०–५१ में प्रति एकड़ ७९१ पौंड थी ६२–६३ में वह रह गयी ७९९ पौंड प्रति एकड़। अब खरीफ की ज्वार को देखें, ५०-५१ में ६१२ पौंड प्रति एकड़ और ६२–६३ में ५९८ प्रति एकड़, बाजरा सन् ५०–५१ में ५७४ पौन्ड प्रति एकड़ और सन् ६२–६३ में वह रह गया ५३५ पौंड प्रति एकड़। इस तरह से आपने देखा कि रबी की और खरीफ की जो खास खास हमारी जिन्स हैं उनकी औसत पैदावार बराबर घटी है। अगर बढ़ी है तो शुगर केन की। एक और पैदावार बढ़ी है वह है आयल सीडस की जो कि कैश क्राप्स में आते हैं। अब इंडस्ट्रीज में भी मकान और कुएं आदि के बनाने के लिये जो सब से मुख्य जरूरत की चीज है वह है सीमेन्ट, गांव से शहर तक हर जगह आजकल उसकी जरूरत होती है, उसकी पैदावार की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिये था। नये-नये कुएं, डैम्स, इमारतों और नालियों के लिये आजकल सीमेन्ट की एक खास अहमियत है लेकिन इसका प्रोडक्शन इस देश म जहां सन् ५६ में ४.११ प्रतिशत था वहां सन् ६४–६५ में यह केवल ४.२ हो गया लेकिन हमें फख्र किस चीज के बनाने में है, वनास्पति घी के। सन् ५६ में हम सारे देश का १५ प्रतिशत बनाते थे लेकिन सन् ६४ में हम २२ प्रतिशत बनाने लगे। मकसद से ज्यादा तरक्की हमने इसमें की है, पता नहीं कि यह नस्ल को कितनी तरक्की की तरफ ले जा रहा है कि सारी नस्ल को ही वनस्पति ब्रान्ड बनाकर रख दिया गया है।

शिक्षा पर भी हम बड़ा फख्र करते हैं और कितना हमारा बजट शिक्षा पर व्यय होता है, अभी परसों ही हमने एक साल के लिये ४४–४५ करोड़ का बजट यहां पास किया है। हमारे नौजवान जो आज शिक्षा ले रहे हैं वह विदाउट एनी डेसटिनी चल रहे, हैं उन्हें पता नहीं कि पढ़ने के बाद क्या करना है। लड़के स्कूल जाते हैं बस इतना फायदा है कि मुहल्ले में गिल्ली डन्डा न खेला, दिन भर के लिये स्कूल चले गये लेकिन पढ़ने के बाद पता नहीं कि वह कहां लगेंगे, नौकरी मिलेगी या क्या करेंगे। उनकी सारी एनर्जी वेस्ट हो रही है और इसका नतीजा यह है कि विद्यार्थियों में दिनों दिन इनडिसिप्लिन बढ़ रही है। विदाउट एनी डेसटिनी खर्च एजूकेशन पर होता चला जा रहा है।

इसी तरह से मेडिकल विभाग पर भी बहुत ज्यादा खर्च हो रहा है लेकिन सूबे में आज भी ३२० डिसपेंसरीज में डाक्टर नहीं हैं और बड़ा फख्र विभाग को फैमिली प्लानिंग पर है। मैंने नियम ५२ में अभी गोंडे के बारे में सवाल दिया था। ६०–६० साल के बूढ़ों की नसबन्दी कर दी गई। १८ साल या उससे कम उम्र वालों की नसबन्दी कर दी जाती है, जिनके घर में बीबियां नहीं हैं, जो बूढ़े हैं, अपाहिज और बीमार हैं, उनकी नसबन्दी की जाती है इसलिये कि रिकार्ड हो गया कि इतने आदमियों की नसबन्दी की गयी। यदि ३०० आदमियों की नसबन्दी हो गयी तो प्रत्येक के लिये १०–१० रुपये मिल गये चाहे उस रुपये को वी० एल० डब्लू बांट लें या और लोग बांट लें। उस रुपये का बटवारा हो जाता है। इस प्रकार से आप जो फैमिली प्लानिंग पर रुपया खर्च कर रहे हैं वह सब का सब बेकार जा रहा है। जिस काम के लिये लिया जाता है उस पर सही मायने में खर्च नहीं होता है।

जमींदारी एबोलिशन की अगर आप रिपोर्ट देखें, जो कि स्वर्गीय माननीय गोविन्दवल्लभ पन्त जी के सभापतित्व में सन् १९४० में अंग्रेजों की सरकार के जमाने में बनी थी उस समय यह महसूस किया गया था कि इस प्रदेश में पैदावार को बढ़ाने के लिये गांव वालों को बिना सूद के रुपया दिया जाय। इसमें साफ लिखा हुआ है कि विदाउट इन्टरेस्ट लोन और तकावी दी जाय ताकि हमारी पैदावार बढ़े लेकिन हमारे यहां पर क्या हालत है कि हम जो कुछ भी लोन किसानों को खेती के लिये या काटेज इन्डस्ट्रीज के लिये देते हैं, हमारे सामने यह लक्ष्य होता है कि हमें कितने परसेन्टेज का सूद मिलता है। हमेशा हमारी बनिये वाली पालिसी होती है चाहे हमारा प्रोडक्शन बढ़े या न बढ़े। मकसद सिर्फ यह रहता है कि हमने जो लोन ८ १/४ परसेन्ट पर फ्लोट किया है वह हमें मिलता रहे। हम उसी से सैटिसफाई हैं, चाहे एग्रीकल्चर बढ़े या न बढ़े, इन्डस्ट्री

[श्री रियासत हुसैन]

का प्रीडक्शन बढ़े या न बढ़े। हम लोन तो दे देते हैं लेकिन यह कभी नहीं सोचते हैं कि इस लोन के युटिलाइजेशन में किसानों को कितनी टैक्नीकल डिफीकल्टीज हैं। कभी यह नहीं सोचा जाता है कि काटेज इन्डस्ट्रीज में उन्हें और कौन-सी दूसरी चीजों की आवश्यकता पड़ेगी और क्या हम उन्हें सप्लाई कर सकेंगे या नहीं।

दूसरी चीज हमने यह देखी है कि जितना रुपया आप इस प्लानिंग के बजट पर मांगते हैं लगभग १२–१४ करोड़ रुपया, इसमें से लगभग ५० फीसदी रुपया हर सूरत से वेस्ट होता है चाहे बी० एल० डब्लू० की, चाहे ब्लाक डेवलपमेन्ट आफिसर की तनख्वाहों में वह जाये या लोन या कर्जे की हैसियत से जाये। ५० फीसदी में से भी थोड़ा बहुत काम में आता है। तो देखना पड़ता है कि आखिर इसकी क्या वजह है और इसकी वजह यह है कि आपके जो बी० एल० डब्लू० हैं उनके मुकाबले में आपके ब्लाक के जो आधिकारी हैं, उनकी कोई गिनती ही नहीं है। कुछ दिन का एक किस्सा है कि एक ग्रान्ट इन एड दी जानी थी। उसके लिये बी० एल० डब्लू० ने रिपोर्ट तैयार कर ली और ठीक कर ली। कुछ दिन बाद मैंने बी० डी० ओ० को लिखा कि आप २५० रुपये की जो ग्रान्ट-इन-एड है उसको दे दीजिये तो एक महीने के बाद मुझे चिट्ठी के जरिए इन्फार्म किया गया कि मुझे अफसोस है कि मैं आपके काम को नहीं कर सका क्योंकि बी० एल० डब्लू ने फाइल ही नहीं दी। तब मैंने कहा कि यह आप कैसे कहते हैं। आप परसनल मैसेन्जर भेजिए और फिर हालत यह हुयी कि बी० एल० डब्लू साहब ने पूरी फाइल ही बदल दी। जो बाउचर्स मेरे दस्तखत शुदा थे उनके ऊपर टिकट लगा दी और किसी के अंगूठे लगा दिए और फिर मुझसे कहा गया कि आप इसको प्रमाणित कर दीजिए। मैंने कहा कि मैं यह कैसे कर सकता हूं कि "पेड बाई मी"। लेकिन अगर आप चाहते हैं मैं उसी से दूसरे बाउचर्स मंगा दूं। आज इस विभाग में कोई बात का ध्यान नहीं करता कि हमारा जो काम है वह हम किस हद तक पूरा करें।

आज आपके जो ३८ लाख बेरोजगार देहात में अगर आप उनकी बेरोजगारी को दूर करना चाहते हैं तो आप हर पंचायत पर एक इंडस्ट्रियल सेन्टर खोलिये और उस पंचायती अदालत के सेन्टर में जितने भी देहात के अन्दर काटेज इंडस्ट्रीज हैं उन सब को वहां जारी कीजिये। आप का काम होना कि रा मैटीरियल सप्लाई करें और तैयार शुदा माल को मार्केट में ले जाकर कहीं भी डिस्पोज आफ करें। बेकार आदमी दिन भर वहां काम करें और अपनी मजदूरी का पैसा लें। अगर मुरादाबाद के आदमी से यह उम्मीद करते हैं कि वह गोरखपुर के कारखाने में जाकर काम करेगा तो यह बात नहीं होने वाली है।

अब मैं इर्रीगेशन के बारे में कहना चाहता हूं। मुझे अफसोस है कि इर्रीगेशन में १९४५–४६ में प्रदेश के अन्दर कुल कल्टीवेबिल एरिया ३ करोड़ ६६ लाख एकड़ था जिसमें से इर्रीगेशन एरिया १ करोड़ १३ लाख एकड़ तथा अनइर्रीगेटेड एरिया २ करोड़ ५३ लाख एकड़ था। आपने १९६५–६६ में यानी २० साल के बाद इतनी तरक्की की कि एरिया कल्टीवेबिल बढ़ कर हो गया ४ करोड़ २७ लाख एकड़ लेकिन इर्रीगेटेड कर पायेंगे १ करोड़ ३१ लाख एकड़। कल्टीवेबिल एरिया में २१ लाख एकड़ की बढोत्तरी हुई, लेकिन एरिया अन्डर इर्रीगेशन में १८ लाख एकड़ की बढ़ोत्तरी हुई, ९५६ करोड़ रुपया खर्च करने के बाद इर्रीगेशन फेसिलिटी को उस कदर नहीं बढ़ा पाये जितना कि आपको बढ़ाना चाहिये था और खास तौर से मुरादाबाद की हालत है कि ७१ लाख रु० रैवेन्यू का देता है वहां कुल रकबा १३ लाख एकड़ अन्डर कल्टीवेशन है लेकिन ३.१३ लाख एकड़ ही बीफोर प्लान अन्डर वाटर था और इस वक्त आप थर्ड प्लान के बाद ३.६५ लाख एकड़ कर पायेंगे।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त।

श्री राजाराम (जिला फैजाबाद)—

श्रीमन्, हमारे देश ने नियोजन के द्वारा विकास करने का मार्ग अपनाया है और दो योजनायें तो खत्म हो गईं तथा तीसरी अब खत्म होने वाली है। इन योजनाओं में हमारा प्रदेश अब तक ९७१ करोड़ रुपया लगा चुका है और सरकार ने बहुत प्रयास किया कि हमारे प्रदेश का उत्पादन बढे और लोगों की आय बढ़े। परन्तु यह तो सभी लोग जानते हैं कि देश के और भागों के मुकाबले में हमारे प्रदेश में उत्पादन कम बढा है और जहां सारे देश में दो योजनाओं के अन्त में राष्ट्रीय आय ४२ परसेन्ट बढ़ी वहां हमारे प्रदेश में मंत्री जी ने बताया कि केवल २०.६ प्रतिशत आय बढ़ी।

कारण बताया गया कि हमारे यहां इन्वेस्टमेन्ट कम हुआ। इसके लिये प्रयास होना चाहिये था ताकि हमारा इन्वेस्टमेन्ट ज्यादा होता और देश के मुकाबले में हम भी कुछ स्थान रखते १५ वर्ष के बाद हमारी दशा यह हो गई कि हम देश के मुकाबले में बहुत पीछे चले गये हैं। हर एक क्षेत्र में हमारी उन्नति बहुत कम हुई है और आप देखेंगे कि कृषि जो हमारे प्रदेश की अर्थ-व्यवस्था की नींव है उस क्षेत्र में भी हमारी हालत बहुत खराब हुई है। १९६०–६१ में हमारे प्रदेश का उत्पादन १४२ लाख टन था। लेकिन तीसरी योजना के प्रथम, दूसरे और तीसरे वर्षों के बाद भी उत्पादन बराबर घटता गया और १९६३–६४ में उत्पादन घटकर के ११६ लाख टन तक पहुंच गया। और अब तीसरी योजना का अन्तिम वर्ष है जिसके लिये उत्पादन का लक्ष्य १८२ लाख टन था। ऐसी आशा नहीं की जा सकती कि हम १८२ लाख टन किसी हालत में पहुंचेंगे। जो हालात हैं इन सब से ऐसा मालूम होता है कि ज्यादा से ज्यादा १५२ लाख टन तक पहुंचेगा। अन्नोत्पादन में कमी के कारण हमारे प्रदेश में एक अव्यवस्था-सी हो रही है। इतना रुपया खर्च होने के बाद भी जब योजना सफल नहीं हो पाती है तो उससे क्या लाभ है? यह सही है कि पहले के मुकाबले में उन्नति हुई है लेकिन जैसा मैंने कहा हर क्षेत्र में उन्नति बहुत कम हुई है। इर्रीगेटेड एरिया में कुछ वृद्धि जरूर हुई है लेकिन जितनी होनी चाहिये थी उतनी वृद्धि नहीं हुई। माननीय मंत्री जी ने बतलाया है कि इस वर्ष ८० करोड़ रुपया खाद्योत्पादन में खर्च किया जायगा लेकिन अगर वह सही तौर से खर्च हो सका तो अवश्य वृद्धि हो सकेगी। लेकिन जिस तरह से रुपया खर्च होता रहा है उससे आशा नहीं की जा सकती कि वास्तव में उतनी वृद्धि हो सकेगी जितनी कि होनी चाहिये। उत्पादन में वृद्धि अवश्य हुई लेकिन जैसा रुपये का उपयोग होना चाहिये था वैसा नहीं हुआ। मेरे जिले में दो सघन विकास क्षेत्रों में १ हजार कुवें बने, तादाद पूरी कर दी और अधिकारियों ने वाहवाही ले ली लेकिन आधे से ज्यादा कुवें २ घंटे तक पानी देने के बाद रुक जाते हैं और वास्तविक फायदा उनसे लोगों को नहीं हो पाया। माननीय मंत्री जी इन बातों पर ध्यान दें और प्रयास करें कि सही आकड़े उनके पास आयें और वास्तविक उपलब्धि हो सके और गलत व नुमायशी उपलब्धि न हो।

किसान यह चाहता है कि अच्छा बीज मिले, सिंचाई का माकूल प्रबन्ध हो। यह दो बातें हो जायं तो बहुत जल्दी उत्पादन में वृद्धि हो सकती है। पंजाब, आन्ध्र और मदरास में काफी सिंचाई का प्रबन्ध हुआ तो उत्पादन भी बढा और वहां लोगों में खुशहाली बढ़ी लेकिन हमारे प्रदेश में खुशहाली नहीं हो सकी। मंत्री महोदय अगर प्रदेश के अन्दर योजनाओं के जरिये से किसान के लिये पानी की सुविधा उपलब्ध करा दें तो फिर खाद्य की समस्या यहां भी हल हो सकती है। इस ओर विशेष ध्यान देना होगा अन्यथा चाहे कितना भी रुपया खर्च कर दिया जाय समस्या हल नहीं हो सकती। अभी तक योजनाओं से जो फायदा हुआ है और जैसा कि महालनवीस कमेटी ने भी बतलाया है नीचे के वर्ग को फायदा नहीं पहुंचा है। जो गरीब लोग हैं, साधनहीन हैं उन तक नियोजन के अधिकारी नहीं पहुंच पाये हैं और अधिकतर किसान हमारे प्रदेश के अन्दर ऐसे हैं जिनकी खेती अनइकोनामिक है उन्हें नियोजन का कुछ लाभ नहीं हुआ और केवल बड़े किसान जो हैं उन तक ही नियोजन विभाग के अधिकारी

[श्री राजाराम]

अपनी योजना पहुंचाते हैं जिससे उनकी पैदावार बढ़ जाती है लेकिन साधारण किसान की पैदावार नहीं बढ़ जाती है ।

जहां तक समन्वय का संबंध है जिले में जिला परिषदें हैं, खण्ड विकास क्षेत्र और ग्राम-पंचायतें हैं । कागज पर तो हालत बहुत अच्छी है लेकिन जिला परिषद् के अध्यक्ष और डी० पी० ओ० में आपस में अधिकारों का झगड़ा है । विकास क्षेत्रों में बी० डी० ओज तथा प्रमुखों में अनुदानों के वितरण और अधिकारों का झगड़ा है । मेरी समझ में नहीं आता कि वह समन्वय कैसे होता है ? मैं चाहूंगा कि इस बात की उच्च स्तर पर जांच की जाय कि जिलों के अन्दर विकास खण्डों के अन्दर समन्वय की बात क्यों नहीं होती ।

जो कृषि के अधिकारी जिलों में हैं उनकी दशा और भी खराब है । उनसे आशा की जाती है कि जिले के कृषि उत्पादन में नियमित तरीके पर सहायक होंगे लेकिन वहां का इंजीनियर जो पानी के लिये जिम्मेदार है, उसकी बात सुनने को तैयार नहीं । वे गांवों में जाते हैं लेकिन सिंचाई और अच्छे बीज का इन्तजाम नहीं कर पाते । जो जिलों में प्लानिंग कमेटियां हैं उनकी मीटिंग नहीं हो पाती और अगर होती भी है तो माकूल इन्तजाम नहीं होता । मेरे जिले में 'कई ऐसे क्षेत्र हैं, जहां न ट्यूबवेल है न अन्य सिंचाई के साधन । वहां के विकास अधिकारियों को चाहिये वहां जाकर देखें और सरकारी ट्यूबवेलों का प्रबन्ध करें ताकि वहां के लोगों को राहत मिले और कुछ न कुछ पैदावार में वृद्धि हो ।

सान्यवर, नियोजन और समन्वय में बहुत आवश्यक चीज हैं । अगर इसको सही तरीके से किया गया तो देश का विकास हो सकता है । लेकिन खराबी का कारण यह है कि इसकी प्रशासकीय मशीनरी ठीक ढंग पर काम नहीं कर पा रही है । विकास की मशीनरी ज्यादा कारगर तरीके से काम करे इसके लिये काफी तौर से प्रशिक्षण का बन्दोबस्त किया जाय । प्रशिक्षण का बन्दोबस्त होता है लकिन उस मशीनरी को नया मोड़ देने की आवश्यकता है । जब तक वह मशीनरी मिशनरी स्पिरिट से काम नहीं करगी, जब तक वह छोटे छोटे कारीगरों तक नहीं पहुंचेगी, उनके दिमांग को मोड़ नहीं देगी तब तक विकास का काम ठीक से नहीं चल पायेगा । मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री इन सब बातों पर ध्यान दें और इस मशीनरी को नया मोड़ देने की कोशिश करें और जो इस वक्त उसमें भुर्रा सा लगा हुआ है वह दूर करें जिससे विकास का कार्य तीव्र गति से चले ।

*श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज सदन में जो चर्चा हो रही है वह नियोजन और समन्वय के संबंध में है । वैसे जो अनुदान हमसे मांगा गया है वह देखा जाय तो केवल विकास खण्डों द्वारा व्यय होने वाला जो कार्य है उसके लिये अनुदान है । परन्तु चर्चा बहुत व्याप्त हो गयी है । माननीय मंत्री जी ने सारे के सारे जितने अनुदान पास हो चुके या आने वाले हैं, उन सबको प्रभावित करते हुए भाषण हुआ, सारे विषयों का समन्वय कर लिया । योजना का विषय ऐसा है कि अलग से चर्चा होकर हमारी योजनाएं कैसी होनी चाहिये उसको निर्धारित करना चाहिये । योजना के बारे में ज्यादा न कहते हुए एक ही बात कहना चाहता हूं कि भारत सरकार की योजनाएं हों या राज्य सरकार की उनमें प्लानिंग कमीशन ने और राज्य सरकार ने भी स्वीकार करने के बाद परिवर्तन करने की बात भी सोची है । एक ही उदाहरण दे रहा हूं सिंचाई के बारे में लघु सिंचाई योजना के संबंध में भारतीय जन संघ की ओर से पिछले आठ सालों से जोर दिया जा रहा है परन्तु सरकार ने इस ओर विशेष ध्यान नहीं दिया था । प्रसन्नता की बात है कि पिछले साल से सरकार ने इस लघु सिंचाई योजना की तरफ ध्यान दिया है । परन्तु माननीय मंत्री जी ने इसके बारे में जो बड़ी भारी सफलता की बात बताई, मैं समझता हूं वैसी बात नहीं है । हमारे प्रदेश में ७०–७५ प्रतिशत लोग खेती करते हैं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

और यहां पर सबसे अधिक कृषि योग्य क्षेत्र होने के बावजूद भी हम अपने खाने के लिये अन्न नहीं पैदा कर सके हैं, तो यह स्थिति हमारे लिये बहुत ही दुर्भाग्य पूर्ण है। उत्तर प्रदेश को तो अपने उदरपूर्ति के लिये केन्द्र की तरफ देखना ही पड़ता है, केन्द्र को भी अपने खाने के लिये दुनिया की तरफ कटोरा फैलाना पड़ता है। इसलिये यदि यह कहा जाय कि हमारी योजनाएं दोष-पूर्ण रही हैं और किसी कार्य को जितनी प्राथमिकता दी जानी चाहिये थी उसको उतनी नहीं दी गयी है।

जनसंघ कभी भी योजनाओं का विरोधी नहीं रहा है। जनसंघ की राय में देश के सर्वांगीण विकास के लिये योजनाएं चाहिये, लेकिन उसमें अवश्य परिवर्तन होना चाहिये जिस प्रकार से यहां पर आज योजनाएं चल रही हैं, उनसे देश का वास्तविक कल्याण होने वाला नहीं है, यह मेरा निश्चित मत है। जनसंघ ने इसीलिये, योजना बदलो सप्ताह भी चलाया था, उसका असर सरकार पर भी पड़ा। योजना के लिये जो ५ साल का निर्धारित समय रखा गया है वह ५ साल का समय कृत्रिम है। कुछ कार्य छोटे होते हैं, कुछ बड़े, कुछ एक ही साल में पूरे हो जाने वाले होते हैं, कुछ में २०–२० साल लग सकते हैं। इसलिए विभिन्न कार्यों के लिये विभिन्न प्रकार की योजनाएं विभिन्न समयावधियों के लिये बनाई जानी चाहिये। पांच साला योजनाएं बनाना और उस पर प्रग्रेस रिपोर्ट देना भ्रमपूर्ण है, इस पर बिचार किया जाना चाहिये।

एक चीज में अब आंकड़ों के बारे में निवेदन कर दूं। माननीय मंत्री जी ने कहा कि यहां पर ५.३ इन्कम बढ़ गयी है। यह जो सामुदायिक विकास का विभाग है और जिसका उत्तर-दायित्व माननीय मंत्री जी के ऊपर है उसमें कोई भी इन्कम नहीं बढ़ी हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों की योजनाओं के फल स्वयं इन्कम नहीं बढ़ी है। यह जो पुस्तिका हमको दी गयी है, इसमें कृषि उत्पादन और ग्राम्य विकास के अन्तर्गत यदि आप पेज १५ को देखें तो इसमें कितनी हंसी की बात है। इसमें जो कालम ४ था, उसमें कागज लगाकर उसे छिपाया गया है। ६ महीनों में उसका चौथा भाग भी पूरा नहीं हो सकता है, इसलिये उसे छिपाया गया है।

हमारी योजनाएं श्रमपूर्ण ही होनी चाहिये, स्वदेशी आधार पर होनी चाहिये और विदेशों से कर्ज लेकर यह चलाई जाएं, यह बात बहुत गलत है। कृषि के विकास की हमारी जो योजनाएं हैं उन्हें ग्रामीण शक्ति और उसके सोर्सेज के आधार पर उन्हें विकसित करने की बात करनी चाहिये।

इस समय सरकार द्वारा समाजवाद के नाम पर हर चीज का सरकारीकरण करने का जो नारा लगा हुआ है, उससे भी योजनाओं के मार्ग में और प्रदेश के विकास के मार्ग में एक बड़ा अवराध खड़ा हो जाता है। जहां पर लोग व्यक्तिगत आधार पर पैसा लगाना चाहते हैं वहां पर सरकार की नीतियों के कारण लगा नहीं पाते हैं। इसलिए क्षेत्र निर्धारित करना चाहिए कि कौन-सा क्षेत्र सरकार लेगी, कौन से काआपरेटिव के अन्तर्गत होगा और कौन-सा क्षेत्र व्यक्तिगत कार्य के लिए होगा। इस विषय पर मैं इतना ही कहते हुए समन्वय के बारे में कहना चाहता हूं। आपकी पंचायत राज व्यवस्था का सिद्धान्त तो बहुत ऊंचा है लेकिन देखने में यह आता है कि यदि उसमें सरकार की आस्था नहीं रह गयी तो जनता भी विकास क्षेत्रों का खत्म करने की मांग करने लगेगी। यदि इस प्रकार की बात रही तो जनता इसकी भी मांग करेगी कि उन पर सरकार का अधिकार खत्म कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि उनके रहते सरकार के दल विशेष के लोगों का काम ही होता है, सत्तारूढ़ दल के सदस्यों को अधिकाधिक फायदा होता है।

माननीय नेता, विरोधी दल ने मेहदावल ब्लाक के बारे में कहा है कि वहां के अधिकारी ५–६ साल से वहां बने हुए हैं, सरकार ने एक बार उनका ट्रांसफर भी किया, लकिन फिर रद्द कर दिया। उनके रहते क्षेत्र की भारी क्षति हो रही है। उनके पक्ष में जब हस्ताक्षर कराए गए तो ७० हजार से भी अधिक हुए, जबकि वहां की आबादी इससे कम ही है। वह छोड़िए,

[श्री रक्षपालसिंह[

में अपने जिले फतेहपुर का उदाहरण रखता हूं। एक डी० पी० ओ० का ट्रांसफर दो बार होता है। पी० सी० सी० के सदस्य आ जाते हैं वह रुक जाता है। पहले वह बांदा के लिए बाद, को मैनपुरी के लिए ट्रांसफर किये गये : पहला रुक गया लेकिन दोबारा के लिए भी पी० सी० सी० के सदस्य पहुंचते हैं। यहां रामकिशोर त्रिपाठी जी के प्रश्न के उत्तर में आश्वासन वह दूसरा दे गए थे तो अब मन्त्री जी असमंजस्य में पड़ गए हैं कि हमने सदन में दूसरा आश्वासन दे दिया है। तो इस प्रकार के ट्रांसफर्स जो किए या रोके जाते हैं चाहे वह पी० सी० सी० के सदस्यों के कहने पर या मंगला प्रसाद जी या बनारसीदास जी के प्रभाव में पड़ कर तो पंचायत राज्य नहीं चल सकता। हमारे यहां के बी० डी० ओ० जीप में बैठकर कुछ प्रधानों को लेकर जाते हैं और किसी दूसरे गुट के प्रमुख थे उनका ट्रांसफर हो जाता है। उनका ट्रांसफर हो गया लेकिन बाद में उसमें भी अड़चन पड़ गई इसलिए कि वहां २ साल से अविश्वास का प्रस्ताव नहीं हुआ और २ साल में ३ महीने बाकी हैं तो अब उनका ट्रांसफर रुक गया कि ३ महीने में अविश्वास का प्रस्ताव पास कराकर तब बी० डी० ओ० साहब हटें। राममूर्ति जी के लिए तो यह प्रसिद्ध है कि वे अनुचित हस्तक्षेप बरदाश्त नहीं करते लेकिन ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण उदाहरण हमारे सामने आते हैं तो विवश होकर कहना पड़ता है कि अगर इस तरह से बी० डी० ओज० के ट्रांसफर्स रोके गए, और राजनीतिक कार्यकर्त्ताओं द्वारा रुकावट डाले जाने की बात की गयी तो सम्भवतः जो आस्था पंचायत राज्य के अन्दर है वह समाप्त हो जायगी।

दूसरी बात एकीकरण की है। आज ही सवेरे एक प्रश्न आलू के बारे में आया तो कह दिया गया कि इससे सहकारिता मन्त्री से सम्बन्ध है, हमसे कोई मतलब नहीं है। गेहूं का प्रश्न हो कि खेत को पानी नहीं मिलता, छूट देनी चाहिए तो कहा जायगा कि यह इर्रीगेशन विभाग से सम्बन्धित है। तो किसानों की समस्याओं को हल करने के लिए भी किसानों से, उत्पादन से और जनजीवन से सम्बन्धित बातों के लिए भी कोई मन्त्री अपनी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं हैं। मन्त्रियों में एकीकरण नहीं है स्टेट स्तर पर कोई एकीकरण नहीं है। जिला स्तर पर जरूर हमारे यहां जिला अधिकारी हैं लेकिन उनमें भी आपस में विरोध रहता है। आज प्रदेश में कम से कम १५, १६ जिले ऐसे हैं जहां जिला परिषद् के अध्यक्षों और कलेक्टरों में विरोध है और उसके कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गया है कि वे एक दूसरे से सहयोग ही नहीं करते। आज प्रमुख और बी० डी० ओ० में विराध है और इसके लिए यही निश्चित नहीं है कि कौन किसका ट्रांसफर करेगा और इसके कारण एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गयी है। उसके बारे में चिन्ता करनी चाहिए।

भ्रष्टाचार के बारे में, जितने भ्रष्ट अधिकारी हैं उनको निकाल दिया जाना चाहिए। एक उदाहरण अपने जिले फतेहपुर की देता हूं। भिटौरा के बी० डी० ओ० ने ढाई हजार रुपया बैंक से निकाल कर ३ साल तक अपनी जेब में रखा और जब इन्क्वायरी हुई तो रुपया जमा कर दिया। लेकिन उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसी तरह से बस्ती जिले का उदाहरण अभी मेरे मित्र जब बोलेंगे तो आपके सामने वह अपने जिले के भी उदाहरण इसी तरह प्रस्तुत करेंगे।

अब दो तीन सुझाव दे करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। यहां पर विकास खण्ड के बारे में चर्चा आयी है कि वह तोड़ दिए जायेंगे। उसका स्वागत किया गया है। लेकिन अब यह फिर सुनाई दे रहा है कि सरकार उन्हीं पुराने विकास खण्डों को रखना चाहती है। यह ठीक नहीं है। सरकार ने आश्वासन दिया है कि १ अप्रैल से वे तोड़ दिए जायेंगे। सरकार को उसे पूरा करना चाहिए। जीप के बारे में तमाम चर्चा है और इनकी वजह से तमाम अनैतिक कार्य होने की बात कही गयी है। वह भी इसी बात के आधार पर है।

(इस समय २ बज कर २९ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल पीठासीन हुए।)

१०० गांवों पर एक ब्लाक है। उस ब्लाक को एक जीप की क्या आवश्यकता है। इसको समाप्त करना चाहिए। समाज कल्याण के बारे में ऐसी मांग है कि अपने सारे प्रदेश के अन्दर जो इसका काम है उसमें महिला मंगल योजना का काम अलग रहना चाहिए। विकास योजना से इसको निकाल देना चाहिए। जन शक्ति के बारे में यह मांग करता हूं कि उसके लिए अलग से एक अधिकारी होना चाहिए जो जिला स्तर पर जाकर इसका निरीक्षण करे। जो आंकड़े वहां का आदमी देता है उसके बारे में निश्चय ही यह निवेदन है कि वे आंकड़े सही नहीं होते हैं। अभी तक जिला संख्या अधिकारी के अन्डर में जो वह आदमी रहता था वह सही आंकड़े भेजता था। अब उसको बी० डी० ओ० के अन्डर में रखा गया है। जो फर्जी आंकड़े उसके पास आ जाते हैं ए० डी० ओ० से यह ग्राम सेवक के पास से उनका ही वह ऊपर भेज देता है। इस वजह से यहां पर प्रदेश की प्रगति इस आधार पर नहीं नापी जो सकती है।

*श्री बैजनाथसिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)——

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो अनुदान पेश हुआ है मैं उसका समर्थन करता हूं। मैं ही यहां पर उसका समर्थन नहीं करता हूं उसका समर्थन सारे प्रदेश में प्रत्येक गांव और घर में पढ़ा बेपढ़ा किसान सभी कर रहे हैं। आजादी प्राप्ति के बाद सरकार ने, राष्ट्रीय सरकार ने समाज की और प्रदेश की अर्थ व्यवस्था का किस तरह से सुधारा जाय उसके सुधार के लिए एक नियोजित ढंग से योजना बनाई और ५ साल के लिए उस योजना को शुरू किया। जहां पर जिस प्रकार से जैसी आवश्यकता है उसको उसी तरह से प्राथमिकता देकर कार्य आरम्भ किया गया। पहली योजना जब शुरू की गई तो विरोधीदल ने बड़ी मजाक उड़ाई और कहा यह तो खिलवाड़ हो रहा है लेकिन गांवों में रहने वाले लोगों की समझ में यह धीरे-धीरे आई। अब तीसरी योजना में उनके दिल और दिमाग में योजना का असर पूरी तरह से पड़ चुका है। अब उनको पता हो गया है कि यह योजना अर्थ व्यवस्था को सुधारने के लिए किस प्रकार से संचालित की जा रही है। मैं यह निवेदन करूंगा कि यह १० वर्ष का समय जो खराब हुआ है उसकी जिम्मेदारी हमारे विरोधी भाइयों पर है। ये हमारे भाई भ्रामक प्रचार गांवों के अन्दर करते रहे। बी० डी० ओ० को गाली देते रहे। ए० डी० ओ० को गाली देते रहे हैं और प्रमुख को गाली देते हैं। जिस स्थान पर इनको जरा भी ताकत रही वहीं पर इन्होंने बी० डी० ओ० और प्रमुख को लड़ाने का प्रयास किया। जहां पर ये एम० एल० ए० हो गए वहीं पर इन्होंने वितंडावाद पैदा कर दिया और कार्य संचालन में बाधा डाली लेकिन इन सब बातों के बावजूद किसान ने धीरे-धीरे समझा। ग्राम सेवक गांव में गया, बी० डी० ओ० गांवों में गया, ए० डी० ओ० गांवों में गया और उन्होंने किसानों को बताया और समझाया। किसान को अब पता हो गया है कि किस प्रकार से खेती करनी चाहिए, गांव में किस प्रकार से रहना चाहिए, गली किस प्रकार से साफ रखनी चाहिए, खरंजा किस प्रकार से लगाना चाहिए, खेती के साधन किस प्रकार उपयोग में लाकर उत्पादन बढ़ाना चाहिए, नए-नए खेती के औजार किस प्रकार प्रयोग में लाने चाहिए, पुराने ढंग को किस प्रकार से तब्दील करना चाहिए। वह जो उसके दिमाग में भ्रम हो गया था वह उसके दिमाग से अब समाप्त होता जा गया है। किसान के दिमाग में अब दृढ़ता पैदा हो गई है और वह समझता है कि योजनाओं से अर्थ-व्यवस्था ठीक हो सकती है। वह समझने लग गए हैं कि किसान गरीबी से लड़कर अपनी तरक्की कर सकता है श्रीमन्, यह गांव के लोगों की हालत हो रही है।

अभी मेरे मित्र ने कहा कि प्रमुख को बी० डी० ओ० की चरित्र पुस्तिका लिखने का अधिकार दे दिया गया है। आप तो सोशलिज्म में विश्वास करते हैं, हर चीज का समाजीकरण और

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बैजनाथसिंह वैद्य]

राष्ट्रीयकरण करना चाहते हैं, हर चीज को सरकार के हाथ से निकाल कर समाज को देना चाहते हैं, और उसी दिशा में सरकार यह एक एक्सपेरिमेंट कर रही है। जनता के प्रतिनिधियों और अपने अधिकारियों को एक साथ रख कर, उनमें कैसे सहयोग उत्पन्न हो सकता है इस के लिए प्रयोग कर रही है। आप तो जनाते ही हैं कि सरकार ने साफ साफ यह एलान कर दिया है कि हमारी जो शासन पद्धति है यह प्रजातांत्रिक ढंग की है, सोशलिस्टिक है और हम इस के द्वारा ही समाजवाद लाना चाहते हैं। इस के प्रयोग अलग-अलग हैं और यह बात दूसरी है कि उनसे आप में कभी भ्रम उत्पन्न हो जाता है, आप गलतफहमी में पड़ जाते हैं और कभी कभी जानबूझ कर गड़बड़ करने लग जाते हैं। कभी आप जनता में भ्रम पैदा करने लगते हैं, उस की कोशिश करते हैं।

आज कल इलेक्शन आ रहा है। उधर काफी लोग संजीदा भी हैं लेकिन उनके भाषण का रवैय्या भी कुछ बदल गया है। सदन में उनके बात करने का तरीका बदल गया है। तो दो तरह की बातें चल रही हैं। सच क्या है और वस्तुस्थिति क्या है इस पर हम ध्यान दें और जो वस्तुस्थिति है उसको हम जनता में साफ-साफ रखें और भ्रमात्मक बातें न रखें। तो मैं कहना चाहता हूं कि जिस तेजी के साथ हम आज आगे बढ़ रहे हैं उसमें भ्रम पैदा करने वाली बातें नहीं लायी जानी चाहिए क्योंकि अगर किसी दिन किसान के दिमाग में यह बात आ गयी कि नियोजन कार्य में जब हम व्यस्त थे और हम चाहते थे कि किसी प्रकार हम अपनी माली हालत में सुधार लायें तो आप उसको गुमराह करने की बात करते थे, आप उसे खेती में लगने देना नहीं चाहते थे, नियोजन के दूसरे कामों को उसे नहीं पूरा करने देना चाहते थे जिससे कि वह पिछड़ा रह गया, उसका नुकसान हो गया तो वह आप से पूछ सकता है। किसान अब काफी समझदार हो गया है, होता जा रहा है। आपको मालूम होना चाहिए कि किसान किस प्रकार हमको देख रहा है, किस प्रकार वाच कर रहा है। थोड़े दिन पहले जब पाकिस्तान ने हमला किया था, तो यह ठीक है कि स्पिरिट आपके दिल में भी थी। आप भी इसी देश के रहने वाले हैं, आप को भी देश की रक्षा और सुरक्षा में उतनी ही दिलचस्पी है जितनी कि हमको, और आप भी उसे मजबूत रखना चाहते हैं, आजादी को भी आप पसन्द करते हैं, इसमें कोई शुबहा नहीं और इसमें किसी को कोई शक भी नहीं है, लेकिन इसके साथ ही इसमें भी कोई दो रायें नहीं हैं कि आप सरकार के हर काम में बाधा पैदा करना चाहते हैं और यह आपने अपना मूल मन्त्र बना लिया है। आपको सरकार के हर काम में अड़चन डालनी है नहीं तो अगर व्यतिक्रम उस के काम में पैदा नहीं होगा तो सरकार को सफलता जरूर मिल जायगी और अगर सरकार को सफलता मिल गयी तो यह भी ठीक है कि आप कहीं के न रहेंगे। तो आप ने देखा कि बावजूद हमारी माली हालत खराब होने के, न जाने कितने विभागों में हमारे बंटे होने के बावजूद, न जाने कितने धर्म और राजनीतिक पार्टियों में बंटे होने के बावजूद भी हमारी जनता ने देश की आजादी की रक्षा के लिए अपना एक चरित्र आप के सामने, देश के सामने रखा और गांव के गरीब किसान ने कुर्बानी की। गोरखपुर के किसान ने, बहराइच के किसान ने अपने गल्ले का दाम दे कर इस बात को प्रदर्शित किया कि वह भी देश के लिए कुछ कर सकता है और बड़ी से बड़ी कुर्बानी कर सकता है। इसलिए हमारी जो नियोजन की अर्थ-व्यवस्था है, वह आगे बढ़नी चाहिए। हम गांधीवादी हैं, सुधारवादी हैं और इसलिए हमारी गति धीमी है। हम धीरे-धीरे चलने वाले हैं। लगता है कि टाइम बहुत जा रहा है और अभी कुछ हो नहीं पाया। लेकिन जब वह कार्य धीरे-धीरे चलकर एक शक्ल बन जाता है तो सही शक्ल सामने आती है। तीसरी योजना की समाप्ति के बाद आप देखेंगे कि अनेक कार्य जो अधूरे पड़े हुए हैं वह कम्पलीट हो जायेंगे और जितना इनवेस्ट किया है उससे आमदनी होने लगेगी, जो मुद्रा-स्फीत, (इनफ्लेक्शन) हो रहा है उसमें कमी आएगी और आमदनी बढ़ेगी और मशीनें, कारखाने, ट्यूबवेल, नहरें, बिजली घर तीसरी पंच वर्षीय योजना की समाप्ति पर हमको देखने को मिलेंगे और उनकी उपलब्धियां और सफलताएं हमको कौन-कौन-सी मिली हैं, वह देखने को मिलेंगी।

श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा)––

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री जी की विकास और नियोजन के सम्बन्ध में जो बुलन्द खयाली है उससे अपने को सहमत करते हुए इस बात को स्वीकार करता हूं कि नियोजन और विकास का काम ऐसे देश, प्रदेश में शुरू हुआ है जो बहुत पिछड़ा हुआ है और सदियों से उपेक्षित रहा है। पर इन मन्त्री जी के कार्य-काल में उसकी उपेक्षा और भी अधिक रही और तीन योजनाओं के पूरे होने के बाद भी वह स्थिति स्पष्ट है। प्रदेश की ८० फीसदी जनता, किसान मजदूर की उपेक्षा होती रही और कृषि की उन्नति और अन्य धंधों के उत्थान के लिए सरकार ने कोई उत्साह और ध्यान नहीं दिया। अगर ध्यान दिया होता तो प्रदेश में भुखमरी और बेकारी की स्थिति जो आज है वह नहीं होती। खैर, देर आयद दुरुस्त आयद।

अब काफी सुधार की बात कही जा रही हैं। कृषि की तरक्की के लिए छोटी-छोटी सिंचाई की योजनाएं शुरू की गयी हैं और सरकार ने दावा किया है कि हमारी इन योजनाओं में ज्यादा तरक्की हुई है और कुएं बने हैं। मैं मिसाल रखकर एक नतीजे पर पहुंचना चाहता हूं कि यह पूर्णतया सच नहीं है। मैं जिस विकास क्षेत्र से आ रहा हूं उस विकास क्षेत्र में सन् ६२-६३ में ८२ व्यक्तियों को छोटी योजनाओं को पूरा करने के लिए तकावी दी गयी थी और अभी हाल में मैंने विकास के आंकड़े इकट्ठे किए तो इस नतीजे पर पहुंचा कि इन ३ वर्षों के दौरान में केवल २० काम तो ऐसे थे जिन पर पूर्ण होने का सार्टिफिकेट अधिकारियों ने लगाया था। उनकी जांच करने की कोशिश की कि ये कार्य हो चुके हैं या नहीं तो इस नतीजे पर पहुंचा कि दो गांव सभाओं में से ४ ऐसे कार्यों के सर्टिफिकेट दिये गए हैं जिनका कोई जमीन पर अस्तित्व ही नहीं है, कोई कुआं, बनने के सर्टिफिकेट दिए नहीं हैं और कुछ लोगों को कुएं के नाम पर तकावी दी गयी है और उसके बजाय रहट लगा लिया है। बहरहाल सिंचाई का साधन पैदा कर लिया है तो मैं उसे अच्छा समझता हूं। इन २२ कामों में ४ काम ऐसे हैं जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, केवल कागज पर सर्टिफिकेट लिख कर दे दिया गया है कि काम बन चुका, मगर बना नहीं है। अगर माननीय मन्त्री जी चाहेंगे तो उनके नाम भी मैं उनके पास भेज दूंगा। इस विकास के काम की रिपोर्ट की जो पद्धति है, माननीय मन्त्री जी से मेरी प्रार्थना है कि वह इस शब्द को निकाल दें कि "प्रगति हो रही है"। और वास्तविक आंकड़े प्रगति के सामने आने चाहिए कि किस तरह की प्रगति हो रही है, क्या काम हुआ है, अगर गड्ढा खोदा गया है तो कितना खोदा गया है, या और कोई काम हुआ है तो वह कितना हुआ है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि विकास के मद में या सिंचाई योजना के सिलसिले में जो भी अनुदान, कर्जे या तकावी दी गयी, उस सम्बन्ध में यही रिपोर्ट आती है कि प्रगति हो रही है, लेकिन वास्तविकता में काम क्या हुआ और कितना हुआ इसकी कोई रिपोर्ट नहीं आती, इसलिए माननीय मन्त्री जी से मेरी प्रार्थना है कि "प्रगति हो रही है" के बजाय वास्तविक आंकड़े आने चाहिए कि क्या काम हुआ है और काम हो चुका है तो कितना हुआ है, इसकी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए।

योजना में ज्यादा जो सफलता नहीं मिली है उसका बहुत बड़ा कारण मैं यह समझता हूं कि प्रदेश में २० प्रतिशत लोग दूसरों की कमाई पर मुनहसिर करते हैं। जो जगे हुए हैं, सजग हैं और अपने हकूक को समझने में होशियार हैं वे २० प्रतिशत आदमी ८० प्रतिशत जनता की मेहनत का लाभ उठा रहे हैं और ८० प्रतिशत जनता उससे लाभान्वित नहीं हो रही है, इसीलिए आम जनता की रुचि योजना के प्रति नहीं है। आज के युग में प्रदेश में १५–१६ साल के अन्दर बहुत भारी परिवर्तन होना सम्भव नहीं है फिर भी हर किसान को या जनता को इन १५–१६ साल के दरमियान अपने पिछड़ेपन का ज्ञान होना चाहिए था और उसकी मानसिक रूढ़िवादिता खतम होनी चाहिए थी, इतना रुपया खर्च होने के बाद भी ऐसा कोई काम नहीं हुआ जिससे हमारी गरीबी मिट सके। उसका मानसिक उत्थान होना चाहिए था। क्योंकि जब जनता का मानसिक उत्थान हो जाता है तो वह बहुत जल्दी काम कर सकती है।

[श्री होरीलाल यादव]

पंचायतें, अदालती पंचायतें चलाने का काफी प्रयास हो रहा है, यह ठीक है। इतने बड़े प्रदेश के अन्दर पंचायतों को जो अधिकार दिया गया है उसका सही उपयोग नहीं हो रहा है। जहां दुरुपयोग हो रहा है वहां हिसाब-किताब का मामला भी देखना चाहिए और जनता की सम्पत्ति की बरबादी अगर हो रही है तो उसकी जानकारी बहुत जल्द होनी चाहिए और इस तरह के दुरुपयोग के लिए जो भी प्रधान जिम्मेदार हो उसके खिलाफ कार्यवाही जरूर करनी चाहिए क्योंकि जन धन व जन सम्पत्ति का सभापति या सरपंच दुरुपयोग करता है। पंचायतों के प्रति जनता की अच्छी भावना नहीं बन रही है।

मैं आप से कहना चाहता हूं कि पंचायतों के अन्दर मन्त्री, वी० एल० डब्ल्यू० और लेखपाल ये तीन ऐसे पोस्ट हैं जो करीब-करीब एक-सा ही काम मिला जुला करते हैं, तो अच्छा यह होगा कि इन तीन पोस्ट्स को तोड़ कर एक कर दिया जाय और उनके काम करने के दायरे को छोटा कर दिया जाय जिससे वास्तविकता में किसानों को उनसे अच्छी सलाह मिल सके और इससे किसानों को ज्यादा सहूलियत हो सकती है।

एक बात मैं अर्ज करना चाहता हूं कि माननीय मन्त्री जी ने पी० आर० डी० का जिक्र किया। पी० आर० डी० का जब जन्म हुआ तब लोगों में बहुत बड़ा उत्साह था लेकिन जब से पी० आर० डी० सरकारी पंजे में आया तब से उसकी आत्मा बिलकुल मर चुकी है, रही ही नहीं है। केवल इसका ढांचा मात्र ही खड़ा है। इसलिए माननीय मन्त्री जी से मेरा निवेदन है कि अगर केवल इसके ढांचे को बनाए रखना है तो व्यर्थ है, इसको पहले सरकारी पंजे से निकाल कर सबल बनावें। फिर आप चाहें ऊपर से कोई आफिसर रख दें जो अपने तरीके से इसको चलावे तो इसमें काफी प्रगति हो सकती है। ये होम गार्ड्स के अन्तर्गत आकर धीरे-धीरे उसके प्राण को निकाले दे रहे हैं, अच्छा यही है धीरे-धीरे उसका प्राण लेने के बजाय आप उसका एकदम से प्राण ले लें या. . . .

श्री उपाध्यक्ष—

आपका समय समाप्त।

श्री रामलखन शुक्ल (जिला गोरखपुर)—

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैंने माननीय मंत्री जी का भाषण बड़े ध्यान से सुना, और कटौती का प्रस्ताव पेश करने वाले माननीय सदस्य का भाषण और भी ध्यान से सुना। कटौती का प्रस्ताव पेश करते हुए माननीय सदस्य ने जो कहा उससे मैं दो नतीजे पर पहुंचा हूं। उन्होंने एक तो यह कहा कि नियोजन का विचार उधार लिया हुआ है, इस देश का मौलिक विचार नहीं है। मैं समझता था कि माननीय सदस्य कुछ मौलिक सुझाव बतायेंगे, मगर उनके भाषण में मुझे बड़ी निराशा हुई। मान्यवर, नियोजन की इस व्यवस्था को सब से पहले रूस ने अपनाया। डाक्टर सम्पूर्णानन्द ने भी एक बार कहा था कि अगर पूंजीवाद की बीमारी बाहर से आयी है तो इसकी दवा समाजवाद या बाहर से लेनी पड़ेगी और हमें नियोजन का सहारा लेना होगा और उसे अपनी अर्थ व्यवस्था में ढालना होगा। हमने अपनी अर्थ व्यवस्था में इसको ढालने की कोशिश की है और इसीलिये कृषि को हमने अपने नियोजन में सब से अधिक महत्व दिया है। हमारी अर्थ व्यवस्था कृषि प्रधान है, इस कारण कृषि पर हमने अधिक ध्यान दिया।

दूसरी बात माननीय सदस्य ने कही कि समन्वय नहीं है। उन्होंने कहा कि बी० डी० ओ० क्या काम करता है? मैं समझता हूं कि उसे समझना बहुत आसान है। अगर उसको कोआर्डिनेटिंग अधिकारी कहा जाये तो उसका यही सही नाम होगा। जितने भी और विभाग के ए० डी० ओ० होते हैं या और अधिकारी हैं उन सबके साथ उसका समन्वय रहता है और सबका समन्वय होते हुए नियोजन के सिद्धान्तों के अनुसार ही सारा कार्य होता है।

यह बहुत साधारण किसान भी जानता है। जब पंपिंग सेट के लिये उसे ऋण मिलता है तो वह उतावला हो जाता है, ग्रामीण योजना के अनुसार उसे कुछ श्रम करना पड़ेगा, उसके लिये वह उतावला हो जाता है। आज नियोजित अर्थ व्यवस्था के अनुसार ही ग्रामीण किसान अपने को ढालता जा रहा है और हमारे नियोजन की यह सब से बड़ी सफलता है। नियोजन की सफलताओं का उसकी उपलब्धियों का हम मैथिमेटिकली अन्दाज नहीं लगा सकते।

आज हमारा स्टेज इन्वेस्टमेन्ट का स्टेज है, पूंजी लगाने का स्टेज है। जो बड़ी-बड़ी फैक्टरियों के लगने का जिक्र माननीय मंत्री जी ने किया है उसका लाभ उनके भाषण के बाद ही नहीं होगा, उसका लाभ कुछ समय के बाद मिलेगा। जो छोटी-छोटी ग्रामीण योजनायें हैं उनका लाभ हमें जल्दी प्राप्त हो सकता है। माननीय सदस्य ने कृषि के आंकड़े दिये, मगर जो अनेक प्राकृतिक बाधायें आयीं उनका जिक्र नहीं किया। यदि हम आंकड़ों के साथ प्राकृतिक बाधाओं की भी चर्चा करते तो हमें सही सही इस दिशा में जो प्रगति, हुई है उसका पता चलता। हमारी सरकार ने सोचा है कि किस तरह से किसान को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाया जा सकता है। उनके हित के लिये ही हमारी सरकार ने ने अल्प सिंचाई योजना पर अधिक ध्यान दिया है और उसके लिये किसानों को अधिक से अधिक ऋण दिया है तकावी के पुराने तरीकों में भी परिवर्तन किया है।

आज सीरदार और भूमिधरों को १२०-१५० गुना तक पैसा दिया जाता है। उसकी वसूली के तरीकों में भी परिवर्तन किया है। अब २० किस्तों में उसे वसूल करने की व्यवस्था की है। ये सारी चीजें ऐसी हैं कि सरकार किसानों की नब्ज समझती है उनकी आवश्यकता समझती हैं। उनके दैनिक कार्यों में रुचि लेती है, उनके किसानी के कार्यों में रुचि लेती है और इस प्रकार नित्य प्रति एक निश्चित अर्थ व्यवस्था के अनुसार आगे बढ़ती जाती है।

एक अन्य बात जो मंत्री जी ने कही उसकी प्रशंसा निश्चित रूप से करनी चाहिये कि ग्राम सभाओं को ऋण देने की व्यवस्था का प्रयोग हम चला रहे हैं। इन्डीवीज्वल को तो हम देते ही हैं अब ग्राम सभाओं को दिया है। और ग्राम सभायें सामूहिक रूप से उत्थान करने का प्रयास करें यह निश्चित रूप से समाजवाद की ओर स्पष्ट कदम है। मैं समझता हूं कि इसको समझना चाहिये कि सामूहिक रूप से तरक्की के लिये जो इन्सैन्टिव दिया जाता है उसकी हमें सराहना करनी चाहिये और ग्रामों में इसका प्रचार करना चाहिये कि ग्राम पंचायतें सामूहिक आधार पर अपनी तरक्की करने के लिये इस ऋण में इस व्यवस्था से फायदा उठायें।

श्रीमन्, एक बात और निवेदन करनी थी कि सरकार ने प्रशिक्षण और अन्वेषण के लिये १६-१७ करोड़ रुपये के करीब रक्खा पर उसमें से करीब तीन करोड़ रुपया सरकार खर्च कर पाई। यद्यपि उस रुपये को इस पंचवर्षीय योजना तक अधिक से अधिक खर्च करने की बात भी कही गयी है लेकिन जिस प्रशिक्षण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यह रुपया रक्खा गया है उस ओर ध्यान दिया जाना चाहिये। श्रीमन्, एक बात मैं और निवेदन करना चाहता हूं कि रूरल मैन पावर की योजना यद्यपि केन्द्र से वित्तपोषित है और इसकी सारी प्रक्रिया इस बात पर मुनहसिर करती है कि हमको कितना पैसा मिलता है। लेकिन इसमें एक वास्तविक कठिनाई है। यह देखा जाता है कि जब इसका काम एक्जीक्यूशन के स्तर पर आता है तो उसमें इंजीनियर और ओवरसीयर की आवश्यकता होती है। पी० डब्ल्यू० डी० के लोग इसको स्वीकार नहीं करते, रूरल मैनपावर के लोग काफी नहीं पड़ते। जिला परिषद् का इंजीनियर केवल अढ़ाई लाख का काम सालाना कर सकता है। इस दिशा में अगर इंजीनियर और ओवरसीयर की संख्या नहीं बढ़ाई जायेगी तब तक यह योजना सफलतापूर्वक नहीं चल सकती। जहां तक सम्भव हो इंजीनियर और ओवरसीयर की संख्या एक एक या दो दो बढ़ाई जाय ताकि रूरल मैन पावर योजना सफलतापूर्वक चल सके।

एक दूसरी बात यह कही गयी है कि हमारी पर कैपिटा इन्कम नहीं बढ़ी। इसका सीधा सम्बन्ध पर कैपिटा इन्वैस्टमेन्ट से है जब हम परकैपिटा इन्कम की बात करते हैं। आपको मैं बताऊं कि पहिले प्लान में यू० पी० में २४ रु० पर कैपिटा इन्वैस्टमेन्ट हुआ जब कि दूसरे

[श्री रामलखन शुक्ला]

प्रान्तों में वह रकम चालीस रुपया है। सैकेन्ड प्लान में आपने ३४ रुपया पर कैपिटा इन्वैस्टमेन्ट किया जब कि दूसरे प्रान्तों में ५२ रुपया हुआ। इसी तरह से थर्ड में आपने ६८ रु० किया और दूसरे प्रान्तों में ९२ रु०। जब आप इन्वैस्टमेन्ट ही नहीं करेंगे तो पर-कैपिटा इन्कम की बात करना अव्यावहारिक है। जब पर-कैपिटा इन्वेस्टमेन्ट की ओर हमारा ध्यान जाता है तो उसका लाजिकल कारोलरी यह है कि हमारा ध्यान रिसोर्सेज की ओर भी जाता है। मुझे उम्मीद है और मैं आशा करता हूं कि कटौती के प्रस्ताव को करने वाले इस बात की ओर निश्चित रूप से संकेत करेंगे कि इन-इन साधनों को यूटीलाईज करना चाहिये। इन साधनों को संकेत करके अगर वे अपनी राय देंगे तो सरकार निश्चित रूप से विचार करेगी।

*श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह तृतीय पंचवर्षीय योजना काल का अन्तिम वर्ष है और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का प्रारम्भ होने जा रहा है। चौथे सेवा क्षेत्र बनने के पश्चात् चौथे जनरल चुनाव के समय के पहिले गरमाहट का साल है। माननीय बैजनाथ सिंह जी जनसंघ विधायक से प्रेरणा लेकर घबराये। जो बात कही गयी उससे माननीय बैजनाथ सिंह जी, विकास मंत्री जी तथा अन्य माननीय मंत्रिगण जरा इस बात को सोचें कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में योजना और विकास संबंधी क्या क्या कार्य किये और उत्तर प्रदेश की सर्वांगीण उन्नति अपनी पद्धतियों और नीतियों के अनुसार कितनी की और कितनी मात्रा में आप असफल रहे ताकि आप ६७ में होने वाली आलोचनाओं से बच सकें। अगर आपके हृदय में जनवाद अथवा समाजवाद का कुछ भी खयाल होगा तो आप इसको सोचेंगे लेकिन अगर आप हिटलरवादी हो गये हैं तो बात दूसरी है। माननीय मंत्री जी ने स्वयं बताया कि जब प्रति व्यक्ति आय सारे भारत में बढ़ी तो उत्तर प्रदेश में वह कम हो गयी। जादू वह जो सिर पर चढ़ कर बोले। दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजना काल में आपका उत्पादन घटा है। अंग्रेजी शासनकाल में यह उत्तर प्रदेश स्वावलंबी था, दूसरों को देता था। बंगाल भूखों मरता था लेकिन उत्तर प्रदेश दूसरों को अन्न देता था फिर आप कैसे कहते हैं कि आपकी ये योजनायें ठीक हैं। आप ८ करोड़ रुपया खर्च करते हैं और १० लाख का काम होता है। खोदा पहाड़ और निकली चुहिया। कुछ न कुछ काम तो होगा ही। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उतना काम हुआ है जितने आपने जनता पर टैक्स लगाये हैं? यह सरकार जनता की नौकर है। मालिक तो नौकर से उतना काम लेना चाहता है जितने वह उसको पैसे देता है लेकिन आप एक नमकहराम नौकर निकले। आपने जितने टैक्सेज वसूल किये उतने का आपने काम नहीं किया।

उपाध्यक्ष महोदय, जापान, ९ करोड़ की आबादी वाला देश, जो दूसरी लड़ाई में तहस नहस हो गया था। उसको देखिये उद्योगों की दृष्टि से कितनी तरक्की कर ली है। आज हमारे यहां फाउन्टेन देखिये तो आपको मालूम होगा कि जापान का फाउन्टेन है, यह चीन का है। आपकी तारीफ तो तब थी जब आप कम्पीटीशन में उनसे आगे निकल जाते। हम हरिजन हैं, हम पिछड़े हैं इस तरह का रोना आप कब तक रोयेंगे। दुनिया रोने वाले को नहीं चाहती। सन् ५० में आप ७ करोड़ के करीब मालगुजारी लेते थे लेकिन आज २३ करोड़ के करीब वसूल रहे हैं और अधिभार उससे अलग है। क्या आपने किसान की आय को तिगुनी किया है? क्या उसको आपने बीज तिगुना दिया है? क्या आपने बेकारी को खत्म किया है? क्या उद्योग धंधों को बढ़ाया है? आप बहादुरी से इन तथ्यों का सामना कीजिये। तथ्यों से घबरा कर भागियेगा नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, आज पंडित चाहे जितने बढ़ गये हों लेकिन उनका नौकर चमार वैसा का वैसा ही अपढ़ रहा और आर्थिक दृष्टि से कमजोर रहा है। न आर्थिक स्थिति दृढ़ हुई, न सामाजिक स्थिति में कोई सुधार हुआ। कोई किसी तरह की विषमता न आर्थिक न

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सामाजिक मिटी है इनके जमाने में बल्कि और बढ़ी ही है। आज तक हाई कोर्ट का जज या पब्लिक सर्विस कमीशन का मेम्बर या चयरमैन कोई अछूत हो सका। इस तरह से आज भी अछूत और हरिजनों को समाज में उचित दर्जा नहीं मिला है अगर हरिजनों के नाम पर कोई अनुदान मिल भी जाते हैं तो वह उधर के एम० एल० ए० अपने घर वालों को दे देते हैं। इस तरह से हरिजनों का समुदाय उन्नत नहीं हो सकता, उनका सामाजिक पिछड़ापन और आर्थिक विषमता दूर नहीं हो सकती। इस तरह से आप सामाजिक एकरूपता लाने फेल हुए हैं और आप का जो रुपया व्यय हुआ है वह भी बेकार गया है।

एक हमारा अभागा जिला फतेहपुर है जो हर तरह से बराबर १५ साल से तीन योजनाओं के बाद भी पिछड़ा हुआ चला आता है। कोई योजना किसी भी क्षेत्र में वहां के लिये आज तक नहीं बनाई गई। यह वह जिला है कि जिस के दक्षिण में पावन जमुना बहती है, जिसके उत्तर में पुण्यसलिला भागीरथी बहती हैं और पूर्व में प्रयाग राज हैं और पच्छिम में प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक केन्द्र कानपुर है। मंत्री जी बतायें कि वहां के लिये आपने आजतक कोई योजना या उद्योग दिया है? बड़े से बड़े कारखाने में भी वहां १००० से अधिक मजदूर काम नहीं करते, नाम मात्र के लिये भी वहां के लिये कोई कल कारखाना नहीं दिया गया है और वह इस राज्य में और पिछड़ता ही चला गया है। चाहे नेहरू जी हो जायं, या इन्दिरा जी हो जायं या उनकी बहिन हो जायं, इलाहाबाद में सारे कारखाने खुल जायं, नई स्टेट कायम हो जायं, वहां के सारे कांग्रेसियों का लाभ पर लाभ हो जाय लेकिन फतेहपुर की जमीन हर काम के लिये बेकार है। इस तरह से औद्योगिक विषमता को सामाजिक और आर्थिक विषमता के साथ और बढ़ाया जा रहा है क्योंकि यह पिछड़े क्षेत्र का ख्याल करके उसका औद्योगीकरण करना नहीं चाहते। यह पूरे विभाग में जो बी० डी० ओज० और ए० डी० ओज० रखे गये हैं यह सब तो कांग्रेसी प्रचार के लिये पुर्जे बनाये गये हैं। अगर नौकर रखे थे तो उन से काम लिया जाता लेकिन यह तो इनके दल का काम और प्रचार करते हैं। यह सीमेन्ट और जोपों का फायदा उठाते हैं। जातिवाद का एक दम बोलबाला है, हर तरह की लूट सामाजिक लूट, आर्थिक लूट के यह केन्द्र बने हुए हैं, यह कोई समाज सुधार के विभाग नहीं हैं। जिन जमींदारों को अंग्रेजों के काल में गद्दार कहा जाता था आज उन्हीं के हाथों में प्रधान मंत्री नाच रही हैं। आज वही देश भक्त बने हैं जो गद्दारी करते थे। इन खुदगर्जों ने यू० पी० को मार डाला, तबाह कर दिया, आज आपस की लड़ाई में यह तबाह हो रहा है जो हमारे देश का सब से बड़ा सूबा था जो जर्मनी और फ्रान्स के बराबर है, जो यू० पी० आज मालामाल होता वह आज आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से नीचे चला गया है, उसको इस राज्य ने पीछे हटाया है, यह अपराधी हैं। यहां की जनता को चाहिये और इधर अपोजीशन को चाहिये कि इनको अदालत में खड़ा कर के इनके खिलाफ अदालती कार्यवाही करें क्योंकि इन्होंने इन १५ सालों में यहां की जनता को योजनाओं के नाम पर लूटा है और उसके साथ अन्याय किया है। यहां पर दूसरे प्रदेशों के लोग आते हैं और कहते हैं कि इतने बड़े सूबे में कोई उद्योग नहीं है, यहां तक कि इनके राज्य में जो मालदार पूंजीपति थे वे भी अपने निजी धन्धे स्थापित नहीं कर सके और न इन्होंने पब्लिक सेक्टर में ही कायम किये।

श्री राजनारायण (जिला मिर्जापुर)—

उपाध्यक्ष जी, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे इस अनुदान पर बोलने का मौका दिया। जो अनुदान आज आदरणीय मंत्री जी द्वारा सदन में प्रस्तुत हुआ है उसका मैं हृदय से समर्थन करता हूं। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब कि मैंने अपने विरोधी भाइयों के भाषण बड़े गौर से सुने। इस नियोजन के संबंध में उन्होंने बहुत सी बुराइयों और खामियों को बताया लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि जब ये प्लान बने तो उस समय क्या हिन्दुस्तान के जितने विरोधी दल हैं या जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, उनके प्रतिनिधियों से राय नहीं ली गयी? मैं समझता हूं कि हर राजनीतिक दल के जो बड़े-बड़े नेता थे उनसे एक जगह बैठकर राय ली गयी है और यह तय हुआ कि देश में प्लानिंग चालाया जाय। श्रीमन्, न केवल राजनीतिक

[श्री राजनारायण]

पार्टियों के नेताओं से अपितु यूनिवर्सिटीज के जो बड़े-बड़े विशेषज्ञ थे उनसे भी राय ली गयी और उसके पश्चात योजना का स्वरूप पार्लियामेन्ट में रखा गया। इनमें देश और प्रदेश दोनों की योजनायें शामिल थीं। तो इस से हम कहें कि इनमें खामियां हैं, गल्तियां हैं, कम से कम यह शोभा नहीं देती।

हमको यह भी समझना है कि हम आर्थिक विकास ही केवल इनके द्वारा अपना लक्ष्य नहीं बनाये हुए हैं। हम इसके द्वारा और विकेन्द्रीकरण के द्वारा जन-जन में, गांव से लेकर जिला परिषद् और क्षेत्र समितियों तक में हम एक एक जन में जो गुण छिपे हुए हैं, उनको इन योजनाओं के द्वारा विकसित करना चाहते हैं। उनको अधिकार देकर, उनको मौका देकर हम चाहते हैं कि वे अपने गुण का विकास करेंगे। जहां हम आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना चाहते हैं वहां हम उसी तरह से आदमी को पैदा करते हैं और उनमें आदमियता, जो छिपी हुई है, उसको और उसके चरित्र का निर्माण करना चाहते हैं। आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ करने का काम बहुत बड़ा काम है। जिस प्रकार से रूस ने अपनी बन्दूक के जरिये से, बल प्रयोग से, अपने निर्माणों में सफलता पायी, उस तरह से और उतनी जल्दी हम सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हमारी प्रजातंत्र प्रणाली है और इसके जरिये जो काम किया जाता है, उसमें खामख्वा देर होती है क्योंकि इसमें हमें मानवता का विकास भी करना होता है। इन योजनाओं का हमारा दृष्टिकोण दूसरा ही है और जो रूस का है वह दूसरा है। हमारे और उनके दृष्टिकोण में फर्क हो सकता है, इसलिये हमारी प्रगति उतनी जल्दी नहीं हो सकती है।

विकास के बारे में मैं एक बात कह देना चाहता हूं कि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है और इसमें ७५–८० प्रतिशत जनता खेती पर निर्भर करती है। यह मानी हुई बात है कि जो देश खेतिहर होता है वह गरीब देश होता है और गरीब आर्थिक व्यवस्था में हर आदमी की आय बहुत कम होती है और उसमें बहुत अड़चने भी होती हैं। ऐसे देश में हम कहां से साधन लायें और उन्हें प्रगति के लिये जुटायें और किस प्रकार से हम अपने पैरों पर खड़े होकर वहां की आर्थिक व्यवस्था को ठीक करें। चूंकि हमारा देश आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है अतः हम बाहर से ऋण लेकर अपनी योजनायें चला रहे हैं। आज आर्थिक व्यवस्था जो है वह हमारे सामने एक विकराल रूप धारण किए हुए है। इसे हम अपने नियोजन के द्वारा ही हल कर सकते हैं, इसका सुधार कर सकते हैं। इसी सिलसिले में मैं अपने क्षेत्र की बात कहना चाहता हूं। जब अन्न की इतनी बड़ी समस्या आज हमारे देश और प्रदेश में है तो मैं माननीय मंत्री महोदय से एक निवेदन करना चाहता हूं। हमारे माननीय पान्डेय जी, जो पार्लियामेन्टरी सेक्रेटरी हैं, वे हमारे जमालपुर ब्लाक से परिचित हैं। वहां पर गढ़ई नदी पर एक बांध बना हुआ था। उसके बाद जब वहां पर बांध नहीं था तो ३ रैग्यूलेटर्स बने हुए हैं। जब वे बन्द हो जाते हैं तो उस इलाके में जो ३० गांव हैं वे जलमग्न हो जाते हैं बाढ़ के पानी से और नदी के पानी से, यह जमीन बहुत ही उपजाऊ है। नतीजा यह होता है कि इस इलाके में कोई पैदावार नहीं होती है। बार बार मैंने लिखा पढ़ी की और मैंने प्रार्थना की कि इस ओर ध्यान दिया जाय परन्तु कुछ नहीं हुआ और काम बहुत थोड़ा है। अगर एक नाला गढ़ई नदी से निकाल कर या उसके कोर्स को बदल कर, या एक नाला निकाल कर धुरहा नाले में मिला दिया जाय तो ३०–४० गांवों का भला हो सकता है और वह काफी जरखेज इलाका है जिससे वहां उत्पादन भी बहुत हो सकता है।

इसी तरह से मुगलसराय जरगो रजबहा है उसमें से एक माइनर निकाल दी जाय तो सिंचाई का उस क्षेत्र में काफी अच्छा प्रबन्ध हो सकता है। जब जिलाधीश को यह अधिकार है कि कोई रेगुलेटर जिससे वाटर लागिंग होता हो तो जरगो माइनर में से एक माइनर निकालनी चाहिये। इस तरह से वाटर लागिंग की जो समस्या है उसको दूर करने के लिये कोई न कोई व्यवस्था जल्द से जल्द करनी चाहिये। मैंने तो कई मर्तबा इंजीनियर का ध्यान इस

तरफ आकर्षित किया और डिवीजनल ऐग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स की कांफरेंस हुई जिसमें एक रास्ता निकाला गया और उसके लिये रुपया भी मंजूर कर दिया गया है लेकिन सम्भवतः उस स्कीम को सरकार की स्वीकृति नहीं मिली। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उस स्कीम पर खास तौर से ध्यान दिया जाय और अन्न के संकट को दूर करने में सहायता प्रदान करें।

हमारे नारायनपुर ब्लाक में जहां एक तरफ गंगा जी बहती हैं और दूसरी तरफ पक्की सड़क और रेलवे लाइन हैं यहां के गांवों में नहर नहीं जा सकती। इसलिये मैं चाहूंगा कि ट्यूबवेल्स का उस क्षेत्र में प्रबन्ध किया जाय। या तो सरकारी नलकप बनाये जायं या फिर काश्तकारों को प्रोत्साहन दिया जाय, १०, १० एकड़ पर प्राइवेट ट्यूबवैल्स लगाने की सुविधा प्रदान की जाय। हालांकि थोड़ा बहुत काम शुरू हुआ है लेकिन मैं चाहूंगा इस तरफ काफी तवज्जह दी जाय और ब्लाक के जरिये से, जो रुपया भेजा जाय उसकी निगरानी हो, और यह देखा जाय कि उसका सदुपयोग हो तथा साथ ही बिजली देने में जागरूकता से काम किया जाय। वहां के काश्तकारों ने यह ब्रत लिया है कि हम अमरीका से गल्ला नहीं लेंगे चाहे भूखों मर जायं। आज उनका मन नियोजन की तरफ काफी जागरूक हुआ है और हम चाहेंगे कि बिजली देकर १०, १० एकड़ पर ट्यूबवैल्स लगायें जायं तो वहां हम काफी अन्न पैदा कर सकते हैं और पूरे जिले को सप्लाई कर सकते हैं।

इसी तरह से सीखड़ ब्लाक है जो गंगा के बायें किनारे पर है। वहां पर भी नहर नहीं निकाली जा सकती है वहां के लोग पढ़े लिखे तथा सामाजिक तरीके से बढ़े हुए हैं। वहां पर बिजली है। हम चाहेंगे कि बिजली दे कर ट्यूबवैल्स दिये जायं ताकि अन्न अधिक पैदा हो। हम चाहेंगे कि जिला मिर्जापुर के लिये जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर कुए के अन्दर चट्टान होती है जिसके कारण लोगों को पीने के पानी की बड़ी असुविधा है और साथ ही काश्तकार आबपाशी के लिये अपना कुआं बनाने में सफल नहीं होते हैं। मेरा सुझाव है कि वहां पर एक राक बोरर मंगाया जाय और उसके जरिये से पथरीली जमीन तोड़ी जाय ताकि वहां पीने के पानी की समस्या हल हो। इन शब्दों के साथ मैं अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री झिलमिटराम (जिला गाजीपुर)—

श्रीमत्, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। यों तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि १८ साल के स्वराज्य के अन्तर्गत तीन पंचवर्षीय योजनायें समाप्त हो चुकी हैं और चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू होने वाली है। योजनायें जिन मकसदों को लेकर कायम की गयीं वह यही था कि देश में गरीबी और जो बड़े-बड़े पूंजीपति हैं उनको खत्म किया जाय वह पूरे नहीं हो पाए। विकास योजना एक ऐसा अस्त्र है जिससे हम कृषि समस्या को हल कर सकते हैं। शिक्षा तथा उद्योग धंधों की समस्या को हल कर सकते हैं लेकिन तीन पंचवर्षीय योजनायें खत्म होने पर भी सरकार को इसमें सफलता नहीं हो सकी है। सरकार ने प्रथम पंचवर्षीय योजना में १५२ करोड़ रुपया, द्वितीय में २३५ करोड़ और तीसरी में ५२६ करोड़ रुपया खर्च किया लेकिन इतना खर्च करने के बाद भी अगर देखा जाय तो उन लोगों को फायदा हुआ है जो गांव में तिकड़मबाज थे, प्रभावशाली थे और जो गरीब हैं उनका नाम मात्र ही फायदा हुआ है।

गांवों के अन्दर हमारे गाजीपुर जिले में दो नहरें निकाली गयी हैं। १० वर्ष से कोशिश हो रही थी कि सरकार इस पर ध्यान दे ताकि हमारे क्षेत्र का विकास अच्छी तरह से हो सके और हम अपनी आर्थिक दशा को सुधार सकें लेकिन कृषि के सम्बन्ध में जो नहरें हैं उनसे ठीक तरह से सिंचाई नहीं हो पा रही है। हमारे यहां जो ट्यूबवेल लगे हैं उनकी हालत यह हो जाती है कि गरीबों को वक्त पर पानी नहीं मिल पाता क्योंकि उनके लिए पावर की कमी हो जाती है। जो दो नहरें निकाली गयी हैं उनका नाम है ठेकमा और लालगंज डिस्ट्रीब्यूटरी। जब ये नहरें निकाली गयीं तो उस समय के सिंचाई मन्त्री को बतलाया गया था, जिन्होंने कि आज यह

[श्री झिलमिटराम]

अनुदान पेश किया है, कि इनके निकालने में किसानों की काफी जमीनें बरबाद हुई हैं। सरकार ने कहा था कि ठिकमा से ३७ गांव और लालगंज से ३५ गांवों का पानी दिया जायगा लेकिन ६४ में जब सिंचाई मन्त्री गाजीपुर दौरे पर गए उस समय नहर खोद कर पानी दिखला दिया गया कि इस नहर से पानी दिया जा रहा है लेकिन दरअसल में पानी नहीं दिया गया। सिंचाई मन्त्री को मैंने एक पत्र लिखा था ६ अगस्त, १९६५ को और सिंचाई (ख) विभाग द्वारा जो उत्तर मिला है वह यह है "मुझे यह कहने का निर्देश है कि कुछ प्राविधिक कठिनाइयों के कारण ठिकमा तथा लालगंज डिस्ट्रिब्यूटरीज में पानी नहीं पहुंच सका।" अब वे कठिनाइयां दूर कर दी गई हैं और आशा की जाती है कि फसली १३७३ की रबी में पानी पहुंच जायगा लेकिन, पानी खोला गया तो एक दो दिन पानी उसमें दिखा कर फिर पानी बन्द कर लिया गया। इस तरह से आज सैकड़ों गांवों के किसान दसियों वर्षों से इस नहर के भरोसे पर बैठे हुए हैं उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गयी। एक तरफ कहा जाता है कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। उसकी यह हालत है कि हम ठीक तरह से सिंचाई की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, ठीक से नहरों में पानी नहीं दे पा रहे हैं। इस के लिए मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि गाजीपुर की जिन नहरों का मैंने नाम लिया है उनमें जल्द से जल्द पानी देने की व्यवस्था करें, नहीं तो उनको कैंसिल किया जाय। साथ ही साथ ट्यूबवेल की व्यवस्था की जाय ताकि ठीक तरह से कृषि उत्पादन में मदद कर सके।

एक बात और है। जिस समय लगान कर लगाया गया था उस समय यह कहा गया कि हम कर इस लिए लगा रहे हैं क्योंकि हम गांवों का विकास करना चाहते हैं। एक तरफ सरकार कहती है कि विकास करना है लेकिन उस विकास का रुख यह होता है कि जनता को मूड़ कर योजना चलाना चाहती है। जैसे एक कहावत है। एक गड़रिया माघ पूस के जाड़े के दिनों में भेड़ों को मूड़ रहा था। गड़रिया ने भेड़ों से पूछा कि तुम लोगों को जाड़ा काफी सताता होगा कहो तो मैं तुम लोगों को एक-एक दुशाला बनवा दूं। उसमें एक चालाक भेड़ थी उसने हाथ जोड़ कर कहा कि मुझे मूड़ना बन्द कर दीजिए मेरा जाड़ा कट जायगा। एक तरफ सरकार कहती है कि विकास करेंगे दूसरी तरफ सरकार कहती है कि टैक्स लगाएंगे। हमारे गांव में नरदह ब्लाक में प्रथम पंचवर्षीय योजना में इसमें एक आदर्श हरिजन बस्ती कायम की गयी। उन हरिजनों के मकानों से धुंवां निकालने के लिए चिमनी लगा दी गयी। लेकिन उनके खाने की कोई व्यवस्था नहीं, पढ़ाई-लिखाई की कोई व्यवस्था नहीं। इसलिए पहला काम यह है कि सरकार दो चीजों पर जोर दे। एक तो सिंचाई का प्रबन्ध मुस्तकिल रूप से किया जाय। दूसरी बात यह है कि जो विकास खण्ड बनाए गए हैं उनके अन्दर जो ए० डी० ओ०, बी०डी०ओ०, फलां, ढमके की पल्टन खड़ी कर दी गयी है जिन पर जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा खर्च किया जाता है उन विकास खण्डों को खत्म करके सरकार खाद सस्ते दर पर दिलाए, सस्ते दर पर नहरों और ट्यूबवेल से पानी की व्यवस्था करे। अगर इन चीजों पर सरकार रुपया खर्च करे तो हमारे प्रदेश का विकास आगे बढ़ सकता है और लोगों को खाने पीने की सहूलियत मिल सकती है।

श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)—

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं। अभी उस तरफ से कहा गया कि नियोजन से कोई भी फायदा नहीं पहुंचा। मान्यवर, यह बात बिलकुल गलत है। नियोजन से काफी हद तक फायदा पहुंचा है, काफी हद तक लोग विकास की तरफ बढ़े हैं, लेकिन मैं अलबत्ता यह कहना चाहूंगा कि एक दोष इन योजनाओं में है। जिन मजदूरों, किसानों और पिछड़े वर्ग के लोगों को फायदा पहुंचना चाहिए था, उन लोगों का उतना इससे फायदा नहीं पहुंचा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, असल में चाहिए यह कि गरीब लोग जो सिंचाई नहीं करते हैं या जो भी गरीब और पिछड़े हुए हैं ये लोग इस योजनाओं से फायदा नहीं उठा पाते हैं, उनका विकास नहीं हो पाया है, उनके लिए ऐसी कोई व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे सचमुच उनका विकास हो सके।

दूसरी चीज मुझे यह कहनी है कि हमारे ब्लाकों में ए० डी० ओ० की बहुत बड़ी भरमार कर दी गयी है जैसे पंचायत, महिला समाज, शिक्षा, कृषि, उद्योग आदि आदि न जाने कितने कितने ए० डी० ओ० एक-एक ब्लाक में भरे रहते हैं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि ब्लाक में एक बी० डी० ओ० और एक ही ए० डी० ओ० रहना चाहिए। जितने भी ए० डी० ओ० हैं उनका कोई वास्तव में काम नहीं रहता है, काम केवल ग्राम सेवक करते हैं। ए० डी० ओज केवल अपने-अपने विभाग से सम्बन्धित रिपोर्ट को लेकर बी० डी० ओ० के द्वारा आगे भेज देते हैं। इसलिए इस काम के लिए एक ही ए० डी० ओ० रखा जाना चाहिए, वही इतने काम के लिए काफी है। इस सन्दर्भ में यह कहावत यह कहते हैं ऊपर टाटी नीचे टाटी बीच में हम भले वाटी'। ए० डी० ओ० के द्वारा कोई विकास का काम नहीं होता है, उल्टे काम में देरी ही होती है, इसलिए केवल एक ही ए० डी० ओ० रखा जाना चाहिए।

एक बात मुझे यह कहनी है कि बहुत से बी० डी० ओज के सस्पेन्शन के मामले जो कई कई साल से तीन-तीन साल से लटके पड़े हैं, बी० डी० ओज के केस पेंडिंग पड़े हैं। जैसे वाराणसी आदि के, उन केसेज को सरकार को शीघ्र निपटाना चाहिए। जो भी सरकार का निर्णय हो उसे सरकार को करना चाहिए।

अनुसूचित जाति के लोग जो ब्लाकों में रखे जाते हैं, उसके बारे में हमने देखा है कि ब्लाकों में एक तो बहुत कम हरिजन बी० डी० ओ० रखे गए हैं और जो हैं भी उन्हें भी अब निकाल दिया गया है। मैं तो सरकार से कहता हूं कि यदि सरकार बचत करना चाहती है, तो उन बचे हुओं को भी निकाल दें, जिससे एक भी हरिजन बी० डी० ओ० न रह जाय और सरकार अपना काम आसानी से आराम से कर सके।

पूर्वी जिले जो हमारे उत्तर प्रदेश के हैं, उसमें बहुत ज्यादा मांग की गयी कि यहां पर की पिछड़ी हुई अवस्था और गरीबी को दूर किया जाय, इसके लिए केन्द्रीय सरकार ने एक पटेल कमेटी की स्थापना की जो कि पटेल की अध्यक्षता में थी, उसे बहुत-सा पैसा योजना के द्वारा दिया गया उनके पिछड़ेपन को दूर करने के लिये। पिछले साल बड़ी चर्चा हुई कि उस स्कीम में बहुत ज्यादा खर्चा दिया गया, और बहुत ज्यादा काम हो रहा है। पर यह कहावत खोदा पहाड़ निकली चुहिया। इस साल उसका कोई भी जिक्र नहीं हुआ, इमर्जेन्सी या अन्य किसी नाम पर। मैं तो समझता हूं कि यदि किसी कारण से उतना नहीं किया गया तो थोड़ा अवश्य उसके लिए किया जाना चाहिए था। इसलिए मैं मांग करूंगा कि पटेल कमेटी के अन्तर्गत जितने जिले हैं, उनके बारे में सरकार को सोचना चाहिए और केन्द्रीय सरकार से मांग करनी चाहिए कि यहां पर जो काम शुरू हुए हैं, उन्हें अमल में लाया जाय और पूरा किया जाय।

मान्यवर, एक चीज और कहना चाहता हूं। यह कहा जा रहा है कि शायद २१७ ब्लाक्स तोड़ने का सरकार विचार कर रही है। इससे ब्लाकों की सीमाओं में विचित्र ढंग से परिवर्तन होगा और इससे लोगों में अभी से परेशानी पैदा हो गयी है। मैं चाहता हूं या तो ब्लाक तोड़े ही न जायं और या फिर सभी को खत्म कर दिया जाय। हर तहसील में बी० डी० ओ० एक या ए० डी० ओ० एक रख दिए जायं और उनके जरिए काम हो क्योंकि काम तो ग्राम सेवक करते हैं। उनको वहां पर तहसील में जीप दे दी जाय। मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा अच्छा काम हो सकता है। ब्लाक के तोड़ने के विचार पर लोग कहने लग गए हैं कि जिनकी पहुंच होगी वह ब्लाक नहीं टूटेंगे और इससे मैं समझता हूं कि बहुत बुरा असर सूबे पर पड़ने वाला है। इसलिए या तो एक एक कांस्टीटुएन्सी पर एक ब्लाक कर दिया जाय, या फिर सभी को तोड़ दिया जाय या फिर सभी को रहने दिया जाय, सरकार को इस पर अच्छी तरह से विचार करना चाहिए।

[श्री माताप्रसाद]

जीपों के बारे में बहुत सी बातें कही जाती हैं। ब्लाक्स में सरकार की ओर से जीपें दी गयी हैं। अगर जीपों की जगह साइकिलें दे दी जायं तो वे उसी पर ज्यादा काम कर सकते हैं। इसके लिए उनको साइकिल एलाउन्स भी दिया जा सकता है। अब जब जीप बिगड़ जाती है तो थोड़ा बिगड़ने पर तो उनको बनवाया नहीं जाता और बहुत ज्यादा नुकसान होने पर उनको सौ दो सौ मील पर मरम्मत के लिए भेज दिया जाता है जिसमें बेकार का पेट्रोल भी खर्च होता है और वक्त भी बेकार जाता है और जनता का काम भी रुकता है। इसलिए हर जिले में वर्कशाप होना चाहिए जहां उनकी मरम्मत हो सके अगर जीपों को ब्लाक्स में रखना ही है तो वर्कशाप की बहुत बड़ी आवश्यकता है।

महिलाओं के बारे में मैं क्या कहूं। वे हमारी मातायें बहनें हैं। महिला कार्यकर्ती जो हैं उनके कारण बहुत तरह के झगड़े और पार्टी बन्दियां होती हैं। हर तरह से उनको परेशान किया जाता है। ए० डी० ओ०, बी० डी० ओ० आफिस क्लर्क सभी से सभी तरह के झगड़े पैदा होते हैं। इससे तो अच्छा यह हो कि इनसे लड़कियों की शिक्षा का काम लिया जाय और इनको जिला परिषदों के अधीन कर दिया जाय बनिस्बत इसके कि इनको ब्लाक्स में रखा जाय। इससे ज्यादा अच्छा काम हो सकता है। इन शब्दों के साथ में अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री चन्द्रपाल (जिला बस्ती)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आंकड़ों में न जाकर कुछ अपनी निजी जानकारी आपके माध्यम से मन्त्री जी के पास पहुंचाना चाहता हूं। हमारे जिले बस्ती में तहसील नौगढ़ के अन्दर विकास खण्ड नं० ९ बड़ेपुर में है। वहां स्कूल निर्माण हेतु अस्सी-अस्सी, सौ-सौ बोरी सीमेंट प्रधानों को दी गयी लेकिन बी० डी० ओ० ने उसका ब्लैक करा दिया और उसकी लिस्ट मांगने पर इन्कार कर दिया। स्कूल की बिल्डिंग का निर्माण अभी जमीन से ऊपर नहीं आया है लेकिन सौ सवा सौ बोरी सीमेंट खत्म हो गयी जो स्टाक रहा।

जीपों को देखिए। वह साग सब्जी लाने, तफरीह के लिए ज्यादा इस्तेमाल होती हैं और इसी बात पर हमारे ब्लाक प्रमुख और बी० डी० ओ० से आपस में झड़प भी हुआ करती है। विकास खण्डों की बड़ी-बड़ी दरियां और बरतनों के बारे में जानकर मुझे आश्चर्य हुआ। कई जगहों पर जानकारी करने पर मुझे पता चला कि यह सामान बी० डी० ओ० ने किराए पर दिए हैं। लेकिन यह बात सही नहीं है, कि भोले-भाले किसानों को और जनता को विकास खंडों से लाभ नहीं हुआ बल्कि उनसे लाभ उठाने का प्रयत्न नहीं किया जाता है।

(इस समय ३ बजकर ४१ मिनट पर अधिष्ठाता, कुंवर श्रीपालसिंह पीठासीन हुए।)

प्रौढ़ शिक्षा के बारे में भी यहां हाउस में चर्चा चली। कभी-कभी हम भी अपने क्षेत्र में रात को गाहे-बगाहे चले गए और जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की तो यह देखा कि प्रौढ़ क्लास का कार्य वहां पर नहीं चल रहा है। कोई पढ़ने वाला नहीं है। सारा रिकार्ड वैसे ही तैयार कर लिया जाता है। एक बात अच्छी रही विकास खंडों में, और हमारे यहां नौगढ़ विकास खंड में भी कि जो पशु चिकित्सालय खोले गए हैं ऐसे पशु चिकित्सालय से प्रदेश का बहुत बड़ा उद्धार हुआ है। यह चीज अच्छी रही है। हमारे यहां भी जो गला घोंट की बीमारी होती थी, या दूसरी तरह की बीमारी होती थी उसका प्रबन्ध वहां पर हो जाता है। किसानों का इससे उपकार बहुत हुआ है।

मान्यवर, इस क्षेत्र को माननीय रामकुमार शास्त्री जी ने भी देखा है। बजहा बाजार में धान का और दूसरी तरह की फैक्टरी लघु उद्योग से लगाई गई वहां पर काम नहीं चला। यह हमने देखा है कि गल्ला वहां नाम मात्र का नहीं आता और इसी तरह का फर्जी सामान रख लेते

हैं। जब वहां पर बी० डी० ओ० साहब आते हैं तो उनको लाल मुर्ग पेश कर देते हैं। बी० डी० ओ० खुश हो कर चले जाते हैं। बस यही सारा काम हो रहा है। यह भी हमने देखा है कि बी० डी० ओ० अपने ब्लाक में कई जगह रात में हाल्ट करते हैं। रात में जहां पर ठहरते हैं वहां पर रात में मीटिंग करते नहीं हैं। अपना हाल्ट वहां पर दिखा देते हैं और ९।। बजे ही रात को बी० डी० ओ० साहब दोस्तों के यहां खाना खाकर वहां से अपने कागजात पूरे करके चल देते हैं। यह हमने अपने ब्लाक में और दूसरे ब्लाकों में देखा है। इस तरह से कर के वे फर्जी टी० ए० चार्ज करते है। नौगढ़ ब्लाक में, वर्वपार ब्लाक में और उस्का ब्लाक में भी इसी प्रकार देखा गया है।

महिलाओं के बारे मे क्या बताऊं उनकी बड़ी दुर्दशा है। अभी एक भाई साहब ने जो उनके विषय में यहां पर कहा वह सही है। ब्लाकों में उनकी दुर्दशा हो रही है। जिस प्रकार से उसके साथ व्यवहार होता है उसमें उसको कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अंजनी देवी और गुलाबा देवी का पत्र मेरे पास है। उसको मैं पढ़ना नहीं चाहता हूं। उसमें अजीब बातें लिखी हैं। इस प्रकार से उनकी असमत को बरबाद किया जाता है। शिकायत करने पर बी० डी० ओ० की ओर से कहा जाता है कि जब तक सिंह साहब डी० पी० ओ०, जिले में मौजूद हैं कोई बाल बांका नहीं कर सकता। यह भी उन्होंने कहा यह जो बर्तन और दरियां हैं आपके काम के लिए हैं अगर थोड़ा-सा पैसा मिल जाय तो क्या बात है। हम उनसे कहते हैं कि आप पैसा तो लें लेते हैं पर उसकी रसीद क्यों नहीं देते हैं। उन्होंने कहा कि इस छोटी सी चीज के लिए रसीद नहीं देना है। मंत्री जी को आपके माध्यम से यह दरख्वास्त देना चाहता हूं और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि उस बी० डी० ओ० ने वहां ६ पेड़ कटवा लिए हैं शीशम के और दो पेड़ मेरी देख-रेख में अभी पड़े हैं ग्राम सेवक के यहां, ग्राम तरेनी में। ५–३–६६ को उन्होंने उसे रोडवेज की बस में चढ़ाने की कोशिश की, लेकिन कन्डक्टर ने माना नहीं। इस पर उसे पीटा गया और वहां झगड़ा भी हुआ। तो मैं मन्त्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि वे इस की जांच करके लकड़ी का एक केस चालू करायें।

श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी (जिला बस्ती)––

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आभारी हूं कि आप ने मुझे बोलने का समय दिया। जो अनुदान मन्त्री जी ने प्रस्तुत किया है उसका समर्थन करते हुए एवं उसे देखते हुए मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन हमारी कांग्रेस बेंच के एक भाई ने बहिनों का विरोध किया और कहा कि उन को ब्लाक में स्थान नहीं मिलना चाहिए, इस से ही मेरा विचार बदला और इस सम्बन्ध में मैं अपने विचार आप के द्वारा सदन के सम्मुख रखना चाहती हूं।

उन्होंने कहा कि ब्लाकों में महिलायें न रखी जायं इसलिए कि उन के साथ दुर्व्यवहार होता है। इस की जगह यदि वे मन्त्री जी से मांग करते कि उन के साथ जो अन्याय और दुर्व्यवहार होता है उसे समाप्त किया जाय तो मेरे दिल को इतना दुख न होता। समाज को सुधारने की मांग यह नहीं होनी चाहिए कि जहां बहिनें काम कर रही हैं उन को वहां से निकाल कर आप लोग उन जगहों पर कब्जा कर लें। मैं यह नहीं मानती कि केवल महिलाएं ही गलती करती हैं, पुरुष गलती नहीं करते। इस बात से मुझे दुख हुआ। मेरी तो मान्यता है कि समाज में कोई ऐसा कार्य नहीं है कि जिस को महिलाएं न कर सकती हों। हमारे यहां की मुख्य मन्त्री एवं प्रधान मन्त्री एक महिला है और कम से कम इस प्रदेश में तो महिलाओं के विरुद्ध इस प्रकार की आवाज नहीं उठनी चाहिए और सरकार को जहां महिलाओं को कष्ट है उसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए।

[श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी]

यह कहा गया कि कुछ काम नहीं हुआ प्रदेश में। इसे सुन कर मुझे बड़ी हैरत हुई। एक दोहा याद आ गया। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हिरदे सांच है, वाके हिरदे आप।' सच्चाई के साथ कोई बात कहने की आप ने शायद कसम खा ली है। आप हमारे साथ चल कर गावों में देखिए। शायद कोई किसान ऐसा नहीं है कि जिस को ब्लाक से कोई फायदा न पहुंचा हो। हमारा देश कृषि प्रधान है और सरकार कृषि की तरफ काफी ध्यान दे रही है। आज गावों में नहरें, ट्यूबवेल और कुओं का जाल बिछ गया है। जो काहिल हैं वे ही खेती नहीं करते, अन्यथा सभी लोग अपनी खेती बढ़ा कर लाभ उठा रहे हैं। हम जनता के प्रतिनिधि हैं और हम ही जनता को बतला सकते हैं कि उस के लिए सरकार ने क्या किया है। आप तो चुनाव को देख रहे हैं। वह नजदीक आ रहा है इसलिए आप प्रचार के लिए इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। आप ने तो हर बात का विरोध करने के लिए एक धारणा सी बना ली है कि सरकार की हर बात का आप विरोध करेंगे। इसे ही अपने अपना कर्तव्य समझ रखा है। यह मैं नहीं कहती कि हम लोगों में, सरकार में, कमी नहीं है लेकिन आप लोगों की कमजोरी की वजह से हम वह गलती ठीक नहीं कर पाते। आप गलत बात को भी गलत कहते हैं और सही बात को भी गलत कहते हैं। यदि आप वास्तव में सरकार की गलतियों को ही सामने रखें तो यह अवस्था जो है, उस में सुधार लाया जा सकता है और सरकार उसे ठीक कर सकती है। मैं तो अपने ब्लाकों की बात कहूं कि हमारे ब्लाक सलटौवा-गोपालपुर में बड़ी शिकायतें थीं, मन्त्री जी से आग्रह किया, उन्होंने इन्क्वायरी भेजकर जितनी गड़बड़ियां थीं वह ठीक करवा दीं। तो मैं कैसे कहूं कि सही चीज को ठीक नहीं करायेंगे। लेकिन मन्त्री जी का ध्यान बस्ती जिले की तरफ दिलाना चाहती हूं। आदेश गए हैं कि हमारे यहां बहुत से ताल हैं उनका सर्वे कराकर उनमें पम्पिंग सेट्स लगवायें जायं। लेकिन कागज दबे हुए हैं। न सर्वे हुआ, न विचार हो रहा है। मैं मांग करती हूं कि इस विषय में आवश्यक कार्यवाही की जाय।

दूसरी बात मैंने कई दफा हाउस में कहा और मीटिंग में बराबर कहती आयी हूं कि हमारे ट्यूबवेलों की नालियां इतनी गलत हैं कि जिसकी वजह से किसान पानी लेता है तो पानी खेत में न जाकर सड़कों पर फैला करता है, पानी बरबाद होता है और साथ ही किसान का पैसा बरबाद होता है। तो ऐसे आदमी को भेजें कि पूरे जिले के ट्यूबवेलों की नालियों की इन्क्वायरी करा लें और ठीक करवाने के लिए प्रबन्ध करें। मेरी समझ में नहीं आता कि यहां से सूचना जाती है और उन्हीं कर्मचारियों के पास जाती है जो जिला स्तर पर हैं और वह क्या ठीक कराते हैं, कुछ समझ में नहीं आता।

तीसरी बात यह है कि गांव के अन्दर जितनी बंजर भूमि है उसको प्रधान लोग किसी दोस्त को दे देते हैं या गड्ढे भराकर मकान बनवाने की इजाजत दे देते हैं। इस तरफ भी सरकार ध्यान दे ताकि हमारी सरकार की जो इस प्रकार की शिकायत होती है वह दूर हो।

जहां तक महिलाओं की बात है, मैं चाहूंगा कि जैसा कि हमारे भाई ने कहा है, मन्त्री जी का ध्यान में वैसी बात नहीं आती है।

जीपों के दुरुपयोग के बारे में कहा गया। लेकिन वह सरकारी कर्मचारी जो ब्लाक में रहते हैं उनके ब्लाक शहर के कितनी दूर पर होते हैं। उनके बच्चे अगर बीमार पड़ते हैं तो दवा इत्यादि के लिए अगर जाते हैं तो क्या बेजा बात है? हां, अगर कहीं दूर सफर करें तो शिकायत हो सकती है। लेकिन उनकी सुविधाओं के लिए जो जीप दी गयी है उसकी तरफ जरा ध्यान देना चाहिए, कि ऐसी जगह पर उनका ब्लाक होता है जहां से शहर काफी दूर होता है, तो मेरी प्रार्थना है कि मन्त्री जी बी० डी० ओ० की सुविधाओं पर ध्यान देते हुए कोई निर्णय लेंगे।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

अधिष्ठाता जी, मुझे अफसोस है कि उधर के बैठने वाले किसी माननीय सदस्य ने कहा कि नियोजन की जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं, प्रथम द्वितीय और तृतीय सदन की राय से और बड़े-बड़े पार्टियों के नेताओं की राय से बनायी गयी हैं। मुझे अफसोस है कि सदस्य को भी जानकारी न रहे कि क्या योजनाओं पर सदन में विचार होता है या नहीं। हंसी आती है कि ऐसे सदस्यगणों को भी इतना ज्ञान नहीं है तो उनके अपने क्षेत्र में या जिले में प्लानिंग के सम्बन्ध में क्या जानकारी हो सकती है। अधिष्ठाता जी, मैं समझता हूं कि सरकार को सदन में विश्वास है। मैं मानता हूं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना तो इनकी राय से नहीं बन सकी थी, अंग्रेजों की राय से बनी हुयी योजना थी और उसी के अनुसार वह चली लेकिन दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजना तथा चौथी पंचवर्षीय योजना का प्रथम चरण जो पहली अप्रैल से शुरू होने वाला है, हमें तकलीफ है कि सरकार से बार-बार आग्रह करने के बावजूद भी सदन में योजनाओं पर विचार करने का कभी कोई समय निर्धारित नहीं किया गया। चौथी पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में विचार विनिमय करने के लिये इस सदन में माननीय मुख्य मंत्री ने अनेकों बार आश्वासन दिये लेकिन वह आश्वासन अधूरा रहा और हमारा खयाल है, अपना अन्दाज है कि अप्रैल में जब चौथी पंचवर्षीय योजना प्रारम्भ हो जायेगी तो फिर उस पर विचार करना असंभव ही रहेगा। इसी कारण श्रीमन्, आप देखेंगे कि अन्य प्रदेशों के मुकाबले में हमारा प्रदेश पिछड़ा हुआ है। और जब मैंने सवाल किया कि क्या कारण है कि अन्य प्रदेश जिनकी आबादी हमसे कम है, अन्य प्रदेशों में साधन हमसे ज्यादा हैं तो भी उन प्रदेशों में केन्द्रीय सरकार द्वारा योजना के लिये लम्बी लम्बी सहायता मिलती है और उत्तर प्रदेश जो कि इतना बड़ा प्रदेश है और जहां की आबादी सारे प्रदेशों से ज्यादा है, आज अन्य प्रदेशों से पिछड़ा हुआ प्रदेश है और वहां कम पैसा मिलता है। इसका उत्तर माननीय मंत्री जी ने नहीं दिया है और माननीय मंत्री जी को उत्तर देने में कठिनाई थी। माननीय मंत्री जी उत्तर देने में यह कठिनाई महसूस करते थे और इसमें वह इसलिये असमर्थ थे कि पुराने जमाने में जो नियोजन मंत्री रहे हों, डाक्टर सम्पूर्णानन्द, माननीय चन्द्रभानु गुप्त या पंडित गोविन्द बल्लभ पन्त जब कि चीफ मिनिस्टर रहे हों, वे भारत सरकार के ऊपर उत्तर प्रदेश का इतना दबाव न दे सके हों और अपनी मांगों, अपनी आवश्यकताओं और अपनी जरूरतों को न रख सकें हों जिसके कारण उत्तर प्रदेश में आज जो पैसा मिलना चाहिये था, जो हिस्सा मिलना चाहिये था, वह हिस्सा नहीं मिल रहा है। तो मैं समझता हूं कि यह उत्तर प्रदेश सरकार की नालायकी है, यह कांग्रेस पार्टी की नालायकी है कि उसके हाथ में जब उत्तर प्रदेश की ८ करोड़ २४ लाख जनता का भाग्य का फैसला करने का अधिकार मिला है वह इतनी बड़ी जनता के भाग्य की उपेक्षा करे, उसके अधिकारों की उपेक्षा करे और उसकी वजह से उत्तर प्रदेश दिन प्रति दिन खेती बारी में, शिक्षा में, उद्योग में, बेकारी में, रहन-सहन में, आमदनी के बटवारे में, चारों तरफ जहां भी आप देखेंगे एक खिलवाड़ सा नजर आता है।

श्रीमन्, आप देखेंगे कि सरकार की ओर से जो पुस्तिका चौथी पंचवर्षीय योजना प्रसारित हुई है, यह पुस्तिका ही प्रमाणित करती है कि १५ सालों में उत्तर प्रदेश की जनता के साथ खिलवाड़ किया गया और उत्तर प्रदेश की जनता के जो हकूक हैं, उनकी जो दिक्कतें हैं उनको केन्द्रीय सरकार के सामने पुरजोर शब्दों में रखने में यह सरकार असमर्थ रही, इसलिये उत्तर प्रदेश पिछड़ा हुआ है। और ज्यादा मैं क्या कहूं, उत्तर प्रदेश के पिछड़े पन का सबूत स्वयं सरकारी आकड़े ही स्पष्ट करते हैं कि उत्तर प्रदेश पिछड़ा हुआ है। इसलिये उत्तर प्रदेश की सरकार को सही माने में उत्तर प्रदेश की जनता के सामने कठघरे में खड़े हो कर कबूल करना चाहिये कि उत्तर प्रदेश की जनता के साथ हमने खिलवाड़ किया है और १५ वर्ष के अन्दर जो हक उसे मिलने चाहिये थे उस हक को दिलाने म हम असमर्थ रहे हैं। इस प्रकार चारों तरफ से उत्तर प्रदेश पिछड़ा हुआ है।

[श्री रामसुन्दर पाण्डेय]

अब मैं जानना चाहता हूं कि यह योजना विभाग आखिरकार है क्या ? नियोजन के माने स्पष्ट होते हैं कि प्रदेश में, देश में, गांव में जो समस्या नीचे गिर गयी हो अन्य प्रदेशों के मुकाबले में, चाहे वह शिक्षा में हो, उद्योग में हो या और चीजों में हो, उसके लिये ऐसी योजना बनायी जाय जिस से वह गिरावट दूर हो और हम आगे बढ़ सकें। मैं नियोजन मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आप किस प्रदेश से किस दिशा में आगे बढ़े हैं ? हमारे सामने यह पंचवर्षीय योजना की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के अलावा इसी रिपोर्ट में साफ लिखा है कि जहां अन्य प्रदेशों में केन्द्रीय सरकार ने प्रथम योजना में तथा दूसरी व तीसरी योजना में प्रति व्यक्ति १८४ रु० खर्च किया वहां उत्तर प्रदेश में १२६ रु० खर्च किया। जहां उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय सरकार ने तीन योजनाओं में प्रति व्यक्ति ६९ रुपये की सहायता दी वहां सारे प्रदेशों को १०८ रु० मिले फिर यहां के आफिसर्स क्या केन्द्रीय सरकार को लिख नहीं सकते थे कि केन्द्रीय सरकार से रुपया लेकर जब वे योजनाओं पर व्यय नहीं कर सकते हैं, आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकते हैं तो फिर किस प्रकार से उत्तर प्रदेश आगे बढ़ सकता है ? ऐसी दशा में हम उत्तर प्रदेश की सरकार से कहना चाहते हैं कि इस सरकार को अपने आप हट जाना चाहिये क्योंकि यह सरकार उत्तर प्रदेश की जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने में असमर्थ रही है।

श्रीमन्, हमारे सामने १९६२ की यह सरकारी औद्योगिक रिपोर्ट है जिसमें स्पष्ट यह लिखा है कि महाराष्ट्र में कारखानों की संख्या २९.६ है, जब कि उत्तर प्रदेश में ६.८१ है। महाराष्ट्र में पूंजी २७.२३ लगी है, जब कि उत्तर प्रदेश में ५.२५ है। रोजगार महाराष्ट्र में २०.८५ है, जब कि उत्तर प्रदेश में ७.८८ है।

हमारा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है। यहां पर ७५ फीसदी आदमी कृषि व्यवसाय में लगे हैं और २५ फीसदी अन्य व्यवसायों में लगे हैं। बंगाल में ५७ फीसदी कृषि में लगे हैं और शेष अन्य व्यवसायों में लगे हैं। उद्योग धंधों में हमारे प्रदेश में ८ फीसदी लोग हैं, महाराष्ट्र में १३.८ लोग लगे हैं, बंगाल में १५.४ लगे हैं। मेरे पास यह सब की बड़ी लम्बी तालिका है, उसको पढ़ने का श्रीमन् समय नहीं है। इन सब से यह मालूम होता है कि उत्तर प्रदेश हर माने में कितना पिछड़ा हुआ है।

श्रीमन्, और सब प्रदेशों में कुल २९५.१९ करोड़ रुपया मिला है, पहली, दूसरी और तीसरी योजनाओं के अन्तर्गत। इन तीनों योजनाओं में जब कि हमारे प्रदेश को साढ़े ७ करोड़ ही मिला है। यानी कुल रकम का १/४२ वां भाग हमारे प्रदेश को मिला जब कि आबादी के लिहाज से हमारा प्रदेश पूरे देश का छठवां हिस्सा है। इसलिये मैं कहता हूं कि यह सरकार उत्तर प्रदेश की जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति करने में असमर्थ रही है, इसलिये इसको हट जाना चाहिये।

श्रीमन्, ऋण मिलने के आश्वासन दूसरे सब प्रदेशों को जब कि ४९९.१ करोड़ के मिले हैं, इस प्रदेश को केवल ४१ करोड़ के आश्वासन मिले हैं। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के उद्योग धंधों के लिये सबसे कम अनुदान मिला है। इसमें यह भी कहा गया है कि पश्चिमी बंगाल में २९१ विदेशी कंपनियां हैं जब कि उत्तर प्रदेश में केवल १ है। बम्बई में १८४ है। तो मैं निवेदन करूंगा कि इनकी हर तरह से गिरावट हुई है। जब आप गिरावटों को देखेंगे तो उत्तर प्रदेश जहां किसानों का प्रदेश है और खेतीबाड़ी से ६३ फी सदी इनकी आमदनी होती है, जो इनकी आयोजना है उसमें कहा गया है कि जहां ६३ फी सदी लाभ होने वाला हो वहां उस किसान की क्या हालत है। यह क्या किसान की हालत है ? जब हम कहते हैं कि कितनी पैदावार घटी है, अन्य प्रदेशों में कितनी बढ़ी है। हमारे प्रदेश में क्या पैदावार है। अंग्रेजी राज में कितनी पैदावार थी आज कितनी पैदावार है। तो आंख खुल जाती है। श्रीमन, आप देखें, उत्तर प्रदेश में आमदनी खेतीबाड़ी की इतनी कम हुई है जिस से यह मालूम

हो रहा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में खेतीबाड़ी में कुछ आमदनी बढ़ी और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में वह जाकर कम हुई और तृतीय पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य जो हमने निर्धारित किया था उससे हम पीछे हटे ।

शिक्षा के सम्बन्ध में भी जहां संविधान बना उस में यह प्राविधान किया गया था कि संविधान लागू होने के १० वर्ष के अन्दर १४ वर्ष के बालकों की शिक्षा मुफ्त और अनिवार्य हो जायेगी । मैं जानना चाहता हूं नियोजन मंत्री से आज कल वे शिक्षा मंत्री भी हैं कि कौन ऐसा वक्त होगा, वह कौन सौभाग्य का वर्ष होगा जिस दिन उत्तर प्रदेश के रहने वाले १४ वर्ष के हर एक बालक को अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा देने में आप समर्थ हो सकेंगे ? यह स्पष्ट है कि यह लक्ष्य उत्तर प्रदेश सरकार नहीं प्राप्त कर सकी । १९५७ में इस उत्तर प्रदेश के अर्थ मंत्री थे हाफिज मोहम्मद इब्राहीम साहब । उन्होंने कहा था अपने बजट भाषण में कि हम इस वर्ष छठवीं कक्षा तक पढ़ाई मुफ्त करवा रहे हैं और उत्तरोत्तर हर साल जैसे जैसे आमदनी बढ़ती जायेगी तो दो चार साल में ऐसी व्यवस्था करवा देंगे कि दसवीं कक्षा तक पढ़ाई मुफ्त करवादी जाय । मैं जानना चाहता हूं कि आप उत्तर प्रदेश में कब तक मुफ्त शिक्षा कर सकेंगे ? जहां आन्ध्र, मद्रास और कश्मीर में दसवीं कक्षा में मुफ्त पढ़ाई है वहां उत्तर प्रदेश में पढ़ाई लिखाई मंहगी होती जा रही है और उत्तर प्रदेश का वह गरीब जो मजदूरी करके जिन्दगी बसर करता है उसके परिवार वाले पढ़ाई लिखाई पूरा करने में असमर्थ हो रहे हैं ।

श्रीमन्, इसी प्रकार में एक बात और कहना चाहता हूं नियोजन की नीति-रीति के सम्बन्ध में । नियोजन की नीति केवल ऊहापोह है । कोई स्तर नहीं है । यानी आप बतायें एक ग्राम पंचायत है उसी ग्राम पंचायत का मंत्री वहां काम करने वाला है, उसी ग्राम में ग्राम सेवक बना हुआ है, उसी ग्राम में लेखपाल बना हुआ है, ए० डी० ओ० बना हुआ है । सारी की सारी मशीनरी एक एक ग्राम में, चार चार बने हुये हैं । आखिर एक तरफ प्रशासन में इतना रुपया खर्च होता जा रहा है । बजट का ६७ फी सदी रुपया केवल तनख्वाह में खर्च हो रहा है और बहुत थोड़ा सा पैसा नियोजन के कामों में, सामाजिक कामों में व्यय हो रहा है । तो सरकार को इस दिशा में सोचना चाहिये कि आखिर नियोजन का काम, लेखपाल का काम, मालगुजारी वसूल करने का काम एक में क्यों न मिला दें । एक ही व्यक्ति लेखपाल का, पंचायत का, पैसा वसूल का काम करे । श्रीमन्, अभी मंत्री जी ने भाषण में कहा कि हम ग्राम सभाओं को ऋण देकर उनके अन्दर विकास लाना चाहते हैं । मैं कहना चाहूंगा कि यह उत्तर प्रदेश की ग्राम सभाओं के साथ खिलवाड़ है, मजाक है । श्रीमन्, आपको याद होगा इधर के बैठने वाले उधर के बैठने वाले, और मैं तो कम से कम सन् ५२ से लगातार यह मांग करता आ रहा हूं कि ग्राम सभाओं को स्वावलम्बी बनाया जाय । जो मालगुजारी आज अमीनों द्वारा या तहसीलों द्वारा वसूल करते हैं उनको ग्राम सभाओं को सुपुर्द कर देना चाहिये और ग्राम सभाओं को हिस्सा देना चाहिये । सौराष्ट्र में जब कि ३३ प्रतिशत हिस्सा मिलता है तो यहां देने में क्या दिक्कत है ? ये नियोजन अधिकारी, पी० सी० एस० या आई० ए० एस० लोग हैं, मैं निवेदन करूंगा कि यदि आप चाहते हैं कि नियोजन का काम सचमुच हो और नीचे का अधिकारी भी खुश हो करके काम करे तथा सुगमता प्राप्त करके कुछ नियोजन के कामों को देखे तो आप पी० सी० एस० और आई० ए० एस० को हटा दें तथा तरक्की के अवसर दें ।

श्री अधिष्ठाता—

अब आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

शिक्षा विभाग में अवसर पाकर उप सचिव, शिक्षा संचालक आदि स्थान प्राप्त करते उसी प्रकार नियोजन में भी हों तभी मेरा खयाल है कि यह नियोजन विभाग भी आगे बढ़ेगा, जनता का काम पूरा करने में समर्थ हो सकेगा अन्यथा नहीं हो सकता ।

श्री विजयसिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं सभी माननीय सदस्यों का बड़ा आभारी हूं कि उन्होंने अपने उत्तम विचारों से सदन को अवगत कराया। उन्होंने चाहे इधर के बैठने वाले हों, या उधर के बैठने वाले रहे हों, कुछ मेरे पक्ष में सुझाव दिया तथा मेरा समर्थन किया तथा सुझाव दिये। माननीय सदस्यों ने यह स्वीकार किया कि वास्तविक रूप में जो कार्य प्लानिंग से होना चाहिये था वह नहीं हुआ। मुख्य उद्देश्य से नियोजन हो गया है। माननीय राजनारायण सिंह जी ने कहा था कि प्लानिंग से ही अर्थ-व्यवस्था सुधर सकती है। ठीक है। पर जितना पैसा इस सरकार ने नियोजन में खर्च किया है उससे कितनी अर्थ-व्यवस्था सुधरी है यह विचारणीय है और इस बात की जानकारी उन्हें होनी चाहिये थी। इकानामिक सर्वे आफ एशिया बतलाता है कि जापान में २.४ रुपया खर्च होने पर १ रुपराष्ट्रीय आय बढ़ी, बरमा में २.४, थाईलैंड में २.६, सैगौन में १.७, दक्षिण कोरिया में १.२, लंका में २.९, फिलीपाइन्स में १.२ और इंडोनेशिया में १.७ तथा भारत में ४.८ रुपया व्यय होने पर १ रुपया राष्ट्रीय आय बढ़ी। हमारे यहां इतना अधिक व्यय होने पर भी १ रुपया राष्ट्रीय आय बढ़ी तथा यह सरकार इस से अधिक आय बढ़ाने में असमर्थ रही है। आडिट बुक में भी इसकी एक मिसाल है कि सरकार व्यय पर अधिक जोर देती है और उसका रिटर्न कम होता है। माननीय मंत्री जी ने बिजली के लिये कहा। इस आडिट रिपोर्ट १९६५ के पेज १२ पर देखें कि रिहन्ड योजना पर ३६.२४ करोड़ रुपया खर्च किया गया और ३६ लाख का घाटा उठा कर सरकार एक एलुमिनियम फैक्ट्री को बिजली देने में सफल रही है। इस योजना से लाभ किसको हुआ? गरीब किसान मजदूर इस से वंचित है। सरकार बड़े बड़े प्रोजेक्ट में ज्यादा पैसा लगाकर साधारण आदमी को कोई लाभ नहीं दिला सकी है।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि अगर समय पर पैसा खर्च कर देते तो कुछ लाभ होता। यह ठीक है। समय पर खर्च न करने की एक मिसाल है। १९६३–६४ में प्लानिंग विभाग ने ९९.२३ लाख रुपया बचाया यानि छोटी सी योजना में भी करीब १ करोड़ रुपया बचा लिया खर्च नहीं कर पाये तो फिर क्यों बजट लगाया? इसी प्रकार ६२–६३ में १३ करोड़ की स्कीम में १ करोड़ रुपये की बचत हो गई। इस बचत का कारण यह है कि इनकी व्यवस्था अस्त-व्यस्त है।

एक माननीय सदस्य ने ये शब्द कहे कि समाजवादी नीति सरकार ने बहुत सचाई से अपनाई। मैं मानता हूं कि सन् ५५ में इस सरकार ने समाजवादी नीति को अपनाया, लेकिन ये आंकड़े बताते हैं कि वह नीति फिर उलटई। सरकार ने विदेशों से १९५१ में ४,७३ मिलियन टन गल्ला मंगाया। ५२ में ३.८६, ५३ में २.१० मिलियन टन५४ में १.८१ और ५५ में .७१ मिलियन टन गल्ला बाहर से मंगाया और बाहर से अन्न १९५१ से १९५५ तक मंगाना कम होता गया। अच्छी बात है। लेकिन इसके बाद वह नीति उलटने लगा और फिर गल्ला मंगाना बढ़ने लगा। १९५६ में १.४ मिलियन टन मंगाया, १९५७, ५८ तथा ६० में बढोतरी होती रही और ६४ में ६.४० और ६६ में १० मिलियन टन गल्ला बाहर से मंगाया। यदि आप पिछली वर्षों में अपने यहां कृषि की पैदावार बढ़ती दिखाते हैं तो फिर क्यों बाहर से इतना गल्ला मंगाया? मान्यवर, खाद्य सामग्री का एक और आंकड़ा पेश करता हूं। १९३९ को यदि १०० मान लिया जाय और बढ़ती हुयी आबादी को भी ध्यान में रखा जाय फिर भी तो सन् ५० से ५५ तक तो सामग्री का इम्पोर्ट कम हुआ, लेकिन ५६ से वही इम्पोर्ट फिर बढ़ना शुरू हो गया और ६६ तक बहुत बढ़ गया। अब कृषि की कम पैदावार होने का मुख्य कारण सरकार स्वयं कोई उदाहरण नहीं पेश कर पाती। सरकार के पास अपने बड़े बड़े कृषि फार्म हैं। उनके पास कोई एस्टीमेट नहीं है कि वे कितनी लागत में १ मन गेहूं पैदा करते हैं। इतने साधन होते हुये भी आपकी लागत ज्यादा होती है। आपके पास कोई एस्टीमेट्स नहीं हैं जब कि प्रत्येक कार्य का एस्टीमेट होना बहुत आवश्यक है।

सरकार कृषि की उन्नति में स्वयं बड़ी भारी बाधक हो रही है। आज कृषि मजदूर देहातों से शहरों में भाग रहे हैं। देहातों में मजदूरों की जगह ट्रैक्टर्स से काम लिया जाता है। ट्रैक्टर्स पर सरकार बहुत अधिक टैक्स (ड्यूटी) लेती है। किसान जो छोटा है वह उन कीमती उपकरणों का इस्तेमाल नहीं करने पाता है तथा ट्रैक्टर्स में लगी ट्रोली जो कृषि कार्यों में आती हैं उस पर भी सरकार टैक्स लेती है। इसका सारा बोझ खेती पर पड़ता है। सरकार को चाहिये कि जो ट्राली पीछे लगती है उसका रजिस्ट्रेशन वगैरह सब बन्द कर दे। उसका भार किसानों पर नहीं पड़ना चाहिये। देहातों से आदमी क्यों शहरों की तरफ भाग रहा है? या तो वह भूखों मरता है या शहरों में ज्यादा पैसा खर्चा हुआ है इसलिये आराम की आशा में आता है। सन् १९३१ में गांवों से शहरों में जाने वालों की संख्या १.३ परसेंट थी। सन् ४१ में बढ़कर १९.१ हुई और ५१ में ३२.४ परसेंट हो गई। इस से क्या मालूम होता है? नियोजन का असर कहां चला गया? प्लानिंग में होना तो यह चाहिये था कि हर किसान के खेत का सर्वे होता, उसे बताया जाता कि वह कहां कुवां बनावे, कैसी उसकी खेती की मिट्टी है और क्या रोटेशन आफ क्राप्स होगा। उसे समय से पानी मिलना चाहिये और अच्छा बीज व खाद मिलनी चाहिये इस सरकार ने यह सब नहीं किया, केवल शहरों का खर्चा बढ़ा दिया।

माननीय मंत्री जी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र की जनता को पौष्टिक भोजन मिलता है। ग्रामीण क्षेत्र में केले के पेड़ लगायें और दूसरे फलदार वृक्ष लगाने चाहियें जिस से गांव वालों को फल खाने को मिल सकें। जिसके पास पेट भर भोजन नहीं है, रहने के लिये मकान नहीं है और पहनने के लिये कपड़ा नहीं है, वह कैसे पेड़ लगावे? मकानों में फलदार पेड़ तथा गमलों में खेती शहरों में ही हो सकती है। बड़े बड़े अफसर गमलों में आलू और चुकन्दर लगाते हैं। देहातों में तो इस प्रकार के गमलों में खेती करना केवल एक उपहास है, हंसी उड़ाना है।

माननीय मंत्री जी ने एक बात और बहुत अच्छी कही वह ग्राम ट्रेनिंग देने की व्यवस्था पर है कि ट्रेनिंग सेन्टर्स बहुत अच्छे खोले हैं। बी० डी० ओ०, ए० डी० ओ और वी० एल० डब्लू० की ट्रेनिंग होती है, यह सब ठीक है पर क्या आपने यह भी कभी सोचा है कि नियोजन विभाग में आपके प्रदेश में जिला स्तर का जो अधिकारी डी० पी० ओ० है उसकी ट्रेनिंग कहां होती है? उसको क्या जानकारी है जो इन लोगों का काम देखे? एक नान-टेक्निकल आदमी टैक्निकल आदमियों का काम किस प्रकार से देख सकता है, हुकूमत उसके ऊपर भले ही कर ले।

माननीय मंत्री जी ने शिक्षा की भी बात कही। आपके राज्य में राजस्थान में पाठ्यपुस्तकों में अब भी राजपूतों का राज्य दिखाया गया है। कश्मीर की पाठ्यपुस्तकों में अब भी चाऊ-एन-लाई की तारीफ की जा रही है। देश में भले ही शिक्षा फैली हो, लेकिन हमें देखना यह है कि उसका विषय क्या है। आज भी गीदड़ और उल्लुओं की कहानियां बच्चों को पढ़ाई जाती हैं ताकि कोई बच्चा काबिल न बन सके। अगर आपको शिक्षा ही देना है तो ठोस शिक्षा दीजिये। यह नहीं होना चाहिये कि आंकड़ा तो आपका बढ़ता जाय और उसकी मूल में कुठाराघात हो तो उसका क्या अर्थ रह जाता है। इन शब्दों के साथ में माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि मैंने जो प्रस्ताव रखा है वे उसको स्वीकार कर लें तो उनकी समझ में यह बात आ जायगी कि उनका यह नियोजन देश के लिये वरदान सिद्ध नहीं हुआ है।

*श्री राममूर्ति––

माननीय चेयरमैन साहब, आज का विवाद बहुत अच्छा हुआ। जिन भाइयों ने इसमें हिस्सा लिया उन सबका जवाब तो इस थोड़े समय में दे सकना बड़ा मुश्किल है। जो भी खास खास बातें हैं वह मैंने अथवा हमारे यहां के जो अधिकारी हैं उन्होंने उनको नोट कर लिया है,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राममूर्ति]

जिनके बारे में हम बाद में सोचते हैं कि कहां तक मेम्बर साहबान की ख्वाहिश का एहतराम किया जाय। कुछ ऐसी बातें हैं जो उसूल की हैं, उनका जवाब देने को मैं आवश्यकता समझता हूं।

पहली बात प्लानिंग के बारे में कही गयी। इत्तफाक की बात है कि आज जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है वह ऐसे माननीय सदस्य की ओर से रखा गया है जिनको प्लानिंग में कोई यकीन ही नहीं है और न उनके इधर उधर के बैठने वालों को ही उसमें यकीन है। प्लानिंग की तो उसी मुल्क में आवश्यकता होती है जहां चीजों की कमी होती है और लोगों को मुश्किलात होती हैं। जहां मुश्किलात नहीं हैं, कमी नहीं, वहां किस बात की प्लानिंग? आपके घर में एक सेर खाने को है और आप की आवश्यकता पाव भर की है तो क्या प्लानिंग होगी? प्लानिंग की खास जरूरत तो हिन्दुस्तान में और हिन्दुस्तान सरीखे कमी वाले देशों में है।

अब हिन्दुस्तान के लोगों की एक बड़ी भारी दिक्कत यह है कि प्लानिंग सबसे पहले ऐसे मुल्क में शुरू की गयी जहां डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट थी, आथोरिटेरियन गवर्नमेंट थी यानी रूस में प्लानिंग सबसे पहले शुरू की गयी। वे अपने टारगेट बनाते थे और लक्ष्य के हासिल करने में अगर कहीं कमी होती थी तो हर दर्जे तक लोगों को सजा दे दी जाया करती थी। हिन्दुस्तान में प्लानिंग है, लेकिन पंचायती राज के साथ, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल के साथ। यहां हर बात लोगों को समझा कर, उनको परसुएड करके, अपने तर्क से, अपने दिमाग से लोगों पर असर डालकर, काम करना पड़ता है। हिन्दुस्तान की गवर्नमेंट उनकी मुश्किलात को भी समझने का प्रयत्न करती है। लेकिन यहां ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा है लेकिन दूसरों की मुश्किलात को अनुभव नहीं करते। कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरों की मुश्किलात को तो जानते हैं, लेकिन चीजों का दुरुपयोग करते हैं। आज हमारे देश में गल्ले की कमी है, लेकिन आज भी आप देखेंगे कि कितने लोग दावतें करते हैं और उस गल्ले का दुरुपयोग करते हैं, एक रोटी रखी है लेकिन वह इसलिये छोड़ दी जाय क्योंकि ठंडी हो गई गर्म लीजिये, तो इस तरह से तकल्लुफ से चलते हैं, वजहदारी के इजहार होते हैं। लेकिन फिर भी मैं अर्ज करूंगा कि कितने कानसेन्शस लोग हैं ऐसी चीजों को अब बुरा समझते हैं और ऐसी चीजों का मुकाबला भी करने को तैयार होते हैं, लेकिन फजूल खर्च आज भी इस का बुरा मानता है।

हमें अपने देश के वातावरण को अब समझना है और जो हमारी परम्परा गत संस्कृति है या जो आदात हमारी चली आती हैं उनको बदलने में कितनी दिक्कतें हो रही हैं। यह भी हमें समझना चाहिये और जब तक हम अपनी आदतों को नहीं बदलते तब तक दिक्कत बनी रहेगी। यह मुल्क अभी एक फ्यूडलिस्टिक आर्डर से बाहर आया है। अभी तक यहां राजे महाराजे, जमींदार, पुलिस स्टेट या अंग्रेजी राज का दबदबा था और उससे निकल कर हम पंचायत राज के रास्ते पर आये और आदतें बदल रही हैं लोगों की, लेकिन उनके बदलने में वक्त लगता है, वे एक दिन में नहीं बदलतीं। वह बात दूसरी होती है कि लोग डराये धमकाये डर की वजह से काम करने लगें लेकिन समझाबुझाकर प्रोत्साहित करके आदतें बदलने में समय लगता है। तो एक कांस्ट्रक्टिव ढंग से मौलिक रूप से हमारी इमारत बन रही है, बुनियाद उसकी मजबूत है। हम चाहते हैं कि लोगों के दिलों में एक आस्था, एक यकीन और एक एतकाद पैदा हो ताकि वह चीज उनके दिमाग पर मुस्तकिल तौर पर बैठ जाय। यह इतना बड़ा आपका सदन ही है, ४३१ यहां के माननीय सदस्य हैं और उनका ऐसा अच्छा काम है जिसको करने के लिये वह यहां आये हैं लेकिन आप देखते हैं कि थोड़े से समय के लिये हम इकट्ठा हो जाते हैं, कभी कभी यहां तादाद कोरम भर नहीं रह जाती और इधर उधर से ढूंढ़ कर बुलाना पड़ता है या कभी कभी कोई उस तरफ ध्यान भी नहीं दिलाता और काम यहां का चलता रहता है। आप समझें कि यह उन लोगों

का जिक्र है जिनको बड़े जिम्मेदार और रेसपान्सिबिल लोग समझा जाता है, जो समाज में एक हायर सोसाइटी के लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने सारी जिन्दगी देश की सेवा करने में लगाई है लेकिन यह सब होने पर भी अभी तक हम में इतना इमपेक्ट नहीं है कि हम अपने राजनैतिक कर्तव्य में उचित दिलचस्पी लें। यह चीज यहीं की नहीं है, यही बात दिल्ली के संसद में भी है, यही बात ब्रिटेन में भी है और दूसरे अन्य डेमोक्रेटिक देशों में भी ऐसा होता है। इंगलैण्ड में बहुत पुरानी डेमोक्रेसी है, लेकिन दिक्कतें ऐसी हैं। असल में इन्सान स्वेच्छाचारी है, एक आजादी की भावना रहती है इस जनतंत्र में। लेकिन जो अथारिटेटिव गवर्नमेंट्स हैं उनमें यह भावना नहीं रहती। इस फर्क को आपको समझना चाहिये और हमें देखना चाहिये कि इस मुल्क में इन १५ वर्षों में कितनी तरक्की हुई है और इसी तरह से जनतंत्र की बुनियादें मुल्क में दिनोंदिन मजबूत होती चली जायंगी।

दूसरी बात यह है कि हम अक्सर अपनी चीजों का मुकाबला अमरीका, रूस, जापान, जर्मन आदि से करने लगते हैं लेकिन यह भूल जाते हैं कि आज जो हमारे पश्चिम के देश हैं जहां का इंडस्ट्रीयल रिवोलूशन दो तीन साल पहले ही हो चुका है, या जापान है जहां सौ साल पहले ही यह हो चुका। रूस का जिक्र वह कर रहे हैं वहां भी सन् १७ से ३५ तक कैसा जमाना गुजर चुका है वह सब जानते हैं, किस सख्ती से वहां काम हुआ और होता है, स्टेलिन के जमाने में ३० लाख आदमी लिक्वीडेट किये गये और चीन में भी ४० लाख लिक्वीडेट हुआ। यहां तो अगर एक भी आदमी मर जाता है तो नेगी साहब पर एतराज होने लगता है कि यह मर गया वह मर गया। तो इन दोनों व्यवस्थाओं का और देशों की स्थिति के फर्क को दिमाग में रखना चाहिये। आप जिन तरक्की शुदा मुल्कों का जिक्र करते हैं वहां पर एक जमाने में एक खास किस्म की तालीम दी गई और वह बैकवर्ड मुल्कों के एक्सप्लायटेशन से मालामाल हुये और जो बहुत बड़े और छोटे आदमी का भेदभाव है वह भी कम हुआ है। आज मजहब के मामले जैसे हिन्दुस्तान में हैं, और किसी मुल्क में नहीं हैं तो ये सब बातें हमें अपने ध्यान में रखनी चाहिये। आज उत्तर प्रदेश में मुश्किल से १७-१८ प्रतिशत लोग हैं जो कि पढ़े लिखे हैं, हमें देखना पड़ता है कि यहां पर कितने गरीब लोग हैं। मैं मानता हूं कि बम्बई में और महाराष्ट्र में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, लेकिन क्या विदर्भ के एरिया में या महाराष्ट्र में जो बड़े-बड़े जिले हैं उनमें भी उसी प्रकार से बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं। वहां पर आज आम आदमी की हालत क्या है? सुधर रही है लेकिन हमें सोचना पड़ता है कि छोटे और बड़े लोगों में आज कितना अन्तर है और मैं निवेदन कर दूं कि वह इतना जल्द जा भी नहीं सकता है। इसको भी हमें अपने दिमाग में रखना पड़ेगा।

यहां पर इस बात का भी जिक्र किया गया कि एक तो काश्तकार की वैसे ही १५ फीसदी पैदावार कम होती है, हमारे यहां से जो उन्हें लोन या सब्सीडी दी जाती है वह उसे पैदावार की उन्नति के लिए खर्च नहीं करता है। यह शिकायत हर तरफ से की जाती है कि जो रुपया सरकार से मिले उसे वह पैदावार की उन्नति में लगाये। हमारी कोशिश यही रही है और अब हमने यह नियम बना दिए हैं कि अगर उस रुपये का जो सरकार द्वारा दिया जाता है, उसे पैदावार के काम में नहीं लगाता है, और हमारे नोटिस में आता है तो हम उसको एक मुश्त में वसूल कर लेते हैं।

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि और किसी मुल्क में सरकार द्वारा रुपया दिया जाता है? मेरी सूचना है कि वहां पर फाइनेन्शियल कार्पोरेशन्स द्वारा या इन्सटीट्यूशन द्वारा रुपया दिया जाता है। तो क्या यह सरकार भी वैसा ही करने के लिए तैयार है कि रुपया कार्पोरेशन द्वारा दिया जाय?

श्री राममूर्ति—

जिन मुल्कों का माननीय सदस्य जिक्र करते हैं वे बहुत बड़े-बड़े देश हैं, जैसे अमेरिका आदि। वे बहुत इण्डस्ट्रियलाइज्ड हैं और वहां पर अरबों और खरबों की निधि बनी हुयी है। उसका मुकाबला किसी गरीब देश से कैसे हो सकता है?

श्री बलवानसिंह—

मेरी समझ में सभी ऐसे देश हैं।

श्री राममूर्ति—

माननीय सदस्य का यह खयाल कतई गलत है। सब देश ऐसे नहीं हैं।

एक बात यहां पर माननीय पांडे जी ने कही कि यहां पर जितना रुपया हमें २ प्लानों में मिलना चाहिये था, यह नहीं मिल पाया। इस बात की भी शिकायत की गयी कि हमारे लोग उतना रुपया नहीं ला पाये जितना उन्हें लाना चाहिए था। लेकिन वास्तविक जो बात है, उस पर भी हमें विचार करना चाहिए। हिन्दुस्तान की लीडरशिप और खासतौर पर उत्तर प्रदेश की, आजादी की लड़ाई में अगुवा रही है। आज भी यह उत्तर प्रदेश सारे हिन्दुस्तान के अन्दर बुनियाद है पंचायत राज की। और प्रदेश में कहीं पर बंगाल का कहीं पर पंजाब का और साउथ इंडिया में कितने-कितने सवाल हैं पर उत्तर प्रदेश में इस प्रकार का कोई सवाल नहीं है। कुछ दिन पूर्व केन्द्रीय सरकार की भी जितनी लीडरशिप थी उसमें भी ८–८ मंत्री इसी प्रदेश के रहे हैं और जब आप किसी बड़े ओहदे पर बैठते हैं तो अपने बारे में जो होना चाहिए, वह भी नहीं हो पाता है। तो यह भी दिक्कत उत्तर प्रदेश के सामने रही। लेकिन उस बात का एहसास लोगों को होने लगा जब दो प्लान के बाद लोगों ने देखा कि उत्तर प्रदेश पिछड़ रहा है ....

श्री रामसुन्दर पांडेय—

इसीलिये बंशीधर पांडेय चाहते थे कि इन्दिरा गांधी प्रधान मंत्री न हों।

श्री राममूर्ति—

लेकिन अब केन्द्रीय सरकार की दृष्टि इस तरफ है। आज आपने देखा होगा अखबारों में कि चौथी योजना में खासी मिकदार में बड़े-बड़े कारखाने, उत्तर प्रदेश में लगने वाले हैं, इलाहाबाद, कानपुर, बरेली, गोरखपुर, सहारनपुर, देहरादून, हरद्वार में। इसके माने यह हैं कि आज आहिस्ता-आहिस्ता गाड़ी पटरी पर आ रही है। माननीय बलवान सिंह जी को तो नाराज नहीं होना चाहिये क्योंकि इस प्लानिंग के युग का वह फायदा उठा रहे हैं। आपने २ हजार चिड़ियां पाल रखी हैं और ३५ पैसे में एक अंडा बेंच रहे हैं। नियोजित ढंग से जो काम हो रहा है उस का अन्दाजा इस बात से लगा सकते हैं कि आज हमारे प्रदेश में ३२ फीसदी काश्तकार ऐसे हैं कि जो किसी न किसी तरीके से जो हमारे इम्प्रूव्ड मेथड हैं उनका इस्तेमाल करने लगे। ५० फीसदी काश्तकार ऐसे हैं गेहूं, धान, गन्ना, तिलहन, कपास इसमें जो जमीन है ५० फीसदी कोई न कोई जरूर इम्प्रूव्ड मेथड, फर्टीलाइजर्स का इस्तेमाल करने लगे हैं। ६३ फीसदी काश्तकार ऐसे हैं कि जो फर्टीलाइजर का इस्तेमाल करते हैं और आप अगर सारी फीगर्स को पढ़ें ८० साल के अन्दर एग्रीकल्चर विभाग का किसानों के दिमाग पर वह इंपैक्ट पैदा नहीं हुआ जो इन १०, १५ सालों की कोशिशों के बाद खास तौर पर सामुदायिक विभाग द्वारा लोगों के दिमाग पर हुआ है। हम बार-बार जिक्र करते हैं कि ब्लाक के जरिये से कुछ हुआ नहीं। पहले यह तो देखिये कि ब्लाक में क्या खर्चा हुआ। पहली प्लान में हमने ८ करोड़ ५१ लाख, दूसरे में २७ करोड़ ६३ लाख और तीसरी में ४७ करोड़ ५३ लाख रु०, योग ८३ करोड़ ६७ लाख रु० १५ सालों में खर्च किया। कितने आदमियों के ऊपर? १९२ करोड़ आदमियों पर। क्या औसत आया? मुश्किल से १२ आने एक आदमी पर १ साल में, यानी १ महीने में एक पैसा पड़ा। इतने में आप क्या चाहते हैं? इस १ आने के इनवेस्टमेंट के बाद कितने आदमी हैं जिनको एम्प्लायमेंट है जो काम नहीं जानते थे उनको मुश्किल का काम सुपुर्द किया गया। मैं भी जब घूमने जाता हूं तो कहता हूं कि कम से कम अपने गांव सभा की मीटिंग में तो बैठ जाया करो जो ६ महीने बाद होता है। लोग कहते हैं क्या करें। ऐसे लोगों का समझाना बड़ा मुश्किल काम है। यह हमारा इनवेस्टमेंट, यह हमारी कोशिशें, इसके लिये हम कह देते हैं कि साहब कोई चीज ही नहीं हुई।

एक शिकायत की गयी। थोड़ी सी हमारे यहां महिलायें नौकर हैं। हमारे लिये मुनासिब नहीं है कि उनके ऊपर हम लोग दोषारोपण करते रहें। तारा बहन जो हैं या दूसरी बहिनें हैं उनके लिये तो यह मुनासिब हो सकता है। यह एक्सपेरिमेंट की आदत इसलिये अच्छी नहीं है कि एक ब्लाक में, सब ब्लाकों में नहीं एक ए० डी० ओ० और २ ग्राम सेविकायें रखी गयी हैं। इतनी बड़ी जमात स्त्रियों की है और इन स्त्रियों के उत्थान के लिये हम थोड़ा सा पैसा खर्च करते हैं। यह बात इतनी नागवार नहीं होनी चाहिये। इतनी क्षमता होनी चाहिये कि जो काम हो रहा है वह होने दें।

जीप के बारे में भी बड़ी शिकायत की गयी और कहा गया कि हटा ली जायं। मैं पहले बतला चुका हूं कि जीपें १ ब्लाक के लिये मिलती हैं। वे टूट गयीं, खत्म हो गयीं तो जीप भी खत्म हो गयी। हमारे यहां जीपों की बहुत कमी है। जिन ब्लाकों की हमारे यहां १० साल की जिन्दगी पूरी हो गयी उनसे जीपें हमने ले लीं और जो शुरू के ब्लाक हैं जिनको कि नहीं मिल पाई थीं उनको हमने जीपें देना शुरू कर दीं। कोलम्बो प्लान में ये जीपें अमेरिका ने दी हैं। रनिंग चार्जेज हम देते हैं, ड्राइवर का पैसा खर्च करते हैं लेकिन उनके दुरुपयोग के बारे में नियम बने हैं। लाग बुक बनी है। यह निर्धारित कर दिया है कि इतने मील डी० पी० ओ० और इतने मील बी० डी० ओ० चलेगा। प्रोग्राम ऐसा फिक्स किया जाय कि प्रमुख साथ में हो। नियम ठीक बने हैं, लेकिन अगर उनका दुरुपयोग होता है तो आखिर पंचायती राज्य है। इस पंचायती राज्य में यह सोचें कि ए० पी० सी०, जिलाधीश या कमिश्नर अथवा डी० डी० सी० सब बैठे रहें, तो यह नहीं हो सकता। एक जिले के अन्दर १५, २०, ३० ब्लाक हैं तो जिलाधीश क्या कर सकता है यह हमारे अपने देखने की चीज है। बी० डी० ओ० और प्रमुख दोनों इस देश में पैदा हुए हैं। अगर सब अपने चरित्र के उत्थान में मदद करें तो हम सब संभल जायंगे, लेकिन अगर नेशनल खराबी है तो वह खराबी बी० डी० ओ० में नहीं सबमें है और राष्ट्रीय जीवन में अगर घुन है तो सभी में वह लगा है चाहे बी० डी० ओ० हो या कोई और हो। यह एक नेशनल कमी है। उससे निकलने की कोशिश की जा रही है और जैसे जैसे जागृति आयेगी, तालीम बढ़ेगी और लोग अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे उतनी ही सारी खराबियां दूर होती जायंगी।

पटेल आयोग के बारे में जिक्र किया गया कि जो रुपया पूर्वी जिलों के लिये रखा गया था वह खर्च नहीं हुआ, लेकिन ऐसी बात नहीं है। पिछले साल १० करोड़ ५१ लाख रुपया रखा गया था लेकिन ११ करोड़ ६ लाख रुपया खर्च हुआ। इस साल १२ करोड़ ८९ लाख रुपया एलाट किया गया है। नवम्बर तक के फीगर्स आये थे और ६ करोड़ से ज्यादा खर्च हो चुका है, लेकिन उम्मीद है कि रुपया बचेगा नहीं और जो टार्गेट्स बनाये गये हैं वे पूरे होंगे।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

बड़े-बड़े उद्योग-धंधे खोलने के लिए पटेल कमीशन ने प्राविधान किया था, आजमगढ़ म दो तीन मिल खोलने के लिए, देवरिया, गोरखपुर, जौनपुर में खोलने के लिए। क्या वह खुले ?

श्री राममूर्ति—

जो रुपया हमें मिला इस प्लान में ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स के लिए वह नहीं खर्च किया गया उसका मैंने जवाब दे दिया। आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि पूर्वी जिलों में कुछ फैक्टरियां आ रही हैं बनारस, जौनपुर गाजीपुर, गोरखपुर में फैक्टरियां लगने वाली हैं। जरा ध्यान से उसको पढ़ लें।

श्री विजयसिंह—

आपने बुन्देलखंड का जिक्र ही नहीं किया।

श्री राममूर्ति—

माननीय रक्षपाल सिंह ने पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में खर्च की बात कही। यह हिन्दी की प्रति है। इसके पेज २७८ पर दिया हुआ है। इस रेजोल्युशन के अन्दर कहा गया है कि जो बेसिक इंडस्ट्रीज हैं वह पब्लिक सेक्टर में रखी जायंगी और उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में रखी जायंगी। बेसिक इंडस्ट्रीज में जो मुनाफा है पूंजी का वह बहुत जल्द नहीं निकलता। जैसे बड़ा भारी रिजर्वायर अगर बनाएं तो छः सात साल के अन्दर बनता है। तैयार होने के बाद उसका पोटेंशल खर्च करने में खासा वक्त लगता है। तो इमीडिएट रिटर्न बेसिक इंडस्ट्रीज में नहीं होता। बिजली का कारखाना है, रिहन्द डैम बना, कितने समय में बना? कितना रुपया खर्च हुआ? बन जाने के बाद चूंकि लोगों की आदत नहीं उतनी बिजली नहीं खर्च कर पाते। थोड़े दिनों के बाद जब आदत पड़ जाती है तो लोग खर्च करने लगते हैं। बरखिलाफ उसके मिसाल दे दूं। ह्विस्की का कारखाना लगा दीजिये। ५० लाख रुपया खर्च हुआ। दो करोड़ रुपये का फायदा हो जायगा। पर उससे हिन्दुस्तान का क्या भला होने वाला है? इसलिए सरकार ऐसी इंडस्ट्रीज को नहीं लगाती। आप कुआं लगा लीजिये, पांच छः महीने में फौरन रिटर्न मिल जायगा। इसलिए सरकार ने रेजोल्यूशन पास कर रखा है जितनी बेसिक इंडस्ट्रीज होंगी पब्लिक सेक्टर में लगायी जायं और नान-बेसिक इंडस्ट्रीज प्राइवेट सेक्टर में लगायी जायं। स्टील का कारखाना प्राइवेट सेक्टर में नहीं लग सकता।

एक बात का जिक्र किया गया कि प्लान पांच साल के लिए बना दिये जाते हैं उनका खयाल यह है कि बीस साल के लिए क्यों नहीं बनाना चाहिए या एक साल के लिए क्यों नहीं बनाना चाहिए। हमने प्लानिंग दूसरे मुल्क से सीखी है। सरकार ने उनके तजुर्बे से फायदा उठाने की कोशिश की। पांच साल में वह होता है—उसके बाद इवैलुएशन कर लेते हैं। हमारा पिछड़ा हुआ मुल्क है। अगर बीस साल कर दें तो इतना लम्बा वक्त हो जायगा कि उसका लाभ ही ओझल हो जायगा। एक साल में चीज को समझ भी नहीं पाते इतनी देर में वक्त खराब हो जायगा।

पांडेय जी ने एक बात और कही कि प्लान्स जो बनते हैं, उनमें किसी से सलाह मशविरा नहीं किया जाता है, किसी की राय नहीं ली जाती है। यह बात बिल्कुल गलत है। आज जो प्लान बनती हैं उनको गांव-गांव के लोगों से सलाह मशविरा करके बनाये जाने की कोशिश की जाती है। हमारी बातों से इसमें लोगों को हंसी आती है चूंकि गांव की प्लान को वह बहुत छोटी बात समझते हैं। गांव के लोग इसमें अपनी सलाह देते हैं कि गांव में कुआं कहां बनाया जाए, कच्ची सड़क कहां पर बनाई जाए, किन्तु माननीय सदस्य लोग इस चीज को प्लानिंग ही नहीं समझते हैं, क्योंकि वह बड़े-बड़े कामों को कारखानों की स्थापना और डैमों के निर्माण-कार्य को ही योजना समझते हैं।

(इस समय ४ बज कर ५३ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

गांव से प्रत्यक्ष सम्बन्धित बातें गांव के लोगों की राय से की जाती हैं और कुछ ऊपर से भी होती हैं जो कि केन्द्रीय संस्था की ओर से होती हैं। उसका काम यह है कि सारे प्रदेशों के अन्दर पूरे उत्तर प्रदेश के अन्दर वह एक समन्वय पैदा करें क्योंकि अलग-अलग जगह की अलग-अलग आवश्यकताएं होती हैं और उनकी परिस्थितियां भी भिन्न भिन्न होती हैं। उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश है, यहां पर खनिज पदार्थ नहीं पाये जाते हैं प्लान इन्हीं बातों को देख कर बनाये जाते हैं। एक स्टील का कारखाना यदि लखनऊ में लगाया जाय तो उसके लिये आवश्यक कच्चा माल कहां से प्राप्त किया जाए यानी उसके उपलब्ध कराने में बहुत सी परेशानियां हैं। यह सारा ध्यान केन्द्रीय सरकार रखती है। इसलिये यह कहा जाए कि हम सलाह मशविरा नहीं लेते हैं वह गलत है, बल्कि जितनी सलाह मिल सकती है, उससे उतनी ही ली जाती है।

अधिकारियों का भी उसमें पूरा-पूरा सहयोग लिया जाता है, क्योंकि वह एक परमानेंट बाडी है और उसको एक लम्बे अर्से से प्लानिंग का अनुभव है जबकि वहां के मेम्बर तो समय-समय पर बदला करते हैं। इसलिये हम उनका पूरा-पूरा फायदा उठाते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बुनियाद की बातें वहां पर माननीय सदस्यों की ओर से कही गयीं, उन सबका अपनी बुद्धि से मैंने जवाब देने की कोशिश की है, आशा है माननीय सदस्य उससे सहमत होंगे। खासकर हमारे विजयसिंह जी, क्योंकि उनके दिमाग में ज्यादा भ्रम रहा है, उसका कारण यह है कि उनकी पार्टी के सिद्धान्तों में योजना के लिये कोई स्थान ही नहीं है। हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हमारा जो काम चल रहा है वह कायदे से चल रहा है, एक योजनात्मक ढंग से चल रहा है और हमारे रूरल एरियाज में जो हमारे सामुदायिक विकास का विभाग हैं, उसके जरिये से सारी कोशिश हमारी है कि हम लोगों की ज्यादा से ज्यादा सेवा कर सकें। चूंकि खेती करने वाले लोग दुनियां में सब से ज्यादा कंजरवेटिव विचारों के होते हैं, उनको हर नई चीज अपनाने में देर लगती है। इस माने में भी हमें काफी सफलता मिली है और हम उन्हें प्रगति के मार्ग पर मोड़ चुके हैं और हमें आशा है कि अगले १०–१५ वर्षों में उनके अन्दर भारी परिवर्तन आ जायगा और वह विकास बहुत अधिक कर लेंगे। जिस अमन के साथ हमने अपना पिछले १०–१५ वर्ष का समय काटा है उसी तरह का यदि अगले १०–१५ वर्षों में रहा तो हम कहीं से कहीं पहुंच जाएंगे।

आज माननीय सदस्य शिकायत करते हैं कि शहरों का अधिकाधिक विकास हुआ है किन्तु ग्रामीण क्षेत्र दरिद्र और दिवालिया हो गये हैं। ठीक भी है, शहरों में जब कल कारखाने खुलेंगे तो वहां पर मजदूरी ज्यादा होगी और लोगों का विकास होगा, तो जब ग्रामों में भी इंडस्ट्रीज खुलेंगी वहां पर के लोगों का भी सर्वांगीण विकास होगा सामुदायिक विकास का कार्य बड़ी अच्छी तरह से चल रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे जितने भी आदरणीय सदस्य इस सदन में हैं हमें भविष्य में और ज्यादा सहयोग प्रदान करेंगे इन कामों में। खास तौर पर जहां तक नान-आफिशियल्स की ट्रेनिंग का सवाल है उसमें लोगों की ज्यादा दिलचस्पी दिलायेंगे ताकि इसमें लोग आवें और नियोजन और विकास के काम को आगे बढ़ावें। आपका मैं आभारी हूं कि आपने मुझे जो थोड़ा सा वक्त दिया जिसमें मैं अपने बिचारों को माननीय सदस्यों के सामने रख सका। मैं माननीय सदस्यों का भी आभारी हूं कि उन्होंने बहुत अच्छे सुझाव दिये हैं और उन पर बिचार करके जो भी सुधार संभव होंगे वह किये जायेंगे। मैं विजयसिंह जी से प्रार्थना करूंगा कि सामुदायिक विकास के कार्यों में अधिक पैसों की आवश्यकता है, उसको बढ़ाना चाहिये और घटाना नहीं चाहिये। मैं आशा करता हूं कि वे कटौती के प्रस्ताव को अवश्य वापस ले लेंगे।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या २५—नियोजन और समन्वय के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २५—नियोजन और समन्वय के अन्तर्गत १५,४८,४०,३०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६६–६७ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

इलाहाबाद, वाराणसी, मिर्जापुर, जौनपुर और गाजीपुर जिलों के कतिपय क्षेत्रों में सूखे की स्थिति के विषय में नियम ५३ के अन्तर्गत चर्चा

श्री अध्यक्ष---

अब नियम ५३ के अन्तर्गत जो सूचनायें मेरे पास आयी हैं पहले मैं उन आदरणीय सदस्यों के जिन्होंने सूचना दी है, नाम पढ़े देता हूं---माननीय सालिगराम जायसवाल, माननीय सत्यनारायण पाण्डेय, माननीय कल्याण चन्द मोहिले, माननीय बैजनाथ पान्डेय, माननीय बंशीलाल, माननीय विश्वनाथ प्रसाद, माननीय नाथूराम शिक्षक, माननीय राम सुन्दर पान्डेय, माननीय केशरी प्रसाद पान्डेय, माननीय ऋषिनारायण शास्त्री, माननीय रामलखन, माननीय हरिनैनराम, माननीय रामप्यारे, माननीय विश्वनाथ पांडेय, "प्रगव", माननीय राजनारायण सिंह, माननीय माता प्रसाद, माननीय कमला सिंह यादव, माननीय वशिष्ठ नारायण शर्मा, माननीय विजय शंकर सिंह, माननीय गिरधारी लाल, माननीय मतोला सिंह और माननीय लोकपाल सिंह।

इलाहाबाद से संबंधित विषय पर माननीय सालिगराम जायसवाल, माननीय शिक्षक जी और माननीय बैजनाथ पाण्डेय जी बोलेंगे। वाराणसी के संबंध में माननीय ऋषिनारायण जी शास्त्री, मिर्जापुर के संबंध में माननीय राम प्यारे जी और जौनपुर के संबंध में माननीय केशरी प्रसाद पान्डेय और गाजीपुर के संबंध में श्री वशिष्ठ नारायण शर्मा बोलेंगे।

एक सदस्य---

जौनपुर के बारे में दो कर दीजिये।

श्री अध्यक्ष---

समय होगा तो सब लोग बोलेंगे लेकिन उनके बाद माननीय सभा सचिव उत्तर देंगे और फिर समय रहने पर और माननीय सदस्य बोलेंगे और अन्त में माननीय मंत्री जी उत्तर देंगे।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)---

समय के लिये आपने क्या निर्धारण किया है?

श्री अध्यक्ष---

मैं चाहूंगा कि १० मिनट में सब वक्ता समाप्त कर दें तो अधिक लोगों को समय मिल जायगा।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय---

नेताओं के लिये कुछ अधिक समय रहेगा?

श्री अध्यक्ष---

आपकी ही तरफ से लोग बोलेंगे।

*श्री सालिग्राम जैसवाल (जिला इलाहाबाद)---

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा कृतज्ञ हूं कि आपने मुझे अवसर दिया कि मैं इलाहाबाद जिले की परिस्थिति के बारे में सदन के सम्मुख कुछ निवेदन कर सकूं। मैं माननीय कृषि मंत्री जी के प्रति भी आभार प्रकट करना चाहता हूं कि चाहे देर में हो, लेकिन फिर भी कुछ घंटों के लिये वे इलाहाबाद गये और करीब ६ या ७ घंटों में ३ तहसीलों का भ्रमण किया। मेरी मन्शा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इस प्रश्न को यहां पर रखने की यह थी कि सरकार को और मंत्रिमन्डल को इस बात की जानकारी हो कि इलाहाबाद में क्या हो रहा है और इलाहाबाद की क्या परिस्थिति है। इसीलिये सदन के सामने इस प्रश्न को रखा। माननीय गेंदा सिंह जी वहां गये और उन्होंने वहां के दृश्य को देखा। उसके बाद उन्होंने समाचार पत्रों में एक वक्तव्य दिया। अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा दुख है इस बात को कहते हुए कि माननीय कृषि मंत्री ने इलाहाबाद में जो बयान दिया वह लखनऊ में आकर २४ घंटे के बाद बदल गया और यहां पर दूसरा बयान उन्होंने दे दिया। माननीय कृषि मंत्री जब इलाहाबाद गये और इलाहाबाद की हालत को देखा और जब शहर में आये तो उन्होंने प्रेस प्रतिनिधियों के सामने और हम लोगों के सामने इस बात को स्वीकार किया कि इलाहाबाद जिला खासतौर से मेजा और करछना की जो स्थिति है उसमें दो राय नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि इस क्षेत्र के बारे में हमारा मोरेल आबलीगेशन भी है। तीसरी बात उन्होंने यह कही कि इस तरह की हालत प्रदेश में कहीं और नहीं है और अगर इस तरह की हालत प्रदेश में और कहीं पर होती तो उसका सम्भालना कठिन हो जाता। केवल इलाहाबाद का प्रश्न है इसलिये हम इस सवाल को हल कर लेंगे। मैं भी यह समझा कि इस प्रश्न का वह हल निकाल लेंगे, लेकिन दूसरे दिन जब मैं यहां पर आया और यहां के समाचार-पत्रों में उनके वक्तव्य को पढ़ा तो मुझे बड़ा दुख और आश्चर्य हुआ। यहां पर उन्होंने कहा कि मेजा तहसील के अन्दर अन्न की कमी नहीं है। उन्होंने यहां आकर समाचारपत्रों में वक्तव्य दिया कि मेजा और करछना तहसीलों में अमूमन पानी की कमी रहा करती है। इस वर्ष पानी कुछ थोड़ा कम बरसा इसलिये हालत कुछ खराब हो गई और उसके लिये हम सारा प्रयत्न कर रहे हैं। उन्होंने अपने वक्तव्य में, अपने बयान में अपने मंत्रिमंडल और अपनी सरकार की और इलाहाबाद के अधिकारियों की भी पीठ थपथपाई लेकिन अध्यक्ष महोदय, बात कुछ दूसरी है। मैं कल परसों इलाहाबाद के उस हिस्से में गया था, सिराथू और करछना तहसीलों में मैं गया और वहां दोनों तहसीलों की हालत देखकर मुझे बड़ी वेदना हुई। वहां की जो स्थिति है मैं चाहता हूं कि आप और सदन और मंत्रिमंडल वहां की स्थिति को समझे।

आज इलाहाबाद जिले की और खासतौर पर मेजा और करछना तहसीलों की जो हालत है उसके बारे में दो शब्द आपसे कहना चाहता हूं। कल मैं मेजा तहसील में गया और देखा कि वहां पर गांव-गांव में लोगों को परेशानी है। गांव छोड़कर लोग भाग रहे हैं। जानवरों के खाने के लिये चारा नहीं है। आदमियों के खाने के लिये अन्न नहीं है। अन्न और चारे की बात को छोड़ दीजिये सैकड़ों व्यक्ति ऐसे हैं जिनके लिये पानी मिलना आज वहां पर मुश्किल हो रहा है। वहां पर टैस्ट वर्क को भी मैंने देखा। एक टेस्ट वर्क में लगभग २००-२५० आदमी काम कर रहे हैं। ७, ८ और १० वर्ष के बच्चे, स्त्री, पुरुष आकर वहां काम कर रहे हैं। वहां जो उनकी हालत को देखा उसको मैं समझता हूं बहुत कष्ट की हालत है। मैं यह निवेदन करूंगा कि यह स्थिति मेजा और करछना की ही नहीं है बल्कि यह समस्त इलाहाबाद जिले की है।

इलाहाबाद जिले के संबंध में मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले अगस्त के महीने में ही हमने इस पर प्रश्न किये कि सरकार और वहां के अधिकारी इस परिस्थिति को समझें और परिस्थिति को समझकर उसका मुकाबला करने के लिये कोई प्रयत्न करें। जब हमारी बात नहीं मानी गई तो १३ अगस्त, १९६५ को संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी ने लाचार होकर एक धरना दिया उसमें करीब ३५० आदमी जेल गये। जब हम जेल गये तो कमिश्नर ने इलाहाबाद जिले का दौरा किया और अपना दौरा करने के बाद उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि इलाहाबाद जिले का यह हिस्सा स्कैयरसिटी पीड़ित है। उन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिये फैमिन एरिया घोषित करने से इन्कार कर दिया। पिछले अगस्त महीने में उन्होंने इस बात को माना कि सारा इलाहाबाद जिला स्कैयरसिटी एरिया घोषित किया जाय। टेस्ट वर्क चालू किये, सस्ते गल्ले की दूकानें खोलने की बात की और तकावी वगैरह बांटने की बात की। आप देखें

[श्री सालिग्राम जैसवाल]

कि अगस्त के महीने में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी ने इस बात का प्रयत्न किया था कि सरकार और उसके मंत्रिमंडल के सम्मुख इस सवाल को रखा जाय, लेकिन मुझे बड़ा खेद हुआ जबकि मैंने यह देखा कि बजाय इसके कि इस सवाल को हल किया जाता, सरकार और उसके मंत्री लोग इस बात पर परदा डालने का प्रयत्न करते रहे। अब भी वे इस पर परदा डालना चाहते हैं कि वहां की स्थिति खराब है। मेरे पास समाचार-पत्रों की कटिंग्स हैं जिनमें मैं दिखा सकता हूं कि इलाहाबाद के कमिश्नर ने अगस्त में इस बात को कहा, अगस्त के महीने में राज्य सभा में इस बात का सवाल उठा और उस समय भारत के खाद्य मंत्री श्री सुब्रह्मणियम साहब ने कहा था कि इलाहाबाद की हालत बहुत खराब है और मैंने उत्तर प्रदेश के मंत्रियों को कहा है कि वे जितना गल्ला चाहें इलाहाबाद को भेजें। माननीय अध्यक्ष महोदय, लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि यह सब बात कागज पर ही रह गयी और सरकार की तरफ से कोई प्रयत्न नहीं हुआ। इस बार जब हमने देखा कि हालत बिगड़ती जा रही है और किसी तरह से सुधार होने की गुंजाइश नहीं है, तब हमने आपके सामने और सदन के सामने यह ध्यान आकर्षणार्थ प्रस्ताव रखा और सदन का ध्यान इधर दिलाना चाहा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कहा यह जाता है कि राजनीतिक दल के लोग इस प्रश्न को राजनीति का प्रश्न बनाना चाहते हैं और इसके साथ ही उन्होंने अगले एलेक्शन के वोट की बात जोड़ दी। मुझे कुछ क्रोध भी आया था जब मैंने राजस्व मंत्री जी के मुंह से यह सुना कि यह वोट लेने की बात है और यह एक राजनीतिक स्टंट है। आप ने कहा था और एक नहीं दस आदमियों के सामने कहा था, लेकिन मुझे उन पर कोई गुस्सा नहीं आया क्योंकि बाद में मैंने देखा कि उनकी बात ठीक ही थी। मैं आपके सामने एक नोटिस का जिक्र करना चाहता हूं कि जो इलाहाबाद जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष श्रीमती कमला बहुगुणा ने इलाहाबाद में बंटवाया है। उन्होंने लिखा है कि बहुगुणा जी के प्रयत्न से सिराथू आदि तहसीलों में तकावी स्थगित हो गयी है सरकार की तरफ से। उन्होंने एक दूसरा नोटिस भी बांटा है सिराथू तहसील में वसूली स्थगित। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह नोटिस है जो कि १८ तारीख को यहां से सूचना भेजी गयी और १९ तारीख को यह छापा गया और १९ तारीख की रात में ही यह सिराथू तहसील में बांटा भी गया। इसका हेडिंग है "सिराथू तहसील में वसूली स्थगित हेमवतीनन्दन बहुगुणा के प्रयत्नों का फल।" यह नोटिस है। इसके बाद माननीय अध्यक्ष महोदय, एक दूसरा नोटिस जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से निकलता है जिसमें यह लिखा है कि इलाहाबाद जिला के दुआबा क्षेत्र और विशेषकर सिराथू तहसील की जनता की परिस्थितियों के संबंध में श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा, मंत्री, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बहुत पहले ही....

श्री अध्यक्ष—

इसको पढ़ने के बजाय, उसका सारांश आप बतला दीजिये।

श्री सालिग्राम जैसवाल—

उन्होंने इस नोटिस में लिखा है कि उत्तर प्रदेश सरकार को हेमवतीनन्दन बहुगुणा ने सचेत कर दिया है बहुत पहले से और अब होली मिलन के बाद जब फिर लौटे हैं तब फिर वह मुख्य मंत्री से इस संबंध में बात कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि श्रीमती हेमवती नन्दन बहुगुणा को क्षेत्र सिराथू का कोई पता नहीं है क्योंकि सिर्फ होली मिलन के बाद वह उसकी बात करती हैं। पहले ही कमिश्नर तथा डी० एम० ने वहां की हालत का एलान कर दिया है कि इलाहाबाद का सारा जिला जिसमें सिराथू, मंझनपुर, हंडिया आदि तहसील हैं, सब को अकाल क्षेत्र घोषित किया जाय और अकाल क्षेत्र घोषित करने के बाद वहां उन्होंने कुछ काम भी किया। इसके बाद एक और प्रेस वक्तव्य श्रीमती कमला बहुगुणा, अध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से छपता है, अखबार की कटिंग मेरे पास है, जिसमें लिखा है कि—

श्री अध्यक्ष--

क्या इस विषय में उनका उल्लेख करना बहुत आवश्यक है।

श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय (जिला जौनपुर)--

वह इलाहाबाद की बहुत बड़ी कांग्रेसी हैं।

श्री अध्यक्ष--

सालिगराम जी तो पुराने सदस्य हैं, उनको किसी की मदद की जरूरत नहीं है। मेरा निवेदन यह है कि इन बातों में समय निकल जायगा और जो असली उद्देश्य है सूखा का और क्या करना चाहिए सरकार को, उस पर प्रकाश डालें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री सालिग्राम जैसवाल--

यह हमारे सामने के बैठने वाले लोगों को कुछ भ्रम है और जनता में कुछ भ्रम पैदा हो गया है इसलिये मैंने निवेदन किया।

श्री अध्यक्ष--

इसकी एक रचनात्मक बहस हो तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री सालिग्राम जैसवाल--

जहां तक संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का संबंध है, मैं निवेदन करूंगा कि इलाहाबाद का जो "नार्दर्न इंडिया पत्रिका" जो कांग्रेसी अखबार है उसके अन्दर उसने अपने कमेंन्ट्स में लिखा है कि संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी ने जो बात भुखमरी के सबध में इलाहाबाद के संबंध में जो कहा है वह सही है। और "टाइम्स आफ इंडिया" ने जिनके संवाददाताओं ने क्षेत्रों में दौरा किया है, उसने लिखा है कि एस० एस० पी० के कार्य कर्ताओं के हाथ में कार्यभार है और जमुनापार की उनको पूरी जानकारी है और वह उंगलियों पर बता सकते हैं कि उस क्षेत्र में क्या-क्या हो रहा है। जहां तक मुख्य मंत्री के उत्तर का संबंध है, मुझे कुछ कहते हुए बड़ा संकोच लगता है। उन्होंने उत्तर में कहा है कि इलाहाबाद में कोई अकाल से मृत्यु नहीं हुई है और आखिर में कहा है कि "यह आरोप लगाया गया है कि दो व्यक्तियों की मृत्यु भुखमरी के कारण हुई तथा एक व्यक्ति ने इस कारण आत्म हत्या करने का प्रयास किया। इस विषय में पूर्णतया जांच की गयी और भुखमरी का आरोप निराधार पाया गया।" माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उन लोगों में से हूं जो इस तरह की बातों को बढ़ाना नहीं चाहते। यह बात हमारे जिले में बहुत दिनों से हो रही थी और इसके असर से दूसरे विरोधी इसका फायदा न उठावें इसलिये मैंने जानबूझ कर इस सवाल को रोक रखा और हर तरह से दबाने की कोशिश की, लेकिन जब देखा कि परिस्थिति बिगड़ती जाती है, सरकार को ठीक तरह से इसका पता नहीं, तब लाचार होकर यह सवाल उठाना पड़ा। इस सदन के सम्मुख मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि माननीया मुख्य मंत्री का उत्तर बिलकुल गलत है और मैं किसी के सम्मुख कह सकता हूं कि इसकी जांच की जाय कि इलाहाबाद में दो तीन भुखमरी जिसका मैंने जिक्र किया वही नहीं हुई बल्कि पचासों आदमी मर चुके हैं और सैकड़ों आदमी मृत्यु के घाट पर हैं और अगर शीघ्र इन्तजाम नहीं किया गया तो आने वाले दो महीने के अन्दर हजारों व्यक्ति भूखे मरेंगे और इसकी सारी जिम्मेदारी सरकार पर होगी।

मुझे एक बात बुरी लगी, पता नहीं यह सरकार का काम है या इलाहाबाद के अफसरों का काम है कि इसकी जो जांच करायी गयी वह बड़े नीचे स्तर पर काम किया गया। जब मेरा बयान निकला उसके दूसरे तीसरे दिन इलाहाबाद के कर्मचारी गांव में जाते हैं और उस औरत को जिसका पति मरा है उसको १० रुपया देते हैं कि अगर तुमसे कोई पूछे तो यह बयान मत देना

[श्री सालिग्राम जैसवाल]

कि वह भूख से मरा। जिसने आत्म-हत्या करने की कोशिश की उसके बारे में केन्द्र के मंत्री ने कहा कि जब जांच की गयी तो मालूम हुआ कि उसके घर में ७ सेर बाजरा, २० सेर आलू और १० सेर दाल थी। अध्यक्ष महोदय, लैन्डलेस लेबर था, उसके पास कोई जमीन जायदाद नहीं थी और इस तरह का बयान निकाल कर उस पर परदा ही नहीं डाला बल्कि एक गलत बयानी हुई और झूठ बयान दिया गया। तो "टाइम्स आफ इंडिया"...

श्री अध्यक्ष--

एक मिनट है अब आपका।

श्री सालिग्राम जैसवाल--

एक मिनट है तो मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। मैं इस सरकार को आगाह कर देना चाहता हूं कि लेबर की स्थिति बहुत खराब है। इलाहाबाद में लोग भूखों मर रहे हैं, प्यासे मर रहे हैं। सारा जिला इस समय ग्रसित है। इसलिये मैं आपके जरिये से माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि इलाहाबाद क्षेत्र को अकाल क्षेत्र घोषित किया जाय। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इलाहाबाद क्षेत्र और उसके अगल-बगल, बांदा, हमीरपुर, झांसी, मिर्जापुर--इनके लिये एक अलग आयोग बनाया जाय। जो आयोग पूरी तरह से परिस्थिति की जांच करे और जांच करके वहां के लोगों की तकलीफ को दूर करे। माननीया मंत्री ने एक बयान दे दिया कि जमुना पार की स्थिति हमेशा इस तरह की रही है। श्रीमन्, इलाहाबाद के त्याग और तपस्या की बदौलत ही यह मंत्रि-मंडल और यह कांग्रेस सरकार बनी हुई है और १८ वर्ष की कांग्रेस हुकूमत के बाद भी इलाहाबाद के प्रति इसका खयाल न करना बड़े शर्म की बात है। गांधी जी ने एक अवसर पर कहा था कि सूखा और पानी के बहाने जनता पर अन्न संकट पैदा करने वाली सरकार पापी है। यह बात बहुत कड़ी है, मैं नहीं कहना चाहता था लेकिन मैं इसलिये इस बात को आपके सम्मुख और माननीय मंत्री के सम्मुख रखना चाहता हूं कि सरकार इलाहाबाद की परिस्थिति को समझे। मैं अन्त में आप से कहना चाहता हूं कि इलाहाबाद की जो परिस्थिति है उस परिस्थिति को उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं बचा सकती है, उत्तर प्रदेश की सरकार उसका मुकाबला नहीं कर सकती है।

श्री अध्यक्ष--

अब आपका समय समाप्त।

श्री नाथराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)--

अध्यक्ष महोदय, यह सूखे की स्थिति पूरे प्रान्त में शुरू से ही रही है। माननीय सदस्यों ने सवालों के जरिये और ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के जरिये मौके-ब-मौके इस प्रश्न को उठाया है लेकिन सरकार ने उस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। मान्यवर, मैंने सितम्बर में ही ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के जरिये इस प्रश्न को उठाया था इलाहाबाद के बारे में और आपने उसको स्वीकृति दे दी थी। मुझे आश्वासन मिला था कि अति शीघ्र इलाहाबाद की स्थिति ठीक हो जायगी, किन्तु सितम्बर में असेम्बली बन्द होने के बाद जब मैं अपने क्षेत्र में गया तो मैंने अपने क्षेत्र के अलावा ूरे जिले का दौरा किया और जिस समय मैं अपने क्षेत्र मंझनपुर में गया, मंझनपुर सिराथू और चायल एक साथ ही मिले हुए हैं, वहां जब मैं पहुंचा तो मैंने देखा कि रामगंगा बांध पर जो एक नयी नहर निकली है जिससे इलाहाबाद को साल भर में एक दफा पानी दिया जाता है वहां नालियां वगैरह भी ठीक नहीं बनी थीं। नवम्बर के महीने में जब कि बन्धी भी नहीं बनी और नालियों की व्यवस्था भी ठीक नहीं थी, किसानों ने जब पानी लेने की कोशिश की तो बन्धी के ऊपर से पानी लेने में दिक्कत हुई इसलिये उसे खोलकर पानी को नीचे स्तर पर किसानों ने लाने की कोशिश की। इस आधार पर बाहर के आये हुए कुछ मेहमान, रास्ता चलते हुए कुछ किसान मजदूर तथा अन्य लोगों का नहर विभाग के अधिकारियों द्वारा

चालान कर दिया गया। उस दिन मैं वहीं मौजूद था। किसानों ने कहा कि घर बैठे लोगों का चालान किया गया है, मैंने उनसे कहा कि जब तुम लोगों को नोटिस मिले तो मुझे बुलाना, मैं तुम लोगों की तरफ से चलकर अधिकारियो से इस संबंध में कहूंगा। श्रीमन्, वह ५ व ६ दिसम्बर का दिन था जिस दिन सिराथू, मंझनपुर तहसील के सामने किसान, अंधी औरतें, बेवा औरतें घर बैठे लोग, किसान, मजदूर मेहमान आदि ये लोग सैकड़ों की तादाद में आये और सब ने अपना अलग-अलग बयान दिया। मैंने उसी दिन इलाहाबाद के जिलाधीश श्री दुबरी दुबे का एक पत्र उस अधिकारी के सामने रखा, उन्होंने बड़े झटके के साथ कहा—क्या आप चाहते हैं कि हम कोई कार्यवाही न करें? मैंने कहा कि आप सब को फांसी पर चढ़ा दीजिये, मैंने एक अधिकारी का पत्र आपको दिया है, आप चीफ इंजीनियर को भेज दीजियेगा। पत्र तो उन्होंने अपने पास रख लिया उसके बाद भी ५–६ तारीख तक हर आदमी ने बार-बार गवाही दी कि हमने नहर नहीं काटी, कुछ ने कहा कि हम तो मेहमान हैं, हम अपने घर बैठे थे, हमारी खेती नहीं है। सिर्फ दो तीन आदमियों ने बयान दिया कि हमने अपने खेत की सिंचाई के लिये सिर्फ नहर की बंधी खोल दी थी, चूंकि बम्बा और नाली नहीं थी और पानी की सतह कुछ ऊंची थी, इसलिये उसको सतह पर लाने के लिये हमें ऐसा करने की जरूरत पड़ी। आज भी सैकड़ों आदमियों को तबाह व परेशान किया जाता है। एक दफा मैंने सारी सूचना डिटेल में माननीय राजस्व मंत्री और मुख्य मंत्री को दी। ५ दिसम्बर को मैंने फिर लिखा कि इस क्षेम के सारे किसानों को परेशान किया जा रहा है, अतः इन गड़बड़ियों को रोका जाय और किसानों को परेशान न किया जाय।

मैं माननीया मुख्य मन्त्री का आभारी हूं कि मुझे उनका उत्तर प्राप्त हुआ और उन्होंने लिखा कि उन्होंने मेरा पत्र आवश्यक कार्यवाही के लिए भेज दिया है। मगर श्रीमन्, आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। उसके बाद मैंने यहां प्रश्न भी किया। उसका उत्तर भी मिला कि हम उसको ठीक कर रहे हैं, लेकिन मान्यवर, ठीक-ठाक कुछ नहीं हुआ। नवम्बर में पानी दिया गया, मैंने कहा कि फरवरी में अगर पानी और दे दिया जाय तो क्षेत्र की हालत सुधर सकती है, मगर दोबारा पानी नहीं दिया गया। आज भी किसान परेशान किया जा रहा है। अक्तूबर के महीने में माननीय सरजूप्रसाद पांडेय, अध्यक्ष, जिला परिषद् की अध्यक्षता में जिला परिषद् में एक प्रस्ताव पास करके मांग की गई कि सम्पूर्ण जिले का लगान माफ करें तथा पिछले बकाये की वसूली रोक दी जाय। साथ ही टेस्ट वर्क लगा कर सस्ते गल्ले की दूकान प्रति पंचायत क्षेत्र में खोल कर परिचय पत्र बनवाए जायं। क्षेत्र का लगान माफ किया जाय माननीय मन्त्री महोदय के पास भेजा गया, मगर उस पर भी आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। मैं माननीय माल मन्त्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि ग्राम अमुरा में खाता नं० ५६, ६०, ६३, ६४, ६५, रसीद नं० २०७०, की वे जांच करायें। इन खातों के किसानों से ज्यादा लगान वसूल किया गया और रसीद कम दी गयी। २३ फरवरी को ग्राम भेलरवा के किसानों को बन्द कर दिया और उनके बैलों को भी कांजीहाउस में बन्द कर दिया गया और उनको कुत्तों की तरह नोचा गया, उनके साथ बहुत सख्त व्यवहार किया गया। मैं उस चीज को माननीय माल मन्त्री की नोटिस में लाया, मगर उस पर भी आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। मुझे उसका कोई उत्तर नहीं मिला कि क्या कार्यवाही की गयी।

मान्यवर, मंझनपुर, सिराथू तथा चायल क्षेत्र की हालत बहुत बुरी है। वहां का सारा क्षेत्र असिंचित पड़ा हुआ है। अंग्रेजों के जमाने की वहां पर एक नहर है। वहां पर सिंचाई का और कोई साधन नहीं है। वहां पर आसानी से २०–२५ हाथ पर कुएं खुद सकते हैं। सरकार को वहां कुएं बनवाने का प्रयत्न करना चाहिए। वहां के लोगों को नहर नहीं चाहिए, उनके लिए छोटे-छोटे कुओं का प्रबन्ध करा दीजिए। जो वहां के तालाब हैं उनकी खनाई करा दीजिए। कहा जाता है कि सन् ७२ तक पानी मिल जायगा, यह किया जायगा वह किया जायगा होगा, मगर आज तक कुछ नहीं हुआ है और वहां का उत्पादन बराबर गिरता जा रहा है। मैं सरकार से मांग करूंगा कि वह हमारे क्षेत्र की जांच करा कर वहां सिंचाई का समुचित

[श्री नाथूराम शिक्षक]

५० फीसदी खेत इस वर्ष जमे ही नहीं हैं। इसकी जांच होना चाहिए। पीड़ित किसानों को छूट मिलनी चाहिए। छूट का जो आश्वासन दिया गया था, उसमें आज तक यह पता नहीं चला कि कितनी छूट मिली है। आज भी सख्ती के साथ लगान वसूल किया जा रहा है।

मान्यवर, अन्त में मैं यह कहूंगा कि सरकार को चाहिए, मैं अभी पहले ही बता चुका हूं कि महीने डेढ़ महीने के अन्दर हर गांव से गल्ला समाप्त होने जा रहा है इसके लिए वह दूकानें खोले, टेस्टवर्क की शीघ्र व्यवस्था करे। इसके लिए परिचय पत्र भी छपवाने होंगे जिससे गरीब आदमियों को उचित मूल्य पर राशन की वस्तुएं मिल सकें। मान्यवर, मैंने नियम ५२ में ५० में और ५३ में इसको दिया और फिर ३०१ में दिया। मुझे आज तक इस बात की तकलीफ हो रही है कि मेरी प्रति दिन की नोटिस को स्वीकार किया गया लेकिन वह लागू नहीं हो पाई। इसका मुझे दुःख है।

श्री वैजनाथ पांडेय (जिला इलाहाबाद)--

आदरणीय सभापति जी, इलाहाबाद के सूखाग्रस्त जिले पर आपका ध्यान हम बहुत पहले से आकर्षित करते चले आए हैं। हमारे जिले का दोनों तरफ का एरिया बहुत परेशान रहा है। पिछली मर्तबा आपको याद होगा हम गए थे उस जगह पर धान की फसल खराब हो चुकी थी और बाजरे का असिंचित एरिया है। धान की फसल ठिकाने से नहीं हुई थी। कुछ थोड़ी सी सहायता देकर तहसील के अधिकारी वहां कुछ राहत पहुंचाते थे लेकिन पहले सालों में ज्यादा कमी थी। इस साल बज्रपात हुआ जब कि अगस्त महीने में पानी बरस कर रह गया। जुलाई में जो पानी पड़ा वह ऐसे ढंग से पड़ा कि गड्ढा, नाला, नदी तक सूखे पड़े रह गये। झील तालाब में पानी नहीं मिला। सब खेत सूख गए। कहीं-कहीं ट्यूबवेल थोड़ा-सा पानी दे सके। धान को लगाया लेकिन वे भी दस पन्द्रह दिन के अन्दर खत्म हो गए। बाजरा की फसल जो असिंचित एरिया के अन्दर गंगा के किनारे होती थी वह भी सूख गई। कानूनगो सर्किल उत्तरी गांव, झारी बरना, भुजेन, पिलखिनी, जवई नेवादा, चौका बघेड़ी, भेलखा, अनुआ वारी वृन्दावन आदि इसी तरह कानूनगो हरभ्यानी संग्राम पट्टी, चकबुधमारती, गनेशीपुर सराय सिविल उर्फ खपटिहा आदि-आदि गांवों में पानी नहीं है तो लगान कैसे लेते हैं हमारे जिले के तीनों तरफ से श्री बंशीधर पांडेय, श्री केशरी प्रसाद पांडेय, का क्षेत्र है उनकी भी बरबादी हुई।

श्री अध्यक्ष--

यह पांडेय, पांडेय बतला रहे हैं यह क्या है।

श्री वैजनाथ पांडेय--

इस तरह से हमारे क्षेत्र के बगल में बंशीधर पांडेय का भी क्षेत्र है। आस पास के क्षेत्र प्रभावित हैं। हमारे यहां का जो क्षेत्र है वहां यह दशा हो गई है कि धान बिल्कुल नहीं रह गया है। बीज के लिए हमारे क्षेत्र में लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। बाहर से बीज आए तो शायद पूर्ति हो जाय। दूसरी तरफ हमारी बाजरे की फसल है। इसके लिए हमने जिले के अधिकारियों का ध्यान दिलाया और कमिश्नर साहब से भी कहा। उन्होंने भी कहा कि उसी आधार पर वसूली होनी चाहिए। लेकिन फिर भी अदूरदर्शिता से कर्मचारियों ने काम किया। उन्होंने विचार नहीं किया। सत्तर फीसदी नुकसान देखकर तीस पैसे वसूल किया और कम से कम लाखों रुपया तहसील से वसूल किया गया। जब मैंने यहां नोटिस दिया तब माननीय कृषि मन्त्री जी हमारे यहां गए लेकिन बहुत देर से पहुंचे और हम इलाके को उन्हें दिखा न सके। उन्होंने कहा कि जो आपने लिखा है उसको हमने नोट कर लिया है। हम उस पर इन्क्वायरी करा लेंगे। उन्होंने जिलाधीश को भी इंक्वायरी कराने के लिए कहा। हमारे यहां दुहैना

अनुवा, बारी, चम्पापुर, वृन्दावन चिउना, में बहुत तकलीफ है। इसके साथ-साथ बीच वाले भाग में भी बहुत कष्ट है। हमारे यहां २५०–३०० गांव ऐसे हैं जहां ट्यूबवेल्स का कोई साधन नहीं है। कृषि मन्त्री जी जब बारी अम्बरा गए तो उन्होंने पानी के स्थान पर गेहूं की बाली में ४–६ दाने देखकर कहा था कि जब पानी की जगह ऐसा हालत है तो जहां पानी का साधन नहीं है, वहां क्या हाल होगा। उन्होंने हमदर्दी दिखायी और जिलाधीश से इन्क्वायरी करके रिपोर्ट देने के लिए कह दिया।

दूसरी प्रार्थना यह करनी है कि हमारे यहां सस्ते गल्ले की दूकानें खोली जायें क्योंकि बिना उसके किसानों और खेतिहर मजदूरों की हालत बड़ी खराब है। वहां पर सूखे तालाबों को खुदवाया जाय ताकि लोगों को मजदूरी मिल सके। ट्यूबवेल्स में पानी सूख गया है। पानी की सतह नीची चली गयी है। बिना बोरिंग कराए पानी लोगों को नहीं मिल सकता। सरकार को इस ओर तुरन्त ध्यान देना चाहिए। मिदोइवां, मिधुआ, पांडेयपुर, हंडिया आदि स्थानों पर हालत बहुत खराब है। वहां के लोगों की दिक्कत को दूर करने के लिए सरकार को जल्द से जल्द ध्यान देना चाहिए।

*श्री रामप्यारे (जिला मिर्जापुर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे मिर्जापुर के बारे में बोलने के लिए अवसर दिया। मिर्जापुर जनपद प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है तथा इसकी भौगोलिक स्थिति भी बड़ी विचित्र है। एक ओर मध्य प्रदेश है दूसरी तरफ बिहार है और एक तरफ पहले का विन्ध्य प्रदेश है। चारों ओर पहाड़ी और जंगल हैं। श्रीमन्, इस साल इस स्थान की हालत बहुत ही खराब है। करछना, मेजा, हरैया, लालगंज, राबर्टसगंज और दुद्धी क्षेत्र यानी चारों ओर हालत बहुत ही खराब है। वहां पर मुख्य फसल सावां, कोदों आदि होती है। इस वर्ष वहां जो बारिश हुई वह लेट हुई और सावां, मक्का, कोदों की फसल बहुत ही कम हुई। प्रायः रुपए में कहीं ६ आना, कहीं ८ आना और कहीं २ आना ही हुई। जहां तक कोदों का सम्बन्ध है, वह हमारे यहां बिल्कुल पैदा नहीं हुई और हमारे यहां के जो लालगंज और हरैया के क्षेत्र हैं वहां वर्षा ही नहीं हुई और खेत पानी की वजह से सूख गए और रबी के खेत तो जोते ही नहीं गए थे। वहां हालत यह है कि हरैया, राजगढ़ चोपन के इलाके में तो पानी के कुएं तक सूख गए हैं, वहां पीने तक के पानी की बहुत जटिल समस्या है। मैं आप का ध्यान उन लोगों के कष्टों की तरफ दिलाना चाहता हूं, वह लोग जो वहां आदिवासी, गरीब और हरिजन हैं। अव्वल तो वह हमेशा ही से एक डेफिसेट इलाका है। मैं मन्त्री जी का खास तौर से ध्यान दिलाऊंगा कि वहां जो लगान स्थगित किया गया है उतने से ही वहां की समस्या हल नहीं हुई है। मैं चाहता हूं कि वहां के किसानों का लगान बिल्कुल माफ किया जाय और उनके लिए तकावी की विशेष व्यवस्था की जाय। कमेटी की रिपोर्ट से यह समझा जाने लगा कि वहां पर केवल पानी की ही मुस्तकिल समस्या है, सरकार ने सर्वे ऐसा कराया लेकिन बात यह है कि वहां के पहाड़ी कुएं गहरे कम हैं। मैं मन्त्री जी का ध्यान दिलाऊंगा कि उस क्षेत्र के लिए अलग से एक राजकीय बोरर का प्रबन्ध वह करें। वहां की फसल साधारण रूप से हर साल ही वर्षा कम होने पर सूख जाती है, कुछ गांव हैं लोधरा, खजरा, मेरदह, योगेन्द्रा, मिरादह, अनपरा, लुमरी तथा बभनी ब्लाक में भी बिल्कुल फसल नहीं हुई है। इसके अलावा दुद्धी ब्लाक में भी कुछ गांव ऐसे हैं कि जहां सिंचाई बिल्कुल नहीं हुई लेकिन वहां सिंचाई किसानों से वसूल की जा रही है, मलरेवा, जाबर और दिग्घुल गांव ऐसे हैं जहां सिंचाई वसूल की जा रही है।

इसके अलावा वहां पर राशन की व्यवस्था बड़ी जटिल है, ग्राम सभाएं बहुत बड़ी बड़ी हैं और क्षेत्र उनका ६०–६० वर्ग मील का है। वहां हर अदालती पंचायत में राशन की दुकानें नहीं हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामप्यारे]

मैं चाहता हूं कि हर एक मजदूर के परिवार का राशन कार्ड बनना चाहिए और हर न्याय पंचायत में राशन की दुकानें खोली जायं। यह जो आदेश हैं कि इतनी जमीन रखने वाले को राशन कार्ड नहीं दिया जायगा वह वहां के लिए उचित नहीं है क्योंकि वहां पर क्षेत्र तो किसानों पर अधिक है लेकिन पैदावार बहुत कम है मैदानी इलाके के मुकाबले में। अगर यह व्यवस्था मिर्जापुर के पहाड़ी स्थानों पर भी उसी तरह से लागू होगी तो वहां बहुत कठिनाई बनी रहेगी। मैं वहां कई गांवों में गया, मैंने स्वयं देखा है कि वहां की फसल बिल्कुल सूख गई है और लोगों के राशन कार्ड भी नहीं हैं, जमीन वहां दस-पन्द्रह एकड़ किसी के पास हो सकती है लेकिन उसमें पैदावार नहीं होती तो वह बेकार है। मैं चाहता हूं कि हर गांव सभा में अदालती पंचायत के क्षेत्र के हिसाब से यहां राशन की दुकानें खोली जायं और हर परिवार को राशन कार्ड दिए जायं। दुद्धी स्टेट में १६० बन्धियां हैं, मैं चाहता हूं कि उन को गहरा करा के लोगों को काम दिया जाय और साथ ही साथ पानी की व्यवस्था भी की जाय। दोनों, पानी का और लोगों को रोजगार का काम एक साथ हो सकता है। मैं पुनः कहूंगा कि जहां पर आधा लगान स्थगित किया गया है वहां पूरा लगान माफ किया जाय तभी लोगों को राहत मिल सकती है।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

अध्यक्ष महोदय, संयोग की बात है कि विन्ध्य प्रदेश से लेकर इधर इलाहाबाद, प्रतापगढ़, मिर्जापुर और जौनपुर का एक ऐसा बेल्ट है जहां वर्षा नहीं हुई है और जहां सूखे के कारण एक भयानक स्थिति पैदा हो गई है। उससे वहां का जनजीवन भी खतरे में पड़ गया है। जौनपुर की आबादी साढ़े १७ लाख है और उसमें दस लाख लोग ऐसे हैं जो आज सूखे से पीड़ित हैं। वे भुखमरी के कगार पर हैं। जानवर तो चारे के अभाव में मर रहे हैं। मैं आपका ध्यान उन तहसीलों की ओर खींचना चाहता हूं जो सूखे से अधिक पीड़ित है। तहसील शाहगंज में सराय खाजें से लेकर खेता सराय तक, जिसमें धान ही लगाया जाता है धान नहीं लग सका, और जो लगा वह सूख गया। कुछ भी पैदा नहीं हुआ। इसी तहसील में सिंगरामऊ है जिसके पास नहर तो है लेकिन उससे कोई लाभ नहीं, उसके ८–१०मील के घेरे में पीली नदी के इस पार और उस पार ऊंची जगह होने के कारण नहर का पानी वहां पर नहीं पहुंच पाता है। केराकत तहसील में भी जो सड़क बनारस की तरफ जाती है उसके दोनों तरफ, यद्यपि नहर है परन्तु फिर भी धान नहीं लग सका और सूखे की स्थिति है। सबसे दयनीय दशा मछलीशहर और मड़ियाहूं की रही है। विकास क्षेत्र बादशाहपुर और मछली शहर में लोग बहुत पीड़ित हैं। माननीय राजस्व मंत्री जी ने इस नुकसान को स्वयं देखा है और उन्होंने यह देखा है कि जहां पर धान ही धान पैदा होता वहां पर एक भी धान का दाना पैदा नहीं हुआ है। इत्तिफाक से इस क्षेत्र में पानी बरस गया था जिससे हमारे रबी की फसल की बुआयी हो गयी थी और उससे कुछ राहत हो गयी थी। लेकिन आज बहुत ही खतरनाक स्थिति है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि कुयें में पानी नहीं, मजदूर के घर खाना नहीं। अपर क्लास के लोग तो अपना जेवर, गहना और जमीन गिरवी रख कर अपने भोजन का प्रबन्ध कर लेते हैं लेकिन हमारे भूमहीन किसान खेतिहर मजदूर और साधनहीन लोग जिनके पास खाने को अनाज नहीं है, भुखमरी के शिकार हो रहे हैं आज उनकी विषय स्थिति है।

मैं राजस्व मंत्री जी का बड़ा आभारी हूं कि उन्होंने बड़ी मेहरबानी करके वहां पर २०–२२ दुकानें मछली शहर और बादशाहपुर में खुलवा दी हैं लेकिन मैं बड़ी नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि वे दुकानें पर्याप्त नहीं है और वे पर्याप्त रूप से अन्न देने असमर्थ रही हैं। वे दुकानें केवल २-२ १/२ महीने तक चलीं। जौनपुर की खत्तियों में गल्ला पड़ा हुआ था। मेरी डी० एस० ओ० से बात हुयी और उन्होंने कहा कि मैं इजाजत के बिना देने से मजबूर हूं। उन्हें आज्ञा दी जाय। कलेक्टर ने भी यह कहा कि उनके पास १९००बोरी आटे की पड़ी हुयी है और हम उनको डायरेक्ट उन दुकानों को दे रहे हैं। यह आपकी मेहरबानी है लेकिन इससे काम नहीं चलने वाला है। रबी

की फसल भी अच्छी नहीं हुयी है। इन इलाकों में तो विशेषकर रबी की फसल वैसे भी अच्छी नहीं होती है। खरीफ की फसल तो हुई ही नहीं। आप को विशेष रूप से जुलाई और अगस्त से ही इन्तजाम करना पड़ेगा। इसलिये मैं चाहता हूं कि आप और दुकानों का प्रबन्ध करें और उनमें अनाज भी भेजें।

सिंचाई की ओर भी आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। इस क्षेत्र में जो नहरें हैं उनके अन्दर पानी नहीं है। उनमें पानी उसी समय चलता है जब कि पानी की आवश्यकता नहीं होती है। मेरी प्रार्थना है कि उचित मात्रा में और समय पर नहर में पानी मिला करें।

इसी इलाके में तरहटी एक बहुत बड़ा गांव है। वह गांव ३ १/२ मील लम्बा है, जहां पर पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। यह बहुत बड़ा गांव है। एक नहर श्रीगवेरपुर से वहां पर आने को है लेकिन पता नहीं कि वह कब तक आयेगी। जब तक वह आये मैं प्रार्थना करूंगा कि आप वहां पर पक्के कुयें बनवाने की कृपा करें। खरीफ मालगुजारी माफ करें और रबी की मालगुजारी को मुल्तवी करें। क्योंकि किसान रबी की मालगुजारी उसी समय दे सकता है जब कि फसल किसान के घर में पहुंच जाय। और सुविधानुसार वह उसका विक्रय करे।

तीसरी बात मुझे यह निवेदन करनी है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों की दुकानें शहर में खाली हुई हैं, उनको आप देहात में भेज दें जहां के लिये उन्हें नियुक्त किया गया है। ऐसी भी दुकानें हैं जो शहरों में या कस्बों में रखी हैं उन दुकानों की यदि आवश्यकता आप समझें इस संकट के समय देहातों में भेज दें। स्थिति संभी जाने पर उन्हें वापस मंगाया जा सकता है। लेकिन कलेक्टर कोशिश कर रहा है कि वे दुकानें ग्रामीण सेन्टर पर जायं लेकिन वे नहीं जातीं हैं। यदि वे दुकानें वहां पर पहुंच जायं और नई दुकानें खुल जायं तो एक पंचायत में कम से कम२ दुकानें हो जायेंगी जिससे उन गरीबों की परवरिश हो जायगी।

श्री ऋषिनारायण शास्त्री (जिला वाराणसी)--

अध्यक्ष महोदय, वाराणसी जिले के सूखा के संबंध में मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। यद्यपि वाराणसी जिले में लगातार ४ सालों में बरसात जो औसत होती थी उससे कम हो रही है, वहां का औसत बरसात ४४ इंच रही है, लेकिन इधर लगातार ४ वर्षों ३८ इंच से ले कर ३३ इंच और २४ इंच पानी बरसा। इस साल जिसका जिक्र हमने किया है उस समय सिर्फ औसत २० इंच पानी बरसा है बनारस में और किसी किसी जगह १३ और १० इंच भी है। सवाल इस बात का है कि इसको पहले पहल शुरू में ही हमारे जिले के तमाम विधायकों ने हस्ताक्षर करके माननीय मुख्य मंत्री को और हमारा ख्याल है कि राजस्व मंत्री को भी दिया था। माननीय मुख्य मंत्री ने बनारस जिले को पूरी तरह से देखने की कोशिश की और उन के सामने धान की सूखी फसल और तमाम दिक्कतों को पेश किया गया। उन्होंने कांग्रेस आफिस में, कांग्रेसजनों को आश्वाशन दिया था कि अगर किसी जिले के हिस्से की कोई ऐसी समस्या है जो सीधे गवर्नमेंट नहीं कर पा रही है तो आप कमिश्नर को एप्रोच करें, वह आपकी समस्या को हल करेंगे। खैर, जो कुछ हो सकता था कमिश्नर के कान में भी यह आवाज डाल दी थी लेकिन अभी तक कोई चीज जिसको कह सकें रिलीफ के नाते बनारस जिले को मिली हो, मैं नहीं जानता। अब सवाल हमारे सामने यह है कि हम लोग केवल बरसात पर निर्भर करते हैं सिंचाई और खेती के लिये। यह हमारी बराबर की समस्या है। हमारे बनारस जिले में चकिया में कुछ बंधे बनाये गये हैं जो बरसात से ही पानी उनमें इकट्ठा होता है और उसी को डिस्ट्रिब्यूट कर पाते हैं। वैसे ही हमारी भदोही और वाराणसी तहसील में कुछ ट्यूब वैल बन गये हैं लेकिन ये सभी एरिया को कवर नहीं करते। हमारी वाराणसी तहसील के उत्तरी भाग को एक नहर भी गई है लेकिन उस से पानी मिलता है तब जब फसल खत्म हो जाती है। हमारे यहां के कुयें भी सूख गये हैं। ट्यूब वेल के पानी की जो डिलिवरी थी वह आधी हो गई है। सवाल इस बात का ही नहीं है जो खरीफ व खेती की फसल खराब हुई है, हमारे सामने गन्ने की फसल बोने की भी बड़ी भारी समस्या है क्योंकि कुओं में पानी

[श्री ऋषिनारायण शास्त्री]

नहीं है, न बंधों में है, न नहर दे सकती है, न कुओं से पानी मिल सकता है । यह संभव है कि जहां कहीं ट्यूब वैल हो उस से पानी मिल जाय लेकिन ऐसे कितने हैं । हम लोग समझते हैं कि हमारी जरूरत का एक चौथाई शायद वह कवर कर पाये । आज हमारे सामने जो समस्या है, जैसा मैंने बताया कि लगातार ४ वर्ष से पानी कम बरसा है । साथ ही हम लोगों ने समय से प्रार्थना की थी कि बरना नदी का एक रेगुलेटर बना हुआ था जिसका १०, १५ मील में पानी हो जाता था । लेकिन हमने यह देखा कि मुश्किल से उस रेगुलेटर ने इस साल काम करना शुरू किया मगर बीच में मछली मारने वालों के द्वारा मछली निकालने की वजह से पानी पेंदो में नीचे चला गया । साथ ही हमने सरकार से प्रार्थना की थी कि कुम्भा नाला जिस ने १० हजार एकड़ जमीन को रेवीन बना दिया है उसको आबाद करने के लिये भूमि संरक्षण विभाग का एक अगल डिवीजन खोला जाय लेकिन अभी तक उस पर कोई काम नहीं हुआ है । एक एरिया है लोहना नाले का बेरल जिसके लिये वहां की जनता ने १० हजार रुपया जमा किया, वह भी बंधा अधूरा पड़ा हुआ है, उसे भी पूरा किया जाय ।

बनारस जिले में बरसात के आंकड़े भी मैं सदन के समक्ष रखना चाहता हूं । जून में पानी बिलकुल नहीं बरसा । जुलाई में जहां पिछले सालों में १० इंच पानी बरसता था वहां कहीं पर ७ इंच और कहीं पर ३ इंच पानी बरसा । खेती जरूर शुरू हो गया लेकिन आगे चल कर पानी एक दम रुक गया । अगस्त में थोड़ी-थोड़ी बरसात हुई लेकिन आगे चल कर वह भी खतम हो गयी । अरलो पैडा (कुआरी) एक दम खत्म हो गयी और जड़हन जो अगहन में पैदा होता था वह ४ आने से ६ आने तक हो पाया और इस प्रकार पैदावार बहुत कम हुई । अक्तूबर में कोई बारिश नहीं हुई । हम लोगों ने बराबर कहा भी लेकिन अभी तक कोई काम नहीं । सरकार के सामने हमने जो मांग रखी थी वह इस प्रकार है कि लगान इन क्षेत्रों का माफ कर दिया जाय । तकावी तथा दूसरे सरकारी ऋण मुल्तवी कर दिये जायं । नहर और ट्यूबवेल का महसूल माफ कर दिया जाय । प्रत्येक कुवें में बोरिंग की व्यवस्था की जाय और सरकार खुद व्यय वहन करे । इन क्षेत्रों में सस्ते गल्ले तथा अन्य पदार्थों के विक्रय के लिये प्रबन्ध किया जाय । इन क्षेत्रों के अन्दर रूरल मैन पावर स्कीम चालू की जाय जिससे यहां के लोगों को अधिक से अधिक सहायता प्राप्त हो सके । जहां पर सिंचाई के साधन न हों वहां ट्यूबवेल या पक्के कुएं बना कर पक्की बोरिंग की व्यवस्था की जाय । जहां तक नहरों में पानी आने का सवाल है, चकिया और चन्दौली में जरूर पानी मिला लेकिन बरसात तीनों तहसीलों में कम हुई । भादोही में सबसे कम पानी बरसा । बनारस तहसील में २० इंच औसत पानी बरसा लेकिन वह शहर के आसपास का औसत है । देहातों में बहुत कम पानी बरसा । भदोही में १३ इंच पानी बरसा और भदोही का पश्चिमी हिस्सा बुरी तरह से अफैक्टेड (सूखा ग्रस्त) है । मैंने व्याख्यान देने के लिये यह व्याख्यान नहीं दिया है । मैंने जो वहां वाकई विपत्ति की स्थिति है उसको बताया । उसका मुकाबला करना आवश्यक है । मुझे आशा है और विश्वास भी है कि सरकार इसके लिये जल्द से जल्द कदम उठायेगी ।

श्री अध्यक्ष---

अब, गाजीपुर के माननीय कमलासिंह उपस्थित नहीं हैं, माननीय विजयशंकरसिंह भी नहीं हैं । श्री वशिष्ठ नारायण शर्मा हैं ।

श्री वशिष्ठनारायण शर्मा (जिला गाजीपुर)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि गाजीपुर जिले की तरफ आपने इस प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया । यों तो पूरा प्रदेश जानता है कि गाजीपुर इस देश के पिछड़े हुये जिलों में एक जिला है । लेकिन इस वर्ष गाजीपुर में बारिश बहुत कम होने के कारण खरीफ की फसल और खास तौर से धान की फसल पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा । हमारे जिले में चार तहसीलें हैं । चारों तहसीलों में उन क्षेत्रों में जिन में धान होता है, पौधा लगाने में बहुत देर हुयी । फिर उसकी लेट रोपाई होने पर समय से पानी न मिलने के कारण

वह बहुत खराब हालत में रही। हमारे जिले में सिंचाई के साधन बहुत साधारण हैं। उसमें भी कुछ ऐसी अव्यवस्था रही कि उसकी वजह से ठीक से सिंचाई नहीं हो सकी। माननीय कृषि मंत्री परिस्थितियों को देखने हमारे जिले में गये। उन्होंने बहुत थोड़ासा समय दिया। लेकिन उतने समय में जिस क्षेत्र में गये उसमें उन्होंने देखा कि सिंचाई की कितनी बड़ी अव्यवस्था है। वह केवल ट्यूबवैल एरिया से गुजरे थे। वहां पर नालियां पटी हुयी हैं, ट्यूबवैल खराब हैं। मेरा विश्वास है कि उन्होंने अपनी रिपोर्ट में इसका जिक्र किया होगा। अगर वह जिले के और हिस्सों में देखते तो अव्यवस्था का और पता चलता लेकिन उनको समय नहीं मिला। जनवरी में उन्होंने जाने का आश्वासन दिया था लेकिन वह भी नहीं हो सका। प्रदेश का कोई उच्चाधिकारी भी उसको देखने नहीं गया।

जमानिया तहसील में, मेरे क्षेत्र में एक नहर है। उसमें भी अव्यवस्था रहती है। उसकी माइनर गूलों को विभाग ने दस वर्षों में भी व्यवस्थित नहीं किया जिसकी वजह से बहुत सा हिस्सा है जहां पर पानी नहीं जा सकता। जहां धान की फसल एक मात्र इस नहर पर निर्भर करती है, इस वर्ष बारिश न होने की वजह से नहर में पानी नहीं गया जिससे स्थिति बहुत खराब रही। उस समय भी मैंने जिले के अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया लेकिन उहोंने वहां जा कर स्थिति नहीं देखा। बाद में जिलाधीश से लिखित निवेदन किया गया कि वह जाकर स्थिति देखें और लोगों को सहायता पहुंचाने के लिये जो संभव हो वह करें। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ। सरकार को जो रिपोर्ट मिलती है वह लेखपालों की रिपोर्ट पर आधारित रहती है। उदाहरण के लिये हमारे क्षेत्र में एक लेखपाल ने रिपोर्ट दी उसके विरोध में सैकड़ों आदमी तहसील में गये। तहसीलदार से मिलकर मैंने कहा लेकिन उन्होंने कहा कि लेखपाल ने रिपोर्ट दिया मैं उसमें असमर्थ हूं। आप इस सम्बन्ध में जिलाधीश महोदय से बात करें। मैं जिलाधीश से मिला। उनको आवेदन-पत्र भी दिया गया लेकिन जिलाधीश महोदय उन क्षेत्रों में नहीं गये। उस क्षेत्र में सूखा पड़ता रहता है वहां यातायात के साधनों का भी अभाव है जिससे ऊंचे अधिकारी वहां जाना नहीं चाहते। उस क्षेत्र के वर्कर्स ने जब यह सवाल उठाया तो दो लेखपालों ने मिलकर एक कांग्रेस वर्कर को पीटा। कलेक्टर के पास मामला गया लेकिन उन्होंने उसकी भी जांच नहीं करवायी। जब माननीय मंत्री जी बोलेंगे तो वह इन अधिकारियों की रिपोर्ट पर कहेंगे लेकिन मुझे विश्वास नहीं कि वह रिपोर्ट सही होगी। मेरा निवेदन है कि वह किसी ऊंचे अधिकारी से इसकी जांच करवायें। तब उनकी सही स्थिति का पता लगेगा। इसके बाद मैंने हाकिम परगना से निवेदन किया और उन्हें उन स्थानों पर ले जाने की हमने कोशिश की। मैं उनको अपने साथ ले भी गया और उनको कई गांव हमने दिखाया भी और उन्होंने उन्हें दिलचस्पी के साथ देखा भी और उसके आधार पर उन्होंने पहले की रिपोर्ट में कुछ परिवर्तन भी किया। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं इस क्षेत्र में यातायात के साधन नहीं हैं, तो वहां पर ऐसी घटना घटी कि जब उनकी जीप ऊंची नीची जमीन पर चल रही थी, जीप दुर्घटनाग्रस्त हो गई और उनके पेशकार को चोट लगी। जिस से कि वह विवश हो गये और ज्यादा नहीं देख सके। इसके अतिरिक्त जब हाकिम परगना जमानियां वहां गये, उस समय वहां पर लेखपाल भी मौजूद नहीं था, जिससे कि वह उससे बात करके वस्तुस्थिति का वेरीफिकेशन कर सकते। इसलिये वह सिर्फ देखकर और एक विचार लेकर ही आये कि सूखे से वहां पर क्षति हुई है और धान की फसल मारी गयी है।

नहर वाले जो हैं, उसके पतरौल मनमाने ढंग से अपने दफ्तर में बैठकर पड़ताल कर लेते हैं, जिस से टैक्स उनसे वसूल हो रहा है। सस्ते गल्ले का सवाल फूड एडवाइजरी कमेटी में भी उठाया गया था, लेकिन अधिकारियों ने साफ कह दिया कि हम जब म्यूनिसिपल एरिया और टाउन एरिया में ही गल्ला नहीं दे पाते हैं तो देहातों में चाहे जैसी भी स्थिति क्यों न हो, हमारे पास साधन नहीं हैं कि हम उनको दे सकें। इस स्थिति की बात ऊपर तक भेजी गई, लेकिन

[श्री वशिष्ठनारायण शर्मा]

आज तक उसमें उसके ऊपर कुछ नहीं हुआ। मेरा निवेदन यह है कि इस सारी स्थिति को देखते हुये मैंने जिलाधीश से भी निवेदन किया कि यहां पर टेस्ट-वर्क शुरू कर दिया जाये, उन्होंने आश्वासन पर आश्वासन दिये लेकिन उन्होंने आज तक इस पर कोई भी काम नहीं किया। इसलिये मेरा निवेदन है कि गाजीपुर की चारों तहसीलों में जहां पर धान की फसल नहीं हुयी है भयंकर सूखे की स्थिति रही है वहां पर गल्ले की और दूसरी आवश्यक उपभोग की वस्तुओं की दुकान तत्काल खोली जायें, वहां पर टेस्ट वर्क और आर० एम० पी० स्कीम शुरू की जाये, सिंचाई के अधूरे पड़े साधनों को पूरा किया जाये। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं।

श्री राम सुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन्, गाजीपुर के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का प्रेस वक्तव्य आया है कि गाजीपुर में इतना ज्यादा गल्ला हुआ है कि जिले में खाने के बाद बच जायेगा, तो यह कहां तक सत्य है, आप बताएं ?

एक सदस्य—

यह वक्तव्य रबी की फसल से सम्बन्धित है।

श्री अध्यक्ष—

कोरम को आप लोग ध्यान में रखें, नहीं तो दिक्कत हो जायेगी।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

हाउस का काम शुरू होने के बाद भी कभी-कभी कोरम की बात में आपत्ति नहीं होती और आज इस समय तो हाउस का अन्तिम समय है।

श्री अध्यक्ष—

फिर भी २० आदमियों को लेकर नियम ५५ नहीं चलेगा।

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री रामकुमार शास्त्री)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकती हैं और यह बात किसी से छिपाई भी नहीं जा सकती है, विशेषकर इस आदरणीय सदन और आदरणीय सदस्यों के समक्ष कि इस प्रदेश में दुर्भाग्यवश खरीफ की फसल को काफी क्षति पहुंची है। जिस समय खरीफ की फसल उग रही और जब तक वह पूरी हुई, उस समय हमारे प्रदेश में पर्याप्त वर्षा नहीं हुई। पर्याप्त वर्षा कहीं पर तो इतनी हुई कि वहां पर प्लान्टेशन भी हुआ और फसलें भी हुई। लेकिन प्रदेश के कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जहां पर जितनी वर्षा होनी चाहिये थी, नहीं हुई। मघा और हस्त नक्षत्र में वर्षा न होने के कारण फसल को काफी क्षति पहुंची है। विशेषकर वर्षा की कमी के कारण यदि एक स्थान से दूसरे स्थान की तुलना की जाय। मैं जायसवाल जी का आभारी हूं कि उन्होंने ध्यान आकर्षित किया लेकिन उनको यह विदित होना चाहिये कि हम सो नहीं रहे थे। पानी के अभाव का जिक्र उन्होंने किया। प्रयाग में कम ही वर्षा हुई है, यह बात सत्य है लेकिन १ साल पहले ही हमारे द्वारा यूनियन गवर्नमेंट को यह योजना भेजी गयी जिसमें ४० लाख रुपये की व्यवस्था होनी थी। इलाहाबाद की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि कुछ भाग शंकरगढ़ वगैरह का पहाड़ी है। इसमें भी दो राय नहीं है कि मेजा तहसील में अकसर पानी का अभाव रहता है। इस वर्ष भी वर्षा न होने के कारण वहां की स्थिति और बिगड़ गयी है।

अब देखना यह है कि यदि ऐसी सूबे की परिस्थिति वहां है तो सरकार क्या व्यवस्था कर सकती थी और उसने नहीं की। सरकार के सामने विधि विधान है। मैं अपने मित्र जायसवाल जी का बड़ा आदर करता हूं लेकिन उन्होंने कहा कि सरकार ने वस्तुस्थिति पर परदा डालने की

कोशिश की। यहां कह तक सत्य है, अगर वह अपने हृदय पर हाथ रख कर पूछेंगे तो इसका उत्तर उनको स्वयं मिल जायगा। आंकड़े उनके सामने हों तो पता चल जायगा कि सरकार ने वहां क्या सहायता पहुंचाई। स्थिति पर परदा डालने की बात के विपरीत वहां अहेतुक सहायता, टेस्टवर्क खोलने, तकावी देने, चारे की व्यवस्था करने आदि के सभी काम किये गये। लाखों रुपये टेस्ट वर्क्स पर दिये गये और इलाहाबाद के बारे में आपकी आज्ञा से बताना चाहता हूं कि २ लाख ९५ हजार रुपये की धनराशि टेस्टवर्क में स्वीकार की गयी और १८ जगहों पर टेस्टवर्क खोले गये। (आवाजें ——कहां खोले गये ?) करछना, मेजा, चायल, हंडिया, मंझनपुर और फूलपुर तहसीलों में टेस्ट-वर्क्स खोले गये। लोग उनमें नहीं आये। जब हमें मालूम हुआ कि वर्षा कम होने की वजह से शनैः शनैः स्थिति विषम होती जा रही है तब हमने राजस्व परिषद् के एक उच्चाधिकारी को वहां जांच करने के लिये भेजा और उसके बाद ११ और टेस्ट वर्क्स का विधान करवाया।

इसके साथ ही साथ माननीय सदस्यों ने यह भी पढ़ा होगा कि हमने सारे जिले के ३१ मार्च, सन् १९६६ तक के लगान को स्थगित कर दिया है। माननीय शिक्षक जी ने कुछ तहसीलों का जिक्र किया है। लेकिन हम तो कायदे कानून से बंधे हैं। समस्त जिले जो इससे प्रभावित हैं उनके बारे में हमने उन जिलों के अधिकारियों को २६ तारीख को आमंत्रित किया है। उस पर हम सोचेंगे। वहां की स्थिति हमको तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स की रिपोर्ट्स से मालूम होती हैं जो वह राजस्व परिषद् को भेजते हैं। जो वास्तविक स्थिति होती है उस पर हमको तय करना होता है कि उनको क्या छूट देनी है। आप जानते हैं कि हमारा नियम यह है कि ५० फीसदी जब फसल का नुकसान हो जाय तब माफी करना चाहिये। फेमिन घोषित करने की मांग जायसवाल जी करते हैं कोड में पड़े प्रतिबन्ध हैं यथार्थ जब बैल बिकने लगे तब सहायता देने का प्राविधान है। (आवाजें----बिक रहे हैं।) बेच रहे होंगे इससे इन्कार नहीं करता और न उसका खंडन करता हूं और जब तक खंडन नहीं कर सकता तब तक उसके लिये मेरे पास पुष्ट प्रमाण न हों।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय--

ऐसे नियमों को बदल दीजिये।

श्री रामकुमार शास्त्री--

बदलना है तो बदलेंगे लेकिन वर्तमान परिस्थिति में अगर सेवा न करते हों तब तो बात है।

श्री अध्यक्ष---

वह खुद यह कह रहे हैं कि ऐसी परिस्थिति में जब आप सहायता नहीं दे पा रहे हैं और आपकी इच्छा है और उचित समझते हैं, तो कानून को बदलना चाहिये।

श्री रामकुमार शास्त्री--

जो कानून है उससे निस्तार नहीं होता है। आखिरकार किसान दुखी रहे और वह कठिन परिस्थिति से गुजरे तो यह जनकल्याणकारी सरकार उसको नहीं देख सकती। किसान की कठिन हालत को यह सरकार देख नहीं सकती है। यह सरकार उनकी सुविधा के लिये रुपया खर्च कर रही है। पीने के पानी की व्यवस्था के लिये १४ लाख रुपया खर्च करने जा रही है ताकि जो लोग परेशान हैं वह पानी पियें। इसके अलावा वहां पर अगल बगल में कुछ नदियां भी हैं उनसे भी लोग सहायता ले रहे हैं। हमारे पास जो रिपोर्ट है उससे ऐसा मालूम होता है कि वैसी हालत नहीं है जैसी बतलाई जा रही है। वहां पर झोपड़ी डालकर लोग अपनी व्यवस्था कर रहे हैं। सरकार की तरफ से भी व्यवस्था की जा रही है ताकि पानी के संकट से लोग परेशान न हों। हमने हर तहसील में सस्ते गल्ले की दुकान खोल रखी है ....

श्री रामसुन्दर पांडेय--

कितनी आजादी पर दुकान खोल रखी है ?

श्री रामकुमार शास्त्री--

हर तहसील में गल्ले की दुकान का जिक्र है। जहां-जहां पर आवश्यकता है उसके अनुकूल हमने केन्द्र बिन्दु स्थानों पर दुकान खोल रखी है। उन दुकानों से त्रसित जन खरीदें और फरोख्त करें। सरकारी देय धनों की भी वसूली को स्थगित किया गया है। भू-राजस्व में ८,८६,४६२.२१ पैसे वसूली स्थगित की गई है। आबभार (सरचार्ज) में ५२,९८४.३ पैसे की वसूली रोकी गई। तकावी ऐक्ट १२ के अन्तर्गत ९,२८,७९९.९८ पैसे की वसूली स्थगित हुई और तकावी ऐक्ट १९ के अन्तर्गत ६,३४,९१८.७७ पैसे की वसूली स्थगित की गई। यह सारी तफसील समाचार पत्रों में 'स्वतन्त्र भारत' और 'नेशनल हैरल्ड' में आप देख सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि हमारी नियत क्या है। वर्तमान परिस्थिति में जो कुछ हम कर सकते हैं वह कर रहे हैं।

इसके अलावा और जिलों का जिक्र आया है। यह सही है कि ४, ५ जिले और ऐसी दशा में हैं लेकिन वहां पर ऐसी भयावह स्थिति नहीं है। मिर्जापुर में टेस्ट वर्क खोला गया। २५ हजार रुपया खर्च किया जा रहा है दूद्धी तहसील में। हमारे मित्र कहते हैं कि पानी का संकट है। उसको हम दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के इंजीनियर के सामने यह प्रश्न विचाराधीन है। वह संकट आज से नहीं बल्कि बहुत पुराने समय से राबर्ट्सगंज में पानी का संकट है। मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि गर्मी के दिनों में वर्षा में वहां हालत बड़ी खराब होती है। जब माननीय केशवदेव मालवीय जी सदस्य हुये थे तब उन्होंने वहां पर बन्धी बनवाई थी लेकिन अब हमारे सामने यह प्रश्न आ गया है। उसमें जो सिद्ध हस्त लोग हैं उनके द्वारा व्यवस्था करने जा रहे हैं। रहा प्रश्न सस्ते गल्ले का, लगान का, तकावी का और ग्रेचुयेटस रिलीफ का सो हम इतना कर रहे हैं। माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिये हैं उनको हम दोबारा देंगे। सरकार उनकी स्थिति को जानती है और उनकी तकलीफ कदाचित देखना नहीं चाहती है।

मेरे मित्र जायसवाल जी कोई साधारण कार्यकर्ता नहीं हैं। वे जिला कांग्रेस कमेटी के बहुत ही पापुलर मंत्री रहे हैं। उन के मुंह से जब यह बात सुनता हूं कि वहां पचासों आदमी मर गये तो ताज्जुब होता है। वे तो स्वयं भी बड़े दयावान रहे हैं। हम गरीब कार्यकर्ताओं के बीच में घूम घूम कर अलख जगाते रहे हैं, अगर वे ही दो चार ऐसे व्यक्तियों की सहायता के लिये कुछ प्रयत्न कर देते तो शायद यह स्थिति न उत्पन्न हो पाती। लेकिन अगर ऐसी घटना घटित हुई है तो वह बड़ी लज्जाजनक है हमारे लिये भी और आप के लिये भी, लेकिन हमारी यह सरकार इस बात को कतई बरदाश्त नहीं करेगी कि उस के नजरों के सामने एक भी व्यक्ति भूखा मर जाय।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमको इन्तजाम करना होता है। दिन रात परिश्रम कर के रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अफसरों को हिदायत की गयी है और माननीय माल मंत्री जी इस बात का काफी प्रयत्न कर रहे हैं कि वहां पर किसी तरह की कोताही न होने पावे। उस दिन प्रश्न हुआ। मैं तो बहुत ही साधारण व्यक्ति हूं, बहुत सी साधारण ओहदे पर काम कर रहा हूं। मैंने कहा कि जब तक वस्तु स्थिति न जान पाऊं, कुछ कह नहीं सकता। जब स्थिति मालूम हुई उसी समय रेवेन्यू सेक्रेटरी ने २५ हजार रुपया मंजूर किया। यह तथ्य की बातें हैं।

श्री अध्यक्ष--

जौनपुर के बारे में क्या कहना है ?

श्री रामकुमार शास्त्री--

जौनपुर में मछलीशहर और मड़ियाहूं की हालत जरूर तकलीफ देह है और जो सुझाव माननीय माल मंत्री जी को दिये गये हैं और जहां तक भी विधि विधान से संभव होगा हमारे लिये, वह सब

हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। वैसी ही गाजीपुर की हालत है। लेकिन अगर बनारस को देखा जाय और उसका ट्यूबवेल का नक्शा फैला कर आप सामने रख लें तो सब जगह आपको ट्यूबवेल ही ट्यूबवेल नजर आयेंगे। इसके अलावा वहां पर नहरें भी काफी हैं। यह बात मानता हूं कि प्रकृति का थोड़ा सा प्रकोप है हम पर और उसके कारण ही सूखा पड़ गया लेकिन मैं दाद देना चाहता हूं इस सरकार को कि मौके बे मौके उसने अपनी परिमित शक्ति में रह कर जो कुछ वह कर सकती है कर रही है और करती रहेगी। हंडिया के बारे में भी कह रहा हूं कि उसका एक हिस्सा जरूर है सूखे की लपेट में, लेकिन आपने तो बिलकुल माफ करने की बात कह दी। अगर सारे का सारा लगान माफ कर दिया जाय तो फिर होगा क्या? काम कैसे चलेगा? गाजीपुर की जमानियां तहसील में मैं एक रैदास सम्मेलन में गया था और माननीय सदस्य के साथ जाकर वहां की हालत देखी थी। लेकिन वह सारा पूर्वी इलाका ही गरीब है। जरा सा झोंका आते ही वे बेचारे गरीब उसे सहन नहीं कर पाते। लेकिन उसके बाद भी जहां तक संभव होगा हमारे माल मंत्री जी वहां की स्थिति की जानकारी करके यथा शक्ति सहायता करेंगे।

श्री सत्यनारायण पांडेय (जिला इलाहाबाद)--

माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री मेवालाल जायसवाल (जिला इलाहाबाद)--

अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष--

कहिये।

श्री मेवालाल जायसवाल--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि इलाहाबाद जिले का सोरांव पश्चिमी क्षेत्र जो है उसका जिक्र किसी ने नहीं किया। किसी अधिकारी की रिपोर्ट भी उस क्षेत्र के बारे में नहीं पढ़ी गयी। उस के बारे में उस दिन भी मैंने सवाल किया था कि इलाहाबाद के पश्चिम क्षेत्र का जांच किस अधिकारी द्वारा करायी गयी लेकिन कोई उत्तर नहीं दिया गया। तो मैं जानना चाहता हूं कि वहां की स्थिति जब भयावह हो चुकी है और वहां के लोग उपवास कर रहे हैं तो वहां के लिये क्या किया जा रहा है। मैं कल ही वहां से आ रहा हूं। कल चार बजे शाम तक वहां वसूली हो रही थी।

श्री अध्यक्ष--

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

यह अनियमित बात है। एक बार "व्यवस्था का प्रश्न" समझ लीजिये। उसका मतलब यह होता है अगर कोई नियम तोड़ा जा रहा हो तो आप व्यवस्था का प्रश्न उठाइये। यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं तो बाद में पूछ लीजियेगा।

श्री सत्यनारायण पांडेय--

माननीय अध्यक्ष जी, १७ मार्च को जब मुख्य मंत्री के द्वारा सदन में वक्तव्य दिया गया तो नियम ५३ के अन्तर्गत हम लोगों ने विवाद के लिये लिख कर दिया था, लेकिन मुझे खेद है कि जो टिप्पणी हमने साथ में नत्थी की थी कि वक्तव्य से हमें असंतोष है उस पर उन्हें प्रकाश डालना चाहिये था, लेकिन नियम ५३ का कोई लाभ नहीं उठाया जा रहा है और उस टिप्पणी पर कोई टीका नहीं की और न वक्तव्य दिया। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सभा सचिव जी साधिकार कह सकते हैं कि ३४ दूकानें खोली गयीं? हो सकता है कि जिन बीस की फाइल में मौजूद हों, लेकिन १०-५ दूकानों को छोड़कर जो कर्छना और मेजा तहसीलों में खोली गयीं, कहीं एक दूकान भी नहीं

[श्री सत्यनारायण पाण्डेय]

खोली गयी। आप कहते हैं कि हम स्थिति को शुरू से गंभीर समझ रहे हैं। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि अगस्त के महीने में सुब्रमण्यम जी ने जो गल्ला इलाहाबाद जिले के लिये भेजा वह कहां गया? अब अगस्त से फरवरी खत्म हो गयी और एक भी दुकान देहातों में नहीं खुली। सुब्रमण्यम जी ने जो गल्ला दिया मैं चार्ज लगाता हूं कि इलाहाबाद की भुखमरी की स्थिति के लिये जो गल्ला आया पता नहीं कहां भेज दिया गया। पहाड़ी इलाकों में भेज दिया या शहरों में बांट दिया। मुझे दुःख है कि जहां गल्ला शहरों में प्राप्त होता है वहां पूरा बांटा जाता है। पर देहातों में जहां गल्ला नहीं है एक न्याय पंचायत में १० हजार की आबादी में एक दूकान खोली जाती है उसमें १५ बोरा ज्वार देते हैं और कुछ बोरे आटा—एक आदमी को बिलकुल नगण्य पड़ता है।

यह भी हमने कहा था कि जो गल्ला बांटने की व्यवस्था है उससे निर्धन व्यक्ति को नहीं मिलता, हां लट्ठ-बाज लोग जो गांव के हैं उनको मिल जाता है। यह कहा गया था कि राशन कार्ड की प्रणाली अविलम्ब लागू की जाय। सभा सचिव ने इसके बारे में कोई जवाब नहीं दिया कि राशन कार्ड की व्यवस्था लागू करने में कठिनाई है? और यदि स्थिति की गंभीरता को समझना चाहते हैं तो मैं आपके माध्यम से उनसे अनुरोध करूंगा कि इन बातों को छोड़ कर इलाहाबाद में चलें वहां के विधायकों की मीटिंग बुलावें, अधिकारियों को इकट्ठा करें और जो जनता की कठिनाई है उसको दूर करें।

मैं यह भी अनुरोध करूंगा कि वह खुद कहते हैं कि कर्छना और मेजा पहाड़ी इलाके हैं। वहां पर एक कमीशन स्थापित किया जाय जिसमें एग्रीकल्चर के, सिंचाई के आदमी हों और रेवेन्यू के लोग हों, भले ही पटेल आयोग जैसी पूर्वी जिलों के लिये हुआ उस तरह का और उस स्तर का न हो वहां आपने सिंचाई की क्या व्यवस्था की? ५ ट्यूबवेल पिछले मार्च को लगे और आज तक इनरजाइज नहीं हुये, इसका क्या जवाब है सभा सचिव के पास? कहते हैं कि पाइप नहीं मिलता, दूसरी जगह चला गया। लोग पंपिंग सेट के लिए मांग करते हैं, लेकिन नहीं मिलता। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि अब बहस का समय नहीं है। मैं आपसे सादर निवेदन करना चाहता हूं कि हम लोगों ने बहस और अखबार में निकालने के लिये यह डिबेट नहीं मांगी है। हमने इसलिये मांगी है कि स्थिति को संभालने के लिये जैसे पुराने साथी थे, उस तरह से आप कदम उठायें। इलाहाबाद सभा सचिव चलें और वहां विधायकों की, कार्यकर्त्ताओं की और अधिकारियों की मीटिंग बुलावें और वहां पर क्या कठिनाई है, दूकानों पर चल कर खुद देखें कि वहां अनाज की स्थिति क्या है। श्री जैसवाल जी ने उस क्षेत्र को अकाल पीड़ित घोषित करने की जो मांग की है उसका मैं समर्थन करता हूं। आप पुराने फेमिन ऐक्ट को बदलने को तैयार नहीं हैं, मालूम पड़ता है कि आपके बदलने पर और इस सरकार के बदलने पर ही फेमिन ऐक्ट बदलेगा। इसलिये मैं चाहता हूं कि आप परिस्थिति के मुताबिक फेमिन ऐक्ट को बदलने की घोषणा करें और २६ तारीख को जो आप मीटिंग कर रहे हैं उसमें लगान माफी एवं विद्यार्थियों के फीस माफी की घोषणा करें। करछना और मेजा तहसील में ही नहीं बल्कि सारे जिले में लगान माफी की घोषणा करें। सारे जिले की स्थिति बहुत खराब है। १४ लाख रुपया सरकार पानी के लिये पाइप लाइन बिछाने पर खर्च कर रही है। अगस्त में जब हमने कहा था कि पीने के पानी की कमी होगी तो उसी १४ लाख रुपये में ट्यूबवेल्स क्यों नहीं लगवा दिये गये, रिंग मशीन क्यों नहीं लगायी गयी, बोरिंग क्यों नहीं करायी गयी? अब यह सरकार थोड़ी बहुत सचेत हुई है, खैर जब से जागे तभी सबेरा। मालूम होता है कि माननीय राजस्व मंत्री के हृदय में अब करुणा जागी है, उनके हृदय में जरा देर से करुणा जगती है, लेकिन मुझे आशा है कि जब वे जग गये हैं तो पूरी तरह से वहां के किसानों की सहायता करेंगे। मुझे सूचना मिली है कि अब 'गणेश' और 'लक्ष्मी' इलाहाबाद के फुटपाथ पर मरने लगे हैं, एक भयंकर स्थिति वहां आने वाली है, इसलिये आप जागें और सारी परिस्थिति को समझ कर किसानों की सहायता करें।

श्री मेवालाल जायसवाल—

श्रीमन्, हमारे यहां के किसान लड़ाई करने के आदी नहीं हैं लेकिन मुझे दुःख है कि वहां के किसानों की आज कोई सुनने वाला नहीं है। मैं परसों ही माननीय मंत्री जी से मिला था तो आपने कहा कि सोरांव का नहरी इलाका है। मैं डिस्कशन में नहीं जाना चाहता लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूं कि वहां पानी नहीं है और सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गयी है। माननीय मंत्री जी को मैं चैलेन्ज करता हूं कि अगर मेरी बात गलत हो और वहां भुखमरी न हो तो मैं एम० एल० ए० के पद से इस्तीफा दे दूंगा और अगर बात सही हो तो माननीय मंत्री जी अपने पद से इस्तीफा दें। सोरांव के इलाके में आज वहां उपवास हो रहा है और वहां गल्ले की कोई दूकान आज तक नहीं खोली गयी है। और न कोई अधिकारी ही वहां गया और न वहां की स्थिति के बारे में कोई सूचना ही दी है। मेरा आपसे निवेदन है कि सोरांव तहसील में एक उच्च अधिकारी को भेज कर वहां की जांच करायी जाय जो जाकर देखें कि वहां की सही स्थिति क्या है। मैं आपको वहां की सही स्थिति बतला रहा हूं कि वहां सरकारी सस्ते गल्ले की कोई दूकान नहीं है, वहां चारे का कोई प्रबन्ध नहीं है जिससे वहां त्राहि त्राहि मची हुई है। खरीफ की फसल पानी न बरसने से बरबाद हो गयी और रबी की फसल भी नहीं बोयी जा सकी, इस तरह से दोनों फसलें वहां की बरबाद हो गयी हैं।

कल ही सुबह सुहरियापुर नाम के एक मौजे में मैं गया था जहां मालूम हुआ कि गांव में लोग उपवास कर रहे हैं और आपके अमीन वसूली कर रहे हैं। मैंने अमीन से पूछा कि जब सरकार से वसूली बन्द का आर्डर आ गया है तो वसूली बन्द क्यों नहीं करते, उसने बतलाया कि मेरे पास इस तरह का कोई आर्डर नहीं है। मैं उच्च अधिकारियों से पूछना चाहता हूं और जो यहां बैठे हुए हैं और सुन रहे हैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आखिर अमीन द्वारा वसूली क्यों हो रही है और किसके आर्डर से हो रही है, इसको वे बतलावें। किसानों के साथ इस तरह की जो ज्यादती हो रही है उसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, हम इन्साफ चाहते हैं। जब सोरांव की स्थिति इस तरह की हो रही है तो उच्च अधिकारियों को चाहिये कि वहां जाकर जांच करें और वहां सस्ते गल्ले की दूकानें खुलवायें तथा जानवरों के लिये चारे का प्रबन्ध किया जाय। यही मेरा आपसे निवेदन है।

*श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)—

अध्यक्ष महोदय, वर्षा का अभाव तो सारे पूर्वी जिलों में ही है, वर्षा बिलकुल हुई नहीं, सभी जगह की हालत दयनीय है, परन्तु जौनपुर में मड़ियाहूं तहसील तथा मछलीशहर की हालत बहुत खराब है। मड़ियाहूं तहसील का पश्चिमी इलाका धान का क्षेत्र है, और वहां वर्षा न होने के कारण एक भी दाना धान का नहीं बोया जा सका। वहां पर एक यही फसल होती है। वर्षा न होने के कारण यह फसल बोयी ही नहीं गयी। उधर रबी की जो फसल बोने को थी वह भी नहीं बोयी जा सकी। जब माननीय राजस्व मंत्री उस क्षेत्र में गये थे तो मैंने उनसे यह सब निवेदन किया था। इन्होंने मजाक में, जैसी कि इनकी आदत है, मुझसे कहा, "आपको क्या कहना है, मालगुजारी माफ कर दी जाय।" खैर, मैंने उनसे सब परिस्थिति को बताया। मड़ियाहूं तहसील के कुछ गांव तो इतने बुरी तरह से प्रभावित हैं कि वहां चारे की विकट समस्या पैदा हो गयी है। वहां जानवरों के लिये चारा नसीब नहीं हो रहा है। वहां के जिलाधिकारियों ने सरकार को जो रिपोर्ट दी है वह बिलकुल गलत है। मेरे साथ जिलाधिकारी, तहसीलदार, हाकिम परगना, सभी गये हैं और उन्होंने उन गांवों को देखा है। वहां एक भी दाना धान का नहीं बोया गया है। मगर उन सब अधिकारियों ने वहां की जनता के लिये गल्ले की कोई

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जगन्नाथ राव]

व्यवस्था नहीं की, और आपको उन्होंने धोखे में रखा, गलत रिपोर्ट दी, वास्तविक स्थिति का पता नहीं लगाया। लेखपालों ने घर बैठे ही गलत रिपोर्ट भेज दी। जो आपका यह ऐक्ट है, इसमें भी आपने कोई संशोधन नहीं किया है। मैं सविनय आग्रह करूंगा कि इस समय वहां की जो स्थिति है उसको देखते हुए लगान की वसूली तत्काल बन्द की जाय और गल्ले तथा चारे का प्रबन्ध किया जाय।

श्री रामनाथ पाठक (जिला मिर्जापुर)—

अध्यक्ष महोदय, हमारे मिर्जापुर की राबर्ट्सगंज तहसील की स्थिति बहुत खराब है। पारसाल हमारे क्षेत्र में पाला पड़ा था, उससे बड़ा नुकसान पहुंचा था, इस साल वहां और दुद्धी क्षेत्र में वर्षा बिलकुल नहीं हुई, सूखे के कारण वहां की स्थिति बड़ी खराब हो गयी है। वहां जिलाधीश वगैरह देखने भी नहीं गये। लेखपाल ने ही गलत रिपोर्ट भेज दी। वहां लेखपाल तथा कोई भी अधिकारी जांच के लिये नहीं जाते, और घर बैठे ही सारी रिपोर्ट लिख कर भेज देते हैं। हमने माननीय शास्त्री जी को लिखा था, इस सरकार को भी कई बार लिखा कि हमारे यहां अकाल की स्थिति है, मगर कोई ध्यान नहीं दिया गया। बरसात हुई नहीं, धान की सारी फसल सूख गयी, कहीं-कहीं तो एक दाना बोया भी नहीं गया, उपज कहां से होगी। किन्तु रिपोर्ट में २५-३० प्रतिशत का नुकसान बताया गया है, जो बिलकुल गलत है। हमने कई बार लिख कर भेजा, मगर पानी का कोई प्रबन्ध नहीं किया गया। हमारे यहां अकाल का यह चौथा वर्ष है। अन्न बगैर लोग मरेंगे। पानी बगैर मरेंगे। माननीय गुप्ता जी ने राबर्ट्सगंज, दुद्धी तहसील के लिये दस लाख रुपया कुओं के लिये दिलवाया था परन्तु चार वर्ष के बाद वह क्या हो गया। जो पुरानी बंधियां व तालाब थीं वे पट गये, वे खोदे नहीं गये। इस वर्ष पानी बगैर हमारे यहां आदमी मरेंगे। जानवर मरेंगे। लेकिन मैं आपसे अनुरोध करूं कि आप एक समिति नियुक्त करें। जांच करा ली जाय। दस २ पंद्रह मील के अन्दर पानी पीने के लिये कुयें नहीं है। सरकार हम लोगों की बात सही न मानकर लेखपालों की बात सही मान लेती है। अगर हमारी बात को गलत माना जायेगा तो भुखमरी होगी। उसकी जिम्मेदारी उन पर लानी चाहिये और उसका उचित दंड अधिकारियों को दिया जाय।

श्री राजनारायणसिंह (जिला वाराणसी)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे वक्त दिया। श्रीमन्, शास्त्री जी की लच्छेदार भाषा को सुन करके वह प्रगट हुआ कि जिसकी हद नहीं। इसीसे मैंने कुछ कहने का आपके सम्मुख प्रयत्न किया। मैं आपसे कहता हूं कि जैसा वशिष्ठ बाबू ने कहा है उससे ज्ञात हो गया होगा कि पटवारियों की बात मानी जाती है दरबारियों की नहीं मानी जाती। मेरे कहने का मतलब यह है कि दैवी प्रकोप की बात सुनकर मुख्य मंत्री बनारस जिले में गयी थीं। इसके गवाह उनके पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी बंशीधर पांडेय हैं। बनारस जिले में नहरों का जाल बिछा हुआ है और ट्यूबवेल का जाल बिछा हुआ है जिसका नक्शा हमारे शास्त्री जी की नजरों के सामने है। पर मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उस जाल में हम किस तरह से फंसाये जाते हैं गरीब किसान जिनका कोई पुरसा हाल नहीं है। श्रीमन्, मैं आपसे निवेदन कर दूं। मैं अपने जिले की बात कहता हूं कि जो नहरों का बहुत बड़ा जाल बिछा हुआ है, श्रीमन, आपके सामने उसे लाना चाहता हूं और सिंचाई मंत्री कृपया बताने की कृपा करें कि दस साल में पानी आज तक उन नहरों में नहीं गया और बिसरामऊ का खेत आज भी नहरों के जाल में फंस गया और इसके साथ ही मुआवजा मिला। हमें पानी तब दिया जाता है जब मछली का शिकार होता है हमारे सरकारी अफसरों का और उस मछली के शिकार में चन्द्रप्रभा डिवीजन का पानी खत्म कर दिया जाता है और जब हमें पानी की जरूरत पड़ती है तो पानी नहीं है। हम बे पानी मारे जायं और यदि कुछ कहें तो शास्त्री जी की लच्छेदार बातें सुनें। इन लच्छेदार बातों से हमारा पेट भरने का नहीं।

चन्दौली का उत्तरी इलाका एक दम सूखकर कांटा हो गया है। जब पानी छोड़ा गया तो वह ऐसे समय छोड़ा कि एक बाल नहीं आई। आपने बहुत सी बातें सुनी होंगी मगर यह नहीं सुना होगा। गंग शिकस्त का परताल हुआ है इस समय मैंने लिखा-पढ़ी की कि इसकी जांच होनी चाहिये। मैं चिल्लाता रहा और ५६ दरख्वास्तें दीं पर कोई सुनवाई नहीं हुई। पांडेय जी से आप पूछ सकते हैं कि २२ दिन में केवल २ दिन ट्यूबवेल चला। हमारे एक ट्यूबवेल से कितनी सिंचाई होती है? ८०० एकड़ की सिंचाई होती है। आधे ट्यूबवेल तो खराब हो गये। बजाज साहेब ने जो हमारे यहां के ट्यूबवेल के इंजीनियर हैं मंजूर किया कि आधे ट्यूबवेल खराब हो गये हैं। तो जब पानी की जरूरत होती है तो ट्यूबवेल खराब और सिंचाई के एकड़ आप को दिखला देते हैं। तो हमारा पेट कैसे भरेगा? इसलिये मैं चाहता हूं कि मंत्री जी हमारी बातों को सुनने की कोशिश करें। जब मुख्य मंत्री वाराणसी में गई हुई थीं तो उनके सामने अधिकारी लोग आये हुये थे। अधिकारी लोग जब मंत्रियों के सामने जाते हैं तो उनका कैसा रूप होता है वह तो आप जानते ही हैं क्योंकि आप भी अधिकारी हैं। मैं भगवान को साक्ष देकर कहता हूं कि सिंचाई की हालत बहुत खराब है। बजाज ट्यूबवेल इंजीनियर ने मुझसे कहा कि आप शिकायत ही न करेंगे, काम तो हमको ही करना है, हम नहीं करेंगे। दैवी प्रकोप की बात तो समझ में आती है लेकिन सरकारी प्रकोप की वजह से परेशान न किये जावें तो अच्छा हो।

श्री अध्यक्ष--

आपका समय समाप्त।

*श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)--

माननीय अध्यक्ष जी, यह गाजीपर, मिर्जापुर, आजमगढ़, इलाहाबाद, सुल्तानपुर या दूसरे जिलों का ही सवाल नहीं है, यह तो सारे पूर्वी जनपदों की जो स्थिति है उसके बारे में मैं अधिक क्या कहूं, माननीय राजस्व मंत्री जी और शास्त्री जी स्वयं उन जनपदों के रहने वाले हैं और वे जानते हैं कि प्रति वर्ष वहां यही फीचर होते हैं और भुखमरी और अकाल की स्थिति रहती है और सब ही की आर्थिक स्थिति खराब रहती है। वहां सिंचाई के साधन बिल्कुल अपूर्ण हैं ३० इंच, ३२ इंच पानी कुल वहां पड़ा है और सब जगह सूखे की स्थिति रही है।

अध्यक्ष महोदय, मैं तो एक बहुत ही मौलिक प्रश्न की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। यह प्रश्न इसी वर्ष नहीं, पारसाल भी पैदा हुआ था। ये लोग अपने अन्तःकरण को यह कह कर संतोष दे सकते हैं कि चूंकि १५० वर्ष पहले अंग्रेजों की एक किताब लिखी गई थी कि जब लेखपाल ८ आने के ऊपर क्षति लिखेगा तभी आप छूट देंगे। लेकिन इतनी शर्मनाक स्थिति है यह कि हम आपसे अपील करते हैं कि उस किताब को फाड़कर फेंक दिया जाय।

अध्यक्ष महोदय, यह जो कानून और नियम इस बारे में बने हुए हैं उनमें बड़ा भारी दोष है। उनमें लिखा हुआ है कि किसान के कुल खाते के आठ आना से ऊपर क्षति होगी तब ही उसको छूट दी जायगी। मान लीजिये किसी के पास ३० एकड़ खेत है। १० एकड़ उसने रबी के लिये छोड़ दिया है। अब बीस एकड़ में से १५ एकड़ में उसका नुकसान हो गया तो उसको ८ आने से ज्यादा का नुकसान नहीं माना जायगा। १८ वर्ष आजादी को मिले हुए हो गये। राजस्व मंत्री जी उदार हृदय के हैं लेकिन इस कानूनी शिकंजे की वजह से वे किसानों को राहत नहीं पहुंचा पाते हैं। माननीय मंत्री जी उसका अमेंडमेंट लायें, हम उनका साथ देंगे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कृष्णानन्द राय]

माननीय शास्त्री जी ने बनारस में ट्यूबवेल के तांते की बात कही । इसी प्रकार गाजीपुर में नहरों और आजमगढ़ में ट्यूबवेल का जाल बिछा हुआ है । मेरा यह सरकार पर स्पष्ट आरोप है कि सरकार इस बात की जांच कराये कि इन १०–२० सालों में जो नहरें और ट्यूबवेल्स बने हैं, वे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं । मेरा स्पष्ट आरोप यह भी है कि चन्द्रप्रभा बांध का पानी मौसम से पहले ही निकाल दिया गया था । शायद इस वजह से कि वहां पर फिशरी की योजना को लागू करना चाहते थे अथवा, कुछ इंजीनियर लोग वहां मछली का शिकार करना चाहते थे । बांध पर उस समय पानी ही नहीं था जब कि किसानों को सबसे ज्यादा जरूरत थी । गाजीपुर और मिर्जापुर की जनता रोती रह गयी और उसकी आंखों में खून उतर आया कि वहां के अधिकारी बांध के पानी को इसलिये निकाल दें मछली की पैदावार को वे बढ़ाना चाहते हैं अथवा मछली का शिकार खेलना चाहते हैं । श्रीमन्, मेरे इन स्पष्ट आरोपों की जांच करा ली जाय ।

*श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, यह मर्ज इतना बढ़ गया है कि इसका इलाज नामुमकिन है । विरोधी दल के लोगों ने इन १८ वर्षों में बहुत से मौके दिये, डिमांस्ट्रेशन किये, स्टेटमेंट दिये, रोये चिल्लाये लेकिन जो दशा है उसको आप स्वयं ही देख लीजिये । मैं उस जिले से आता हूं जिसके इन १८ साल में ३ प्रधान मंत्री हो चुके हैं । आज उस जिले की हालत का वर्णन नहीं किया जा सकता । मैंने माननीया मुख्य मंत्री से कहा कि हम इस समय प्रोपेगेंडा करना नहीं चाहते हैं । उन्होंने कृपा करके गेंदा सिंह जी को भेज दिया । गेंदा सिंह जी वहां गये और उस गांव में गये जहां एक मौत हो गयी थी लेकिन उन्होंने जो बयान दिया, उससे मुझे बड़ा दुख हुआ । जहां मौत हो रही है, बगैर पानी के जहां लोग मर रहे हैं, वहां की बातें यहां सदन में तोड़ मरोड़ कर कहना सदन का और हमारा समय नष्ट करना है और टैक्सपेयर के पैसे का दुरुपयोग है। देश के विभाजन के समय सन् १९४७ में मैं कांग्रेस में था । मैंने जवाहर लाल जी के सामने उसका विरोध किया और उसी के कारण मुझे कांग्रेस छोड़नी पड़ी और उसका जो नतीजा हुआ, वह आप देख ही रहे हैं । १५ अगस्त चला गया उस दिन आप शहनाई बजा रहे थे । मैं आज फिर आपसे कहता हूं कि हमारे क्षेत्र के दो प्रधान मंत्री मर चुके हैं । और अब तीसरा प्रधान मंत्री हमारे जिले का बना है उस जिले की कथा मैं अपने मुंह से क्या कहूं ।

अभी कल परसों की ही बात है कि हमारे शहर इलाहाबाद शहर के कालविन अस्पताल में एक औरत ८ दिन भूख से तड़प कर मर गई । वहां के लोगों ने, सरकारी मेशीनरी ने किसी ने भी उसके खाने का इंतजाम नहीं किया । उसके बारे में डिमांसट्रेशन हुआ, कलेक्टर को टेलीफोन किया गया और बुढ़िया को कोतवाली ले जाया गया । उसको अस्पताल में भर्ती किया गया और वह वहां ८ दिन की भूख के बाद वह मर गई । इस तरह का हमारा खुला चार्ज है लेकिन यहां पर इस तरह से चार्ज लगाने से ही चीज समाप्त नहीं होती और न हल होती है । जब तक यह सरकार यहां है वह इसी तरह से प्रदेश के लोगों को मार डालेगी और मेरा तो यह ख्याल हो गया है कि अब इस तरह से यह सरकार हटेगी भी नहीं और इस को हटाने के लिये अब हमें दूसरा तरीका अख्तयार करना होगा, हो सकता है कि वह देश के लिये बहुत खतरनाक रास्ता हो और नियमों के विरुद्ध हो लेकिन अगर वह रास्ता अख्तयार न किया जायगा तो यह हटने वाले भी नहीं हैं और जनता इसी तरह से एक एक दाने को परेशान होती रहेगी ।

हमारे इलाहाबाद जिले में ही आज ६० प्रतिशत लोग ऐसे हैं कि जिन को दिन में एक बार खाना नहीं मिलता । ३० प्रतिशत ऐसे हैं कि जिन को सप्ताह में तीसरे दिन खाना मिलता है और दस प्रतिशत ऐसे लोग हैं कि जिन को १५ दिन के बाद भी एक रुपये का गल्ला नहीं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मिलता। हमारे यहां माननीय गेंदा सिंह जी गये और उन से वहां सौ डेढ़ सौ आदमी मिले। उन से लोगों ने बताया भी कि हमें दस दस ग्यारह ग्यारह दिन से खाना नहीं मिला है। वह यहां इस वक्त होते तो मैं उन से पूछता कि कहा था या नहीं। मैं जानना चाहता हूं कि वहां पर जो भुखमरी से मृत्यु हुई है क्या वह कहते हैं कि वह नहीं हुई है। वह मृत्यु बीमारी से नहीं हुई हैं जिन आदमियों को १५-१५ दिन तक खाना नहीं मिलेगा वह और किस बीमारी से मरेंगे वह तो खुद ही बिना मर्ज के मरेंगे। जो आलू और शकरकन्द खाकर पानी पियेंगे, उन को दस्त नहीं होंगे और उनकी मृत्यु नहीं होती तो और क्या होगा। हम चाहते हैं कि ऐसी सरकार को जल्द से जल्द हटाया जाना चाहिये वर्ना अभी तो दो एक मौत ही हो वही है वह वक्त जल्द आ सकता है जब कि हजारों आदमी मर सकते हैं। यह जो रोज नोटिस निकलते हैं या पार्टीबाजी के आधार पर नहीं निकलते हैं बल्कि लोग जब परेशान होते हैं तो निकालते हैं। जहां पर यह मृत्यु हो रही है वहां पर पानी की और सस्ते गल्ले की दुकानों की शीघ्र व्यवस्था की जाय। बूंद बूंद पानी को लोग तरस रहे हैं। उस रोज भी मैंने कहा था और आज फिर कहता हूं कि नलकूप के बारे में बराबर जिलाधीश को लिखा गया और कहा भी गया कि लग जायगा लेकिन आजतक कोई नलकूप नहीं लगा है।

श्री बंशीलाल (जिला इलाहाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, माननीय गेंदा सिंह जी जिस दिन इलाहाबाद गये थे तो मैं भी वहां उस दिन गया था। पौने ६ बजे के करीब प्रयाग स्टेशन से गवर्नमेंट हाउस जाने के बाद उन्होंने पहले ही मुझ से कहा कि पहले श्री सालिगराम जायसवाल, मोहिले जी, सत्यनारायण जी पांडेय को सूचना दे दी जाय। उन्होंने कहा कि सब को साथ लेकर जल्द ही चलेंगे और आप भी चलियेगा यह उन्होंने मुझ से कहा। आधा घंटे के बाद श्री सत्यनारायण जी और सालिगराम जी आये और वहां के एक अधिकारी भी थे। माननीय गेंदा सिंह जी चले और हम लोग भी दूसरी कार मे पीछे लगे थे। जहां जहां पर सूखा पड़ा वहां पर जाकर देखा। माननीय सालिगराम उनको भेजा और कछना में ले गये वे वहां पर ४ बजे शाम को पहुंचे और फूलपुर में पहुंचते पहुंचते उन्हें शाम हो गयी लेकिन माननीय बैजनाथ जी ने अपने यहां के गांवों को दिखाया। श्रीमन्, फूलपुर तहसील की हालत यह है कि ४ साल से कहीं पर पत्थर पड़ा है, कहीं घर सूखा पड़ा और फसलें बिल्कुल बरबाद हो गयी है। किसानों में त्राहि त्राहि मची हुयी है। इसके लिये माननीय राजस्व मंत्री और मुख्य मंत्री जी का भी ध्यान आकर्षित किया गया और यही नहीं, श्रीमन्, हमारे दल के लोग भी जाते रहे और माननीया मुख्य मंत्री को सूचित करते रहे और सरकार हमेशा आश्वासन देती रही लेकिन कुछ नहीं हुआ। पाकिस्तान की लड़ाई के दौरान में भी हमारे यहां की जनता ने काफी सहयोग दिया और सहयोग का आश्वासन भी दिया और वे लोग किसी किस्म की गलतफहमी में नहीं आये। बहुत से लोग नोटिस निकालते हैं और कहते हैं, और अखबारों में एडवरटाइज करते हैं जिससे कि एक राजनीतिक प्रोपेगेन्डा जनता में फैलता जा रहा है। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप अपना कर्त्तव्य समझें कि हम यहां पर विधायक बन कर आये हैं। हमारा यह कर्त्तव्य है कि जो सही वस्तुस्थिति है, उनको रखें और सरकार तक उनकी आवाज को पहुंचायें। इस समय पार्टी बन्दी की स्थिति है और जनता में राजनीतिक हथकंडे प्रयोग किये जा रहे हैं, प्रोपेगेन्डा किया जा रहा है, नोटिस बांटे जा रहे हैं और अखबारों में भी प्रोपेगेन्डा किया जा रहा है। आज यह नहीं सोचा जाता है कि हमारा क्या कर्त्तव्य है। सरकार की क्या जिम्मेवारी है। वास्तव में इलाहाबाद की हालत तो बहुत खराब है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बंशीलाल]

जहां तक सिंचाई का संबंध है हमारे माननीय राजस्व मंत्री जी ने भी देखा है। एक ट्यूबवैल ८०० एकड़ की जमीन की सिंचाई नहीं कर सकता है। अधिक से अधिक उस कुंए से ३०० या ४०० एकड़ जमीन सींची जा सकती है। लेकिन समझ में नहीं आता है कि वहां पर इन्जीनियरों ने ८०० एकड़ जमीन के लिये प्लान कैसे बनाये हैं। झूंसी के इलाके में धान बहुत पैदा होता है परन्तु वहां पर इस वर्ष कोई धान ही पैदा नहीं हुआ है। वर्षा न होने के कारण और कुओं से पानी न मिलने के कारण जमीन परती पड़ी रह गयी। उस ८०० एकड़ वाले क्षेत्र में तो बहुत से लोगों को तनिक भी पानी नहीं मिल पाया, नतीजा यह हुआ कि वहां पर ठंठ लें खड़ी हुयी हैं। चारों ओर इस इलाके में त्राहि त्राहि मची हुयी है। अतः मैं माननीय राजस्व मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि कम से कम सस्ते गल्ले की दूकानों की ही व्यवस्था की जाय और वहां पर जो उन्होंने लगान की वसूली को स्थगित किया है, उसको माफ किया जाय। वहां पर तकावी का प्रबन्ध किया जाय और क्षतिग्रस्त इलाके में विद्यार्थियों की फीस माफ की जाय और ट्यूबवैल वगैरह का जो पानी का दाम है, उसको माफ किया जाय। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी मेरी प्रार्थना को स्वीकार करेंगे और उपरोक्त बातों को तुरन्त इलाहाबाद जिले में लागू करने का कष्ट करेंगे।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने का अवसर दिया।

श्रीमन्, मैं बड़ी देर से माननीय सदस्यों के अश्रुरोदन और उनके सुझावों को और कर्तव्यों को सुनता रहा। श्रीमन्, जबकि सदन में सूखे और बाढ़ से परेशान जनता की हालत की चर्चा होती है तो उस समय पश्चिम जिलों के कुछ माननीय सदस्य मजाक उड़ाया करते हैं। श्रीमन्, इस समय प्रदेश के पूर्वी जिलों में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न है कि हम सदन में इस पर गहन विचार करें। हम सबका प्रयास होना चाहिये कि हम लगान की वसूली के स्थगन की केवल बातें यहां पर न करें। मैं माननीय राजस्व मंत्री जी से पूछता हूं कि क्या इन जिलों के लोगों को स्वाभिमान के साथ जीने का हक है कि नहीं ?

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)--

बलिया में तो खूब है।

श्री मैनेजरसिंह--

माननीय राजस्व मंत्री कहते हैं कि बलिया में अन्न खूब है। उनकी हालत उस माता की सी है जिसके स्तन में दूध रहते हुए उस लड़के को दूध नहीं पिलाती जो रोवे नहीं, या दंगा न करे। इलाहाबाद और जौनपुर के साथियों ने नियम ५२ में दिया, नियम ५३ में नोटिस दी, विवाद की, तो उसकी तो चर्चा करते हैं, लेकिन यदि बलिया के लोगों ने नहीं दी, तो मंत्री जी कहते हैं कि वहां हालत ठीक है। मैं पूछना चाहता हूं कि आज सूखा क्यों है ? माननीय सभा सचिव ने कहा कि बनारस में जाल बिछ गया है ट्यूबवैलों का। तो आखिर सूखा क्यों पड़ा, आखिर वह पानी कहां गया ? १५ सालों में जो आपने किसानों के हक की अवहेलना की है, जो आपने आंकड़ों के साथ शतरंज का खेल खेला है उसी का परिणाम है कि आज १५ साल के बाद सूखा की हालत इलाहाबाद, जौनपुर, मिर्जापुर में दयनीय हो गई है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम लगान वसूली की बात नहीं करते। आप खुद गौर करेंगे। राजस्व मंत्री ने कहा कि ३१ मार्च, १९६६ तक वसूली स्थगित की गई है। जब आप सूखा मानते हैं तो लगान माफ कीजिये। क्या न्यायोचित है कि आप लगान मांगे ? आप कोड

की बात करते हैं, मैं कहता हूं कि कोड को फूंक दीजिये, वह अंग्रेजों के जमाने का है। कलेक्टर का पद गुलामी की निशानी है, निष्ठुरता का जीता जागता प्रमाण है। उससे जनता की सेवा नहीं हो सकती है। आज उसी पद पर सरकार आश्रित है। मैं कहता हूं लगान माफ कीजिये और सिंचाई का प्रबन्ध कीजिये। इलाहाबाद, मिर्जापुर, जौनपुर और पूर्वी जिलों के लोग ज्यादा फसल पैदा करके अपना जीवन चलायेंगे। हम आप से टेस्ट वर्क नहीं चाहते। आप बड़ी योजनायें चलायें जिससे सिंचाई के साधन हमें मिलें, हम स्वाभिमान के साथ अपना जीवन यापन कर सकें। हम आश्रित नहीं होना चाहते। यदि आप चाहते हैं कि हम लोग भी स्वाभिमान के साथ रहें तो आपको सिंचाई का स्थाई प्रबन्ध करना चाहिये।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

अध्यक्ष जी, उधर के १७, १८ माननीय सदस्य हैं जिनमें से ८ व्यक्तियों ने इधर के बोलने वालों का समर्थन किया। मैं धन्यवाद देता हूं उन लोगों को जिन्होंने सही बात आज सदन में सुनायी और मैं उनसे फिर निवेदन करूंगा कि अगर यही सही आचरण और व्यवहार सदा किये होते तो शायद शास्त्री जी को यह कहने की हिम्मत न हुई होती। क्योंकि मैं समझता हूं कि उधर के बैठने वाले जब कुर्सी पर बैठ जाते हैं तो आप की बातों की सुनवाई नहीं करते, बल्कि लेखपाल और कलेक्टर की बात को सुनते हैं। हमें तकलीफ है क्योंकि माननीय राजस्व मंत्री और सभा सचिव उन्हीं पिछड़े जिलों से आते हैं लेकिन केवल तकलीफ कहने के लिये तकलीफ कहते हैं। व्यवहार में किसान की क्या मदद होनी चाहिये, वह नहीं करते हैं। एक ही शब्द का प्रयोग करना चाहता हूं, मंत्रिगण, सरकार, सत्ताधारी दल के लोग घड़ियाल के आंसू रोते हैं, सही माने में किसान का हित नहीं चाहते। आपके पास श्रीमन्, टिप्पणी है वह देखें। हमारे दल की ओर से इलाहाबाद के संबंध में क्या टिप्पणी भेजी गई। आपको याद दिलाऊं, माननीय सुचेता कृपालानी ने हाउस में कहा था कि इलाहाबाद जिले की अभाव स्थिति की जांच करने के लिये माननीय कृषि मंत्री को भेज रहे हैं। आप उनके बयान को देखें, हमने टिप्पणी में पूछा कृषि मंत्री इलाहाबाद में जो जांच किये उस रिपोर्ट में अभाव की स्थिति की क्या चर्चा है उसका उत्तर सभा सचिव जी की ओर से नहीं मिला। ३४ दूकानें जो खुली हुई हैं वे कितनी जनसंख्या के ऊपर खुली हैं और कितना गल्ला उन दूकानों पर दिया गया, इसका कोई उत्तर नहीं मिला। हमने पूछा टेस्ट वर्क जारी किये हुए हैं, आज जो महंगाई का सूचकांक है उस के आधार पर प्रत्येक मजदूर को कितनी मजदूरी गल्ले के रूप में देते हो, उसका भी कोई उत्तर नहीं। हमने पूछा था, तो उस रिपोर्ट में सरकार कहती है कि इलाहाबाद के आसपास के जिलों में अभाव की स्थिति है पानी और सिंचाई की कमी है तो इस स्थिति को जानते हुए सरकार ने उसके लिये क्या व्यवस्था की? क्या पीने के पानी की तथा पैदावार को बढ़ाने के लिये सिंचाई की व्यवस्था की? माननीय सभासचिव ने कहा कि पहिले से केन्द्रीय सरकार को योजना बनाकर दी गई तो वह योजना क्या हुई? कागज में रह गयी? केन्द्रीय सरकार ने क्या उत्तर दिया १८ साल से आपकी सरकार है। इतने बहुमत में होते हुए आपकी सरकार १८ साल के अन्दर इलाहाबाद जिले के इन गांवों में पीने के पानी का इन्तजाम न कर सकी और लोग पानी के लिये तरसते हैं यह आजादी का उपहास है।

मैं स्पष्ट राजस्व मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यह जो फेमीन कोड है और १८८५ का बना हुआ रेवेन्यु मैनुअल है उसको आपने नहीं बदला। १५ साल से इस दल की ओर से बराबर मांग होती रही है कि फेमीन कोड तथा रेवेन्यू मैनुअल को बदलो अगर सरकार किसानों का हित चाहती है। इलाहाबाद अथवा कोई जिला हो, सरकार लेखपाल के मुकाबले में इस हाउस के माननीय सदस्यों का मुकाबला मत करे। तहसीलदार, कानूनगो और जिलाधीश का मुकाबला इस हाउस के माननीय सदस्यों से मत करे। इस हाउस के सदस्य सही मानी में जनता के प्रतिनिधि हैं, झोपड़ी झोपड़ी में घूमते हैं और मैं उनकी कही बातों को सही मानता हूं और जिलाधीश की रिपोर्ट गलत मानता हूं। सरकार की रिपोर्ट १६ आने गलत है। अखबार में गाजीपुर के

[श्री रामसुन्दर पाण्डेय]

जिलाधीश की रिपोर्ट पढ़ी। उन्होंने बयान दिया है कि गाजीपुर जिले में इतनी पैदावार हुई है रबी में कि किसान खुद खायेगा और दूसरे जिलों को खिलायेगा लेकिन वास्तव में वहां की हालत खराब है। वहां नौकरशाही का बोलबाला है। मेरा निवेदन है कि इन अभावग्रस्त क्षेत्रों में सिंचाई तथा पीने के पानी की व्यवस्था अविलम्ब होनी चाहिये और इसके लिये एक बड़ा आयोग बिठाना चाहिये जो सही रिपोर्ट सदन को दे और जो केन्द्रीय सरकार को मजबूर करे कि इन उपेक्षित जिलों के लिये अविलम्ब कार्यवाही की जाय।

*श्री बैजनाथसिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)—

अध्यक्ष महोदय, मुझे जो टाइम आपने दिया इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मुझे श्री बंशीधर पांडेय की दयनीय दशा पर बड़ा दुःख है इसलिये कि वह सरकारी कुर्सी पर बैठे हैं। वह अपने क्षेत्र के बारे में कुछ कह नहीं पा रहे हैं और उनकी हालत को देखकर मैंने सोचा कि मैं आपसे आग्रह करूं कि थोड़ा सा समय मुझे दे दिया जाय। सभी लोगों ने अपने अपने क्षेत्र के बारे में यहां कहा है, लेकिन सबसे खराब हालत आपके क्षेत्र की है। वहां नहरों का जाल बिछा हुआ है लेकिन नहरें सूखी पड़ी हुई हैं, पानी उनमें नहीं आता है। इसलिये मैं चाहूंगा कि भदोही क्षेत्र के बारे में हमारे माननीय मंत्री जी थोड़ा ध्यान दें। सुल्तानपुर जिले में अमेठी तहसील है। वह उत्तर प्रदेश में सबसे कमजोर तहसील है। वहां ऊसर जमीन है। एक बूंद पानी नहीं रहा। सारी फसल सूख गयी है। इसलिये माननीय मंत्री जी विशेष रूप से अमेठी तहसील पर ध्यान देकर उसकी छानबीन करवाएं।

श्री हुकुमसिंह विसेन—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने साथियों का चाहे इस तरफ के हों या उस तरफ के, बड़ा आभारी हूं कि जो उन्होंने आज के विवाद में तमाम बातें बताने की कोशिश की। मैं कब्ल इसके कि कुछ जवाब देने का प्रयास करूं अपने भाई कृष्णानन्द राय जी के बारे में अर्ज करना चाहता हूं। उन्होंने कई मर्तबा सवाल उठाया। यह पुराने रूल है। हमने दिक्कतें भी बतायीं कि जब तक हमारा प्लाट वाइज रेवेन्यु का असेसमेंट न हो तब तक कोई तरमीम नहीं कर सकते और २५१ धारा में ४० वर्ष के बाद बन्दोबस्त करने का वायदा किया है। ४० वर्ष से पहले कर नहीं सकते। (व्यवधान) हाथ ऐसे करने से काम नहीं चलता। मैंने माननीय कृष्णानन्द राय से कहा कि लिख कर दीजिये कि किस तरह तरमीम करें, जो दिक्कत है वह हल हो जाय। जब मौका हुआ कह दिया कि बाबा आदम का कानून है यह कह देने से काम नहीं चलता। रेवेन्यु डिपार्टमेन्ट में सब कायदे कानून से काम हो सकता है। नेपालगंज का हुक्म नहीं चल सकता। हर कदम पर रुकावट है, बंदिश है, आसानी से सब बातें कर दें, यह बड़ा मुश्किल है। मुझे केशरी प्रसाद पांडेय जी से बड़ी हमदर्दी है। मैंने उनकी मछलीशहर की सड़क भी देखी। हम गये भी। हम क्या बताएं। वहां तीन पांडेयों का जमाव है, बंशीधर पांडेय, बैजनाथ पांडेय और केशरी पांडेय। इन पांडेयों की वहज से न मालूम क्या बात पैदा हो गयी कि वहां पानी नहीं बरसता। मैं अपना दुर्भाग्य कहूं या इन लोगों का। हमको बड़ी हमदर्दी है।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—

आप मजाक करते हैं। किसी का सही जवाब नहीं देते।

श्री हुकुमसिंह विसेन—

मैं अपने भाई सालिग्राम जैसवाल की बड़ी इज्जत करता हूं हमारे पुराने दोस्त हैं। अब भी हमारी उनकी दोस्ती है, मुलाकात चाहे देर में हो, और हमारे मोहिले

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

साहब भी हमारे बड़े दोस्त हैं। मुझ से मिला करते हैं। मैं सालिग्राम जी का बड़ा आभारी हूं कि जो उन्होंने यह मसला उठाया। भाई ने यह कहा कि मैंने यह कहा कि यह पोलिटिकल स्टंट है। मुझे याद नहीं कि मैंने कल कहा। अगर तब शक था तो अब पक्का हो गया कि हां, पोलिटिकल स्टंट है। वजह यह है कि अब वह नाराज हैं कि नोटिस इलाहाबाद में निकल गया। हम से नोटिस से क्या मतलब? चाहे कांग्रेसी निकालें या एस० एस० पी० वाले निकालें। अगर आप कुछ अखबारों में निकालते हैं तो वह भी एक नोटिस निकाल देते हैं। फिर मोहिले साहब ने कहा कि एलेक्शन का मामला है अगर मैंने ठीक सुना। इन शब्दों से यह सिद्ध होता है कि पालिटिकल स्टंट है और क्या हो सकता है?

एक बात माननीय रामसुन्दर पाण्डेय जी ने कही कि आज इधर के लोग भी साफ बोलें हैं। क्या वह एलेक्शन वाली बात से महरूम रहें। सबने अपनी अपनी कांस्टीटुएंसी की बात कही। चूंकि जाने वाले हैं आप लोग अप्रैल में, उसके बाद एलेक्शन का राग गाया जायगा लिहाज इसे अपनी-अपनी पेशबन्दी में सभी कह सकते हैं और मैंने किसी को रोका भी नहीं। जहां तक वस्तुस्थिति का ताल्लुक है, मैं समझता हूं अबकी साल बरसात बड़े इर्रेटिव ढंग से, बड़े बेतरतीबी ढंग से हुई, कहीं पर खंड बरसा हुई कहीं पर देर से बरसा हुई और कहीं कहीं पर बिलकुल नहीं हुई। यह एक वाइड स्प्रेड कैलेमिटी है। यह खाली उत्तर प्रदेश में नहीं, भारत के अन्य बहुत से जिलों में भी है। यह हम सबको जानना चाहिए। यह एक नेशनल कैलेमिटी है अपने सूबे के लिये, इसे ऐसा कहिये। इसके लिये जरूरत इस बात की है कि हम सब लोग आपस में मिलकर कोई तरीका इसके लिये निकालें। लेक्चर देने से, हल्ला करने से काम नहीं चलेगा। हम लोग शान्ति से विचार करें तो कोई हल अवश्य निकाल सकते हैं। बड़ी बड़ी मुसीबातों का हल निकाला है। तो व्यक्तिगत और दलगत बातों को छोड़कर हमको और आपको सीरियसली इस पर ध्यान देना है। अब यह कह देने से कि इतने वहां मर गये, इतने वहां मर गये, काम नहीं चलेगा। हमारे पास जानकारी प्राप्त करने का जो साधन है, उसके जरिये यानी ए० डी० एम० के जरिये हमने उनसे पता लगाया तो हमें मालूम हुआ कि वहां पर कोई भी व्यक्ति भुखमरी के कारण नहीं मरा और जो अटेम्प्ट आफ सूसाइड था वह भी उसे दिखाने का प्रयत्न किया जा रहा था, वह भी एक चाल थी जिसमें कोई असलियत नहीं थी। तो यह सब स्टन्ट हैं जो चले जाते हैं। मुझे भी २० वर्ष यहां पर हो गये, हमेशा यहीं तमाशा देखने को मिलता है जब जब असेम्बली चलने को होती है स्टारवेशन की खबरें अखबारों में छप जाती हैं, जो कि सभी निराधार पायी गयीं। एक भी सही नहीं पायी गयी। एक बार कहा गया कि बड़हलगंज में...

श्री सालिग्राम जैसवाल--

आप तो अपने ए० डी० एम० की ही रिपोर्ट पर एक मात्र विश्वास करते हैं, वह तो कतई आपके सामने सही स्थिति नहीं आने देंगे।

(व्यवधान)

श्री हुकुमसिंह विसेन--

तो देवरिया में एक खबर हुई कि वहां पर एक मौत हो गयी, मैंने जांच कराई, मरने वाले व्यक्ति की पत्नी थी, आदमी मर गया था। हमने जांच कराई तो मालूम हुआ कि उस आदमी के दसवें में इतने लोगों की दावत हुई कि १० मन अनाज खत्म हो गया। तो आप ही सोचें, जिसके दसवें में १०-१० मन अनाज खर्च हो जाए और वह बिना एक छटांक खाये मर जाए? यह बात कितनी असत्य होगी। हमारे कुछ मित्रों ने कहा कि राजस्व मंत्री को किसानों से कोई हमदर्दी नहीं है। मैं उन अपने मित्रों से कहना चाहता हूं कि मैंने भी किसानों की सेवा की है और अपनी सारी उम्र किसानों की सेवा में गुजारी है।

श्री बांकेलाल—

आपने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया उससे हजारों गुना अब आप उन्हें चूस रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री हुकुम सिंह विसेन—

(श्री बांकेलाल से) बैठिये, बैठिये, सुनिये तो। जितने साल हमने किसानों की सेवा की है उतनी ही आप में से कितनों की उम्र हो होगी। हमें हमदर्दी है, मैं किसी से भी पीछे नहीं हूं उनकी सेवा करने में। मेरे हमदर्दी का खयाल रखते हुये किसानों का कोई नुकसान नहीं होने पाया। इसीलिये मैं अपने अफसरों को भी डांटे रहता हूं और उन्हें कड़ी हिदायत करदी है कि हमारे पास सही रिपोर्ट ही आनी चाहिये और यदि गलत रिपोर्ट आयेगी, पूरी तरह से सही नहीं आयेगी तो उनसे स्पष्टीकरण मांगा जायगा। हमने पोस्टपोनमेंट आफ ड्यूज भी किये हैं। गाजीपुर में लैंड रैवेन्यू ९२,००१.३४ रुपये के ड्यूज पोस्टपोन किये गये। तकावी ऐक्ट १२ में २२,३१५.०६ रुपये, तकावी ऐक्ट १९ में ८६,८९५.३५ और केनाल ड्यूज में ११,२७१ रुपये के पोस्टपोनमेंट हुये। इसी तरह से जौनपुर में, लैंड रैवेन्यू ६,४५,१३१.१२, सरचार्ज १३,६४,५१·२१ तकावी ऐक्ट १२ में १८३०८.१४, तकावी ऐक्ट १९ में ९४६३०.५० के ड्यूज पोस्टपोन किये गये। इलाहाबाद में लैंड रैवेन्यू ९८,६४,६२.२१ सारचार्ज, ५२९८४.०३ तकावी, ऐक्ट १२ में ९२ ८७,९९.९८, तकावी ऐक्ट १९ में ६३४९१८.७७ रुपये के ड्यूज पोस्टपोन किये गये। वाराणसी में लैंड रैवेन्यू ९०,५७,७५, सरचार्ज २२,२२,३०, और मिर्जापुर में लैंड रैवेन्यू ५२,१२,९६.५३, सरचार्ज ८२,७१९.०७, के ड्यूज पोस्टपोन हुये। तकावी जो हमने बांटने को दी ऐक्ट १२ और १९ के अन्तर्गत वह निम्न प्रकार है—

इलाहाबाद	८,१८,००० डिस्ट्रेस तकावी २,५०,००० सीड तकावी
गाजीपुर	१,०५,०००
जौनपुर	१,९५,१००
वाराणसी	९४,२००
मिर्जापुर	९४,६००

अहेतुक सहायता जो हमने दी वह इस प्रकार है—

गाजीपुर १२,०००, जौनपुर ३४,०००, वाराणसी १८,०००, इलाहाबाद ८२,५००, मिर्जापुर में २९,०००, लेकिन मिर्जापुर में सिर्फ १८,६५० रुपया खर्च हुआ, बाकी सरेंडर हो चुका है। फाडर पोजीशन यह है :—गाजीपुर में कोई शार्टेज नहीं है, यह रिपोर्ट है। जौनपुर की केवल चार तहसीलों में शार्टेज हैं :— जौनपुर, मड़ियाहूं, मछलीशहर और शाहगंज में। आठ वैगन भूसा इस जिले को सप्लाई किया जा चुका है, वाराणसी में कोई स्क्वेयरसिटी नहीं है, लेकिन फिर भी ४५० क्विंटल भूसा सप्लाई किया गया है। इलाहाबाद में ८१ वैगन का इंडेंट है जिसमें से ७० सप्लाई हो चुका है और ११ पहुंचने वाले हैं। मिर्जापुर में कोई स्क्वेयरसिटी नहीं है लेकिन फिर भी एक वैगन भिजवा दिया है और वह डिस्ट्रिब्यूट भी हो गया है। फेयर प्राइस शाप्स भी हमने खुलवायी है। गाजीपुर मुहम्मदाबाद और जमानिया में ३५ शाप्स खोली गयी हैं। गाजीपुर, शहर में १८ टाउन एरिया और नोटीफाइड एरियाज में १६ दूकानें खोली गयी हैं। जौनपुर में निम्नप्रकार से दूकानें खोली गयीं:—सदर तहसील में ३९, मड़ियाहूं में ४४, मछलीशहर में ३७, शाहगंज में ५२, केराकत में २८ और यह फरवरी तक काम करती रहीं। अगस्त, ६५ में मछलीशहर में १५ दूकानें और मड़ियाहूं में १२ दूकानें रिलीफ के तौर पर खोली गयीं और ३ मार्च, १९६६ को गवर्नमेंट ने यह आदेश दिया है कि कोर्स ग्रेन डिस्ट्रीब्यूट हो। वाराणसी जिले में निम्न प्रकार दूकानें खुलीं:— वाराणसी में

१३५, ज्ञानपुर में ९४, चंदौली में ७४, चकिया में२८ । इलाहाबाद में निम्न प्रकार से दूकानें खुलीं :—मेजा में ३५, करछना में २२, और अपने-अपने कोटे जो उनके थे वे उठा ले गये । अब तक १०२५ क्विंटल आटा और ३० क्विंटल ज्वार भी उठा ली गयी है । दूकानों ने ४ मार्च, १९६६ से कार्य करना प्रारम्भ किया है । मेजा तहसील में २ दूकानें टेस्ट वर्क के स्थान पर खुली हुई हैं । मेजा में इस समय जो टेस्ट वर्क चल रहे हैं उसमें दो दूकान चल रही है ।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

टेस्ट वर्क में मजदूरी क्या दी जा रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

टेस्ट वर्क में खुदाई की मजदूरी ९० पैसा, ढुलाई की मजदूरी ७५ पैसा और लड़कों को मजदूरी ५० पैसा दी जा रही है ।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

फैमिन कोड में महंगाई के आधार पर गल्ला देने की बात है । रुपया क्यों दिया जाता है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जो दिया जा रहा है मैंने बतला दिया । मिर्जापुर में जो दूकानें खोली गई हैं वह इस प्रकार से हैं :—[illegible]ढी में २२, रोबर्ट्सगंज में ३७, चुनार में ५४, सदर तहसील में ७७, मिर्जापुर सिटी में ४१ । इस तरह से २३१ दूकानें खोली गई हैं । मिर्जापुर में रुरल मैनपावर के अन्तर्गत ६९.२३ लाख रुपया स्वीकार किया गया था जिसमें से १२.६१ लाख खर्च किया गया है । इलाहाबाद में २१ काम चलाये गये जिनमें ३,५७,०६०.५६ पैसे खर्च हुये । वाराणसी में १८ काम चलाये गये जिनमें ५,६९,३२७ रुपये खर्च हुये हैं । जौनपुर में ३ काम चलाये गये जो केराकत तहसील में चल रहे हैं । उनमें ३,३२,५०४.५५ पैसे अब तक खर्च हुये हैं । गाजीपुर में १३ काम चलाये गये हैं जिनमें १,४८,१४०.४० खर्च हुये हैं । पानी पीने के लिये भी हमने सब इन्तजाम किये हैं और जहां जहां पर आवश्यकता होगी हम करेंगे । हमारे माननीय सदस्य जहां-जहां से इत्तला देंगे तो हम उस इत्तला के आधार पर दरियापत करायेंगे और जहां जहां पर मुनासिब समझा जायगा, किसानों के लिये सब इन्तजाम करेंगे । किसानों की सहायता हम हमेशा करने के लिये तैयार हैं । आगे भी हम उनके लिये इन्तजाम करेंगे । इसमें किसी माननीय सदस्य को शिकायत का मौका नहीं होना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष—

अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन ७ बजकर २९ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
२१ मार्च, १९६६ ।

नत्थी 'क'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या ७ का उत्तर पीछे पृष्ठ २०८ पर]

नगरपालिका, कानपुर के सदस्यों एवं अधिकारियों को आवंटित किये गये प्लाटों की और उनके द्वारा लिए गए ऋण की तालिका

सदस्यों/अधिकारियों के नाम	पद नाम	प्लाट क्षेत्रफल (वर्ग गज में)	ऋण जो लिया गया (रु० में)	प्लाट किसके नाम स्वयं परिवार के सदस्यों अथवा सम्बन्धियों के नाम	खरीदारी प्रतिवर्ग गज (रुपया)
१	२	३	४	५	६
१—श्री जमुना प्रसाद	.. सभासद	१६७	..	स्वयं	१०
२—श्री हंसदेवसिंह गौतम	.. ,,	३५५	..	,,	९
३—श्री पुरुषोत्तमदास कुरील	.. ,,	४७१	..	,,	१२
४—श्रीमती जनक किशोरी	.. ,,	४६२	८०००	,,	८
५—श्री श्रीकृष्ण अग्रवाल	.. ,,	४२१	..	,,	५
६—श्री रमाशंकर शुक्ल	.. ,,	३५०	..	पत्नी	२५
७—श्री जगदीश दुबे	.. ,,	३४२	..	स्वयं	१०
८—श्री जगदेव सिंह	.. ,,	३५६	..	,,	१२
९—श्री रमेशचन्द्र गुप्त	.. ,,	३००	..	पत्नी	१८
१०—श्री राजाराम सिंह	.. ,,	५६९	..	स्वयं	१२
११—श्री शशिभूषण सिंह	.. ,,	६००	..	भाई	१२
१२—श्री राजेश्वर दुबे	.. ,,	४०९	..	स्वयं	१२
१३—श्री केशव दयाल	.. ,,	३५६	..	पत्नी	१२
१४—श्री श्यामसनोहर द्विवेदी	.. ,,	२००	..	भाई	८
१५—श्री गनेशदत्त बाजपेयी	.. ,,	३००	..	भाई	१२
१६—श्री श्याम मनोहर द्विवेदी	.. ,,	३५६	..	बहनोई	९
१७—श्री शिवकिशोर मिश्र	.. ,,	३५६	..	भांजा	९
१८—श्री शिव किशोर मिश्र	.. ,,	२५०	८०००	स्वयं	११
१९—श्री अवधबिहारी मिश्र	.. क्षेत्रीय अधिकारी	२००	..	स्वयं	३५
		..	..	स्वयं	..
२०—श्री ओ० पी० आर्य	.. सहायक अभियन्ता	६६६	..	स्वयं	१५
२१—श्री ए० टी० पटेल	.. सहायक नगर अभियन्ता	८००	..	स्वयं	१७

नत्थी 'ख'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या १९ का उत्तर पीछे पृष्ठ २१४ पर]

वित्तीय वर्ष १९६२–६३, ६३–६४ तथा ६४–६५ में देवरिया जिले के एक बैंगन या उस से अधिक सीमेन्ट पाने वाले व्यक्तियों की सूची—

१—श्री मुमताज अहमद लारी
२—मेसर्स महेश्वरी खेतान शुगर मिल्स, रामकोला
३—श्री आर० डी० तिवारी
४—प्रिंसिपल, राधाकृष्ण संस्कृत पाठशाला
५—श्री मदनलाल
६—अध्यक्ष, नागरी प्रचारिणी सभा, देवरिया
७—श्री विश्वनाथ सिंह
८—श्री जे० जी० त्रिपाठी
९—मैनेजर, मिशन स्कूल, देवरिया
१०—श्री जमील अहमद अन्सारी
११—श्री अब्दुल हकीम
१२—श्रीमती बनारसी देवी पिस्ता देवी कनोडिया
१३—श्री रामप्रसाद गुप्ता
१४—श्री लखनकिशोर जायसवाल
१५—श्री शम्सुल हक
१६—श्री जयमंगल सिंह
१७—श्री दीपनरायणमणि त्रिपाठी
१८—श्री मोहनलाल गुप्ता
१९—श्री रामदेव पान्डे
२०—श्री रामदयाल सिंह
२१—मेसर्स देवराज भूरामल
२२—श्री प्रद्युम्न साही
२३—श्री पी० डी० सिंह, भूतपूर्व एम० एल० ए०
२४—श्री मुहम्मद फारूक
२५—बाबा राघवदास
२६—श्री विश्वनाथ शर्मा
२७—श्री रामधारी सिंह
२८—श्री केशव मिश्रा
२९—श्री पृथ्वीचन्द गुप्ता
३०—श्री सन्तप्रसाद गोविन्दराव
३१—श्री एन० सी० जैन
३२—श्री श्यामसुन्दर देवरहा
३३—श्री राजेशकुमार
३४—श्री चन्दूलाल आर्य
३५—श्री गनेशप्रसाद ।

नत्थी 'ग'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या २३ का उत्तर पीछे पृष्ठ २१५ पर]

जिला पूर्ति कार्यालय, गोंडा में १ जनवरी, ६४ से की गई नियुक्तियों की सूची।

कर्मचारी का नाम	पद	नियुक्ति की तिथि	रिमार्क्स
१—श्री राम राज लहरी	लिपिक	२५-३-६४	स्तोफा दे दिया
२—श्री सहदेव चौहान	लिपिक	४-४-६४	कार्य कर रहे हैं
३—श्री एस० एस० बी० सेठ	सर्किल इन्सपेक्टर	१-५-६४	स्तोफा दे दिया
४—श्री रंजीत सिंह	सप्लाई इन्सपेक्टर	१-५-६४	स्थानान्तरित हो गये
५—श्री कौशल किशोर	सप्लाई इन्सपेक्टर	४-५-६४	स्तोफा दे दिया
६—श्री जमील अहमद	लिपिक	८-५-६४	कार्य कर रहे हैं
७—श्री बी० पी० श्रीवास्तव	एस० ए० सी०	१९-५-६४	कार्य कर रहे हैं
८—श्री लालजी मिश्र	सर्किल इन्सपेक्टर	६-६-६४	स्तोफा दे दिया
९—श्री राम शंकर लाल	प्रधान लिपिक	१०-७-६४	सेवा से मुक्त कर दिये गये
१०—श्री मिश्री लाल	सर्किल इन्सपेक्टर	२१-७-६४	स्थानान्तरित हो गये
११—श्री रवी प्रकाश श्रीवास्तव	लिपिक	२-११-६४	कार्य कर रहे हैं
१२—श्री बी० एन० पांडेय	सर्किल इन्सपेक्टर	२-११-६४	स्तोफा दे दिया
१३—श्री जगदीशचन्द्र डिमरी	लिपिक	६-११-६४	सेवा से मुक्त कर दिये गये
१४—श्री काशीप्रसाद	चपरासी	२५-३-६४	सेवा से मुक्त कर दिये गये
१५—श्री श्यामसुन्दर	चपरासी	२५-३-६४	कार्य कर रहे हैं
१६—श्री इन्दरजीत सिंह	लिपिक	१-२-६५	अवकाश रिक्ति में नियुक्ति किये गये थे और अब सेवा में नहीं हैं।
१७—श्री जे० सी० डिमरी	लिपिक	१-४-६५	,,
१८—श्री पी० एन० पांडे	आशु लिपिक	२४-७-६५	,,
१९—श्री जमुनाप्रसाद	लिपिक	१-९-६५	कार्य कर रहे हैं

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ८ का उत्तर पीछे पृष्ठ २१९ पर)

तहसील का नाम	गांव का नाम		भूमि जिस पर वृक्षारोपण की योजना बनाई गई (एकड़ में)	भूमि जिस पर वृक्षारोपण किया गया (एकड़ में)
	१९६४			
हैदरगढ़	१—मुबारकपुर	..	२६—००	२६—००
	२—तेजवापुर	..	९०—००	९०—००
	३—मुहद्दी सराय	..	३२—००	३२—००
	४—रहुरा	..	९६—००	९६—००
	५—मुस्तफाबाद	..	७२—००	७२—००
		कुल ..	३१६—००	३१६—००
	१९६५			
,,	१—बोजापुर	..	१२२—७०	१२२—७०
	२—बेहटा	..	२१०—००	२१०—००
	३—सराय निरूह	..	७०—३०	७०—३०
	४—नरौली	..	१८—००	१८—००
		कुल ..	४२१—००	४२१—००
	१९६६			
,,	१—शरीफाबाद	..	१००—००	इन क्षेत्रों में १९६६ की वर्षा ऋतु में वृक्षारोपण कार्य करने की योजना है।
	२—थलवारा	..	८९—५०	
	३—घोसियामऊ	..	३०—५०	
	४—मरई	..	२०—००	
	५—उमरावल किरसिया	..	५४—००	
	६—महराजपुर	..	१०—००	खदान (स्वायल वर्किंग) कार्य चल रहा है।
		कुल ..	३०४—००	

सत्यी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ३१ का उत्तर पीछे पृष्ठ २२३ पर)

सूची

१—गेहूं—

(क) सुनेरा ६४—यह लाल रंग का मैक्सिकन गेहूं है जो कि अधिक मात्रा में उर्वरक उपलब्ध करने पर बहुत अधिक उपज देता है। यह एक बौना किस्म है जो कि नाइट्रोजन की अत्यधिक मात्रा उपलब्ध करने पर भी गिरती नहीं है। जो किसान गेहूं के बोने के लिये १२० पौंड नाइट्रोजन, ६० पौन्ड फासफेट (P_5O_5) और ३० पौंड पटेश (K_2O) प्रति एकड़ का प्रबन्ध कर सकते हैं और जहां इस गेहूं में ५ बार सिंचाई करने की सुविधायें हैं उन दशाओं में गेहूं को बोकर किसान ४० मन प्रति एकड़ से भी अधिक उपज प्राप्त कर सकते हैं।

(ख) लरमा रोहा—उपर्युक्त की भांति यह भी मैक्सिकन गेहूं है जो कि पर्याप्त खाद और सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करने पर बहुत ऊंची उपज देने की क्षमता रखता है।

२—धान काशी—यह किस्म टाइप १३६ और रशियन २६५२ किस्मों के संकरण से उत्पन्न की गयी है। यह ९५ दिनों में पक कर तैयार होती है। धान आकार में मध्यम और चावल सफेद रंग का होता है। इसकी औसत उपज २५ से ३० मन प्रति एकड़ तक होती है।

३—तिलहन—

(क) मूंगफली-टाइप ६४—यह एक जल्द पकने वाली एवं गुच्छेदार खड़े पौधे वाली किस्म है। दूसरी जल्द पकने वाली गुच्छेदार किस्म से इसकी फली बहुत बड़ी होती है तथा पैदावार में अधिक व टिक्का की बीमारी को सहन करने वाली किस्म है।

(ख) अलसी-हीरा, मुक्ता एवं नीलम—इन किस्मों का बीज बड़ा एवं मोटा होता है। इसमें गिरवी उक्टा की बीमारी नहीं लगती। उक्टा की बीमारी को सहन करने का नया गुण इन तीनों किस्मों में है जो कि इससे पहले प्रचलित किस्मों में न था। तेल की मात्रा भी इन नई किस्मों में अधिक है। हीरा उत्तर प्रदेश के बुन्देलखंड खण्ड क्षेत्र, नीलम मध्य तथा पश्चिमी क्षेत्र और मुक्ता दक्षिणी तथा पूर्वी क्षेत्र के लिये उपयुक्त है।

४—गन्ना—

(क) को० १२२३—यह किस्म समस्त पूर्वी जिलों के लिये स्वीकृत की गयी है। यह अधिक उपज देने वाली मध्य काल में पकने वाली किस्म है। चीनी की मात्रा मध्यम है। गन्ने मोटे व लम्बे होते हैं रोगों से मुक्त है। अधिक उर्वरक भूमि के लिये उपयुक्त नहीं है क्योंकि गिर जाने का अन्देशा रहता है।

(ख) को० शा० ५६२—यह किस्म मध्य तथा तराई क्षेत्र के लिये स्वीकृत की गयी है। अधिक उपज देने वाली मध्यकाल में पकने वाली किस्म है। रोग से सहनशील है। चीनी की मात्रा मध्यम है।

(ग) को० ११८६—यह किस्म प्रदेश के समस्त पश्चिमी जिलों के लिये स्वीकृत की गयी है। यह किस्म अधिक उपज व मध्यकाल में पकने वाली है। चीनी की मात्रा मध्यम है। रोगों से मुक्त है।

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ४२ का उत्तर पीछे पृष्ठ २२५ पर)

विभाग का नाम पद/नाम	पद संख्या	जिस राज्य के निवासी हैं उत्तर प्रदेश/उत्तर प्रदेश के बाहर	
१—उप कुलपति अनुभाग			
उप कुलपति	१	उ० प्र०	—
लिपिक वर्गीय कर्मचारी ..	५	उ० प्र०	..
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारिवर्ग ..	२	उ० प्र०	—
कुल	८		
२—रजिस्ट्रार अनुभाग			
रजिस्ट्रार ..	१	उ० प्र०	—
लिपिक वर्गीय कर्मचारी ..	१२	उ० प्र०	—
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारिवर्ग ..	१	उ० प्र०	—
कुल ..	१४		
३—लेखा नियंत्रक अनुभाग ..			
लेखा अधिकारी ..	१	उ० प्र०	—
लिपिक वर्गीय कर्मचारी ..	११	उ० प्र०	—
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारिवर्ग ..	२	उ० प्र०	—
कुल ..	१४		
४—पुस्तकालय अनुभाग ..			
पुस्तकाध्यक्ष ..	१	उ० प्र०	—
लिपिक वर्गीय कर्मचारी ..	१	उ० प्र०	—
टेक्निकल स्टाफ ..	१६	१५ उ० प्र०	१ मध्य प्र०
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारिवर्ग ..	५	उ० प्र०	—
कुल ..	२३		
५—डीन स्टूडेन्ट वेलफेयर सेक्शन			
डीन स्टूडेन्ट वेलफेयर ..	१	उ० प्र०	—
लिपिक वर्गीय कर्मचारी	१२	९ उ० प्र० से	३ पंजाब
प्राविधिक कर्मचारी वर्ग ..	३	उ० प्र०	—
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वर्ग ..	२७	उ० प्र०	—
कुल ..	४३		

सत्यमेव जयते

विभाग का नाम/पद नाम		पद संख्या		जिस राज्य के निवासी हैं उत्तर प्रदेश/उत्तर प्रदेश के बाहर
६—डाइरेक्टर फिजिकल प्लान्ट अनुभाग				
डाइरेक्टर फिजिकल प्लान्ट	..	१	उ० प्र०	
लिपिक वर्गीय कर्मचारी	..	७	६ उ० प्र०	१ मध्य प्रदेश
प्राविधिक कर्मचारि वर्ग	..	३२	३० उ० प्र०	१ केरल
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारि वर्ग	..	५३	५२ उ० प्र०	१ पंजाब
कुल	..	९३		
७—कृषि महाविद्यालय				
डीन	..	१	—	मैसूर
प्रोफेसर्स	..	२	१ उ० प्र०	१ महाराष्ट्र
असिस्टेंट प्रोफेसर्स	..	३६	२८ उ० प्र०	१ मध्य प्रदेश २ राजस्थान २ पंजाब १ पश्चिमी बंगाल २ मद्रास
लिपिक वर्गीय कर्मचारी	..	९	उ० प्र०	
प्राविधिक कर्मचारिवर्ग	..	११	१० उ० प्र०	१ पंजाब
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारिवर्ग	..	१९	उ० प्र०	
कुल		७८		
८—पशु-चिकित्सा महाविद्यालय	..			
डीन	..	१	उ० प्र०	
प्रोफेसर्स	..	३	उ० प्र०	१ राजस्थान
असोसियेट प्रोफेसर	..	१	—	आन्ध्र प्रदेश
असिस्टेन्ट प्रोफेसर्स	..	२०	१३ उ० प्र०	४ पंजाब १ राजस्थान १ पश्चिमी बंगाल १ बिहार
लिपिक वर्गीय कर्मचारी	..	६	उ० प्र०	
प्राविधिक कर्मचारिवर्ग	..	१५	१३ उ० प्र०	२ पंजाब
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारिवर्ग	..	१३	१२ उ० प्र०	१ नेपाल
कुल		५९		
९—प्रसार विभाग				
प्रोफेसर	..	१	उ० प्र०	
असिस्टेंट प्रोफेसर्स	..	८	७ उ० प्र०	१ उ० प्र० के बाहर
प्राविधिक कर्मचारिवर्ग	..	९	उ० प्र०	
लिपिक वर्गीय कर्मचारी	..	४	उ० प्र०	
कुल		२२		

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विभाग का नाम/पद नाम	पद संख्या	जिस राज्य के निवासी है उत्तर प्रदेश/उत्तर प्रदेश के बाहर	
१०—आधारभूत विज्ञान तथा मानव शास्त्र का स्कूल डाइरेक्टर ..	१	— उ० प्र० के बाहर	
रिसर्च असोसियेट प्रोफेसर्स ..	२	उ० प्र०	
असिस्टेंट प्रोफेसर्स ..	२१	१८ उ० प्र०	३ उ० प्र० के बाहर
लिपिक वर्गीय कर्मचारी	६	उ० प्र०	
प्राविधिक कर्मचारिवर्ग ..	८	उ० प्र०	
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारिवर्ग ..	११	उ० प्र०	
कुल ..	४९		
११—एक्सपेरीमेन्ट स्टेशन			
डाइरेक्टर ..	१	उ० प्र०	
फूड आफिसर ..	१	उ० प्र०	
प्राविधिक कर्मचारिवर्ग ..	१८	उ० प्र०	
लिपिक वर्गीय कर्मचारी ..	५	उ० प्र०	
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारिवर्ग ..	१२	उ० प्र०	
कुल ..	३७		
१२—विश्वविद्यालय मुद्रणालय			
प्राविधिक कर्मचारिवर्ग ..	२	उ० प्र०	
कुल ..	२		
१३—कृषि इंजीनियरिंग और टेक्नोलाजी महाविद्यालय			
प्रोफेसर्स ..	२	उ० प्र०	
असिस्टेंट प्रोफेसर्स ..	२०	१७ उ० प्र०	३ आन्ध्र प्रदेश
लिपिक वर्गीय कर्मचारी ..	३	उ० प्र०	
प्राविधिक कर्मचारिवर्ग ..	१२	उ० प्र०	
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारिवर्ग ..	८	७ उ० प्र०	१ नेपाल
कुल ..	४५		
१४—पोस्ट ग्रेजुएट स्टेडीज			
लिपिक वर्गीय कर्मचारी ..	१	उ० प्र०	
कुल ..	१		

मत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ४६–४८ का उत्तर पीछे पृष्ठ २२७ पर)

हवादार मंजिल के किराये दारों की सूची व बकाया किराये का विवरण

नाम किरायादार			जनवरी, १९६६ तक का बकाया किराया रु० पै०
१—श्री कन्हैयालाल श्रीवास्तव	..	..	४७९.०३
२—डा० श्रीमती अफरोज जहां बेगम	..	..	३६२.०२
३—श्रीमती ज्ञानवती सिन्हा	..	..	६०९.१८
४—श्री अजीमउल्ला खाँ	..	..	१९८५.०६
५—श्रीमती रजिया बेगम	..	..	५९०.००
			४०२५.२९

नोट—उपरोक्त ५ किरायेदारों के अतिरिक्त हवादार मंजिल के एक भाग का कोना श्री ईश्वर लाल मालिक गुलशन वाच कम्पनी के कब्जे में है जिनका मामला अभी विचाराधीन है।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ५६ का उत्तर पीछे पृष्ठ २२९ पर)

प्रश्न सं० ५६ में कही गई सूची तथा प्रगति का वर्णन

जिलाधीश एटा, द्वारा प्रेषित नगरपालिका के ३,१०,००० रु० के आगणन का ब्योरा निम्न प्रकार है—

कार्य	आगणन धनराशि
	रु०
१—घाटों का पुनर्निर्माण	२,१०,०००
२—हरकी पौड़ी के चारों ओर सी० सी० रोड का निर्माण ..	६०,०००
३—शान्त जल के तालाब से सिवार व काई निकालने का व्यय	२०,०००
४—बिजली के प्रसार एवं सजावट में व्यय	२०,०००
योग ..	३,१०,०००

मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा प्रेषित आगणन के अनुसार घाटों के जीर्णोद्धार में लगभग १,१४,५०० रु० का अनुमानित व्यय होगा, जो निम्न प्रकार है—

कार्य	आगणन धनराशि
	रु०
१—पक्के घाटों का निर्माण	१,०४,०००
१० प्रतिशत की दर से आकस्मिक व्यय	१०,४००
योग ..	१,१४,४००
लगभग ..	१,१४,५००

प्रगित

धन की व्यवस्था का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—२७ एल० ए०—१९६६—८६२ ।